


२७ जनवरी 2018
दिनांक को विद्यमान
में प्रस्तुत की गई।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
(आर्थिक क्षेत्र)

राजस्थान सरकार
वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या 5



विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन	-	(v)
अध्याय I		
प्रस्तावना		
इस प्रतिवेदन के बारे में	1.1	1
लेखापरीक्षा की रूपरेखा	1.2	1
लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति	1.3	2
कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान का संगठनात्मक ढांचा	1.4	3
लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन	1.5	3
लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष	1.6	3
निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों की प्रतिक्रिया	1.7	11
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.8	11
अध्याय II		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
पर्यावरण विभाग		
राज्य में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की भूमिका	2.1	13

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ

अध्याय III अनुपालना लेखापरीक्षा		
खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग		
राजस्थान में खनन गतिविधियों पर पर्यावरणीय मुद्दों का अनुपालन	3.1	61
वन विभाग		
राजस्थान के हरितीकरण के माध्यम से जल संग्रहण का विकास	3.2	91
सार्वजनिक निर्माण विभाग		
राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना का कार्यान्वयन	3.3	99
सार्वजनिक निर्माण विभाग		
सड़क कार्य अपूर्ण रहने से आबादी को सम्पर्क सुविधा का अभाव	3.4	109
क्योरिंग कम्पाउण्ड के लिए संवेदकों को अनियमित भुगतान	3.5	111
भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना कार्य आवंटन	3.6	113
मूल्यवृद्धि का अधिक भुगतान	3.7	114
सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण पर परिहार्य व्यय	3.8	116
सड़कों के निर्माण में अनियमित व्यय	3.9	118
जल संसाधन विभाग		
कोषों का अवरुद्ध रहना एवं क्षतिपूर्ति की वसूली का अभाव	3.10	120
नहर के निर्माण पर कोषों का अवरुद्ध रहना	3.11	121

परिशिष्ट		पृष्ठ
परिशिष्ट 2.1	आय और व्यय की स्थिति	125
परिशिष्ट 2.2	एनसीआर में वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और कमी के लिए उपायों के रूप में किये जाने वाले कार्य	126
परिशिष्ट 2.3	वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की सूची	129
परिशिष्ट 2.4	अनुपयुक्त स्थानों पर स्थापित वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरणों का विवरण	131
परिशिष्ट 2.5	अनुमोदित स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर स्थापित सैम्पलरों का विवरण	132
परिशिष्ट 3.1	अरावली पर्वत पहाड़ियों में खनन के संदर्भ में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का विवरण	133
परिशिष्ट 3.2	पट्टेधारियों द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों की पालना के सम्बन्ध में विभिन्न विनियमों के अधीन प्राविधित प्रावधान	134
परिशिष्ट 3.3	संयुक्त भौतिक निरीक्षण जांच-परिणामों का राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की 38 निरीक्षण प्रतिवेदनों के साथ क्रॉस सत्यापन	138
परिशिष्ट 3.4	भौतिक लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की गतिविधिवार स्थिति	143
परिशिष्ट 3.5	अप्रमाणित/अवमानक बीजों के वितरण की स्थिति प्रदर्शित करने वाला प्रपत्र	144
परिशिष्ट 3.6	तकनीकी स्वीकृति जारी करने से पूर्व पौधारोपण किए जाने वाले प्रकरणों का विवरण	145
परिशिष्ट 3.7	सूक्ष्म नियोजन से विचलित कार्यों का विवरण	147
परिशिष्ट 3.8	राज्य स्तरीय समिति की पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना निर्मित मृदा एवं नदी संरक्षण संरचनाओं की खण्डवार स्थिति प्रदर्शित करने वाला विवरण पत्र	148
परिशिष्ट 3.9	सड़कों के उचित सर्वेक्षण के अभाव में कार्यों की स्वीकृति रद्द करना	149

परिशिष्ट 3.10	तकनीकी स्वीकृति जारी करने से पूर्व निविदाएं आमंत्रित करना	150
परिशिष्ट 3.11	मूल्य समायोजन पर संवेदक को अधिक भुगतान	151
परिशिष्ट 3.12	परिचालन एवं रख-रखाव नियमावली प्रस्तुत करने का अभाव	152
परिशिष्ट 3.13	संशोधित कार्य कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं करने से संवेदक को अनुचित लाभ देना	155
परिशिष्ट 3.14	सड़कों का बीमा कवर उपलब्ध नहीं करने का विवरण	156
परिशिष्ट 3.15	निष्पादन सुरक्षा प्रदान किए जाने के अभाव में संवेदक के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का अभाव	159
परिशिष्ट 3.16	जांच प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किये जाने वाले कार्यों का विवरण	160
परिशिष्ट 3.17	संवेदकों को मूल्य वृद्धि के अधिक भुगतान का विवरण	162
परिशिष्ट 3.18	मृदा खुदाई, ग्रेन्यूलर सब बेस का निर्माण, डब्ल्यू बी एम एवं डब्ल्यू एम एम पर किये गये व्यय का विवरण	163


प्राक्कथन

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 तथा इसके अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा एवं लेखाओं पर विनियम, 2007 के अन्तर्गत की गयी आर्थिक सेवाओं से सम्बन्धित राजस्थान सरकार के विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालना लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 2016-17 के दौरान नमूना जाँच में ध्यान में आए तथा वे भी, जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे, परन्तु पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके। वर्ष 2016-17 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामले, जहाँ कहीं आवश्यक था, भी शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।



अध्याय I
प्रस्तावना

अध्याय I

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन चयनित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं आर्थिक क्षेत्र के विभागों की अनुपालना लेखापरीक्षा में उजागर हुए मामलों से सम्बन्धित है।

अनुपालना लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों के व्ययों से जुड़े लेनदेनों की जाँच से सम्बन्धित है। यह सुनिश्चित करेगी कि क्या भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों की अनुपालना की जा रही है। निष्पादन लेखापरीक्षा यह जाँच करती है कि क्या कार्यक्रम या गतिविधि के उद्देश्यों को मितव्ययतापूर्वक, कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी रूप से हासिल किया गया है।

प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधान सभा के समक्ष लाना होता है। लेखापरीक्षा मानकों के लिए यह आवश्यक है कि रिपोर्टिंग का वस्तु स्तर, लेनदेनों की प्रकृति, मात्रा एवं महत्व के अनुसार होना चाहिए। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से यह प्रत्याशा की जाती है कि इनसे कार्यपालक सुधारात्मक कार्यवाही करने योग्य बन सके। इससे वे अच्छे शासन में भागीदारी के लिए वित्तीय प्रबंधन में सुधार के लिए नीतियाँ एवं निर्देश बना सके।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा आयोजना एवं आकार की व्याख्या के अतिरिक्त, निष्पादन एवं अनुपालना लेखापरीक्षा में देखी गयी महत्वपूर्ण कमियों के सारांश को प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन के अध्याय II में राज्य में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की भूमिका पर निष्पादन लेखापरीक्षा में उजागर निष्कर्ष शामिल है। अध्याय III में सरकारी विभागों की अनुपालना लेखापरीक्षा में उजागर हुए आक्षेप शामिल है।

1.2 लेखापरीक्षा की रूपरेखा

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर द्वारा आर्थिक क्षेत्र के नौ विभागों एवं उनके स्वायत्तशासी निकायों के खर्चों की लेखापरीक्षा की जाती है। ये विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिवों/प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों, जो कि आयुक्तों/उपशासन सचिवों एवं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सहयोग किये जाते हैं, द्वारा नियंत्रित हैं।

राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान किये गये व्यय की तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिका 1 में दी गयी है:

तालिका-1: व्यय की तुलनात्मक स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व व्यय			
सामान्य सेवायें	27,868	31,016	39,203
सामाजिक सेवायें	37,754	43,349	49,372
आर्थिक सेवायें	28,920	31,874	38,565
सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	_*	_**	_***
योग	94,542	1,06,239	1,27,140
पूँजीगत एवं अन्य व्यय			
पूँजीगत परिव्यय	16,103	21,985	16,980
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	701	36,602	12,965
लोक ऋण की अदायगी	4,960	4,959	5,015
आकस्मिकता निधि	300	-	-
लोक लेखा संवितरण	1,22,061	1,40,432	1,48,886
योग	1,44,125	2,03,978	1,83,846
कुल योग	2,38,667	3,10,217	3,10,986

स्रोत: सम्बन्धित वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

* केवल ₹ 9 लाख, ** केवल ₹ 10 लाख, *** केवल ₹ 6 लाख

1.3 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से ली गयी है।

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर द्वारा राजस्थान सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्तशासी निकायों को शामिल करते हुए आर्थिक क्षेत्र के विभागों के व्ययों की लेखापरीक्षा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवाओं की शर्तें) अधिनियम 1971 तथा इसके अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा एवं लेखाओं पर विनियम, 2007 के अन्तर्गत की जाती है। निष्पादन एवं अनुपालना लेखापरीक्षा के लिये सिद्धान्त एवं विधियाँ, सीएजी द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं नियम पुस्तिकाओं में निर्दिष्ट की गई है।

1.4 कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान का संगठनात्मक ढांचा



सीएजी के निर्देशों के अन्तर्गत कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्तशासी निकायों को शामिल करते हुये राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र के विभागों की लेखापरीक्षा तीन

समूहों द्वारा संचालित करता है।

1.5 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया की शुरुआत सरकार के विभिन्न विभागों/संगठनों/स्वायत्तशासी निकायों एवं योजनाओं/परियोजनाओं इत्यादि के जोखिम प्रदर्शन के आंकलन से होती है। जोखिम आंकलन, व्यय, गतिविधियों के महत्व, समग्र आंतरिक नियन्त्रणों का आंकलन एवं भागीदारों की चिंताओं पर आधारित है। इस प्रक्रिया में गत लेखापरीक्षा निष्कर्ष भी ध्यान में रखे जाते हैं।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरान्त, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का समावेश करते हुए इकाई के प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। इकाइयों से लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर उत्तर प्रेषित करने हेतु निवेदन किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होता है, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटारा कर लिया जाता है या अनुपालना के लिए अग्रेतर कार्यवाही की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उजागर किये गये मुख्य लेखापरीक्षा आक्षेपों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए तैयार किया जाता है।

1.6 लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

पिछले कुछ वर्षों से लेखापरीक्षा ने निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के क्रियान्वयन में कई महत्वपूर्ण कमियों एवं साथ ही आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता को प्रतिवेदित किया है। अनुपालना लेखापरीक्षा के दौरान उजागर हुई कमियों को भी प्रतिवेदित किया है।

वर्तमान प्रतिवेदन में राज्य में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की भूमिका विषय पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा, राजस्थान में खनन गतिविधियों पर पर्यावरणीय मुद्दों का अनुपालन, हरितीकरण द्वारा राजस्थान के

जलग्रहण क्षेत्र का विकास एवं राजस्थान सड़क क्षेत्र के आधुनिकीकरण परियोजना का क्रियान्वयन विषयों पर तीन विषयक आधारित अनुपालना लेखापरीक्षा तथा आठ एकल अनुच्छेद शामिल हैं जिनके मुख्य बिन्दु निम्न अनुच्छेदों में दिए गए हैं।

1.6.1 कार्यक्रमों/गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा

इस प्रतिवेदन के अध्याय II में राज्य में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की भूमिका विषय पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल है। निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण बिन्दुओं की चर्चा नीचे की गई है:

राज्य में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की भूमिका

वायु (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (राज्य मण्डल) को वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण एवं कमी के लिए उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित दुनिया के शीर्ष 100 प्रदूषित शहरों की सूची में राजस्थान के पांच शहरों यथा अलवर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर को रखा गया है। इन्हें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा गैर-प्राप्ति शहरों में माना गया है। इन शहरों ने लगातार तीन साल की अवधि में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं किया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रदूषण के स्रोतों की पहचान और मात्रा निर्धारित करने के लिए इन शहरों में स्रोत विभाजन अध्ययन नहीं किए गए थे। जिसके अभाव में राज्य मण्डल वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण एवं कमी के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार करने की स्थिति में नहीं था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) या राज्य के गैर-प्राप्ति वाले शहरों के मामले में, सम्बन्धित विभाग/प्राधिकारी द्वारा प्रदूषण को कम करने और नियंत्रण के लिए कोई कार्ययोजनाएं राज्य मण्डल को प्रेषित नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (सीपीसीबी) द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों की मॉनीटरिंग राज्य मण्डल द्वारा नहीं की जा सकी, इसलिए दिशा-निर्देशों में दिये गये अधिकांश कार्यों को शुरू नहीं किया जा सका।

मार्च 2017 तक केवल 32 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों एवं दो सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का संचालन छह जिलों में हो रहा था जबकि 47.03 मिलियन जनसंख्या एवं 74.50 लाख वाहनों वाले 27 जिले वायु गुणवत्ता निगरानी के दायरे से बाहर थे। यह भी देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण के स्रोतों का भी कोई अर्थपूर्ण डेटा राज्य मण्डल और पर्यावरण विभाग के पास नहीं था जिसके अभाव में प्रदूषण को कम करने के लिए योजना नहीं बनायी

जा सकी। जाँच उपकरणों को गैर-अनुमोदित स्थानों पर स्थापित किया गया था। मॉनीटरिंग स्टेशनों पर वायु की गुणवत्ता को मापने के लिए उपकरणों की स्थापना में दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ था। इससे गलत और गैर-प्रतिनिधित्व वाले परिणाम निकलने का जोखिम है।

21 नमूना-परीक्षित परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों में श्वसनीय निलम्बित कणिका तत्वों (पीएम₁₀) का वार्षिक माध्य मूल्य निर्धारित सीमा (60.00 µg/m³) के विरुद्ध बहुत अधिक था और 87µg/m³ एवं 295µg/m³ के मध्य रहा था। प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं हुई थी। वायु प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने एवं पर्यावरण प्रणाली के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर के लिए राज्य मण्डल द्वारा ना तो कोई आवधिक सर्वेक्षण किया गया था ना ही वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्पष्ट समय-सीमा के साथ कोई कार्ययोजना तैयार की गई थी।

तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता, हवा की गति एवं इसकी दिशाओं के सन्दर्भ में मौसम सम्बन्धी आंकड़ों एवं वाहनों की संख्या सम्बन्धी सूचनाएं ना तो राज्य मण्डल द्वारा एकत्र की गई थी और ना ही 27 नमूना-परीक्षित परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों द्वारा संधारित की गई थी जो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आवश्यक था।

राज्य में सहमति तंत्र के अंतर्गत आवृत्त औद्योगिक इकाईयों की श्रेणीवार संख्या का समेकित डेटा राज्य मण्डल के पास नहीं है। अपने विनियामक कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए सहमति तंत्र के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों को आवृत्त करने हेतु राज्य मण्डल द्वारा ना तो कोई सर्वेक्षण कराया गया था ना ही अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया गया था।

राज्य मण्डल द्वारा पूर्व में जारी की गई सहमति की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद सहमति के संचालन के नवीनीकरण को देखने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया था। सहमतियां जारी करने में अत्यधिक देरी थी और कुछ मामलों में सहमतियों को पूर्वव्यापी प्रभाव से जारी किया गया था। चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों के नमूना जांच तौर पर देखे गये 573 प्रकरणों में पता चला कि 74 उद्योग 14 से लेकर 3038 दिनों की अवधि तक बिना संचालन की सहमति के संचालित रहे थे। संयुक्त निरीक्षण के दौरान 12 इकाईयां संचालन में मिली यद्यपि उनकी संचालन की सहमति की समय-सीमा समाप्त हो गई थी।

सिलिकोसिस के खोजे गये एवं मरने वालों की संख्या में निरन्तर वृद्धि देखी गई। खोजे गये एवं मरने वालों के मामलों वर्ष 2012-13 में क्रमशः 304 एवं एक थे जो वर्ष 2016-17 में क्रमशः 4931 एवं 449 तक बढ़ गये थे।

राजस्थान मानवाधिकार आयोग की सिफारिश की अनुपालना में, राज्य मण्डल खानों/खदानों के समूहों के पास आवधिक रूप से परिवेशी वायु गुणवत्ता मॉनीटरिंग करने के लिए प्रतिबद्ध था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि खानों के समूहों का

विवरण निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान द्वारा राज्य मण्डल को उपलब्ध नहीं कराये गये थे। इसके अभाव में, राज्य मण्डल ने निरीक्षण की आवृत्ति के लिए ना तो कोई योजना तैयार की थी ना ही खनन समूहों के पास परिवेशी वायु निगरानी शुरू की थी।

कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन और छबड़ा थर्मल पावर प्लान्ट की सभी इकाईयां संचालन की सहमति/संचालन की सहमति का नवीनीकरण प्राप्त किये बिना ही संचालन कर रही थी, जो वायु अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन था।

यह भी देखा गया था कि जयपुर में यद्यपि 33 ईट भट्टों ने स्थापना/संचालन सहमतियों के लिए भी आवेदन नहीं किया था, राज्य मण्डल द्वारा इन इकाईयों के विरुद्ध कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। इसके अलावा, सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों के द्वारा किये गये निरीक्षणों के दौरान तीन ईट भट्टों को संचालन की सहमति के बिना संचालन में होना पाया गया बावजूद इस तथ्य के कि उनको छह: वर्ष पूर्व बंद करने के नोटिस जारी किये गये थे।

परिवहन विभाग 15 वर्षीय पुराने वाहनों को फेज आउट करने के लिए कार्ययोजना बनाने के विफल रहा। यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी कि निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र केन्द्र कार्य कर रहे थे। परिवहन विभाग ने ना तो भारी यातायात वाले स्थानों की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया और ना ही राज्य के प्रमुख शहरों में प्रदूषण का मूल्यांकन किया। प्रदूषणकारी वाहनों की निगरानी के लिए 12 में से 10 क्षेत्रों को आवृत्त करते हुए केवल 22 प्रदूषण उड़न-दस्ते उपलब्ध थे। दो क्षेत्र के छह: जिलों में कोई उड़न-दस्ता नहीं था। इसके अलावा, परिवहन विभाग में उन वाहनों की संख्या का डेटा नहीं था जो उड़न-दस्तों द्वारा निरीक्षण के दौरान अत्यधिक प्रदूषक छोड़ते हुए पाये गये थे।

प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र केन्द्रों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि परिवहन विभाग ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र केन्द्रों के स्थल और उपकरणों का सत्यापन किये बिना ही लाइसेंस जारी कर दिये थे क्योंकि 20 लाइसेंसधारियों ने उपकरण स्थापित नहीं किये थे लेकिन उनके पास परिवहन विभाग से अपेक्षित लाइसेंस थे। दस मामलों में, वाहनों के परीक्षण किये बिना ही प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र केन्द्रों के ऑपरेटर द्वारा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी कर दिये गए थे। उदयपुर में एक केन्द्र कम्प्यूटर से सादे कागज पर कम्प्यूटरीकृत प्रमाणपत्र तैयार कर रहा थे जबकि इन्हें राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन से आवंटित स्टेशनरी पर ही जारी किया जाना चाहिए था।

2012-17 के दौरान उच्च प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाईयों के निरीक्षण करने में 48 से 60 प्रतिशत की सीमा तक कमी थी।

केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण किए गए स्टेक नमूनों की संख्या वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2016-17 में 50 प्रतिशत तक कम हुई जो परीक्षण में गिरावट का संकेत देता है।

(अनुच्छेद 2.1)

1.6.2 अनुपालना लेखापरीक्षा में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेप

राजस्थान में खनन गतिविधियों पर पर्यावरणीय मुद्दों का अनुपालन

राज्य में खनिज निष्कर्षण गतिविधियां खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों एवं नीतियों के तहत विनियमित की जाती है। खनन पट्टे/खदान अनुज्ञप्तियां खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा अनुदानित किए जाते हैं। आवेदक को खनन पट्टा/खदान अनुज्ञप्ति अनुदान से पूर्व अनुमोदन और वन भूमि का गैर वन प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार अथवा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, जैसा भी प्रकरण हो से पर्यावरणीय स्वीकृति के साथ राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से संस्थापन की सहमति तथा संचालन की सहमति लेनी पड़ती है। खनन अनुज्ञप्ति अनुदान के पश्चात, पट्टाधारी को खनिजों के उत्पादन एवं पर्यावरणीय संरक्षण के लिए उपायों हेतु खान विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

हमने पाया कि खानों को संचालन की सहमति को नवीनीकृत किये बिना चलाया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना खनिज उत्पादन को बढ़ाया गया और पट्टेधारकों द्वारा संचालन की सहमति के साथ संलग्न शर्तों के उल्लंघन में खनिजों का अधिक खनन किया गया।

राज्य में अवैध खनन गतिविधियां अनियंत्रित रूप से हो रही थी। अवैध खनन के पता चले प्रकरणों में फॉलोअप के साथ-साथ निवारण उपायों की अपर्याप्तता थी। अवैध खनन को रोकने के लिये 2011 में अभिव्यक्त नीतिगत उपायों को लागू करने में भी शिथिलता थी। अवैध खननकर्ताओं को नोटिस जारी करने, मांग प्रस्तुत करने एवं दण्डात्मक राशि की वसूली में विलम्ब के कारण प्रतिरोध की भी कमी थी।

हमने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के गंभीर उल्लंघन पाये जैसे कि अरावली पर्वत श्रृंखला में अवस्थित खनन पट्टों को अनुदानित, नवीनीकृत एवं अभिवृद्धित किया गया। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अरावली पहाड़ियों के क्षेत्र में अवस्थित होने के बावजूद खनन पट्टे के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

हमने यह भी पाया कि खनन गतिविधियों से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों पर विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के द्वारा उचित ध्यान नहीं दिया गया

था। विभाग ने खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संचालन की सहमति में निर्धारित पर्यावरणीय सुरक्षा से सम्बन्धित शर्तों की अनुपालना के बारे में सूचना प्रस्तुत करने के लिये पट्टेधारियों के लिये वांछित किसी प्रकार की आवधिक विवरणी निर्धारित नहीं की थी। विभाग के निरीक्षण प्रतिवेदनों में भी किसी पर्यावरणीय मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया गया। चयनित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों के 136 पट्टों में से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने 2010-17 के दौरान केवल 38 पट्टों के निरीक्षण किये थे। आगे, संचालन की सहमति की कार्यकारी अवधि के दौरान 106 पट्टेधारको ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये थे और 118 पट्टेधारको ने वार्षिक पर्यावरण विवरण प्रस्तुत नहीं किये थे। आगे, निरीक्षण प्रतिवेदन अपूर्ण, गलत एवं अविश्वसनीय थे जैसा कि संयुक्त भौतिक निरीक्षण के जांच-परिणामों तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के निरीक्षण प्रतिवेदनों की तुलना के माध्यम से सुनिश्चित हुआ। भौतिक निरीक्षण ने ऊपरी मृदा, अधिभार ढेर, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन्स के निर्माण, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपाय, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास के उपाय और बेन्चेज में खनन से संबंधित पर्यावरणीय शर्तों को पूरा करने में गंभीर कमियों एवं उदासीनता की ओर ध्यान दिलाया।

राज्य सरकार ने चयनित प्रधान खनिजों पर 2008 में पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर का आरोपण किया। उपकर के आगमों को विशेष रूप से राज्य के खनन क्षेत्रों में पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के रक्षण और पारिस्थितिकी सन्तुलन के रख-रखाव के लिये उपयोग किया जाना था परन्तु कोष ऐसी गतिविधियों के लिये स्वीकृत किये गये जो उन उद्देश्यों से मेल नहीं खाते थे जिनके लिये उपकर एकत्रित किया गया था। विभाग ने पर्यावरण प्रबन्धन कोष (₹ 295.03 करोड़) भी एकत्रित किया था परन्तु व्यय करने के लिये किसी मार्गदर्शिका के अभाव में उसे उपयोग नहीं किया जा सका।

(अनुच्छेद 3.1)

राजस्थान के हरितीकरण द्वारा जल संग्रहण विकास

राज्य सरकार द्वारा परिभ्रांषित वनों के पुनर्वास के लिए एक परियोजना "राजस्थान के हरितीकरण के माध्यम से जल संग्रहण का विकास" बनाई थी। इसमें 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान 52,750 हैक्टर भूमि उपचारित किये जाने की योजना बनाई गई थी। परियोजना 33 जिलों में से 17 जिलों¹ में संचालित की गई थी।

यह देखा गया कि सूक्ष्म योजना तैयार करते समय आधार-रेखा को उचित महत्व नहीं दिया गया फलस्वरूप विभिन्न कमियों और विसंगतियों के अलावा निर्धारित दो

¹ अजमेर, अलवर, बारां, बूंदी, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सर्वाइमाधोपुर, सिरौही, टोंक एवं उदयपुर

वर्ष की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी सूक्ष्म योजनाओं की समीक्षा नहीं हुई। योजना स्तर पर परिभ्रांषित वन भूमि का वर्गीकरण नहीं किया गया जिसके अभाव में वर्गीकरण की प्रामाणिकता एवं सत्यता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

तकनीकी मानदंडों के अवलम्बन के अभाव जैसे अवमानक/अप्रमाणित बीज वितरण, तकनीकी स्वीकृतियां प्राप्त किए बिना पौधारोपण कार्य का निष्पादन, अपरिपक्व पौधों का पौधारोपण किए जाने के दृष्टांत देखे गए। मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण के प्रकरण में, सूक्ष्म योजनाओं से विचलन था और राज्य स्तरीय समिति से निर्माण पूर्व वांछित स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियों के निष्पादन प्रकरण में, ग्राम वन संरक्षण/प्रबंधन समिति स्तर पर निधियों का अवरोधन था, महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अभाव एवं आम-सभाओं की निर्धारित संख्या सम्बन्धी निर्देशों के अवलम्बन और ग्राम वन संरक्षण/प्रबंधन समिति के निरीक्षण का अभाव था। यह भी देखा गया कि परियोजना के एक संपूर्ण पैकेज अर्थात् महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से अभिसरण को क्रियान्वित नहीं किया गया था। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के मानदंड आंतरिक एवं बाह्य अभिकरणों द्वारा पूरे नहीं किए गए थे।

(अनुच्छेद 3.2)

राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना का कार्यान्वयन

राज्य सरकार ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा सम्मिलित नहीं किए गए राज्य के गांवों को चरणबद्ध तरीके से सभी मौसम में उपयोग लिए जाने योग्य डामरीकृत सड़कों हेतु 250 से 499 (जनगणना-2001) के बीच आबादी वाले सभी गांवों को जोड़ने का निर्णय लिया (2012-13)। इसे प्राप्त करने के लिए, राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना (परियोजना) को राजस्थान सरकार द्वारा 2013-14 में शुरू किया गया। परियोजना में ग्रामीण सम्पर्क में सुधार, सड़क क्षेत्र के प्रबंधन को मजबूत बनाना और सड़क सुरक्षा में वृद्धि परिकल्पित था।

विभाग ने 250-499 के बीच की आबादी वाले सभी गांवों को सभी मौसम डामरीकृत सड़कों के साथ संपर्क प्रदान करने के लिए योजना में ध्यान रखा गया या नहीं, इसकी सूचना प्रदान नहीं की। कुछ सिविल कार्य भूमि की उपलब्धता सम्बन्धी विवाद का समाधान बकाया होने के कारण अभी भी पूर्ण होना बकाया है। कुछ चयनित खंडों द्वारा गुण नियंत्रण से सम्बन्धित, गुण नियंत्रण पंजिका के भाग-II के रखरखाव के मानदंडों को पूरा नहीं किया गया और राज्य गुणवत्ता मॉनीटर द्वारा सिविल कार्य के विभिन्न चरणों में निरीक्षण वांछित संख्या में नहीं किये गये। मुख्य क्षेत्रों में दूसरे घटक अर्थात् ग्रामीण सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण योजना हेतु सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण व प्रदर्शन वृद्धि के कार्य विलम्बित थे। इसी

प्रकार तीसरे घटक में सुरक्षित कॉरीडोर प्रदर्शन कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्य भी विलंबित था।

(अनुच्छेद 3.3)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन और धन की उचित व्यवस्था किए बिना कार्य आदेश दिये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.61 करोड़ व्यय किए जाने के बाद भी सड़कों का अपूर्ण रहना और लक्षित आबादियों को सभी मौसम सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य में विफल रहना।

(अनुच्छेद 3.4)

संवेदकों द्वारा क्योरिंग कम्पाउन्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया और पानी का उपयोग करके क्योरिंग की गई थी, लोक निर्माण विभाग द्वारा ₹ 83.55 लाख का भुगतान अनियमित था और परिणामस्वरूप संवेदकों को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ।

(अनुच्छेद 3.5)

राष्ट्रीय राजमार्ग-112 (बर-बिलाड़ा-जोधपुर अनुभाग) पर बाईपास रोड के निर्माण के लिए कार्यदेश भूमि की उपलब्धता और समय पर उच्च वोल्टता लाईनों के स्थानान्तरण सुनिश्चित किए बिना दिया गया। इसलिए ₹ 9.50 करोड़ के व्यय किए जाने के बाद भी आबादियों को सड़क कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं करायी जा सकी।

(अनुच्छेद 3.6)

श्रम, स्टील, सीमेंट, बिटुमेन, पीओएल, प्लान्ट व मशीनरी और अन्य सामग्री घटकों के लिए कीमतों में वृद्धि के कारण संवेदकों को भुगतान करते समय लोक निर्माण विभाग द्वारा मूल्य वृद्धि के भुगतान की गणना के लिए वित्तीय बोली खोलने की तिथि के स्थान पर तकनीकी बोली खोलने की तिथि पर विचार किया गया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 1.02 करोड़ के मूल्य वृद्धि का अधिक भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 3.7)

ग्रामीण गौरव पथ योजनान्तर्गत सीमेंट कंक्रीट सड़कों के निर्माण के अनुमानों में मृदा खुदाई, ग्रेन्यूलर सब बेस का निर्माण और कंपैक्टेड ग्रेडेड स्टोन एग्रीगेट को बिछाने वाले गलत आईटमों को शामिल करने से ₹ 4.19 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

(अनुच्छेद 3.8)

वित्तीय औचित्यता के नियम के विरुद्ध, ग्रामीण गौरव पथ योजनान्तर्गत दो सड़कों पर ₹ 80.28 लाख का अनियमित व्यय हुआ जो अन्य योजना में पहले से ही निर्मित थी।

(अनुच्छेद 3.9)

नहर और बांध के निर्माण कार्यों का आवंटन साथ-साथ नहीं होने के कारण बांध के निर्माण पर व्यय ₹ 9.21 करोड़ अवरूद्ध हुए और किसानों को छह वर्ष से अधिक समय तक सिंचाई सुविधाओं से वंचित किया गया। इसके अलावा, अनुबन्ध के क्लॉज तीन के अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा संवेदक से ₹ 93.24 लाख वसूल नहीं किये गये थे।

(अनुच्छेद 3.10)

कार्य शुरू करने से पहले वन भूमि की निकासी प्राप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप जल संसाधन विभाग द्वारा कुछ हिस्सों में नहर के निर्माण पर ₹ 39.87 करोड़ की निधि अवरूद्ध हुई। इसके परिणामस्वरूप किसानों को मिलने वाली सिंचाई सुविधाओं के लाभों में विलम्ब हुआ।

(अनुच्छेद 3.11)

1.7 निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों की प्रतिक्रिया

प्रारूप अनुच्छेदों को सम्बन्धित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देने हेतु उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अग्रेषित किया जाता है। उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है कि ऐसे अनुच्छेदों को सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने की सम्भावना के मध्यनजर, जो कि राजस्थान विधान सभा में उपस्थापित किया जाना है, यह वांछनीय होगा कि मामले पर उनकी टिप्पणी शामिल कर ली जाये। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षाओं/प्रारूप अनुच्छेदों पर चर्चा करने के लिए महालेखाकार के साथ बैठक आयोजित करें। तदनुसार, इस प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षा/प्रारूप अनुच्छेदों को सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को भेजे गये थे।

प्रारूप अनुच्छेदों एवं निष्पादन लेखापरीक्षा पर राज्य सरकार द्वारा प्रेषित सभी उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिया गया है।

1.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने निश्चय किया (दिसम्बर 1996) कि सभी अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं, जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये गये हैं, पर एकशन टेकन नोट्स, प्रतिवेदन के विधान सभा में प्रस्तुत होने के तीन माह के अन्दर लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा कराकर जन लेखा समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल किये गये अनुच्छेदों/निष्पादन

लेखापरीक्षाओं पर बकाया एक्शन टेकन नोट्स की समीक्षा में पाया गया कि सम्बन्धित विभागों से तीन एक्शन टेकन नोट्स बकाया थे (दिसम्बर 2017)।

अध्याय II
निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय II

निष्पादन लेखापरीक्षा

इस अध्याय में राज्य में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की भूमिका पर निष्पादन लेखा परीक्षा शामिल है।

पर्यावरण विभाग

2.1 राज्य में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की भूमिका

कार्यकारी सारांश

वायु (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (वायु अधिनियम) के प्रावधानों के तहत वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा कमी का दायित्व राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (राज्य मण्डल) को सौंपा गया है।

विश्व के शीर्ष 100 प्रदूषित शहरों की सूची में राजस्थान के पांच शहर यथा अलवर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर हैं और इन्हें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (केंद्रीय मण्डल) द्वारा गैर-प्राप्ति शहरों में माना गया है। इन शहरों ने लगातार तीन वर्षों की अवधि में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं किया। इन शहरों में प्रदूषण के स्रोतों की पहचान और मात्रा के लिए स्रोत विभाजन अध्ययन नहीं कराया गया। इसके अभाव में राज्य मण्डल वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण एवं कमी के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार नहीं कर सका।

(अनुच्छेद 2.1.6.1 तथा 2.1.6.2)

राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या गैर-प्राप्ति शहरों के मामले में सम्बन्धित विभाग/प्राधिकारी द्वारा कार्य योजनाएं प्रस्तुत नहीं की गईं, परिणामस्वरूप केंद्रीय मण्डल द्वारा जारी निर्देशों की राज्य मण्डल द्वारा निगरानी नहीं की जा सकी। इसलिए, निर्देश में दिए गए अधिकांश कार्य प्रारम्भ नहीं किए जा सके।

(अनुच्छेद 2.1.6.3)

31 मार्च 2017 तक छः जिलों में 32 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र और दो सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र परिचालित थे जबकि 27 जिलों में 47.03 मिलियन आबादी और 74.50 लाख वाहन अभी तक वायु गुणवत्ता निगरानी के दायरे से बाहर थे। यह भी देखा गया कि पर्यावरण विभाग और राज्य मण्डल के पास ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण के स्रोतों के अर्थपूर्ण आंकड़े नहीं थे जिनके अभाव में प्रदूषण को कम करने की योजना आरम्भ नहीं की जा सकी।

(अनुच्छेद 2.1.7.1)

सभी 21 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों पर रेस्पिरेबल सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर (पीएम₁₀) निर्धारित सीमा (60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) से अधिक 87 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ से लेकर 295 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ के बीच रही। वायु प्रदूषण के स्रोतों की पहचान, मानव स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण प्रणाली पर विपरीत प्रभाव के लिए राज्य मण्डल द्वारा ना तो आवधिक सर्वेक्षण किया गया और ना ही स्पष्ट समय-सीमा के साथ वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई।

जोधपुर में पार्टिकुलेट मैटर_{2.5} (पीएम_{2.5}) का प्रथम माप सैम्पलर स्थापित करने के 42 माहों के बाद लिया गया और जून 2015 तक अपेक्षित 120 मापों के विरुद्ध केवल 19 माप लिए गये। पीएम_{2.5} की यथोचित निगरानी के अभाव में क्रय किए गए कीमती उपकरण का उद्देश्य विफल हुआ। (अनुच्छेद 2.1.7.2)

सैम्पलर गैर-अनुमोदित स्थानों पर स्थापित किए गए थे। निगरानी केन्द्रों पर वायु की गुणवत्ता मापने के लिए उपकरणों की स्थापना दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करके की गई। इससे त्रुटिपूर्ण एवं गैर प्रतिनिधि परिणाम का जोखिम उत्पन्न हुआ है।

राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों की अपेक्षानुसार वाहनों के प्रकार और उनकी संख्या, तापमान के संदर्भ में मौसम सम्बन्धी आंकड़े, सापेक्षिक आर्द्रता, हवा की गति और उसकी दिशाओं की सूचना ना तो राज्य मण्डल द्वारा एकत्रित की गई और ना ही नमूना जांच किए गए 27 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों पर संधारित की गई। (अनुच्छेद 2.1.7.3)

राज्य मण्डल के पास राज्य में सहमति तंत्र के तहत आने वाली औद्योगिक इकाईयों की श्रेणीवार संख्या के समकित आंकड़े नहीं हैं। सहमति तंत्र के तहत सभी औद्योगिक इकाईयों को आवृत्त करने हेतु अपने नियामक कार्यों के प्रभावी ढंग से निर्वहन में इसने ना तो अन्य विभागों से समन्वय किया और ना ही कोई सर्वेक्षण कराया। राज्य मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ लेखापरीक्षा दल द्वारा 148 औद्योगिक इकाईयों के संयुक्त निरीक्षण में यह पाया गया कि 15 औद्योगिक इकाईयां स्थापना की सहमति के बिना संचालित थी। (अनुच्छेद 2.1.8.1)

राज्य मण्डल ने पहले से जारी सहमति की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद संचालित करने के लिए सहमति के नवीनीकरण को देखने के लिए किसी भी तंत्र का विकास नहीं किया था। सहमति जारी करने में असामान्य देरी हुई थी और कुछ प्रकरणों में सहमति भी भूतलक्षी प्रभाव के साथ जारी की गई थी। चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों में नमूना-जांच किये गये 573 मामलों में पाया गया कि 74 उद्योग 14 से लेकर 3038 दिनों की अवधि तक बिना संचालन की सहमति के संचालित रहे थे। संयुक्त निरीक्षण में 12 इकाईयां संचालित पायी गई थी यद्यपि, उनकी संचालन की सहमति समाप्त हो चुकी थी। (अनुच्छेद 2.1.8.2)

सिलिकोसिस की पहचान और मृत्यु के मामलों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही थी। 2012-13 में पहचान और मृत्यु प्रकरण क्रमशः 304 और एक थे, जो 2016-17 में बढ़कर क्रमशः 4931 और 449 हो गये।

(अनुच्छेद 2.1.8.3)

राजस्थान मानव अधिकार आयोग की सिफारिश की अनुपालना में, राज्य मण्डल खानों/खदानों के समूहों के नजदीक आवधिक रूप से परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कराये जाने के लिए प्रतिबद्ध था। तथापि, निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान द्वारा खानों के समूहों का विवरण राज्य मण्डल को प्रदान नहीं किया गया था। इसके अभाव में, राज्य मण्डल ना तो खानों के समूहों के नजदीक परिवेशी वायु निगरानी आरम्भ कर पाया और ना ही निरीक्षण की आवृत्ति की कोई योजना बना सका।

(अनुच्छेद 2.1.8.4)

कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन और छबड़ा थर्मल पावर प्लान्ट की सभी इकाईयां संचालन की सहमति/संचालन की सहमति के नवीनीकरण प्राप्त किए बिना संचालित थी जो कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन था।

(अनुच्छेद 2.1.8.5)

कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन में पार्टिकुलेट मैटर (150 mg/Nm^3) और रेस्पिरेबल सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर ($100 \mu\text{g/m}^3$) के निर्धारित मानकों को प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि 2012-13 से 2016-17 में पार्टिकुलेट मैटर 174 एवं 952 mg/Nm^3 के मध्य और रेस्पिरेबल सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर 110 और $202 \mu\text{g/m}^3$ के मध्य रहा।

(अनुच्छेद 2.1.8.6)

जयपुर में 33 ईट भट्टों ने स्थापना की सहमति/संचालन की सहमति हेतु आवेदन तक नहीं किया था। इन इकाईयों के विरुद्ध राज्य मण्डल द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये। इसके अलावा, तीन ईट भट्टे सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान निरन्तर संचालन की सहमति के बिना संचालित होना पाये गये, बावजूद इस तथ्य के कि इनको लगभग छः वर्ष पूर्व बंद करने के नोटिस जारी किये गये थे।

(अनुच्छेद 2.1.8.9)

उदयपुर में सात स्टोन क्रशर इकाईयों में सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर का स्तर निर्धारित सीमा ($600 \mu\text{g/m}^3$) से पार कर गया था और 2286 से लेकर $4685 \mu\text{g/m}^3$ के मध्य रहा। तथापि, क्षेत्रीय अधिकारी ने मानदंडों की पालना सुनिश्चित किये बिना संचालन की सहमति का नवीनीकरण किया क्योंकि अभिलेखों में आगे और नमूना विश्लेषण प्रतिवेदन नहीं पाये गये थे।

(अनुच्छेद 2.1.8.10)

परिवहन विभाग 15 वर्ष पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने में भी विफल रहा। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) केन्द्रों के निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्य किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(अनुच्छेद 2.1.10.1)

परिवहन विभाग द्वारा ना तो भारी यातायात वाले स्थानों की पहचान के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया और ना ही राज्य के प्रमुख शहरों में प्रदूषण भार का मूल्यांकन किया गया।

(अनुच्छेद 2.1.10.2)

केवल 22 प्रदूषण उड़न दस्ते प्रदूषणकारी वाहनों की निगरानी के लिए 12 क्षेत्रों में से 10 को कवर कर रहे थे। छः जिलों को सम्मिलित करते हुए दो क्षेत्रों में प्रदूषण उड़न दस्ते नहीं थे। इसके अलावा, उड़न दस्तों द्वारा निरीक्षण के दौरान अधिक प्रदूषकों का उत्सर्जन करते पाये गये वाहनों की संख्या के आंकड़े परिवहन विभाग के पास नहीं थे।

(अनुच्छेद 2.1.10.4)

पीयूसी केन्द्रों के संयुक्त निरीक्षण में यह देखा गया कि परिवहन विभाग ने पीयूसी केन्द्रों के स्थल और उपकरणों की पुष्टि किये बिना अनुज्ञापत्र जारी किये थे क्योंकि 20 अनुज्ञापत्र धारकों ने उपकरण स्थापित नहीं किये थे लेकिन उनके पास परिवहन विभाग से अपेक्षित अनुज्ञापत्र थे। 10 मामलों में पीयूसी केन्द्रों के संचालकों द्वारा वाहनों की जांच किये बिना पीयूसी प्रमाणपत्र जारी किये गये थे। उदयपुर में एक केन्द्र कम्प्यूटर से सादे कागज पर प्रमाणपत्र जारी कर रहा था जबकि इन्हें राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन से आवंटित स्टेशनरी पर जारी किया जाना चाहिए था।

(अनुच्छेद 2.1.10.6)

राज्य मण्डल में मानवशक्ति प्रबन्धन कमजोर था। रिक्तियाँ तेजी से बढ़ रही थीं इस प्रकार राज्य मण्डल की कारगर कार्य पद्धति प्रभावित हो रही थी।

(अनुच्छेद 2.1.11.3)

2012-17 के दौरान उच्च प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाईयों के निरीक्षण में 48 और 60 प्रतिशत के मध्य कमी थी।

(अनुच्छेद 2.1.12.1)

केंद्रीय प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषित स्टेक नमूनों की संख्या वर्ष 2012-13 से तुलना करने पर 2016-17 में 50 प्रतिशत कम थी जो परीक्षण में कमी को इंगित करता है।

(अनुच्छेद 2.1.12.2)

2.1.1 परिचय

दुनियाभर के कई शहरों में तीव्र वायु प्रदूषण के बढ़ते हुए प्रकरणों की संख्या के साथ पिछले कुछ वर्षों में वायु प्रदूषण बढ़ती चिंता का विषय बन गया है। एकमात्र परिवेशी (बाह्य) वायु प्रदूषण प्रत्येक वर्ष मुख्यतः गैर संचारी रोगों से लगभग 30 लाख लोगों को मारता है। वायु प्रदूषण खतरनाक दर से बढ़ रहा है और सभी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण को स्थायी विकास एजेंडा में वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में भी पहचाना गया है।

वायु प्रदूषण के स्रोत

वायु प्रदूषण के सामान्य रूप से पहचाने गए स्रोत हैं:

प्राकृतिक: जंगल की आग, उड़ती हवा की धूल जैसे कि सड़क धूल, कालिख, पिसाई की भौतिक प्रक्रियाएं, पीसने और सतह के घर्षण, ज्वालामुखी, लाइटनिंग आदि।

मनुष्य निर्मित: जीवाश्म ईंधन का जलना, धातुओं को गलाना, सड़क यातायात वाहनों से उत्सर्जन, गैर दहन प्रक्रियाएं (जैसे उत्खनन), कृषि गतिविधियां, फसल के अवशेषों का जलना, तम्बाकू का धुआं, लकड़ी का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, फ्लाई एश आदि।

आमतौर पर वायु प्रदूषण के रूप में मान्यता प्राप्त पदार्थों में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम)¹, रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (आरएसपीएम)², सल्फर डाईऑक्साइड (एसओ₂), नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओ₂), कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ), कार्बन डाईऑक्साइड (सीओ₂), मीथेन और ओजोन कमी करने वाले पदार्थ जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) शामिल हैं। ये प्रदूषक मनुष्यों व सामग्रियों, वनस्पतियों और जीवों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट परिवेशी वायु प्रदूषण 2016 के अनुसार दुनिया में प्रदूषित शहरों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है। दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में से, भारत में 33 है जबकि 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 22 शहर भारत के हैं।

दुनिया के शीर्ष 100 प्रदूषित शहरों की सूची में से राजस्थान के पांच शहर हैं: अलवर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर।

भारतीय चिकित्सा एवं अनुसंधान परिषद के हेल्थ ऑफ द नेशनल्स स्टेट्स 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में, उच्चतर जोखिम स्तर के साथ, भारत में बीमारी के

¹ पृथ्वी के वायुमंडल में सूक्ष्म ठोस या तरल निलम्बित पदार्थ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है।

² पार्टिकुलेट मैटर वायुगतिकीय व्यास के साथ 10 माइक्रोमीटर से कम या बराबर है इनका नाम पीएम₁₀ भी है।

बोझ के लिए वायु प्रदूषण का योगदान उच्च है। इससे गैर संचारी और संक्रामक बीमारियों, मुख्य रूप से हृदय रोग, पुराने श्वसन रोगों और श्वसन पथ के संक्रमण के मिश्रण के माध्यम से बोझ का कारण बनता है। बिजली उत्पादन, उद्योग, वाहन, निर्माण और अपशिष्ट जलाने से विभिन्न प्रदूषकों के कारण बाह्य वायु प्रदूषण का बोझ बढ़ गया है। बाह्य वायु प्रदूषण के कारण सर्वाधिक बोझ उत्तरी राज्यों के मिश्रण में, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित है।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि राजस्थान में फेफड़ों की बीमारियों, कम श्वसन पथ के संक्रमण और अस्थमा के कारण मौत की दर के संदर्भ में राष्ट्रीय औसत से महत्वपूर्ण रूप से अधिक होने का अविश्वसनीय अंतर है। इसी प्रकार राजस्थान में देश की वायु प्रदूषण के कारण डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाईफ यीअर्स दर का उच्चतम अनुपात है और यह कुपोषण के बाद राज्य में जीवन की हानि का दूसरा सबसे बड़ा कारण है।

एयर क्वालिटी इंडेक्स लोगों के लिए हवा की गुणवत्ता की स्थिति के प्रभावी संचार के लिए एक साधन है जो समझने में आसान है। यह विभिन्न प्रदूषकों के जटिल वायु गुणवत्ता वाले आंकड़ों को एकल संख्या (सूचकांक मूल्य), नामकरण और रंग में रूपांतरित करता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की छह श्रेणियां हैं: अच्छा, संतोषजनक, मध्यम प्रदूषित, घटिया, बहुत घटिया और गंभीर। इन श्रेणियों में से प्रत्येक का निर्णय, वायु प्रदूषक के परिवेशी सांद्रता मूल्यों और उनके संभावित स्वास्थ्य प्रभावों (स्वास्थ्य ब्रेकपॉइंट के रूप में जाना जाता है) के आधार पर किया जाता है। केंद्रीय मण्डल के परिवेशी वायु गुणवत्ता के बुलेटिन (जनवरी 2016) के अनुसार सितम्बर 2015 के दौरान राजस्थान में एयर क्वालिटी इंडेक्स का विश्लेषण इंगित करता है कि केवल छह प्रतिशत एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा श्रेणी में है, 49 प्रतिशत संतोषजनक, 41 प्रतिशत मध्यम प्रदूषित, दो प्रतिशत घटिया एवं दो प्रतिशत गंभीर श्रेणी में है। यह राज्य के लोगों के स्वास्थ्य पर प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाता है।

संगठनात्मक संरचना

पर्यावरण विभाग

राजस्थान में पर्यावरण विभाग सितम्बर 1983 में स्थापित किया गया था। विभाग का नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य सचिव करते हैं इनकी सहायता के लिए सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव हैं। विभाग को राज्य मण्डल के साथ जुड़े सभी मामलों सहित वायुमण्डलीय प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण संरक्षण के सम्बन्ध में नीति तैयार करने और राज्य मण्डल जैसे प्राधिकारियों की समग्र निगरानी के लिए जिम्मेदार है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के उद्देश्य के साथ जल (प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (फरवरी 1975) की धारा 4 के तहत राज्य मण्डल का गठन किया गया था। बाद में, इसे वायु (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (वायु अधिनियम) के प्रावधानों के तहत वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और कमी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। राज्य मण्डल का जयपुर में मुख्यालय और 15 स्थानों³ पर क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ दो स्तरीय संरचना है। राज्य मण्डल ने जयपुर में एक केंद्रीय प्रयोगशाला एवं अलवर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में चार क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की है। इसके साथ-साथ आठ क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं आंशिक रूप से संचालित हैं। राज्य मण्डल का नेतृत्व अध्यक्ष कर रहे हैं।

वायु अधिनियम के तहत वायु प्रदूषण की निगरानी राज्य मण्डल की जिम्मेदारी है जबकि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और नियम, 1989 के तहत वाहनों के प्रदूषण के नियंत्रण की जिम्मेदारी परिवहन विभाग की है। वायु अधिनियम की धारा 17(1)(जी) के तहत राज्य मण्डल को ऑटोमोबाइल उत्सर्जन के मानक निर्धारित करने थे और वायु अधिनियम की धारा 20 के तहत राज्य मण्डल के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग को निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाना था।

2.1.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

राज्य में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल की भूमिका पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा इस मुख्य उद्देश्य के साथ यह आंकलन करने के लिए की गई कि क्या वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और कमी के लिए बनायी गयी योजना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी उचित, पर्याप्त और प्रभावी थी।

2.1.3 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्न से व्युत्पन्न थे:

- वायु (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और उसके तहत बनाए गए नियम;
- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत अधिसूचित केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 तथा राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990;
- राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति, 2010; और

³ अलवर, बालोतरा, भरतपुर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर (उत्तर), जयपुर (दक्षिण), जोधपुर, किशनगढ़, कोटा, पाली, सीकर और उदयपुर।

➤ भारत सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी अधिसूचनाएं, परिपत्र एवं आदेश।

2.1.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

राज्य में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल की भूमिका पर एक निष्पादन लेखा परीक्षा राज्य मण्डल के जयपुर कार्यालय के साथ-साथ केंद्रीय प्रयोगशाला, 15 में से छः⁴ क्षेत्रीय कार्यालयों और चार⁵ क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में अवधि 2012-13 से 2016-17 को सम्मिलित करते हुए संचालित की गई। पर्यावरण एवं वन-विभाग, परिवहन विभाग और सम्बन्धित कार्यान्वयन एजेंसियों⁶ से सम्बन्धित अभिलेखों की भी जांच की गई।

विश्व की 100 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट (2016) के आधार पर पांच क्षेत्रीय कार्यालयों का चयन किया गया। इन पांच क्षेत्रीय कार्यालयों में ही राज्य मण्डल द्वारा परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी की जा रही थी (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान)। इसके अलावा, एक क्षेत्रीय कार्यालय भिवाड़ी का चयन किया गया क्योंकि यह केंद्रीय मण्डल द्वारा तैयार किए गए व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक (2009) में गंभीर रूप से प्रदूषित औद्योगिक कलस्टर्स की सूची के 88 में से छठे स्थान पर रखा गया। इसके अलावा, यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है।

छः चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, 148 औद्योगिक इकाईयों⁷ और 33 वायु निगरानी केन्द्रों⁸ की सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ लेखापरीक्षा दल द्वारा संयुक्त रूप से जांच की गई। इसके अलावा, सम्बन्धित पांच क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के उड़न दस्तों के साथ 120 पीयूसी केन्द्रों की भी संयुक्त रूप से जांच की गई।

राज्य सरकार का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि, समापन बैठक (11 अक्टूबर 2017) में लेखापरीक्षा जांचों पर चर्चा की गई और चर्चा के आधार पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया को अनुच्छेदों में उचित रूप से शामिल कर लिया गया है।

⁴ अलवर, भिवाड़ी, जयपुर (उत्तर), जोधपुर, कोटा और उदयपुर

⁵ अलवर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर

⁶ प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र केन्द्रों (पीयूसी केन्द्रों)

⁷ थर्मल पावर संयंत्र, सीमेंट, स्टोन क्रशर, ईट भट्टे आदि

⁸ 27 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र और छह: सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों की अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.1.5 वित्तीय व्यवस्था

राज्य मण्डल के वित्तीय संसाधनों में जल उपकर, सहमति शुल्क और अन्य प्राप्तियां शामिल हैं। 2012-13 से 2016-17 की अवधि के लिए राज्य मण्डल की आय एवं व्यय की स्थिति परिशिष्ट 2.1 में दी गई है।

वायु गुणवत्ता के आंकड़ों की एकरूपता और सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय मण्डल राज्य मण्डल के साथ समन्वय करता है और राज्य में निगरानी केंद्रों के संचालन के लिए राज्य मण्डल को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम⁹ के तहत 2012-13 से 2016-17 के दौरान कुल प्राप्तियां और व्यय क्रमशः ₹ 0.90 करोड़ और ₹ 0.85 करोड़ था।

यह देखा गया कि:

- सम्बन्धित वर्षों के दौरान कुल उपलब्ध निधि में से अधिशेष निधियों का प्रतिशत 62 एवं 74 के मध्य रहा।
- कुल व्यय ₹ 108.41 करोड़ (2012-16) में से, केवल 12 प्रतिशत (₹ 13.52 करोड़) विभिन्न अधिनियमों¹⁰ के तहत परियोजना गतिविधियों पर खर्च किया गया और शेष संस्थापन एवं अन्य खर्चों पर।
- पीडी खाता और सावधि जमा में बहुत बड़ी अधिशेष निधियों¹¹ को रखा गया। परिणामस्वरूप, ₹ 12.46 करोड़ पिछले चार वर्षों के दौरान आयकर के रूप में चुकाए गए।

उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि राज्य में प्रदूषण नियंत्रण के लिए परियोजनाओं पर अल्प व्यय ही किया गया था। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि कमजोर प्रबंधन सूचना प्रणाली, नियमों के प्रवर्तन में कमी, योजना बनाने में ढिलाई की वजह से गतिविधियां और कार्यक्रम प्रभावित हो रहे थे जैसे कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

⁹ केंद्रीय मण्डल ने 1984-85 के दौरान राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता कार्यक्रम प्रारम्भ किया था जिसका बाद में नाम बदल कर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम रखा गया।

¹⁰ जल प्रदूषण (प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, सामाजिक उत्तरदायित्व बीमा अधिनियम, 1991 आदि

¹¹ 31.3.12 को एफडीआर ₹ 189.57 करोड़, 31.03.13 को ₹ 244.77 करोड़, 31.3.14 को ₹ 293.44 करोड़, 31.3.15 को ₹ 332.41 करोड़ और 31.3.16 को कुल एफडीआर ₹ 386.24 करोड़। पीडी अकाउन्ट में 31.3.16 को बैलेन्स ₹ 12.73 करोड़ था।

2.1.6 योजना

योजना बनाना परियोजना कार्यान्वयन का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्रमवार गतिविधियां, कार्यक्रम, कार्य योजनाएं आदि सम्मिलित होती हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए व्यापक कार्यक्रमों को बनाने का अभाव, विभाजन अध्ययन नहीं करने एवं कार्य योजनाएं नहीं बनाने के अलावा अन्य गतिविधियों से परियोजना गतिविधियों के कार्यान्वयन की योजना दूषित हुई जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

2.1.6.1 वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए व्यापक कार्यक्रमों की कमी

वायु अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, राज्य मण्डल को वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा कमी के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाना अपेक्षित था। कार्यक्रमों में वाहन उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए कदम शामिल होने चाहिए थे जैसे प्रदूषणकारी वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई, ईंधन की मिलावट की जांच के लिए कार्य योजना, ईंधन की गुणवत्ता सम्बन्धी आंकड़ों की यादृच्छिक निगरानी, रोड डस्ट /रि-सस्पेंशन ऑफ रोड डस्ट एवं अन्य फ्यूजिटिव¹² उत्सर्जन का नियंत्रण। यह यातायात कॉरीडोर के साथ ग्रीन बफर बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करने, औद्योगिक प्रदूषण का नियंत्रण जैसे औद्योगिक इकाईयां जो मानकों की पालना नहीं कर रही है एवं अनाधिकृत ईट भट्टों के विरुद्ध कार्रवाई करने आदि के माध्यम से की जानी थी।

ऐसा देखा गया कि राज्य मण्डल ने राज्य में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यक्रम शुरू नहीं किए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि केंद्रीय मण्डल द्वारा जारी निर्देशों को राज्य मण्डल ने कार्यकारी विभागों को केवल अग्रेषित किया था परन्तु उनका फॉलोअप नहीं किया। राज्य मण्डल और सम्बन्धित विभागों के मध्य समन्वय की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप स्रोत विभाजन के अध्ययन के माध्यम से वायु प्रदूषण के स्रोतों की उनकी मात्रा के साथ पहचान नहीं हुई जिनकी अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

2.1.6.2 स्रोत विभाजन अध्ययन नहीं किए गए

विभाजन अध्ययन में उत्सर्जन की सूची तैयार करना, विभिन्न प्रदूषकों के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी, विभिन्न स्रोतों की रासायनिक विशिष्टता¹³ में

¹² फ्यूजिटिव उत्सर्जन वह उत्सर्जन है जो गैसों के अनपेक्षित या अनियमित रिहाई के चलते दबाव वाले उपकरणों से गैसों या वाष्पों का उत्सर्जन के कारण होता है जो कि ज्यादातर औद्योगिक गतिविधियों से होता है।

¹³ मात्रा द्रव्यमान संकेद्रण और महत्वपूर्ण पीएम₁₀ या पीएम_{2.5} का गठन होता है जिसमें ट्रेस तत्व सल्फेट, नाइट्रेट, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम और कार्बन शामिल है।

पार्टिकुलेट मैटर₁₀¹⁴ और पार्टिकुलेट मैटर_{2.5}¹⁵ के स्रोत उत्सर्जन के अंशदान का आंकलन करने, भविष्य के अनुमान और विभिन्न नियंत्रण विकल्पों से लागत प्रभावी कार्य योजनाएं विकसित करने के मूल्यांकन अथवा वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हस्तक्षेप शामिल है।

वातावरण में सल्फर डाईऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर के घटक केंद्रीय मण्डल द्वारा निर्धारित मानकों के अन्दर होने चाहिए। शहर जो मानकों को पूरा नहीं करते हैं उनको गैर-प्राप्ति शहर माना जाता है। यह देखा गया कि राजस्थान में पांच शहरों¹⁶ को निरन्तर तीन वर्षों की अवधि¹⁷ में गैर-प्राप्ति शहर माना गया। परिणामतः केंद्रीय मण्डल ने राज्य मण्डल को प्रभावी कार्य योजनाएं विकसित करने और स्रोत विभाजन अध्ययन कराने का सुझाव दिया (अगस्त 2014)। केंद्रीय मण्डल ने राज्य मण्डल से दस लाख से ज्यादा आबादी वाले गैर-प्राप्ति शहरों में स्रोत विभाजन अध्ययन कराने एवं कार्य योजनाएं प्रेषित करने के लिए भी आग्रह किया (जनवरी 2015)।

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि राज्य मण्डल द्वारा स्रोत विभाजन अध्ययन कराये जाने के लिए कार्यवाही नहीं की थी। तथापि, राज्य मण्डल ने अपनी बैठक (जुलाई 2016) में केवल जयपुर शहर की वायु गुणवत्ता मूल्यांकन और स्रोत विभाजन अध्ययन कराये जाने के प्रस्ताव ₹ 1.12 करोड़ का अनुमोदन किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के साथ (जनवरी 2017) किये गये समझौता ज्ञापन के अनुसार अध्ययन जुलाई 2018 में पूर्ण किया जायेगा। अतः राज्य मण्डल ने दस लाख की आबादी वाले तीन शहरों में से एक में स्रोत विभाजन अध्ययन आरम्भ कराये जाने में 23 माह लिये।

‘गैर-प्राप्ति’ शहरों में स्रोत विभाजन अध्ययन के अभाव में राज्य मण्डल नीतियां बनाने के लिए मौलिक आदानों को प्राप्त करने में असफल रहा और इन शहरों में वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए प्रभावी रणनीति और कार्य योजना नहीं बना सका।

सचिव, पर्यावरण विभाग ने समापन सभा में कहा कि स्रोत विभाजन अध्ययन केंद्रीय मण्डल के निर्देशों के अनुसार कराया जाना चाहिए और राज्य मण्डल द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से विशेषज्ञता प्राप्त की जानी चाहिए। मुख्य पर्यावरण अभियन्ता ने बताया कि अध्ययन में विशाल डेटा विश्लेषण शामिल है। यह भी बताया गया कि कार्य को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित तकनीकी स्टाफ की आवश्यकता है परन्तु संसाधन सीमित है। तथापि, राज्य मण्डल एक बार पहले अध्ययन को पूर्ण होने के बाद ऐसे अध्ययनों को प्राथमिकता पर करने के लिए ठोस कार्रवाई करेगा।

¹⁴ स्वास्थ्य के लिए खतरनाक, 2.5 और 10 माइक्रोमीटर के बीच के कण।

¹⁵ स्वास्थ्य के लिए खतरनाक, 2.5 माइक्रोमीटर या इससे कम के महीन कण।

¹⁶ अलवर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर (इनमें से तीन यथा जयपुर, जोधपुर एवं कोटा दस लाख से अधिक आबादी के हैं)।

¹⁷ 2011 से 2013 के दौरान

2.1.6.3 कार्य योजनाएं तैयार नहीं करना

अधिनियम की धारा 18 (1) (बी) के तहत, केंद्रीय मण्डल ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार करने और वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण एवं कमी हेतु राज्य मण्डल को निर्देश जारी किए (दिसम्बर 2015) जिसमें विशिष्ट¹⁸ समय-सीमा के साथ 42 कार्य बिन्दुओं (परिशिष्ट 2.2) को शामिल किया गया था।

आगे, केंद्रीय मण्डल ने विशेष रूप से गैर-प्राप्ति शहरों के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए राज्य मण्डल को निर्देश जारी किए (जुलाई 2016)। इन कदमों में कार्यान्वयन की समीप से निगरानी सहित एक बहुआयामी, निरन्तर और एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। इन निर्देशों में स्पष्ट समय-सीमा में किये जाने वाले 31 कार्य बिन्दुओं¹⁹ को सम्मिलित किया गया था। अधिकांश गतिविधि 180 दिनों के भीतर पूर्ण की जानी थी। इन बिन्दुओं पर कार्य योजना केंद्रीय मण्डल को 45 दिनों में प्रस्तुत की जानी थी। तदनुसार, केंद्रीय मण्डल के निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु अधिनियम की धारा 31-ए के तहत राज्य मण्डल ने विभिन्न प्राधिकारियों/विभागों²⁰ को निर्देश जारी किये (जनवरी एवं जुलाई 2016)।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि गैर-प्राप्ति शहरों के मामले में, किसी भी विभाग/प्राधिकारी द्वारा कार्य योजनाएं प्रस्तुत नहीं की गई (अप्रैल 2017)। इस प्रकार केंद्रीय मण्डल द्वारा जारी निर्देशों की राज्य मण्डल द्वारा निगरानी नहीं की जा सकी। आगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मामले में, एक वर्ष से ज्यादा बीत जाने के बाद भी पांच विभागों²¹ द्वारा कार्य योजनाएं प्रस्तुत नहीं की गईं। इसके परिणामस्वरूप, निर्धारित किये गये उपायों के कार्यान्वयन की योजना नहीं बनायी जा सकी (अप्रैल 2017)।

इस तथ्य से यह संकेत था कि कार्य योजनाएं बनाने में तेजी लाने के लिए ठोस कदम उठाने में राज्य मण्डल विफल रहा जिसके अभाव में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और गैर-प्राप्ति शहरों दोनों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए की जाने वाली अधिकतर कार्रवाई आरम्भ नहीं की जा सकी।

सचिव, पर्यावरण विभाग ने समापन सभा के दौरान सूचित किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेणीकृत कार्य योजना के लिए

¹⁸ 39 बिन्दुओं पर 90 दिनों के भीतर कार्यवाही पूर्ण की जानी थी और शेष पर कार्रवाई एक वर्ष के भीतर।

¹⁹ इनमें से 25 बिन्दुओं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सम्बन्धित 42 बिन्दुओं में भी सम्मिलित किया गया था।

²⁰ परिवहन, खान एवं पेट्रोलियम, स्थानीय स्वायत्त शासन, खाद्य एवं आपूर्ति, नगरीय विकास और आवास, कृषि विभाग आदि।

²¹ खाद्य एवं आपूर्ति, खान एवं पेट्रोलियम, परिवहन, स्थानीय स्वायत्त शासन, नगरीय विकास और आवास

अधिसूचना जारी (जनवरी 2017) की जा चुकी थी परन्तु संसाधनों की कमी के कारण इसका निष्पादन बहुत कठिन था। मुख्य पर्यावरण अभियंता, राज्य मण्डल ने कहा कि राज्य मण्डल द्वारा जारी निर्देशों के बारे में कार्य योजनाओं पर सम्बन्धित विभागों से प्रतिक्रिया प्राप्त की जाकर इस सम्बन्ध में नवीनतम प्रगति लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दी जायेगी।

2.1.7 कार्यान्वयन

राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति 2010 ने राज्य के वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को अपर्याप्त माना और इसका विस्तार परिकल्पित किया। निजी क्षेत्र के साथ ही अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों को शामिल किया जाकर राज्यभर में प्रभावी वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए पीपीपी मॉडल को लागू करने की संभावनाओं का भी पता लगाया जाना था। कार्यान्वयन में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र और सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र²² की स्थापना और प्रदूषण के स्रोतों की निगरानी शामिल थी।

2.1.7.1 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र के कामकाज

पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार ने राज्य मण्डल के साथ परामर्श के बाद पूरे राजस्थान राज्य को अधिनियम के प्रयोजनार्थ वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित²³ किया था। इसलिए राज्य मण्डल को राज्य के सभी शहरों को शामिल करते हुए वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों को संचालित करना आवश्यक था।

➤ वर्ष 2010 तक पांच शहरों²⁴ में केवल 21 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र थे। यह देखा गया कि वर्ष 2010-15 के दौरान राज्य में कोई परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र स्थापित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा की जांच से पता चला कि वर्ष 2015-17 के दौरान चार शहरों²⁵ में 11 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र (मार्च 2006 और दिसम्बर 2015 के मध्य स्वीकृत 15 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों में से), दो से नौ वर्ष तक के विलम्ब से स्थापित किए गए थे। परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र की स्थापना में देरी के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त, जुलाई 2012 से दो सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र²⁶ भी चल रहे थे। यह भी देखा गया

²² सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र एक स्वचालित वास्तविक समय निगरानी केन्द्र है।

²³ सचिव, पर्यावरण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी (फरवरी 1988) अधिसूचना

²⁴ अलवर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर

²⁵ भिवाड़ी में तीन (दो 2015 में और एक 2016 में), तीन भरतपुर में (एक 2015 में और दो 2016 में), तीन कोटा में (2016 में) और दो जयपुर में (2017 में)

²⁶ जयपुर और जोधपुर प्रत्येक में एक

कि राज्य मण्डल ने राज्य के 33 जिलों में से केवल छः जिलों²⁷ तक वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को सीमित रखा।

यह इस तथ्य का संकेत है कि राज्य मण्डल राज्य में पर्याप्त रूप से वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को बढ़ाने में विफल रहा है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 74.50 लाख वाहनों के साथ 47.03 मिलियन आबादी के 27 अन्य जिले अभी भी वायु गुणवत्ता निगरानी के दायरे से बाहर थे।

➤ क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह भी देखा गया कि मार्च से अक्टूबर 2014 के दौरान फील्ड सहायकों द्वारा कार्य रोक देने के कारण जोधपुर के छः केंद्रों में से किसी में भी वायु गुणवत्ता निगरानी नहीं की गई। राज्य मण्डल द्वारा नियमित निगरानी के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। नियमित निगरानी के अभाव में, परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र की स्थापना का उद्देश्य विफल रहा।

➤ केंद्रीय मण्डल ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, वायु गुणवत्ता के आंकड़ों को प्राप्त करने तथा फसल के अवशेषों को जलाने पर डेटाबेस बनाने के लिए 10 मेनुअल परिवेशी वायु गुणवत्ता केंद्रों की स्थापना हेतु एक विस्तृत प्रस्ताव मांगा था (जून 2015)। तथापि, राज्य मण्डल द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया (सितम्बर 2017)। परिणामस्वरूप, राज्य मण्डल और पर्यावरण विभाग के पास ग्रामीण इलाकों में प्रदूषण के स्रोतों के कोई अर्थपूर्ण आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में वायु प्रदूषण से सम्बन्धित आंकड़ों के न होने तथा वायु गुणवत्ता के आंकड़े इकट्ठा करने के लिए शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता केंद्रों की कमी के कारण, प्रदूषण को कम करने की योजना नहीं बनाई जा सकी।

राज्य मण्डल ने जवाब दिया (जून 2017) कि बुनियादी सुविधाओं तथा मानव संसाधनों की कमी के कारण, अन्य क्षेत्रों में परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करना संभव नहीं है। समापन सभा के दौरान मुख्य पर्यावरण अभियंता, राज्य मण्डल ने कहा कि वर्तमान में 10 वास्तविक समय/सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र तथा 36 मेनुअल वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणालियां कार्यरत थीं। यह भी कहा गया कि कि राज्य मण्डल राज्य में पांच और वास्तविक समय/सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों को स्थापित करने की योजना बना रहा था। तथापि, तथ्य यह है कि समीक्षा अवधि के दौरान राज्य में केवल 32 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र और दो सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र कार्यरत थे और वह भी राज्य के केवल छः जिलों में। आगे, जैसा कि पहले बताया गया है निधियों की कोई कमी नहीं थी।

²⁷ अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर

2.1.7.2 वायु प्रदूषकों की निगरानी

केंद्रीय मण्डल ने नवम्बर 2009 में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के लिए 12 चिन्हित प्रदूषकों को अधिसूचित किया था। इसमें पांच गैसीय प्रदूषक यथा सल्फर डाईऑक्साइड (एसओ₂), नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओ₂), ओजोन (ओ₃), कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ) और अमोनिया (एनएच₃), दो धूल सम्बन्धी मानकों (पीएम₁₀ और पीएम_{2.5}), तीन धातु (लीड, निकेल और आर्सेनिक) और दो कार्बनिक प्रदूषण (बेंजीन तथा बीएपी-कण) शामिल थे।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि राज्य मण्डल सभी 32 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र में नियमित रूप से केवल तीन वायु प्रदूषकों अर्थात् एसओ₂, एनओ₂, रेस्पिरेबल सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर/पीएम₁₀ की निगरानी कर रहा था। पीएम_{2.5} की निगरानी केवल दो परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र²⁸ पर की जा रही थी। सभी परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों में सभी 12 प्रदूषकों का विश्लेषण न करने के कारण मांगे गए थे। राज्य मण्डल ने बताया (जून 2017) कि सभी प्रदूषकों का विश्लेषण न किए जाने का मुख्य कारण बुनियादी ढांचा सुविधाओं की कमी था। सचिव, पर्यावरण विभाग ने समापन सभा में कहा कि पूरे भारत के सभी वायु निगरानी केन्द्रों पर केवल तीन प्रमुख प्रदूषकों की ही निगरानी की जा रही थी और शेष का विशिष्ट परिस्थितियों में ही अध्ययन किया गया था। इस जवाब को इन तथ्यों के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम की एक समीक्षा बैठक (जुलाई 2014) में, अध्यक्ष, केंद्रीय मण्डल ने यह सुझाव दिया था कि अन्य चिन्हित मापदंडों को भी निगरानी तंत्र में शामिल किया जाना चाहिए। केंद्रीय मण्डल ने राज्य मण्डल को परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र को उन्नत करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए पांच और मापदंडों का मापन करने को कहा था (दिसम्बर 2014) यह इस तथ्य को इंगित करता था कि निधियों की उपलब्धता के बावजूद राज्य मण्डल वायु प्रदूषण की निगरानी हेतु सुविधाओं को मजबूत करने में विफल रहा।

एसओ₂, एनओ₂ और पीएम₁₀ का मापन

पांच शहरों में स्थित 21 केंद्रों²⁹ के सम्बन्ध में वर्ष 2012 से 2016 की विश्लेषण रिपोर्टों के परिणामों की जांच से पता चला कि:

- एसओ₂ का वार्षिक माध्य मान 5.10µg/m³ और 13.50µg/m³ के बीच था, जो निर्धारित सीमा (50.00µg/m³) के भीतर था।
- एनओ₂ का वार्षिक माध्य मान 19.40µg/m³ और 54.32µg/m³ के बीच था, जो कि निर्धारित सीमा (40.00µg/m³) से थोड़ा अधिक था।

²⁸ जयपुर और जोधपुर

²⁹ 2012 के पहले से स्थापित 21 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों के निगरानी आंकड़ों की जांच की गई थी

➤ रेस्पिरेबल सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर (पीएम₁₀) का माध्य मान $87\mu\text{g}/\text{m}^3$ और $295\mu\text{g}/\text{m}^3$ के बीच था। यह प्रदूषक 2012 से 2016 तक की पांच वर्षों की अवधि में सभी परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र में हमेशा निर्धारित सीमा ($60.00\mu\text{g}/\text{m}^3$) से अधिक रहा। लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि वार्षिक माध्य मान दो मामलों में $60\mu\text{g}/\text{m}^3$ से $100\mu\text{g}/\text{m}^3$ के बीच रहा। 48 मामलों में $101\mu\text{g}/\text{m}^3$ से $150\mu\text{g}/\text{m}^3$ के बीच, 27 मामलों में $151\mu\text{g}/\text{m}^3$ से $200\mu\text{g}/\text{m}^3$ के बीच और 28 मामलों में यह $200\mu\text{g}/\text{m}^3$ से अधिक रहा। इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि पीएम₁₀ हमेशा निर्धारित सीमा से अधिक रहा। लेकिन फिर भी राज्य मण्डल ने वायु प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने के लिए और मानवीय स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण प्रणाली पर विपरीत प्रभाव के लिए न तो कोई आवधिक सर्वेक्षण किया और न ही वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्पष्ट समय-सीमा व प्रतिबद्धता के साथ कोई कार्य योजना तैयार की।

पीएम_{2.5} का मापन

राज्य में पीएम_{2.5} के मापन की पर्याप्त निगरानी नहीं की गई थी।

➤ राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अनुसार पीएम_{2.5} के 104 मापों के, वार्षिक अंकगणितीय माध्य एक जगह विशेष के एक वर्ष में 24 घंटे के समान अंतराल पर सप्ताह में दो बार लेते हुए मापे जाने चाहिए।

यह पाया गया कि मई से दिसम्बर 2012 (जुलाई 2012 को छोड़कर) के दौरान जयपुर में पीएम_{2.5} का कोई मापन नहीं किया गया जबकि अप्रैल 2012 में केवल एक नमूने का विश्लेषण किया गया था। अगस्त से दिसम्बर 2011 के दौरान नमूनों का विश्लेषण सप्ताह में दो बार नहीं किया, जो कि आवश्यक था और इस अवधि में आवश्यक 40 नमूनों के विरुद्ध मात्र 20 का विश्लेषण किया गया। जुलाई 2011 से मार्च 2017 की अवधि के लिए केंद्र की विश्लेषण रिपोर्टों की जांच से पता चला कि जांच परिणाम अधिकांशतः अनुज्ञेय सीमा में थे सिवाय 29 अवसरों के, जिनमें संकेद्रण मान राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों $60\mu\text{g}/\text{m}^3$ के विरुद्ध $60.57\mu\text{g}/\text{m}^3$ से $104.76\mu\text{g}/\text{m}^3$ स्तर तक थोड़ा अधिक हो गया था।

लेखापरीक्षा जांच में यह भी पता चला कि जयपुर व जोधपुर के लिए खरीदे गए तीन पीएम_{2.5} सैम्पलरों में से दो सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे जिसकी नीचे चर्चा की गई है:

➤ राज्य मण्डल ने जयपुर और जोधपुर में पीएम_{2.5} की निगरानी के लिए ₹ 15.92 लाख की लागत के तीन³⁰ पीएम_{2.5} सैम्पलर³¹ के लिए आपूर्ति आदेश

³⁰ दो जयपुर के लिए एक जोधपुर के लिए

³¹ थर्मो फिशर मेक मॉडल पार्टिसोल 2000 एफआरएम

दिया। इन तीन सैम्पलरों में से जयपुर और जोधपुर प्रत्येक में एक स्थापित किया गया (नवम्बर-दिसम्बर 2010) तथा एक जयपुर में अतिरिक्त रूप में रखा गया। पीएम_{2.5} की जयपुर और जोधपुर में निगरानी क्रमशः जुलाई 2011 तथा मई 2014 में शुरू हुई। चूंकि जयपुर का सैम्पलर सही तरीके से काम नहीं कर रहा था अतः इसे दूसरे से बदल दिया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि सैम्पलर पीएम_{2.5} जून 2015 से खराब था। मई 2017 तक केवल एक सैम्पलर जयपुर में कार्यस्थिति में था और दो सैम्पलर³² खराब थे। तथापि, राज्य मण्डल वारंटी अवधि³³ में इस समस्या का समाधान नहीं कर सका।

➤ जोधपुर में, पीएम_{2.5} की पहली माप, सैम्पलर की स्थापना के 42 महीने के बाद ली गई थी और जून 2015 तक 120 माप, जो ली जानी आवश्यक थी, के विरुद्ध मात्र 19 माप ली गई। इसके बाद अभिलेख पर उल्लेखित किया गया कि उपकरण काम नहीं कर रहा था। पीएम_{2.5} की निगरानी के अभाव में महंगे उपकरण की खरीद का उद्देश्य विफल रहा।

बैजीन स्तर की निगरानी शुरू नहीं हुई

बैजीन ट्रेस स्तर पर वातावरण में मौजूद हाइड्रोकार्बन में से एक है। यह एक वायुमण्डलीय प्रदूषक है जो मानवीय स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। बैजीन का रिसाव पेट्रोल पम्पों पर वैपोर रिकवरी सिस्टम नामक एक उपकरण द्वारा नियंत्रित होता है। इसके अलावा केंद्रीय मण्डल द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अनुसार बैजीन का अनुमत स्तर $5\mu\text{g}/\text{m}^3$ है।

राज्य मण्डल के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि:

- बैजीन स्तर की निगरानी और नियंत्रण करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई थी।
- राज्य मण्डल ने राज्य के किसी भी शहर में खुदरा पेट्रोल/डीजल स्टेशनों के पास बैजीन स्तर का कोई परीक्षण नहीं किया।
- खुदरा पेट्रोल/डीजल स्टेशनों पर राज्य मण्डल ने वैपोर रिकवरी सिस्टम की स्थापना सुनिश्चित नहीं की।
- राज्य में 3592 ऑटोमोबाइल ईंधन बिक्री केंद्रों³⁴ (डिस्पेंसिंग) में से राज्य मण्डल ने अब तक तीन जिलों³⁵ में केवल 26 स्थापना की सहमति तथा संचालन की सहमति ऑटोमोबाइल ईंधन आउटलेट को जारी की थी।

³² जयपुर (मार्च 2015) और जोधपुर (जून 2015) प्रत्येक में एक

³³ संतोषजनक स्थापना की तारीख से प्रभावी

³⁴ राज्य स्तरीय समन्वयक- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जयपुर द्वारा सूचित किए गए खुदरा आउटलेट पीएसयू की संख्या

³⁵ चूरू (1), धोलपुर (2) और चित्तौड़गढ़ (23)

उक्त के अभाव में, राज्य मण्डल स्वास्थ्य के खतरों का तथा विभिन्न स्रोतों से प्रदूषणों के नियंत्रण और विनियमन के उपायों को अपनाने और उसके हानिकारक प्रभावों का आंकलन नहीं कर सका। सचिव, पर्यावरण विभाग, समापन सभा में सहमत हुए और कहा कि वायु प्रदूषकों की निगरानी प्रतिदिन के आधार पर होनी चाहिए ताकि व्यवस्था में सुधार किया जा सके।

2.1.7.3 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों का संयुक्त निरीक्षण

राज्य मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालयों के दलों के साथ लेखापरीक्षा ने कुल 42 निगरानी केंद्रों³⁶ (परिशिष्ट 2.3) में से 33 निगरानी केंद्रों (27 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र और छह: सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र) का संयुक्त निरीक्षण किया। निम्नलिखित अनियमितताओं को देखा गया:

अनुपयुक्त स्थानों/बिना अनुमोदित स्थानों पर रेस्पिरैबल डस्ट सैम्पलर की स्थापना

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक साइट प्रतिनिधित्वकर्ता होती है यदि साइट से उत्पन्न होने वाले आंकड़े उस क्षेत्र में विभिन्न प्रदूषकों की सांद्रता और उसकी विविधताओं को दर्शाते हैं। केंद्र उस स्थान पर होना चाहिए जहां हस्तक्षेप प्रत्याशित अथवा उपस्थित नहीं हों। सामान्य तौर पर उपकरण ऐसे स्थान पर स्थित होना चाहिए जहां पर हवा का मुख्य प्रवाह हो। उपकरण एक सीमित स्थान, कोने-में या बालकनी में स्थित नहीं होना चाहिए। यदि निगरानी केंद्र का स्थान उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो आंकड़े भी व्याख्या को चित्रित करने के लिए उपयोगी नहीं हो सकते।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र/सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र के द्वारा वायु की गुणवत्ता का मापन करने के लिए 12 उपकरण दिशा-निर्देशों के विपरीत स्थापित किए गए थे। ये उपकरण दीवार के पास और/अथवा इमारतों, पेड़ों, वाटर ओवरहेड टैंक आदि से घिरे हुए थे जिसमें हवा का मुक्त प्रवाह प्रतिबंधित हो गया था। विवरण *परिशिष्ट 2.4* में दिए गए हैं।

आगे अभिलेखों की जांच करने पर पता चला कि जयपुर में पीएम_{2.5} की निगरानी राज्य मण्डल, झालाना डूंगरी परिसर जो कि एक संस्थागत क्षेत्र है, में की जा रही है। यह क्षेत्र घनी आबादी से दूर, वाहन प्रदूषण से मुक्त है तथा वहां वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियां नहीं हैं। इसके अलावा यह केंद्र पेड़ों से घिरा हुआ था। इसी प्रकार, जोधपुर में भी पीएम_{2.5} सैम्पलर पेड़ों से घिरे क्षेत्र में रखा गया था।

³⁶ 32 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र तथा 10 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र (आठ विश्लेषक परीक्षण पर थे)

वायु-निगरानी उपकरणों को गैर-प्रदूषणकारी और गैर-प्रतिनिधित्वकारी स्थान पर स्थापित करने से गलत और गैर-प्रतिनिधित्वकारी परिणामों के उत्पन्न होने का जोखिम हुआ है।

अनुपयुक्त स्थान और गैर-अनुमोदित निगरानी केंद्र



सैम्पलर अनुमोदित स्थान के बजाय पेड़ों से घिरी मैसर्स जैन इरीगेशन लिमिटेड, अलवर की छत के एक कॉर्नर पर स्थापित किया गया था जो कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था।

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि निगरानी का उद्देश्य वायु की गुणवत्ता के रूझानों को मापना है और मापन दीर्घ अवधि के लिए संचालित होना चाहिए। साइट का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह दीर्घ अवधि तक प्रतिनिधित्वकर्ता साइट बनी रहे और निकट भविष्य में भू-परिवर्तन, पुर्ननिर्माण आदि नहीं दिखता हो।

यह देखा गया कि सात मामलों में, मंजूरी वाले स्थानों से भिन्न स्थानों पर सैम्पलर स्थापित किए गए जैसा कि **परिशिष्ट 2.5** में वर्णित है।

अभिलेखों में साइटों के परिवर्तन के लिए कोई अनुमोदन नहीं पाया गया। सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय, मूलरूप से अनुमोदित साइटों के नाम से लगातार निगरानी परिणाम भेज रहे थे। सचिव, पर्यावरण विभाग ने समापन सभा के दौरान कहा कि यह एक तकनीकी मुद्दा था और इस सम्बन्ध में केंद्रीय मण्डल के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, वाहनों की संख्या तथा प्रकार, तापमान, सापेक्षित आर्द्रता, हवा की गति और हवा की दिशा के संदर्भ में मौसम सम्बन्धी आंकड़े राज्य मण्डल द्वारा एकत्र किए जाने चाहिए।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- किसी भी निगरानी केंद्र द्वारा वाहनों की संख्या तथा प्रकार के बारे में जानकारी नहीं रखी गई थी। इन निगरानी केंद्रों की स्थापना के समय भी इस सम्बन्ध में राज्य मण्डल द्वारा कोई आंकलन नहीं किया गया था।
- सभी परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र में तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता, हवा की गति और दिशा के सम्बन्ध में मौसम सम्बन्धी आंकड़ों का कोई माप नहीं किया गया क्योंकि ऐसा कोई माप संयंत्र/उपकरण नहीं था।
- सभी परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र साइट पर शैल्टरिंग की सुविधाएं जैसे वर्षा व धूप से बचाव के लिए शेड आदि नहीं थे।
- 2012-17 के दौरान 27 में से 18 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में उपकरणों का अंशाकन (कैलीब्रेशन) नहीं किया गया था। जोधपुर में, सभी छः केंद्रों पर कैलीब्रेशन नियमित रूप से किया जा रहा था। जबकि, उदयपुर में तीन परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र में यह केवल नवम्बर 2015 में किया गया था।
- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र सहायकों को परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र पर प्रदूषकों के मापन के लिए पर्यावरण रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि धारक होना चाहिए। तथापि, लेखापरीक्षा की जांच से पता चला कि केवल एक क्षेत्र सहायक विज्ञान में स्नातक था। कुछ 10वीं कक्षा अथवा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण थे।
- सभी परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र में पावर बैकअप सुविधा का अभाव था। संयुक्त निरीक्षण के समय, परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र, सोजती गेट, जोधपुर में बिजली कटौती होने व वैकल्पिक व्यवस्था के अभाव में, सैम्पलर परिचालन में नहीं था।

2.1.8 औद्योगिक प्रदूषण

औद्योगिक प्रदूषण तब होता है जब कारखानों (या अन्य औद्योगिक संयंत्रों) द्वारा हानिकारक उप उत्पादों और कचरे का पर्यावरण में उत्सर्जन किया जाता है। प्रदूषण के नियंत्रण के क्रम में राज्य मण्डल प्रत्येक औद्योगिक इकाई के लिए स्थापना/संचालन के लिए सहमति प्रदान करता है। राजस्थान में औद्योगिक प्रदूषण के मुख्य स्रोत खनन, थर्मल पॉवर प्लान्ट, ईट भट्टे, स्टोन क्रशिंग उद्योग और सीमेंट संयंत्र आदि थे। राज्य मण्डल के अभिलेखों के साथ-साथ औद्योगिक इकाईयों के संयुक्त निरीक्षण में निम्नलिखित बिंदु विदित हुए:

2.1.8.1 सहमति के बिना उद्योगों का संचालन

अधिनियम की धारा 21 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्य मण्डल की पूर्व सहमति के बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में कोई औद्योगिक संयंत्र स्थापित या संचालित नहीं करेगा। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 17 के तहत राज्य

मण्डल को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों का निरीक्षण करने उसमें हवा की गुणवत्ता का आंकलन करने और ऐसे क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या कमी के लिए कदम उठाना अपेक्षित था। यह अंतर्निहित था कि राज्य मण्डल उद्योगों की पहचान करने के लिए आवधिक सर्वेक्षण करें एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों यथा उद्योग विभाग के साथ समन्वय स्थापित करें।

➤ उद्योगों को उनके प्रदूषण भार के अनुसार लाल, नारंगी, हरे तथा सफेद श्रेणी के रूप में वर्गीकृत³⁷ किया जाता है। मार्च 2015³⁸ तक राज्य में उद्योग विभाग और कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग³⁹ के पास 4,29,339 इकाईयां⁴⁰ पंजीकृत थी। हालांकि, राज्य मण्डल के पास श्रेणीवार औद्योगिक इकाईयों की संख्या के समेकित आंकड़े नहीं थे।

राज्य मण्डल को सफेद श्रेणी⁴¹ के अलावा अन्य प्रत्येक उद्योग के लिए स्थापना की सहमति जारी किया जाना था।

➤ चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि जोधपुर के अलावा⁴², इन क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले शहरों में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए 2012-15 के दौरान 2168 स्थापना की सहमति जारी की गई थी। इसी अवधि के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत आने वाले शहरों में 27678 नए उद्योग, कारखाने एवं बॉयलर्स⁴³ पंजीकृत किए गए थे जो उद्योग विभाग और कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग के आंकड़ों से सुनिश्चित होता है। इस प्रकार केवल आठ प्रतिशत पंजीकृत औद्योगिक इकाईयों को ही स्थापना की सहमति दी गई। अतः यह स्पष्ट है कि इकाईयों को बिना स्थापना की सहमति के संचालन करने दिया गया।

➤ क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य मण्डल के प्रतिनिधियों के साथ लेखापरीक्षा दल द्वारा 148 इकाईयों⁴⁴ के संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि 15 प्रकरणों⁴⁵ में औद्योगिक इकाईयां बिना स्थापना की सहमति के संचालित थी।

सचिव, पर्यावरण विभाग द्वारा समापन सभा में बताया गया कि उद्योगों की कुल संख्या पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि उनमें से कुछ इकाईयां प्रदूषित

³⁷ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 5 मार्च 2016 को उद्योगों का नया वर्गीकरण जारी किया

³⁸ भारत सरकार की दिनांक 18.9.15 की अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम मौजूदा उद्यमों सहित ऑनलाईन माध्यम से उद्योग आधार ज्ञापन का पंजीकरण करेगा जिसके कारण पुरानी औद्योगिक इकाईयों को भी पुनः पंजीकरण की अनुमति दी गई।

³⁹ कैलेन्डर वर्ष पर आधारित डेटा

⁴⁰ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम-415709, वृहत-366 एवं फैक्ट्री एवं बॉयलर्स-13264

⁴¹ राज्य मण्डल के आदेश दिनांक 31 मई 2016 के अनुसार, सफेद श्रेणी की इकाईयों को संचालन/स्थापना सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है

⁴² क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई

⁴³ कैलेन्डर वर्ष पर आधारित डेटा

⁴⁴ ईट भट्टे-32, स्टोन क्रशर-61 एवं अन्य औद्योगिक इकाईयां-55

⁴⁵ ईट भट्टे-10, स्टोन क्रशर-2, उद्योग-3

इकाईयां नहीं हो सकती। हालांकि सरकार तथा राज्य मण्डल द्वारा स्वीकार किया गया कि प्रदूषित इकाईयों की पूर्ण सूची मण्डल के पास उपलब्ध नहीं थी। लेखापरीक्षा का मत है कि राज्य मण्डल द्वारा न तो उद्योग विभाग तथा कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग के साथ समन्वय किया गया तथा ना ही प्रदूषण कर रहे उद्योगों की वास्तविक संख्या की पहचान करने का कोई प्रयास किया जिससे सहमति व्यवस्था के तहत उन्हें लाया जा सके।

इसलिए, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्धारित सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक पूरी नहीं की गई।

2.1.8.2 सहमति जारी करने में कमियां

अधिनियम की धारा 21 के तहत उद्योगों को प्रदान की गई सहमति के नवीनीकरण के लिए इसकी वैधता की उचित अवधि⁴⁶ में आवेदन करना अपेक्षित है। उपधारा (4) के अनुसार, राज्य मण्डल को उपधारा (1) में संदर्भित सहमति आवेदन की प्राप्ति के चार माह के भीतर सहमति जारी करनी थी। अधिनियम की धारा 31-ए के तहत यदि संचालन की सहमति की अवधि समाप्त/अस्वीकृत होने पर भी इकाईयों का संचालन किया जाता है तो दोषी इकाईयों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी थी। राजस्थान (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1983 के नियम 15 के अनुसार, राज्य मण्डल को फार्म VIII में सहमति पंजिका का संधारण किया जाना था जो अधिनियम की धारा 51 के तहत आवश्यक था।

राज्य मण्डल मुख्यालय और चयनित छः क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में यह देखा गया कि राज्य मण्डल ने पहले जारी की गई सहमति की वैधता अवधि समाप्ति के बाद सहमति के नवीनीकरण की निगरानी के लिए किसी तंत्र का विकास नहीं किया। राज्य मण्डल लेखापरीक्षा अवधि के दौरान समाप्त होने वाली सहमतियों की सटीक संख्या उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा। राज्य मण्डल द्वारा आंकड़ों के संधारण के अभाव में, राज्य मण्डल से संचालन की सहमति प्राप्त किये बिना संचालित औद्योगिक इकाईयों को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

आगे निम्न प्रकार कमियां पाई गईं:

➤ क्षेत्रीय कार्यालय, भिवाडी के अलावा किसी भी चयनित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा औद्योगिक इकाईयों को जारी सहमति की वैधता अवधि के बारे में समेकित आंकड़े संधारित नहीं किए गए थे, भिवाडी में वर्ष 2016-17 के दौरान सहमति के नवीनीकरण के लिए अपेक्षित 192 आवेदनों के विरुद्ध नवीनीकरण के लिए 83 आवेदन प्राप्त किए गए थे। जिन इकाईयों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था उनके विरुद्ध रिकॉर्ड पर कार्यवाही करने का अभाव पाया गया। चयनित क्षेत्रीय कार्यालय के 573 मामलों⁴⁷ की जांच में पाया गया कि 74 उद्योगों⁴⁸ का

⁴⁶ पूर्व सहमति की समाप्ति से अग्रिम 120 दिनों पहले

⁴⁷ अलवर में-100, भिवाडी-85, जयपुर (उत्तर)-95, जोधपुर-92, कोटा-114 एवं उदयपुर-87

⁴⁸ अलवर में-8, भिवाडी-10, जयपुर (उत्तर)-10, जोधपुर-23, कोटा-18 एवं उदयपुर-5

14 से 3038 दिनों तक बिना संचालन की सहमति के संचालन किया गया। इनमें से 23 इकाईयां अभी भी संचालन में थी। संयुक्त निरीक्षण के दौरान, 12 इकाईयां संचालन में मिली जबकि उनकी संचालन की सहमति की अवधि समाप्त हो चुकी थी।

➤ चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों⁴⁹ द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचनाओं की समीक्षा में पाया गया कि 19 स्थापना की सहमतियों⁵⁰ तथा 514 संचालन की सहमतियों⁵¹ की अवधि या तो समाप्त हो चुकी थी या 2012-17 की अवधि के दौरान अस्वीकृत कर दिया गया था। तथापि, राज्य मण्डल ने यह सुनिश्चित करने के लिए किसी तंत्र का विकास नहीं किया कि इस तरह की औद्योगिक इकाईयों ने सहमति आवेदनों को अस्वीकार करने या सहमति की वैधता समाप्त होने के बाद उद्योग का संचालन नहीं किया।

➤ वर्ष 2012-17 के दौरान, छः क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी की गई 6159 संचालन की सहमतियों में से 4070 संचालन की सहमतियों की नमूना जांच में पाया गया कि 568 'सहमतियां' निर्धारित समय के भीतर जारी नहीं की गई थी तथा इनको तीन से 1977 दिनों के बीच की देरी से जारी किया गया। इसके अलावा, सहमतियां पूर्वव्यापी प्रभाव⁵² के साथ जारी की गईं। सहमतियां देरी से जारी करने तथा इनको पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी करने से यह अंतर्निहित है कि औद्योगिक इकाईयों को आवश्यक शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं थी।

➤ यह भी देखा गया कि 83 औद्योगिक इकाईयों को आवेदनों की तारीख से पहले की अवधि के लिए सहमतियां जारी की गई थी। यह अंतर्निहित है कि औद्योगिक इकाईयां आवेदन करने की तारीख से पहले ही सहमति के बिना संचालित थी और राज्य मण्डल ने इस अवधि के दौरान उत्सर्जन मानदंडों और आवश्यक शर्तों का पालन सुनिश्चित किए बिना ऐसी अवधि को नियमित किया था।

➤ राज्य मण्डल मुख्यालय तथा चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सहमति पंजिका का संधारण नहीं किया जा रहा था। सहमति पंजिका का उद्देश्य वायु नियमों के तहत अपेक्षित संचालन के प्रकार या प्रक्रिया, सहमति वर्गीकरण, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना की तारीख, उत्सर्जन मानकों और सहमति शर्तों के बारे में जानकारी की निगरानी करना था। सहमति पंजिका के संधारण के अभाव में विभिन्न महत्वपूर्ण मापदंडों की प्रभावी ढंग से निगरानी नहीं की जा सकी।

⁴⁹ सिवाय, जयपुर (उत्तर) जिसने सूचना उपलब्ध नहीं करायी।

⁵⁰ कोटा में-9, उदयपुर-4 और जयपुर (उत्तर)-6

⁵¹ कोटा में-80, उदयपुर-35, जोधपुर-183, अलवर-182 एवं भिवाड़ी-34

⁵² 4070 नमूना-जांच की गई सहमतियों में से 675 में (पूर्वव्यापी प्रभाव चार से 1983 दिनों के बीच)

उपरोक्त उल्लिखित कमियां सभी औद्योगिक इकाइयों की नियमित रूप से निगरानी करने के लिए मौजूदा तंत्र का उपयोग करने में असफलता को दर्शाती है।

2.1.8.3 सिलिकोसिस: खनन श्रमिकों के जीवन को खतरा

सिलिकोसिस एक तंतुमय फेफड़े का विकार है जो क्रिस्टलीय सिलिका को सांस में लेने, प्रतिधारण और फुफ्फुसीय प्रतिक्रिया से होता है। यह एक असाध्य बीमारी है जिससे धीमी एवं दर्दनाक मौत होती है। पत्थर खदानों और क्रशर, सैंड ब्लास्टिंग, ढुलाई, सिरेमिक उद्योग, रत्न काटने एवं चमकाने, स्लेट/पेंसिल, निर्माण, कांच उत्पाद तथा समस्त खनन उद्योगों में विशेष रूप से श्रमिकों द्वारा कार्य के दौरान सांस में सिलिका धूल लेने के कारण होता है। इस तरह की बीमारी को रोकने के लिए खनन इकाइयों में वेट ड्रिलिंग⁵³ के उपायों को अपनाया जाना होता है।

राज्य में⁵⁴ लगभग 2,548 सिलिकोसिस प्रवृत्त खनन इकाइयां जैसे सैंड स्टोन, क्वार्ट्ज और सिलिका सैंड थी।

सिलिकोसिस के 7,959 मामले खोजे गए⁵⁵ जिनमें से 32.78 प्रतिशत मामले जनवरी 2015 से फरवरी 2017 तक जोधपुर जिले से सम्बन्धित थे। वर्ष 2013-17 के दौरान पांच जिलों⁵⁶ में सिलिकोसिस के मरीजों की खोज एवं मृत्यु की संख्या निम्न प्रकार थी:

सारणी 1: सिलिकोसिस के खोजे गये मामले तथा मृत्यु की संख्या

वर्ष	सिलिकोसिस के खोजे गये मामलों की संख्या	प्रभावित व्यक्तियों की संख्या जिनकी मृत्यु हो गई
2013-14	304	01
2014-15	905	60
2015-16	2,186	153
2016-17	1,536	235
कुल	4,931	449

स्रोत: कार्यालय राज्य/जिला टीबी अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

उपरोक्त तालिका में दिए गए आंकड़े सिलिकोसिस के प्रबंधन के सम्बन्ध में गंभीर चिन्ताएं व्यक्त करते हैं।

⁵³ वेट ड्रिलिंग से मतलब ड्रिल का उपयोग या तो डस्ट एक्सट्रैक्टर के साथ संचालित करके या पानी की इंजेक्शन प्रणाली द्वारा सुसज्जित

⁵⁴ स्रोत: खनन एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर की वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा

⁵⁵ निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान के द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार

⁵⁶ अलवर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर

2.1.8.4 खनन इकाईयों में सिलिकोसिस को नियंत्रित करने के लिए मजबूत प्रवर्तन का अभाव

राजस्थान में खानों में कार्यरत कामगारों के बीच सिलिकोसिस के फैलाव पर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा एक विशेष रिपोर्ट तैयार की गई (सितम्बर 2014) जिसे भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को इसमें सम्मिलित सिफारिशों पर कार्यवाही करने के निर्देश के साथ भेजा।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों को निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान तथा सदस्य सचिव, राज्य मण्डल को उनसे सम्बन्धित सिफारिशों पर आगामी कार्यवाही करने हेतु अग्रेषित (सितम्बर 2015) किया गया। सदस्य सचिव, राज्य मण्डल द्वारा उप रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को जवाब भेजा (नवम्बर 2015), जिसके अनुसार समय-समय पर खानों/खदानों के समूह के पास परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी करने के लिए राज्य मण्डल प्रतिबद्ध था। राज्य मण्डल ने निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग से राज्य में स्थित खनन समूहों का विवरण मांगा (मई 2016 और सितम्बर 2016)। लेकिन निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा राज्य मण्डल को विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया (अप्रैल 2017)। इसके अभाव में राज्य मण्डल द्वारा खनन समूहों के निरीक्षण की आवृत्ति के लिए न तो कोई योजना तैयार की गई तथा न ही परिवेशी वायु निगरानी शुरू की गई।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान उदयपुर द्वारा भी सिफारिशों पर कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत (सितम्बर 2014) की गई। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिश के अनुसार खनन विभाग और राज्य मण्डल के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए उड़न दस्ते का गठन किया जाना था। निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान द्वारा मुख्य सचिव, खान और पेट्रोलियम, राजस्थान सरकार को सम्बन्धित खनन/सहायक अधिकारी और क्षेत्रीय अधिकारियों, राज्य मण्डल को सम्मिलित करते हुए संयुक्त दले का गठन करने के लिए लिखा गया (जनवरी 2015)। हालांकि, दो साल (मई 2017) के विलम्ब के बाद भी कोई संयुक्त उड़न दस्ते का गठन नहीं हुआ था।

राजस्थान में खनन गतिविधियों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर अलग अध्याय 3.1 में चर्चा की गई है।

थर्मल पावर प्लान्ट द्वारा उत्सर्जन

थर्मल पावर प्लान्ट अत्यन्त प्रदूषणकारी है तथा इन्हे लाल श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है। पावर प्लान्ट द्वारा अत्यधिक पार्टिकुलेट मैटर और अन्य गैसों के

उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण होता है। सात⁵⁷ में से दो⁵⁸ कोयला आधारित थर्मल पावर प्लान्टों को संयुक्त निरीक्षण के लिए चयनित किया गया था।

कोटा थर्मल पावर प्लान्ट राजस्थान का पहला सबसे बड़ा कोयला आधारित पावर प्लान्ट है। यह कोटा के पास चम्बल नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। कोटा सुपर थर्मल पावर प्लान्ट में 1240 मेगावॉट क्षमता की सात इकाईयां हैं। छबड़ा थर्मल पावर प्लान्ट बांरा जिले के चौकी मोतीपुरा में स्थित है। छबड़ा थर्मल पावर प्लान्ट में 1000 मेगावॉट क्षमता की चार इकाईयां हैं। इन विद्युत परियोजनाओं से सम्बन्धित अभिलेखों की समीक्षा के दौरान निम्नलिखित मुद्दे देखे गए:

2.1.8.5 सभी इकाईयां संचालन की सहमति/सहमति के नवीनीकरण प्राप्त किए बिना संचालित थी

वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में औद्योगिक संयंत्र की स्थापना या संचालन के लिए मण्डल की पूर्व सहमति अनिवार्य है।

छबड़ा थर्मल पावर प्लान्ट के अभिलेखों की समीक्षा से यह इंगित हुआ कि इकाई I तथा II को 31 अगस्त 2015 तक संचालन की सहमति दी गई थी, इकाई III को 30 नवम्बर 2014 तक संचालन की सहमति दी गई थी और इकाई IV ने 30 दिसम्बर 2014 से ही उत्पादन शुरू कर दिया गया था परन्तु इसके पास मण्डल से अपेक्षित संचालन की सहमति नहीं थी। (अप्रैल 2017)। इसके बाद, इन इकाईयों के संचालन की सहमति का नवीनीकरण नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, सभी चार इकाईयां संचालन की सहमति के बिना संचालित थी। मण्डल से जवाब अभी भी प्रतिक्षित है।

इसके अलावा यह भी देखा गया कि कोटा सुपर थर्मल पावर प्लान्ट की सभी सात इकाईयों के लिए संचालन की सहमति 1 जुलाई 2013 से 30 जून 2015 तक के लिए जारी की गई थी। कोटा सुपर थर्मल पावर प्लान्ट द्वारा नवीनीकरण के लिए प्रस्तुत सहमति आवेदन (27 फरवरी 2015) शर्तों की पालना नहीं करने जैसे कि कोयला यार्ड और कोयला क्रशर पर स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण मशीन के गैर-संचालन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसीपीटेटर्स (ईएसपी) की सभी इकाईयों की नॉन-इन्टर लोकिंग और पता लगाने की सीमा की कमी, अंशाकन, आवृत्ति, संकेत, रेखीय कारक आदि के कारण मण्डल में अभी तक (अप्रैल 2017) लम्बित है। मण्डल द्वारा अधिनियम की धारा 31-ए के प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों के तहत कारण बताओ नोटिस⁵⁹ (5 नवम्बर 2015 और 12 जनवरी 2017) जारी किए गए।

⁵⁷ सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर), कोटा (कोटा), बाड़मेर (बाड़मेर), मोतीपुरा (बांरा), बरसिंगसर (बीकानेर), गुरहा (बीकानेर) एवं थुम्बली (बाड़मेर)

⁵⁸ कोटा थर्मल पावर प्लान्ट (कोटा) एवं छबड़ा थर्मल पावर प्लान्ट (बांरा)

⁵⁹ कोयला धूल से गहरा फ्यूजिटिव उत्सर्जन, डीजल जनरेटिंग सैट्स के साथ ध्वनिक बाड़े नहीं लगाने, बॉयलर के साथ मूलभूत निगरानी सुविधाओं की अनुपलब्धता, एपीसीएम के संचालन की लॉगबुकों के संधारण का अभाव आदि कारणों से।

अंतिम कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2017)। तथापि, संयंत्र को निरन्तर संचालित किया जा रहा था। इस प्रकार धारा 31-ए के तहत जारी किए गए निर्देशों की पालना नहीं करने पर राज्य मण्डल कोटा सुपर थर्मल पावर प्लान्ट के विरुद्ध अधिनियम की धारा 37 के तहत कार्यवाही करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, कोटा सुपर थर्मल पावर प्लान्ट द्वारा निरन्तर अत्यधिक उत्सर्जन किया जा रहा है जिसका विवरण आगामी अनुच्छेद में दिया गया है:

2.1.8.6 अत्यधिक उत्सर्जन

चिमनी तथा परिवेशी निगरानी रिपोर्ट की समीक्षा में पाया गया कि पार्टिकुलेट मैटर और रेस्पिरेबल सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन स्तर निर्धारित स्तर से अधिक था।

कोटा सुपर थर्मल पावर प्लान्ट की सभी सात इकाईयों में फ्लाइ एश को रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था और ईएसपी थी फिर भी इकाईयां पार्टिकुलेट मैटर (150 mg/Nm^3) और रेस्पिरेबल सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर ($100 \mu\text{g/m}^3$) के निर्धारित मानकों को प्राप्त नहीं कर पाई क्योंकि वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि में पार्टिकुलेट मैटर 174 से 952 mg/Nm^3 तथा रेस्पिरेबल सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर 110 एवं $202 \mu\text{g/m}^3$ के बीच रहा। कोटा सुपर थर्मल पावर प्लान्ट के अभिलेखों में यह देखा गया कि ईएसपी कुशलतापूर्वक⁶⁰ कार्य नहीं कर रहा था।

यद्यपि राज्य मण्डल द्वारा कोटा सुपर थर्मल पावर प्लान्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, कोटा सुपर थर्मल पावर प्लान्ट द्वारा ईएसपी की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कोई प्रभावी प्रयास नहीं किए गए।

2.1.8.7 फ्लाइ एश का निपटान

कोयला राख अपशिष्ट है जो कोयले के जलने के बाद बचता है। इसमें फ्लाइ एश⁶¹ के साथ-साथ अपरिष्कृत सामग्री भी शामिल है जो भट्टी के नीचे सतह पर गिरती है। कोयला राख मुख्य रूप से कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से आती है।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा देश में सभी कोयला/लिंगनाइट आधारित थर्मल पावर स्टेशनों द्वारा एक प्रगतिशील तरीके से फ्लाइ एश के 100 प्रतिशत उपयोग के लिए अधिसूचना जारी (नवम्बर 2009) की थी। अधिसूचना की तारीख के पहले से संचालित थर्मल पावर स्टेशनों को अधिसूचना जारी करने की तारीख से पांच साल में फ्लाइ एश उपयोग के लक्ष्य को हासिल करना आवश्यक था। वन

⁶⁰ ईएसपी के कई फील्ड्स नियमित तौर पर आउट ऑफ चार्ज थे।

⁶¹ महीन पीसे हुए कण जो चिमनी की धुओं को उठाते हैं एवं प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों द्वारा पकड़े जाते हैं।

एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना जारी होने की तारीख के बाद संचालन में आए नए थर्मल पावर स्टेशनों को संचालन प्रारम्भ करने की दिनांक से चौथे साल में फ्लाइंग ऐश उपयोग के लक्ष्य को हासिल किया जाना था। राज्य मण्डल द्वारा इस शर्त की पालना सुनिश्चित करने के लिए संचालन की सहमति में शर्त को शामिल किया गया।

समीक्षा में पाया गया कि कोटा सुपर थर्मल पावर प्लान्ट में अप्रैल 2013 तक 3,30,000 मै.टन फ्लाइंग ऐश पड़ी थी जो कि मार्च 2017 तक 48.37 प्रतिशत घटकर 170371 मै.टन शेष रह गई थी। इस प्रकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना की पालना नहीं हुई। छबड़ा थर्मल पावर प्लान्ट के अभिलेखों की समीक्षा में देखा गया कि 2010-11 से 2016-17 (सितम्बर 2016 तक) छबड़ा थर्मल पावर प्लान्ट में, 42.12 लाख मै.टन फ्लाइंग ऐश तथा बॉटम ऐश का निपटान किया गया जबकि इसी अवधि के दौरान 48.76 लाख मै.टन का उत्पादन था। इस प्रकार लगभग 6.64 लाख मै.टन राख कुण्ड में शेष थी।

2.1.8.8 संयुक्त निरीक्षण निष्कर्ष

लेखापरीक्षा दल द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य मण्डल कोटा के साथ संयुक्त निरीक्षण के दौरान कोटा सुपर थर्मल पावर प्लान्ट और छबड़ा थर्मल पावर प्लान्ट में निम्न कमियों को देखा गया जो संचालन की सहमति की शर्तों के विरुद्ध थी:

- कोटा सुपर थर्मल पावर प्लान्ट में कोयला धूल के गहन फ्यूजिटिव उत्सर्जन को देखा गया जबकि छबड़ा थर्मल पावर प्लान्ट में फैंक्ट्री परिसर में तथा उसके आसपास कोयले की धूल का गहरा फ्यूजिटिव उत्सर्जन देखा गया। कोयला खुले स्थानों में संग्रहित किया गया था। कुछ स्थानों पर कोयला जल रहा था जिसके कारण धुंआ उत्सर्जन पाया गया।
- कोटा सुपर थर्मल पावर प्लान्ट में शोर को रोकने के लिए डीजल जनरेटर सेट पर ध्वनिक बाड़े नहीं लगाए गए थे।
- कोटा सुपर थर्मल पावर प्लान्ट में बॉयलर के साथ मूलभूत निगरानी की सुविधा प्रदान नहीं की गई थी।
- कोटा सुपर थर्मल पावर प्लान्ट में वायु प्रदूषण नियंत्रण मशीन के संचालन की लॉगबुक का संधारण नहीं किया जा रहा था।
- कोटा सुपर थर्मल पावर प्लान्ट की इकाई VI में चिमनी उत्सर्जन की निगरानी के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और इसलिए, इस इकाई का कोई चिमनी नमूना मण्डल द्वारा एकत्रित और विश्लेषित नहीं किया गया।
- छबड़ा थर्मल पावर प्लान्ट के फैंक्ट्री परिसर की परिधि में कोई परिवेशी वायु निगरानी केन्द्र नहीं था। इस उद्देश्य के लिए केवल एक मोबाईल वैन उपलब्ध थी।
- छबड़ा थर्मल पावर प्लान्ट में निर्धारित मानकों के अनुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया था।

क्षेत्रीय अधिकारी, कोटा की निरीक्षण रिपोर्ट से भी इन आक्षेपों की पुष्टि होती है। इस प्रकार राज्य मण्डल उच्च प्रदूषणकारी इकाईयों के विरुद्ध धारा 31-ए के तहत ठोस कदम उठाने में विफल रहा जो कि लगातार सहमति की शर्तों का उल्लंघन कर रही थी।

राज्य मण्डल द्वारा समापन सभा में बताया गया कि यद्यपि पावर प्लान्ट्स सभी मानदंडों का पालन नहीं कर रहे थे लेकिन उनकी गंभीरता को देखते हुए इन्हें बंद किया जाना संभव नहीं था। लेखापरीक्षा का मत है कि राज्य मण्डल द्वारा संयंत्रों में पर्यावरणीय मानदंडों की अनुपालना में सुधार करने के लिए लगातार ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।

ईट भट्टे

2.1.8.9 ईट भट्टों से प्रदूषण

मिट्टी की ईट राजस्थान में छोटे या कुटीर पैमाने पर ईट भट्टों में तैयार की जाती है। ईट भट्टों में कच्चे माल के रूप में सतही मिट्टी, कोयला, धान की भूसी, फ्लाई ऐश, लकड़ी और कुछ हद तक स्थानीय रूप से उपलब्ध कृषि अपशिष्ट शामिल है। ईट निर्माण प्रक्रिया उत्सर्जन उत्पन्न करती है जिसमें मुख्य रूप से सूक्ष्म कोयला और धूल कण होते हैं। सूक्ष्म कोयला और धूल के कण स्वास्थ्य के लिए खतरा है और ये प्रदूषक मनुष्यों की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करते हैं। ईट भट्टे नारंगी श्रेणी की इकाईयां हैं।

राज्य मण्डल ने ईट भट्टा उद्योग में प्रदूषण को कम करने के लिये एक मसौदा दिशा-निर्देश तैयार किया और इसे 2012 में अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया। हालांकि, राज्य मण्डल ने अब तक इस दिशा-निर्देश को मंजूरी नहीं दी है।

राज्य मण्डल के पास ईट भट्टों की संख्या के बारे में कोई समेकित आंकड़े नहीं थे जो कि सहमति तंत्र के तहत समाविष्ट किये गये थे। राज्य मण्डल, इन इकाईयों की पहचान करने के लिए किये गये किसी भी सर्वेक्षण/अध्ययन के अभाव में राज्य में संचालित ईट भट्टों की वास्तविक संख्या को सुनिश्चित करने में भी असमर्थ था।

क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर), जयपुर द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच में पाया गया कि 33 ईट भट्टों ने स्थापना की सहमति और संचालन की सहमति के लिये आवेदन तक नहीं किया था। इन इकाईयों के विरुद्ध ठोस कदम नहीं उठाये गये थे। 32 मामलों में, यद्यपि संचालन की सहमति सितम्बर 2002 से दिसम्बर 2015 के मध्य समाप्त हो गई थी, सहमति के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था। संयुक्त जांच के समय में, इन 32 इकाईयों में से चार संचालन में पायी गई। 16 ईट भट्टे वो थे जिन्होंने स्थापना की सहमति ले रखी थी लेकिन संचालन की सहमति के लिए आवेदन नहीं किया था। क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर), जयपुर ने उत्तर दिया कि मानव-शक्ति की कमी के कारण कोई सर्वेक्षण

नहीं किया गया और इसलिये, ईट भट्टों की संचालन स्थिति उपलब्ध नहीं थी। अतः ईट भट्टों की संचालन स्थिति की जांच करने के लिए कोई तंत्र नहीं था।

इसके अलावा, निरीक्षण प्रतिवेदनों की जांच में विदित हुआ कि दो क्षेत्रीय कार्यालयों⁶² द्वारा तीन ईट भट्टों को बंद करने के लिए नोटिस जारी किये गये थे क्योंकि ये भट्टे संचालन की सहमति की वैधता समाप्ति के बाद अनाधिकृत रूप से संचालित हो रहे थे। तथापि, करीब छः वर्ष पूर्व उनको बंद करने के लिये जारी किये गये नोटिस के बावजूद सभी तीन इकाईयां क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निरीक्षण के दौरान नियमित रूप से संचालन में पायी गई।

सदस्य सचिव, राज्य मण्डल ने समापन सभा के दौरान बताया कि ईट भट्टे गांवों में भी स्थित हैं और मण्डल के लिए, निर्धारित निगरानी आवृत्ति के अनुसार उनकी वायु निगरानी करना संभव नहीं है। हालांकि, राज्य मण्डल तीसरे पक्ष के माध्यम से वायु गुणवत्ता निगरानी करवाने के विकल्प के बारे में विचार कर सकता है।

स्टोन क्रशिंग उद्योग

2.1.8.10 स्टोन क्रशिंग उद्योग से वायु प्रदूषण का नियंत्रण

स्टोन क्रशिंग उद्योग लाल श्रेणी के अधीन वर्गीकृत है और इस उद्योग से उत्पन्न होने वाले मुख्य प्रदूषकों में सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर और रेस्पिरेबल सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने किसी भी प्रोसेस उपकरण से तीन और 10 मीटर की दूरी के बीच सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर के मानक 600 mg/Nm³ से अधिक नहीं होना निर्धारित किया था। चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों में 644 स्टोन क्रशर थे। हालांकि, स्टोन क्रशर इकाईयों की संचालन स्थिति के बारे में क्षेत्रीय कार्यालयों को पता नहीं था। इसके अलावा, क्षेत्रीय कार्यालयों ने स्टोन क्रशर इकाईयों के किये गये निरीक्षणों तथा परिवेशी नमूनों के किये गये विश्लेषणों के आंकड़े संधारित नहीं कर रखे थे।

क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में पत्रावलियों की जांच में पता चला कि जिला कलेक्टर की टीम द्वारा राज्य मण्डल के अधिकारियों के साथ किये गये एक विशेष संयुक्त निरीक्षण में देखा गया कि सात मामलों में सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर निर्धारित सीमा (600µg/m³) से अधिक हो गये थे और 2286µg/m³ और 4685µg/m³ के बीच थे। क्षेत्रीय कार्यालय ने सभी सात इकाईयों को कारण बताओ नोटिस दिये और दो इकाईयों को बंद करने के निर्देश जारी किये। कारण बताओ नोटिस की प्रतिक्रिया में इकाईयों ने जवाब दिया कि आक्षेपों की अनुपालना कर दी गई है। हालांकि, क्षेत्रीय कार्यालय, ने मानकों की पालना सुनिश्चित किये बिना संचालन की सहमति का नवीनीकरण किया, क्योंकि अभिलेखों में आगे और कोई नमूना विश्लेषण प्रतिवेदन नहीं पाये गये थे।

⁶² अलवर और भिवाड़ी

सदस्य सचिव, राज्य मण्डल ने तथ्यों को स्वीकार किया और समापन सभा के दौरान बताया कि स्टोन क्रशर्स औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित है और परिवर्तित राजस्व भूमि पर भी है। इसलिए, सम्बन्धित प्राधिकारी जैसे उद्योग विभाग, राजस्व विभाग या राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड स्टोन क्रशर की अनुमति देते समय राज्य मण्डल को सूचित कर सकते हैं ताकि राज्य मण्डल आवश्यक कार्यवाही कर सके।

2.1.8.11 सीमेन्ट, ईट भट्टे और स्टोन क्रशिंग उद्योगों के संयुक्त निरीक्षण निष्कर्ष

नमूना जांच किये गये क्षेत्रीय कार्यालयों में, 30 सीमेन्ट प्लान्टों में से छः, 332 ईट भट्टों में से 32, 644 स्टोन क्रशिंग इकाइयों में से 61 और 49 दूसरी औद्योगिक इकाइयों की सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ लेखा परीक्षा दल द्वारा संयुक्त जांच की गई थी। इन 148 इकाइयों में से, सीमेन्ट, ईट भट्टे और स्टोन क्रशिंग इकाइयों से सम्बन्धित निष्कर्षों की नीचे चर्चा की गई है जबकि थर्मल पावर प्लान्ट्स से सम्बन्धित निष्कर्षों की पूर्व में चर्चा की गई थी। तीन इकाइयों⁶³ को छोड़कर, जहाँ औद्योगिक इकाइयाँ बिना स्थापना की सहमति के संचालित हो रही थीं, अन्य औद्योगिक इकाइयों में कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं देखे गये।

जो निष्कर्ष देखे गये वे अधिनियम के प्रावधानों और संचालन की सहमति की शर्तों के विरुद्ध थे जैसा कि नीचे उल्लिखित है:

- 77 औद्योगिक इकाइयों⁶⁴ में वृक्षारोपण अपर्याप्त था।
- एक सीमेन्ट संयंत्र में कच्चा माल खुले क्षेत्र में पड़ा हुआ था जबकि अन्य दो सीमेन्ट संयंत्रों में कच्चा माल आंशिक रूप से खुले क्षेत्र में पड़ा हुआ था।
- एक सीमेन्ट संयंत्र में आंतरिक सड़के कच्ची थीं जिसके कारण गहरा फ्यूजिटिव उत्सर्जन देखा गया था जबकि एक अन्य सीमेन्ट संयंत्र में सड़क आंशिक रूप से कच्ची थी।
- दो सीमेन्ट संयंत्रों में पानी छिड़काव नहीं किया गया था। एक सीमेन्ट संयंत्र में पानी छिड़काव आंशिक रूप से किया गया था। 46 स्टोन क्रशिंग उद्योगों में पानी छिड़काव प्रणाली संचालन में नहीं थी।

⁶³ मैसर्स मारवाड़ कैमिकल्स, जोधपुर, मैसर्स ओम कैमिकल्स एण्ड मिनरल, जोधपुर और मैसर्स राज आर्ट एण्ड हैडिक्राफ्ट, जोधपुर

⁶⁴ एक सीमेन्ट उद्योग, 30 ईट भट्टे और 46 स्टोन क्रशिंग उद्योग

- एक सीमेन्ट संयंत्र में प्रदूषक मापक उपकरण स्थापित नहीं था।
- ईट भट्टों की 10 इकाइयां और दो स्टोन क्रशर बिना स्थापना की सहमति प्राप्त किये संचालन में थे जबकि आठ ईट भट्टे और चार स्टोन क्रशर संचालन में थे बावजूद इस तथ्य के कि इन इकाइयों को जारी संचालन की सहमति की वैधता समाप्त हो चुकी थी अथवा अस्वीकृत कर दी गई थी।
- जयपुर के 22 ईट भट्टों में चिमनी निगरानी के लिए मूलभूत सुविधाएं अपर्याप्त थीं।
- 28 ईट भट्टों में सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निरीक्षण नहीं किये गये थे और चिमनी से नमूने लेकर विश्लेषित नहीं किये गये थे।
- 53 स्टोन क्रशिंग इकाइयों में धूल नियंत्रण और दमन प्रणाली अस्तित्व में नहीं थीं।
- 45 स्टोन क्रशिंग इकाइयों में सम्पर्क सड़के बिना कठोर सतह के थीं।
- 41 स्टोन क्रशिंग इकाइयों में पवन रोधक दीवारें नहीं बनाई गई थीं।
- 16 स्टोन क्रशिंग इकाइयों में न्यूनतम 3000 लीटर की जल संग्रहण क्षमता उपलब्ध नहीं थी।
- 45 स्टोन क्रशिंग इकाइयों में परिवेशी वायु की निगरानी नहीं की गई थी।

यदि शर्तें, जिनके अधीन संचालन की सहमति प्रदान की गई थी, पूरी नहीं की गई हैं तो सहमति उस अवधि की समाप्ति से पहले रद्द कर दी जानी चाहिये जिसके लिए इसे दिया गया था या ऐसी समाप्ति के पश्चात अधिनियम की धारा 21 (4) के तहत अस्वीकार कर दी जानी चाहिये थी। तथापि, नोटिस जारी करने के अलावा राज्य मण्डल ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की।

सदस्य सचिव, मण्डल ने समापन सभा में लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया।

अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान तथापि, यह भी देखा गया कि जयपुर में अल्ट्रा टेक सीमेन्ट संयंत्र कुशलता से संचालन कर रहा था और उत्सर्जन मानदण्डों का पालन कर रहा था।

उपरोक्त के अलावा, क्षेत्रीय कार्यालय अलवर के अभिलेखों की जांच में विदित हुआ कि तीन धातु उद्योगों से सम्बन्धित श्रमिकों के स्वास्थ्य जांच की एक भी रिपोर्ट अभिलेख पर नहीं मिली। संचालन की सहमति में उल्लिखित शर्तों के अनुसार औद्योगिक इकाइयों से, औद्योगिक श्रमिकों के खून के साथ-साथ मूत्र में सीसे के स्तर के लिए वर्ष में कम से कम एक बार नियतकालिक परीक्षण किया जाना अपेक्षित था। उच्चतर सीसा स्तर पाये गये व्यक्तियों को तुरन्त सीसा-विहीन गतिविधि-क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाना अपेक्षित था और जब तक सीसे का स्तर एक स्वीकार्य स्तर ($10\mu\text{g}/\text{m}^3$) तक नहीं लौटता, विशेष उपचार दिया जाना चाहिए था।

इससे यह इंगित हुआ कि औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य मण्डल, धातु उद्योगों के श्रमिकों के स्वास्थ्य पर सीसे के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में पर्याप्त संवेदनशील नहीं थे।

2.1.9 फसल अवशेष को जलाना

फसल अवशेष को जलाना वायु प्रदूषण के कई स्रोतों में से एक है। इसके परिणामतः धुएँ का उत्सर्जन होता है जो यदि हवा में मौजूद गैसों जैसे मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया से मिल जाए तो गंभीर वायुमण्डलीय प्रदूषण पैदा कर सकता है। इन गैसीय उत्सर्जन से स्वास्थ्य जोखिम, अस्थमा को बढ़ाने, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और फेफड़े का कार्य कम होने के परिणाम हो सकते हैं।

राजस्थान सरकार ने राज्य मण्डल के साथ परामर्श के बाद पूरे राजस्थान राज्य में बचे हुए भूसे को जलाने को प्रतिबंधित करने हेतु अधिसूचना जारी की (अगस्त 2015)।

राज्य मण्डल के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने प्रार्थना पत्र संख्या 118/2013 के बारे में अपने निर्णय में आदेश दिया (दिसम्बर 2015) था कि सभी राज्य सरकारों और प्रदूषण नियंत्रण मण्डलों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि छोटे जमीन वाले किसानों को उनके सम्बन्धित खेतों में कृषि फसलों के अवशेष निकालने के लिये यंत्र उपलब्ध कराये जावें, राज्य सरकारों को, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेन्सी और राज्य रिमोट सेंसिंग एजेन्सी के समन्वय में वास्तविक समय निगरानी तंत्र विकसित करना चाहिए।

राज्य मण्डल ने प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार को अधिनियम की धारा 31-ए के तहत जैव ईंधन जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये निर्देश जारी किये (जनवरी 2016) और कार्य योजना एवं अनुपालना प्रतिवेदन मांगे ताकि केंद्रीय मण्डल को प्रस्तुत किया जा सके। हालांकि, राज्य मण्डल द्वारा चाही गयी कोई कार्य योजना कृषि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई (अप्रैल 2017) थी।

इसके अलावा, राज्य मण्डल के पास राज्य में 2012-16 के दौरान फसल के अवशेषों को जलाने का कोई डेटा नहीं था। यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या मण्डल कृषि अवशेषों को जलाने से होने वाले प्रदूषण की उचित रूप से निगरानी कर रहा था।

समापन सभा के दौरान राज्य मण्डल ने बताया कि राजस्थान के लिए यह एक बहुत ही छोटा मामला है क्योंकि यह प्रथा राज्य में व्यापक रूप से प्रचलित नहीं थी। जवाब इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लिकेशन सेंटर जोधपुर के प्रस्ताव पर आयुक्त और विशेष सचिव, कृषि ने सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिये फसल अवशेष जलाने वाले क्षेत्र के

अध्ययन के लिए राज्य मण्डल से ₹6.50 लाख की मांग रखी (फरवरी 2016)। हालांकि, राज्य मण्डल ने इस उद्देश्य के लिए कोई निधि जारी नहीं की थी (अप्रैल 2017) जिसके लिए अभिलेख पर कोई कारण नहीं पाया गया। परिणामतः न तो राज्य मण्डल और न ही कृषि विभाग फसल अवशेष जलाने के वास्तविक स्थानों और मामलों की पहचान करने की स्थिति में था।

2.1.10 वाहन प्रदूषण

अधिनियम की धारा 20 के तहत वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए परिवहन विभाग को अधिकृत किया गया था। मुख्य वाहन प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फोटोकैमिकल आक्सिडेंट, वायु विष जैसे बेंजीन, एल्डिहाइड्स, 1-3 बुटाडाइन, सीसा, पार्टिकुलेट मैटर, हाइड्रोकार्बन, सल्फर ऑक्साइड और पॉलीसाईक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। जबकि पेट्रोल/गैसोलाईन चलित वाहनों में प्रमुख प्रदूषक हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड हैं, डीजल आधारित वाहनों के प्रमुख प्रदूषक नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कण हैं।

2.1.10.1 पन्द्रह वर्ष पुराने वाहनों के पुनः पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए सामरिक योजना का अभाव

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन (मार्च 2002) के परिणामस्वरूप, राजस्थान में सभी वाहनों का पंजीकरण 15 वर्ष के लिए वैध बना दिया गया था। इसके अलावा, राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 4.2ए (मार्च 2003 में जोड़ा गया) के तहत परिवहन वाहन को पहली बार पंजीकरण की तारीख से 15 वर्ष की समाप्ति के बाद मान्य रूप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा, जब तक कि वाहन पुनः पंजीकृत न किया जाये। परिवहन विभाग ने अपने आदेश (सितम्बर 2016) में दो चरणों में कार्यवाही शुरू की थी। पहले चरण⁶⁵ में सभी श्रेणी के वाहनों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जानी थी जो कि मार्च 2001 तक पंजीकृत थे और दूसरे चरण में, मार्च 2001 के बाद पंजीकृत सभी श्रेणी के वाहनों के विरुद्ध नियमित आधार पर कार्यवाही की जानी थी। इस प्रकार परिवहन विभाग ने 15 वर्ष पुराने वाहनों के पुनः पंजीकरण या नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए 14 से अधिक वर्षों तक पर्याप्त उपाय नहीं किए। इसने 31 मार्च 2001 तक पंजीकृत 29.40 लाख वाहनों के विरुद्ध केवल 1.47 लाख वाहनों के पुनः पंजीकरण या नवीनीकरण के लिए लक्ष्य (दिसम्बर 2016) निर्धारित किया। इस प्रकार, परिवहन विभाग 15 वर्ष पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने में विफल रहा।

⁶⁵ प्रथम चरण का कार्य 15 मई 2017 तक पूर्ण करना था।

जिला परिवहन अधिकारी ने समापन सभा में कहा कि पुनः पंजीकरण प्रक्रिया विचाराधीन है इसे जल्द ही लागू किया जाएगा।

2.1.10.2 वाहन प्रदूषण भार का मूल्यांकन नहीं किया गया था

एक क्षेत्र में कुल उत्सर्जन भार में विभिन्न स्रोतों के हिस्से का अनुमान लगाने के लिए उत्सर्जन भार का अनुमान लगाना एक आवश्यक कदम है। यह क्षेत्र में उत्सर्जन भार को कम करने में विभिन्न रणनीतियों की क्षमता को समझने में भी सहायता करता है।

परिवहन विभाग के अभिलेखों की समीक्षा में निम्नलिखित विदित हुआ:

- परिवहन विभाग ने न तो भारी यातायात के स्थानों की पहचान करने के लिए कोई अध्ययन/सर्वेक्षण किया था और न ही राज्य के प्रमुख शहरों में प्रदूषण भार का मूल्यांकन किया था।
- परिवहन विभाग विश्वसनीय और प्रासंगिक आंकड़ों के अभाव में प्रमुख शहरों में प्रदूषण भार को कम करने के लिए एक व्यापक योजना या रणनीति तैयार करने में असफल रहा।

अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, प्रदूषण नियंत्रण ने स्वीकार किया (अप्रैल 2017) कि 2012-17 के दौरान वाहनों के प्रदूषण भार को कम करने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार नहीं की गई थी, लेकिन वाहन प्रदूषण नियंत्रण करने के प्रयास किये गये थे जैसे की सभी बैटरी संचालित वाहनों को पूर्ण कर छूट और एलपीजी/सीएनजी संचालित वाहनों के लिए विशेष सड़क कर पर 50 प्रतिशत छूट प्रदान करना। इसके अलावा पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए सभी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) केन्द्र नेटवर्किंग से जोड़े जा रहे थे।

2.1.10.3 फ्लीट मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम की शुरुआत नहीं किया जाना

राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति, 2010 के अनुसार, फ्लीट मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम को शुरू किया जाना था जिसमें पुराने वाणिज्यिक वाहन मालिकों को पुराने से नये वाहन बदलने के लिए अनुदान/प्रत्यक्ष लागत लाभ प्रदान किया जाना था। समीक्षा से पता चला कि:

- परिवहन विभाग द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया था जिसमें पुराने वाणिज्यिक वाहन मालिकों को नए वाहन से बदलने के लिए अनुदान/प्रत्यक्ष लागत लाभ की पेशकश की गई हो।
- अतः फ्लीट मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम को लागू करने की नीति शुरू नहीं हुई।

इस प्रकार विभाग पुराने वाहनों के पुनः पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए पर्याप्त योजना के अभाव में, 15 वर्ष पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने में विफल रहा।

2.1.10.4 उड़न दस्तों को प्रदूषण परीक्षण उपकरण प्रदान नहीं किया गया

अभिलेखों की जांच में विदित हुआ कि:

➤ राजस्थान में प्रदूषणकारी वाहनों की निगरानी के लिए 12 क्षेत्रों में से 10 को आवृत्त करते हुए 22 प्रदूषण उड़न दस्ते थे। छः जिलों के दो क्षेत्रों⁶⁶ में प्रदूषण उड़न दस्ते नहीं थे।

➤ उदयपुर में एक को छोड़कर, उड़न दस्तों को प्रत्यक्षतः प्रदूषणकारी वाहनों के उत्सर्जन स्तर की जांच करने के लिए कोई उपकरण प्रदान नहीं किया गया था। उदयपुर में उड़न दस्ते के पास जांचे गये वाहनों तथा अधिक प्रदूषण उत्सर्जित करते पाये जाने सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं थे यद्यपि उनके पास वांछित उपकरण थे।

➤ परिवहन विभाग सहमत था कि उड़न दस्तों द्वारा निरीक्षण के दौरान अधिक प्रदूषकों का उत्सर्जन करते पाये गये वाहनों की संख्या का कोई आंकड़ा नहीं था।

जिला परिवहन अधिकारी ने समापन सभा में कहा कि प्रत्यक्षतः प्रदूषित वाहनों की जांच करने के लिए उड़न दस्तों को पीयूसी मोबाईल वैन प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

2.1.10.5 प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र

वाहन की पूरी आयु के दौरान उत्सर्जन को जांचना और फलस्वरूप नियंत्रण करना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक मोटर वाहन को परिवहन विभाग द्वारा, अथवा परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत किसी प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा, जारी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) साथ रखना अपेक्षित है।

वर्ष 2005 में एक मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत पेट्रोल और डीजल आधारित वाहनों को निर्धारित अनुपालना मानकों को प्राप्त करने के बाद छः माह के लिए पीयूसी प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा था।

अभिलेखों की समीक्षा में विदित हुआ कि:

➤ पंजीकृत वाहनों की संख्या के आधार पर पीयूसी केन्द्रों की स्थापना के लिए कोई प्रावधान नहीं था। राज्य में मार्च 2016 तक विभिन्न श्रेणियों के 1.36 करोड़ वाहन पंजीकृत थे। परिवहन विभाग ने मार्च 2017 तक केवल 1159 प्रदूषण जांच केन्द्रों को अधिकृत किया था।

➤ सड़क पर चलने वाले वाहनों की वास्तविक संख्या के बारे में राज्य परिवहन विभाग के पास कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

⁶⁶ दौसा और सीकर

तथापि, राज्य में पंजीकृत कुल वाहनों की संख्या के विरुद्ध 2012-13 से 2015-16 के दौरान जारी किये गये पीयूसी प्रमाण पत्र निम्नानुसार थे:

सारणी 2: 2012-17 के दौरान राज्य में जारी पीयूसी प्रमाण पत्रों की संख्या

(लाख में)

वर्ष	पंजीकृत वाहन (प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल तक)	मानकों के अनुसार जारी किये जाने वाले पीयूसी प्रमाण पत्रों की संख्या	वर्ष के दौरान जारी किये गये पीयूसी प्रमाण पत्रों की संख्या	मानकों के अनुसार पीयूसी प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाने की संख्या (3-4) (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012-13	89.86	179.72	4.26	175.46 (97.63)
2013-14	100.72	201.44	3.85	197.59 (98.09)
2014-15	111.84	223.68	3.78	219.90 (98.31)
2015-16	123.79	247.58	9.66	237.92 (96.10)
2016-17	136.32	272.64	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

स्रोत: परिवहन विभाग, राजस्थान

वाहनों को जारी किये गये पीयूसी के समाप्ति पर नजर रखने के लिए परिवहन विभाग द्वारा कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया था। इसके पास पीयूसी जारी करने की निगरानी के लिये और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब बकाया हो, सभी वाहन उत्सर्जन परीक्षण के लिए आये, कोई डेटाबेस नहीं था। इसके अलावा, जयपुर और उदयपुर को छोड़कर नमूना जांच में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा पीयूसी केन्द्रों पर अत्यधिक उत्सर्जन के कारण प्रदूषण जांच में विफल रहने वाले वाहनों की संख्या के बारे में आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये गये थे। जयपुर में 12141 तथा उदयपुर में 14820 वाहन निर्धारित सीमा से अधिक वायु प्रदूषित करते पाये गये थे और इनको पीयूसी केन्द्रों द्वारा पीयूसी प्रमाण पत्र जारी नहीं किये गये थे। तथापि, परिवहन विभाग ने यह नजर रखने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया कि क्या इन वाहनों ने दोषनिवारक उपाय करने के बाद पीयूसी प्राप्त कर लिया था।

परिवहन विभाग ने कहा कि दोषियों के लिए कोई दंडनीय प्रावधान नहीं था। यह कहा गया कि सभी पीयूसी केन्द्रों को आंकड़े उत्पन्न करने के लिये नेटवर्किंग के जरिये जोड़ा जा रहा था और सभी पीयूसी केन्द्रों की नेटवर्किंग के लिए राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर (अक्टूबर 2016) किये गये थे। यह भी कहा गया कि सड़क पर चलने वाले पुराने वाहन पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि सड़कों पर चलने वाले वाहनों की वास्तविक संख्या का आंकलन करने के लिए कोई तंत्र नहीं था।

2.1.10.6 पीयूसी केन्द्रों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान पायी गई विसंगतियां

एक संयुक्त दल (परिवहन विभाग और लेखापरीक्षा के अधिकारियों सहित) ने नमूना परीक्षित पांच जिलों में 427 वाहन प्रदूषण उत्सर्जन परीक्षण केन्द्रों में से 120 का दौरा किया। सैन्ट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 और मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना 2005 के प्रावधानों के विरुद्ध निम्न कमियां पायी गई:

- 12 केन्द्रों में वाहनों की जांच के दौरान सलाई (प्रोब) ठीक से नहीं डाली गई थी। इसके अलावा नौ केन्द्रों में डीजल वाहनों की जांच करते समय पांच बार पठन नहीं लिया गया था।
- 71 केन्द्रों में 'टाईप अप्रूवल प्रमाण पत्र'⁶⁷ उपलब्ध नहीं थे।
- शिकायत/सुझाव पुस्तक के बारे में जानकारी प्रदर्शित नहीं की गई थी और 65 केन्द्रों में ये संधारित नहीं थे।
- प्रदूषकों के निर्धारित सीमा से उपर पाये जाने के मामले में 73 केन्द्रों में ट्यूनिंग या ईंधन मिश्रण समायोजन की सुविधा नहीं थी।
- आठ केन्द्रों में पीयूसी प्रमाण पत्र अनाधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी किये जा रहे थे।
- 11 केन्द्रों द्वारा पीयूसी प्रमाण पत्र जारी किये गये वाहनों की संख्या सम्बन्धित आंकड़े संधारित नहीं किये गये थे और 19 केन्द्रों द्वारा त्रैमासिक प्रतिवेदन परिवहन विभाग को प्रस्तुत नहीं किये गये थे।
- 13 मामलों में वार्षिक रखरखाव अनुबंध और नियमित अंशांकन नहीं किया जा रहा था।
- 79 केन्द्रों में शिकायत पोस्ट कार्ड उपलब्ध नहीं थे और जानकारी भी प्रदर्शित नहीं की गई थी।
- पीयूसी केन्द्रों के 41 संचालकों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।
- 10 मामलों⁶⁸ में पीयूसी केन्द्रों के संचालकों द्वारा बिना वाहनों की जांच किये पीयूसी प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे थे। उदयपुर में एक केन्द्र कम्प्यूटर से सादे कागज पर प्रमाण पत्र बना रहा था, जबकि इन्हे राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन से आवंटित लेखन सामग्री पर जारी किया जाना चाहिए था।
- परिवहन विभाग ने पीयूसी केन्द्रों के स्थल और उपकरणों की पुष्टि किये बिना अनुज्ञा पत्र जारी किये थे। यह पाया गया कि 20 अनुज्ञापत्रधारियों ने उपकरण स्थापित नहीं किये थे लेकिन उनके पास परिवहन विभाग से अपेक्षित अनुज्ञापत्र थे।

⁶⁷ सैन्ट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के नियम 116 (3) के अनुसार प्रदूषक जांच मीटर, नियम 126 में निर्दिष्ट किसी एजेन्सी अथवा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा टाईप अप्रूव्ड किये होने चाहिये।

⁶⁸ अलवर-02, कोटा-04, जोधपुर-02 और उदयपुर-02

2.1.10.7 पीयूसी केन्द्रों के निरीक्षण नियमित रूप से नहीं किये गये

मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना 2005 के अनुसार, प्रत्येक पीयूसी केन्द्र को परिवहन अधिकारियों, जो उप निरीक्षक पद से नीचे नहीं हों, द्वारा वर्ष में दो बार निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है और निरीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को प्रस्तुत की जानी है।

परिवहन विभाग ने विभागीय अधिकारियों द्वारा किये गये पीयूसी केन्द्रों के निरीक्षणों की संख्या के संकलित आंकड़े संधारित नहीं कर रखे थे। नमूना जांच किये गये क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों/जिला परिवहन कार्यालयों में पिछले पांच वर्षों के दौरान किये गये निरीक्षणों से सम्बन्धित आंकड़े लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये। 2016-17 के दौरान पीयूसी केन्द्रों के निरीक्षण की स्थिति निम्नानुसार थी:

सारणी 3: 2016-17 के दौरान किये गये पीयूसी केन्द्रों के निरीक्षणों की स्थिति

क्षेत्रीय/जिला परिवहन कार्यालय का नाम	संख्या			कमी	कमी का प्रतिशत
	पीयूसी केन्द्र	निरीक्षण आवश्यक थे	निरीक्षण किये गये		
अलवर	47	94	शून्य	94	100
जयपुर	179	358	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
जोधपुर	141	282	15	267	95
कोटा	22	44	22	22	50
उदयपुर	38	76	05	71	93

स्रोत: क्षेत्रीय/जिला परिवहन कार्यालय

पीयूसी केन्द्रों के अपर्याप्त निरीक्षण के कारण, पीयूसी केन्द्रों का कार्य संतोषजनक नहीं था जैसा कि उपरोक्त अनुच्छेदों में चर्चा की गई है। राज्य मण्डल/परिवहन प्राधिकारी भी पीयूसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत सेवा केन्द्रों की गुणवत्ता नियंत्रण जांच नहीं कर रहे थे।

2.1.11 प्रबन्धन सूचना प्रणाली

अभिलेखों की समीक्षा में यह देखा गया कि राज्य मण्डल में प्रबन्धन प्रणाली कमजोर थी जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

2.1.11.1 वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने में देरी

अधिनियम की धारा 35 (2) में परिकल्पित है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य मण्डल पिछले वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का पूर्ण विवरण देकर वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा और इसकी प्रतियां पिछले वित्तीय वर्ष की आखिरी

तारीख से चार महिने के भीतर राज्य सरकार को भेजी जायेगी और पिछले वित्तीय वर्ष की आखिरी तिथि से नौ महिने की अवधि में प्रतिवेदन राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जायेगी।

यह देखा गया कि वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने और राज्य सरकार को प्रस्तुत करने में नीचे दिये गये विवरणानुसार स्पष्ट रूप से देरी हुई थी:

सारणी: 4 राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

वित्तीय वर्ष	राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में देरी	राज्य विधानसभा में रखी जाने की तिथि
2012-13	07-01-2016	2 वर्ष 5 माह	उपलब्ध नहीं
2013-14	01-03-2016	1 वर्ष 7 माह	उपलब्ध नहीं
2014-15	16-03-2017	1 वर्ष 7 माह	21-03-2017
2015-16	23-03-2017	7 माह	24-03-2017

स्रोत: राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

यह भी ध्यान देना दिलचस्प था कि 2010-11 की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन में विभिन्न अधिनियमों के तहत राज्य मण्डल की गतिविधियों का पूर्ण लेखा था लेकिन 2011-12 एवं आगे, वार्षिक प्रतिवेदन संक्षिप्त था जिसमें महत्वपूर्ण सूचनाएं जैसे कि वर्ष के दौरान प्राप्त और निपटाए गये सहमति के श्रेणीवार आवेदनों की संख्या के बारे में जानकारी, क्षेत्रीय कार्यालय वार चिमनियों एवं परिवेशी नमूनों की संख्या तथा विश्लेषण, बार चार्ट के द्वारा परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी की वार्षिक औसत की प्रवृत्ति, प्रदूषणकारी इकाईयों के विरुद्ध की गई कार्यवाही आदि गायब थी।

2.1.11.2 सांविधिक लेखापरीक्षा का आयोजन नहीं हुआ

राज्य मण्डल को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन पर वार्षिक खातों को तैयार कराना आवश्यक है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक योग्य लेखापरीक्षक द्वारा उनकी लेखापरीक्षा की जानी होती है। इसके अलावा ऐसे लेखापरीक्षक अपने प्रतिवेदन के साथ खातों की लेखापरीक्षित प्रति राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाने के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

यह देखा गया कि वार्षिक लेखों की 2002 से योग्य लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। इस सम्बन्ध में राज्य मण्डल की बैठक (अक्टूबर 2015) में एक संकल्प पारित किया गया था कि छः महिने की अवधि में सांविधिक लेखापरीक्षा की जायेगी। तथापि, अगली बैठक (जुलाई 2016) की तिथि तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसमें फिर से यह संकल्प पारित किया गया कि छः महिने की अवधि के भीतर सांविधिक लेखापरीक्षा की जायेगी। तथापि, वार्षिक

लेखों की सांविधिक लेखापरीक्षा अब तक नहीं हुई थी (अप्रैल 2017)। अतः राज्य मण्डल समय पर अपने अनिवार्य कार्य को पूरा करने में विफल रहा।

2.1.11.3 मानवशक्ति प्रबन्धन

राज्य पर्यावरण नीति 2010 में उल्लेख किया गया था कि राज्य मण्डल ने अपने स्टाफ की समीक्षा की थी तथा पाया कि राज्य मण्डल में अन्य मण्डलों की तुलना में प्रति जिला वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों का अनुपात सबसे कम था; राज्य मण्डल में प्रति लाख आबादी अनुपात कम था; राज्य मण्डल में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारियों का अनुपात सबसे कम था और राज्य मण्डल में तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारियों द्वारा नियंत्रित हो रही औद्योगिक इकाइयों की संख्या सबसे ज्यादा थी। इन मुद्दों को स्वीकारते हुए राज्य मण्डल को मजबूत बनाने का एक सख्त कार्यक्रम चल रहा था जिसमें नये पदों की मंजूरी भी शामिल थी।

2011-12 से 2016-17 के दौरान राज्य मण्डल में स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका: 5 वर्ष 2011-17 के दौरान राज्य मण्डल में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत

वर्ष	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों का प्रतिशत
2011-12	363	284	79	21.76
2012-13	363	280	83	22.87
2013-14	371	274	97	26.14
2014-15	370	275	95	25.68
2015-16	387	262	125	32.29
2016-17	394	260	134	34.01

स्रोत: राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

यह देखा जा सकता है कि रिक्त पदों का प्रतिशत 2011-12 में 21.76 से 2016-17 में 34.01 तक तेजी से बढ़ गया। मार्च 2017 तक स्वीकृत 205 पदों के विरुद्ध कार्यरत तकनीकी एवं वैज्ञानिकी कर्मचारियों की संख्या 152 थी तथा रिक्त पद 53 (25.85 प्रतिशत) थे। राज्य मण्डल में कार्यरत स्टाफ की स्थिति ने वायु प्रदूषण कर रही इकाइयों के निरीक्षण एवं निगरानी को प्रभावित किया है जैसा कि पिछले अनुच्छेदों में चर्चा की गई है। सचिव, पर्यावरण विभाग द्वारा समापन सभा में सदस्य सचिव, राज्य मण्डल को निर्देश दिये गये कि प्राथमिकता के आधार पर मानवशक्ति पुनर्गठन प्रस्ताव को रखा जाये।

लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं था कि क्या मानवशक्ति की आवश्यकता का मूल्यांकन जिलों की संख्या, आबादी, आवृत्त क्षेत्र और सहमति प्रबन्ध के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों की संख्या के आधार पर किया गया था। लेखापरीक्षा को कोई उत्तर नहीं दिया गया।

2.1.11.4 प्रवर्तन

अधिनियम की धारा 31-ए के अनुसार, राज्य मण्डल, इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों के निर्वहन और उसके कार्यों के निष्पादन में किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण को लिखित में निर्देश जारी कर सकता है, जो ऐसे निर्देशों की अनुपालना के लिए बाध्य होगा जैसे कि:

(अ) किसी भी उद्योग, संचालन या प्रक्रिया को बंद करना, निषेध या विनियमन और

(ब) बिजली, पानी या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति को रोक या विनियमन।

अधिनियम की धारा 31-ए की अनुपालना में 2012-13 से 2016-17 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा दोषी इकाईयों और उनके विरुद्ध जारी किये गये बंदीकरण आदेशों के विवरण सम्बन्धित सूचना मांगी गई थी लेकिन राज्य मण्डल द्वारा जारी किये गये बंदीकरण आदेशों के समेकित आंकड़े लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये थे। तथापि, राज्य मण्डल के वार्षिक प्रतिवेदनों के अनुसार 2012-13 से 2015-16 के दौरान निम्नानुसार बंदीकरण निर्देश जारी किये गये थे:

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
बंदीकरण निर्देशों की संख्या	158	115	414	171

उपरोक्त के अलावा, राज्य मण्डल ने 2012-13 से 2015-16 के दौरान वायु अधिनियम की धारा 31-ए और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए के तहत संयुक्त रूप से 302 बंदीकरण निर्देश जारी किये थे।

हालांकि, इन निर्देशों पर कोई ठोस अनुवर्ती कार्यवाही अभिलेख पर नहीं पाई गई जैसा कि पूर्व में चर्चा की गई है।

2.1.12 निगरानी

2.1.12.1 वायु प्रदूषणकारी उद्योगों का निरीक्षण करने में भारी कमी

अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, राज्य मण्डल को वायु प्रदूषण को रोकथाम, नियंत्रण या कमी के लिए सभी उचित समय, किसी भी नियंत्रण उपकरण, औद्योगिक संयंत्र या विनिर्माण प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए और जैसा वह आवश्यक समझे, ऐसे व्यक्तियों को आदेश, निर्देश देने का अधिकार दिया गया है। राज्य मण्डल द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी समूह के लिए एक परिचालन नियमावली तैयार की गई (अप्रैल 2015) तथा सभी वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारियों को परिचालन नियमावली के अनुसार कार्य निष्पादन करने के निर्देश दिये गये। परिचालन नियमावली के अनुसार, 17 श्रेणी की इकाईयों, लाल श्रेणी इकाईयों (वृहद एवं मध्यम) का छः माह में एक बार निरीक्षण मय क्षेत्रीय

अधिकारी द्वारा 50 प्रतिशत निरीक्षण किये जाने थे; लाल श्रेणी (लघु), नारंगी श्रेणी (वृहद एवं मध्यम) इकाईयों का वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जाना था जिसमें 10 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा किये जाने थे; तथा नारंगी श्रेणी (लघु) इकाईयों का 2 वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जाना था। परिचालन नियमावली के पहले राज्य मण्डल द्वारा निरीक्षण के लिए निरीक्षण मानदण्ड अगस्त 2001 में निर्धारित किये गये थे। तथापि, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा केवल श्रेणी की प्रवृत्ति यथा लाल, नारंगी और हरे रंग के अनुसार आंकड़ों को संधारित किया गया न कि आकार के अनुसार यथा वृहद, मध्यम एवं लघु। इसके अलावा, राज्य मण्डल (मुख्यालय) द्वारा किसी भी क्षेत्रीय अधिकारी को निरीक्षण के लिए कोई वार्षिक लक्ष्य नहीं दिया गया।

निरीक्षण के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार आंकड़ों की उपलब्धता के अभाव में, नमूना परीक्षित चार क्षेत्रीय कार्यालयों⁶⁹ में 17 अत्यधिक प्रदूषणकारी इकाईयों का विश्लेषण किया गया। दो क्षेत्रीय कार्यालयों⁷⁰ द्वारा आवश्यक सूचना लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई। विवरण आगे तालिका में दिया गया है:

तालिका 6: नमूना परीक्षित चार क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अत्यधिक प्रदूषणकारी इकाईयों के किये गये निरीक्षणों की संख्या

वर्ष	17 श्रेणी की इकाईयों की कुल संख्या	निरीक्षणों की संख्या जो की जानी थी	निरीक्षण जो किये गये	निरीक्षण में कमी (प्रतिशत)
2012-13	60	120	48	72 (60)
2013-14	65	130	63	67 (52)
2014-15	66	132	68	64 (48)
2015-16	66	132	56	76 (58)
2016-17	66	132	60	72 (55)
कुल	323	646	295	

स्रोत: क्षेत्रीय कार्यालय, राज्य मण्डल

2012-17 के दौरान अत्यधिक प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाईयों के निरीक्षण करने में 48 से 60 प्रतिशत के बीच कमी रही। अभिलेखों में पाया गया कि अन्य श्रेणी की इकाईयों के सम्बन्ध में इकाई की सहमति के आवेदन करने पर अथवा इकाई की शिकायत प्राप्त होने के आधार पर ही निरीक्षण किये गये थे। क्षेत्रीय कार्यालय, अलवर द्वारा कर्मचारियों की अनुपलब्धता तथा बुनियादी सुविधाओं के अभाव को निरीक्षण में कमी का जिम्मेदार ठहराया गया (अप्रैल 2017)। उत्तर

⁶⁹ अलवर, भिवाड़ी, कोटा एवं उदयपुर

⁷⁰ जयपुर (उत्तर) और जोधपुर

मान्य नहीं था क्योंकि राज्य मण्डल मानवशक्ति तथा बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने के लिए जिम्मेदार था और यह ऐसा करने में विफल रहा।

वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए पर्याप्त कदम उठाने हेतु नियमित निरीक्षणों के लिए तंत्र की आवश्यकता थी, जिसकी कमी रही।

सदस्य सचिव, राज्य मण्डल निरीक्षण की कमी के बारे में सहमत थे और बताया कि अब जोखिम आधारित मोड्यूल विकसित किया गया है तथा निरीक्षण लक्ष्य सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है।

2.1.12.2 अपर्याप्त नमूने

अधिनियम की धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी औद्योगिक या प्रोसेसिंग इकाई या व्यक्ति निर्धारित मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषक युक्त उत्सर्जन हवा में नहीं छोड़ सकता। इस प्रावधान की अनुपालना राज्य मण्डल को उत्सर्जन के नमूने एकत्रित करके और उनको विश्लेषित करके सुनिश्चित की जानी थी। राज्य मण्डल द्वारा राज्य में संचालित रहे उद्योगों की संख्या के आधार पर नमूनों को एकत्रित करने तथा विश्लेषण करने की संख्या के सम्बन्ध में विवरण संधारित नहीं किया गया था। तथापि, चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों में देखा गया कि 2012-13 से 2016-17 के दौरान एकत्रित एवं विश्लेषित किये गये स्टेक नमूनों की संख्या इस दौरान जारी की गई संचालन की सहमति की संख्या से कम थी। पांच क्षेत्रीय कार्यालयों⁷¹ द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से उजागर हुआ कि 2012-17 के दौरान 1846 स्टेक नमूने संग्रहित एवं विश्लेषित किये गये जबकि इसी दौरान इन क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 6159 संचालन की सहमतियां जारी की गई थी। इसके अलावा, यह देखा गया कि मानकों की प्राप्ति हेतु प्रयोगशालाओं के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये। यह देखा गया कि केंद्रीय प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषित स्टेक नमूने 2012-13⁷² की तुलना में 2016-17⁷³ में 50 प्रतिशत कम हो गये थे। क्षेत्रीय अधिकारी, अलवर ने बताया (अप्रैल 2017) कि स्टाफ की कमी के कारण निर्धारित मानकों के अनुसार नमूना विश्लेषण नहीं किया जा सका। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य मण्डल द्वारा मानवशक्ति को मजबूत किया जाना था।

अपर्याप्त नमूनाकरण तथा विश्लेषण के परिणामस्वरूप निर्धारित स्तर से परे उत्सर्जन के निर्वहन को रोकने एवं नियंत्रित करने के लिए प्रवर्तन तंत्र की कमी रही।

⁷¹ क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई

⁷² 232 नमूने विश्लेषित किये गये

⁷³ 114 नमूने विश्लेषित किये गये

2.1.12.3 मण्डल की बैठकों की अपर्याप्त संख्या

अधिनियम की धारा 10 (1) के अनुसार, राज्य मण्डल को प्रत्येक तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक की जानी थी तथा निर्धारित बैठक में कारोबार के लेनदेन के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियमों को देखा जाना था। मण्डल के अभिलेखों की समीक्षा में यह देखा गया कि 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान राज्य मण्डल द्वारा अपेक्षित 20 बैठकों के विरुद्ध केवल आठ बैठकें ही आयोजित की गई थी। इन बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति केवल 35 से 59 प्रतिशत के बीच थी। बैठक में राज्य मण्डल के अध्यक्ष और सदस्य सचिव के अलावा अन्य सदस्यों की उपस्थिति अनियमित थी। महापौर, नगर निगम, जोधपुर जो 19 अप्रैल 2011 से तीन वर्ष के लिए नामांकित हुए थे, लगातार पाँच बैठकों⁷⁴ में उपस्थित नहीं थे। आयुक्त परिवहन विभाग जिनके पास वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, मण्डल में केवल दो बैठकों में उपस्थित रहे जबकि उनके प्रतिनिधि अन्य दो बैठकों में उपस्थित रहे। राज्य सरकार ने मण्डल से अनुपस्थित सदस्यों के विरुद्ध उनकी सदस्यता समाप्त करने के सम्बन्ध में अधिनियम 1981 की धारा 7 (4) के अनुसार कार्यवाही नहीं की।

राज्य मण्डल द्वारा उत्तर दिया गया (मई 2017) कि पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा 19 अप्रैल 2014 से 27 जुलाई 2016 के बीच गैर सरकारी और स्थानीय विभागों के सदस्यों का नामांकन नहीं किया गया जिसके कारण मण्डल बैठकों में उपस्थिति में कमी रही।

सदस्य सचिव, राज्य मण्डल ने मण्डल की कम बैठकों के बारे में सहमति जताते हुए बताया कि सरकार द्वारा सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई है तथा भविष्य में बैठकों की संख्या में वृद्धि की जायेगी।

2.1.13 निष्कर्ष

- राज्य मण्डल द्वारा वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या कमी के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया। राज्य में प्रदूषण की मात्रा के साथ स्रोत की पहचान करने के लिए स्रोत विभाजन का अध्ययन नहीं किया गया था।
- छ: जिलों में मार्च 2017 तक 32 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र और दो सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र संचालित थे जबकि 47.03 मिलियन आबादी और 74.50 लाख वाहन वाले 27 जिले वायु गुणवत्ता निगरानी के दायरे से बाहर थे।
- राज्य मण्डल तथा पर्यावरण विभाग के पास ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण के स्रोतों के अर्थपूर्ण आंकड़े नहीं थे।

⁷⁴ मई 2012 से सितम्बर 2013 के दौरान आयोजित

- राज्य मण्डल राज्य में सहमति तंत्र के तहत शामिल की गई औद्योगिक इकाईयों के श्रेणीवार समेकित आंकड़े नहीं रखता है। सैम्पलर अनुमोदित स्थान के अलावा अन्य स्थान पर स्थापित किये गये थे तथा परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र/सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र पर वायु की गुणवत्ता को मापने के लिए स्थापित उपकरण, दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में स्थापित किये गये थे। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, वाहनों के प्रकार और संख्या के बारे में जानकारी, तापमान, सापेक्षित आर्द्रता, हवा की गति और उसकी दिशाओं के सम्बन्ध में मौसम सम्बन्धी आंकड़े राज्य मण्डल द्वारा एकत्रित किये जाने चाहिए। तथापि, ये सूचनाएं ना तो राज्य मण्डल द्वारा एकत्रित की जा रही थी और ना ही नमूना परीक्षित सभी 27 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों पर संधारित की जा रही थी।
- सहमति तंत्र के तहत सभी औद्योगिक इकाईयों को आवृत्त करने के लिए अपने विनियामक कार्यों को प्रभावी ढंग से करने हेतु राज्य मण्डल द्वारा न तो कोई सर्वेक्षण करवाया गया और न ही अन्य विभागों के साथ समन्वय किया गया।
- क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य मण्डल के प्रतिनिधियों के साथ लेखापरीक्षा दल द्वारा 148 इकाईयों के संयुक्त निरीक्षण में यह पाया गया कि कई औद्योगिक इकाईयों स्थापना की स्वीकृति के बिना संचालित थी।
- पूर्व में जारी की गई सहमति की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद संचालित करने के लिए सहमति के नवीनीकरण को देखने के लिए राज्य मण्डल द्वारा किसी भी तंत्र का विकास नहीं किया गया था।
- कामगारों के बीच सिलिकोसिस को रोकने के लिए राज्य मण्डल ने कोई सक्रिय कदम नहीं उठाये थे।
- परिवहन विभाग 15 वर्ष पुराने वाहनों को समयबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए कार्य योजना बनाने में असफल रहा। पीयूसी केंद्रों की निगरानी कमजोर थी और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये केंद्र निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कार्य कर रहे थे कोई फॉलोअप नहीं किया गया।
- परिवहन विभाग द्वारा राज्य के प्रमुख शहरों में न तो भारी यातायात वाले स्थानों की पहचान करने के लिए किसी भी अध्ययन/सर्वेक्षण का आयोजन किया गया तथा न ही प्रदूषण भार का मूल्यांकन किया गया।
- राज्य मण्डल में मानवशक्ति प्रबन्धन कमजोर था। रिक्तियां तेजी से बढ़ रही थी इस प्रकार मण्डल के प्रभावी कामकाज पर असर डाल रही थी।
- 2012-17 के दौरान उच्च प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाईयों के निरीक्षण में 48 से 60 प्रतिशत के मध्य कमी थी और केंद्रीय प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषित स्टेक नमूनों की संख्या वर्ष 2012-13 से तुलना करने पर 2016-17 में 50 प्रतिशत कम थी।
- 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान अपेक्षित 20 बैठकों के विरुद्ध केवल आठ बैठकें ही आयोजित हुई थी।

2.1.14 अनुशंघाएँ

- राज्य मण्डल को विभिन्न स्रोतों से प्रदूषण की मात्रा की पहचान करने के लिए सभी प्रमुख शहरों में स्रोत विभाजन अध्ययन करना चाहिए। तदनुसार, वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या कमी के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- राज्य मण्डल द्वारा अन्य विभागों यथा उद्योग, कारखाना एवं बायलर्स आदि से समन्वय करना चाहिए ताकि नये स्थापित औद्योगिक इकाइयों के आंकड़े प्राप्त कर उन्हें सहमति तंत्र में लाया जा सके।
- राज्य मण्डल को प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योगों के पास स्थित करूबों और गांवों में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के कवरेज की वृद्धि करनी चाहिए।
- सैम्पलर की स्थापना अनुमोदित स्थल पर ही सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा स्थल राष्ट्रीय परिवेशी वायु निगरानी कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयुक्त होना चाहिए ताकि प्रतिनिधित्व आंकड़े तैयार किये जा सकें।
- राज्य सरकार और राज्य मण्डल द्वारा परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों को आवश्यक उपकरण तथा सुविधाएँ उपलब्ध करवा कर मजबूत किया जाना चाहिए जिससे कि वाहनों की संख्या तथा प्रकार, तापमान, साक्षेप आर्द्रता, वायु की गति तथा दिशा के संदर्भ में मौसम सम्बन्धित आंकड़े दर्ज किये जा सकें।
- राज्य मण्डल के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बिना स्थापना की सहमति के औद्योगिक इकाई का संचालन नहीं किया जाये तथा जारी की गई सहमति की वैधता अवधि को देखने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। संचालन की सहमति समय पर जारी की जानी चाहिए तथा पूर्ववर्ती नहीं होनी चाहिए ताकि पर्यावरणीय शर्तों की अनुपालना करवाई जा सके।
- परिवहन विभाग को प्रमुख शहरों में वाहन प्रदूषण भार का आंकलन करने के लिए अध्ययन/सर्वेक्षण कराना चाहिए ताकि वाहन प्रदूषण के नियंत्रण एवं कमी के उपायों की योजना बनायी जा सके। परिवहन विभाग को 15 वर्षीय वाहनों को समयबद्ध रूप से बाहर करने के लिए एक सामरिक योजना बनानी चाहिए। इसे पर्यावरण नीति के अंतर्गत की गई परिकल्पना अनुसार प्लैट मॉडर्नाइजेशन के लिए अनुदान/प्रत्यक्ष लागत लाभ का प्रस्ताव करना चाहिए। पीयूसी केन्द्रों के कामकाजों को सुदृढ करने के लिए इनके निरीक्षण किये जाने चाहिए।
- राज्य मण्डल को रिक्त तकनीकी एवं वैज्ञानिकी पदों को भरा जाना चाहिए ताकि यह प्रभावी रूप से अपने अधिदेश को पूर्ण करने के लिए पूरी तरह सुसज्जित हों।

➤ राज्य मण्डल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मण्डल की बैठकें समय पर और अपेक्षित मानदण्डों के अनुसार हो। निर्धारित निगरानी तंत्र सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

अध्याय III
अनुपालना लेखापरीक्षा

अध्याय III

अनुपालना लेखापरीक्षा

खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग

3.1 राजस्थान में खनन गतिविधियों पर पर्यावरणीय मुद्दों का अनुपालन

3.1.1 परिचय

राजस्थान में खनिजों के विशाल भंडार हैं जैसे कि ताम्बा, सीसा, जस्ता, रॉकफॉस्फेट, सोपस्टोन, सिलिका सैंड, लाइमस्टोन, मार्बल और जिप्सम। राज्य की अधिकांश खनिज सम्पदा अरावली पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है।

खनन विभिन्न स्तरों यथा अन्वेषण, निष्कर्षण, परिशोधन एवं खानों के बंद होने से पर्यावरण पर दबाव डालता है। खनन से सम्बन्धित मुख्य पर्यावरणीय मुद्दे भूमि की अवनति मय शुष्क परिदृश्य, कृषि भूमि में हवा के साथ रेत का फैलाव, नाला का क्षरण, भूमि मलीनता, सतही एवं भूजल का प्रदूषण शामिल है।

राजस्थान को भी अरावली पहाड़ियों की सीमा में और इसके आसपास अनियंत्रित अवैध खनन का सामना करना पड़ रहा है जो इसकी जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है।

नियामक तंत्र

राज्य में खनिज निष्कर्षण गतिविधियां खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों एवं नीतियों के तहत विनियमित की जाती है। खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा खनन पट्टे/खदान अनुज्ञप्तियां अनुदानित किए जाते हैं। आवेदक को खनन पट्टा/खदान अनुज्ञप्ति अनुदान से पूर्व वन भूमि का गैर-वन प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन के लिए अनुमोदन तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार अथवा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, जैसा भी प्रकरण हो से पर्यावरणीय स्वीकृति के साथ राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से संस्थापन की सहमति तथा संचालन की सहमति लेनी पड़ती है।

पट्टाधारी को खनन अनुज्ञप्ति अनुदान के पश्चात, खनिजों के उत्पादन एवं पर्यावरणीय संरक्षण के लिए उपायों पर खान विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।

संगठनात्मक ढांचा

सरकार के स्तर पर प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर तथा विभाग के स्तर पर निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर विभाग में

प्रशासन तथा सम्बन्धित अधिनियमों एवं नियमों के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार है। प्रशासनिक मामलों में सात अतिरिक्त निदेशक, खान तथा वित्तीय मामले में एक वित्तीय सलाहकार, निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग की सहायता करते हैं। अतिरिक्त निदेशक खान, नौ वृत्तों के माध्यम से जिनके प्रमुख अधीक्षण खनि अभियंता हैं, नियंत्रण करते हैं।

49 खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता खनिजों से राजस्व प्राप्तियों के विनियमन, निर्धारण एवं संग्रहण हेतु जिम्मेदार हैं। खनिजों के अवैध खनन एवं निर्गमन की रोकथाम के लिए विभाग में अलग से सतर्कता शाखा है जिसके प्रमुख अतिरिक्त निदेशक, खान (सतर्कता) जयपुर हैं जिसे उदयपुर स्थानान्तरित (अगस्त 2016) किया गया था।

31 मार्च 2016¹ को 18,103 खदान अनुज्ञप्तियों के अलावा प्रधान खनिजों के 167 खनन पट्टे तथा अप्रधान खनिजों के 15,318 खनन पट्टे थे।

हमने यह विषय क्यों चुना

विभिन्न नियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप खनन संक्रिया नहीं करने एवं अवैज्ञानिक खनन के कारण विशेष रूप से अरावली क्षेत्र में पर्यावरणीय गिरावट तथा अनियंत्रित अवैध खनन की प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार रिपोर्टें थीं। इस कार्यालय द्वारा पूर्व में की गई लेखापरीक्षाओं में भी अवैध खनन के विशिष्ट प्रकरणों या खान विभाग द्वारा नियामक अनुमोदनों के बिना खनन संक्रियाओं की अनुमति देने के प्रकरणों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया था।

3.1.2 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

पट्टेधारियों द्वारा विद्यमान पर्यावरणीय प्रावधानों के अनुपालन एवं सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा निगरानी का परीक्षण करने के लिए पांच जिलों² के नौ सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों³ के साथ-साथ राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के सम्बन्धित पांच क्षेत्रीय कार्यालयों⁴ का चयन प्रतिस्थापन विधि सहित आकार के लिए आनुपातिक संभावना के माध्यम से किया गया। अप्रैल 2010 से मार्च 2017 तक की अवधि से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच की गई।

¹ डीएमजी स्तर पर 31 मार्च 2017 तक के लिये खनन पट्टों एवं खदान अनुज्ञप्तियों से सम्बन्धित आंकड़ों का संकलन प्रगति पर था (जून 2017)।

² राजस्थान राज्य में 33 जिले हैं जिनमें से 15 जिले अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। पांच जिलों यथा अलवर, जयपुर, राजसमंद, सीकर एवं उदयपुर का चयन कार्यशील खानों के आधार पर किया गया था।

³ खनि अभियंता, अलवर; खनि अभियंता, जयपुर; सहायक खनि अभियंता, कोटपूतली; सहायक खनि अभियंता, नीम का थाना; खनि अभियंता, राजसमंद-1; खनि अभियंता, राजसमंद- II; सहायक खनि अभियंता, ऋषभदेव; खनि अभियंता, सीकर एवं खनि अभियंता, उदयपुर।

⁴ अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, सीकर एवं उदयपुर।

लेखापरीक्षा जांच नवम्बर 2015 से मई 2016 एवं मई 2017 से जून 2017 तक की गई। चयनित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों में 4,150 पट्टे थे। लेखापरीक्षा द्वारा 35 निरस्त/अभ्यर्पित खनन पट्टों सहित 288 खनन पट्टों के अभिलेखों का यादृच्छिक चयन पर परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम, जयपुर एवं निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर द्वारा संधारित अभिलेखों का भी परीक्षण किया गया।

चयनित पट्टों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण

खनन पट्टों के क्रियाशील रहने के दौरान तथा खानों के बंद होने के पश्चात पर्यावरणीय प्रावधानों की अनुपालना की सीमा के आंकलन के लिए चयनित 288 खनन पट्टों में से 136⁵ खनन पट्टों का खान विभाग के प्रतिनिधि के साथ एक संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया। संयुक्त भौतिक निरीक्षण में पट्टेधारियों के प्रतिनिधि, जहां कहीं भी उपलब्ध थे, को भी सम्मिलित किया था।

आंकड़ों का क्रॉस सत्यापन

136 खनन पट्टों में से, जिनका संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया, अवधि 2010-15⁶ के दौरान में खान विभाग द्वारा 17 खनन पट्टों में 19 निरीक्षण किए गए थे जबकि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा 38 खनन पट्टों में 50 निरीक्षण किए गए थे।

संयुक्त भौतिक निरीक्षण के जांच-परिणाम राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के निरीक्षण प्रतिवेदनों (जिनके आधार पर संचालन की सहमति प्रदान की गई थी), सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता द्वारा किये गये निरीक्षणों एवं पट्टेधारियों द्वारा प्रस्तुत एवं खान विभाग द्वारा अनुमोदित खनन योजना से यह सुनिश्चित करने के लिये कि क्या राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल अथवा खान विभाग द्वारा प्रतिवेदित तथ्य पर्याप्त, विश्वसनीय एवं पूर्ण थे क्रॉस सत्यापित किये गये।

प्रतिवेदन के अनुच्छेद 3.1.6.3 में इसकी चर्चा की गई है।

आभार

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग, लेखापरीक्षा के लिये आवश्यक सूचनायें एवं अभिलेख उपलब्ध कराने के लिये खान एवं भू-विज्ञान विभाग और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के सहयोग का आभार प्रकट करता है। निदेशक, खान एवं

⁵ 43 प्रधान खनिज पट्टे तथा 93 अप्रधान खनिज पट्टे मय 21 निरस्त तथा 2 अभ्यर्पित पट्टों सहित।

⁶ 136 खनन पट्टों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के पश्चात 2015-17 के दौरान खान विभाग द्वारा 25 पट्टों में 25 निरीक्षण किये तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा दो खनन पट्टों में तीन निरीक्षण किए थे। इस प्रकार राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के निरीक्षण प्रतिवेदनों की अवधि में अंतराल के कारण तुलना नहीं की गई।

भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर के साथ एक प्रारम्भिक सभा 07 जनवरी 2016 को की गयी जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों एवं कार्यपद्धति से अवगत कराया गया। सरकार/विभाग को तथ्यात्मक विवरण 27 मई 2016 को जारी किया गया था। तथ्यात्मक विवरण का उत्तर सरकार से 22 जुलाई 2016 को और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से 7 अक्टूबर 2016 को प्राप्त हुआ था।

शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम, राजस्थान सरकार, जयपुर और अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के साथ 7 नवम्बर 2016 को समापन सभा हुई जिसमें लेखापरीक्षा के परिणामों एवं अनुशंषाओं पर चर्चा की गई। समापन सभा के दौरान तथा तथ्यात्मक विवरण की प्रतिक्रिया में सरकार/विभाग/मण्डल से प्राप्त उत्तर सम्बन्धित अनुच्छेदों में उपयुक्त रूप से सम्मिलित कर लिये गये हैं।

मुख्य मुद्दे जिनको लेखापरीक्षा में आच्छादित किये गये थे (i) पर्यावरण स्वीकृति एवं संचालन की सहमति के बिना खनन (ii) अवैध खनन के प्रकरण (iii) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना नहीं करना (iv) खनन योजना में उल्लिखित पर्यावरणीय शर्तों की अनुपालना नहीं करना और (V) पर्यावरण रक्षण से सम्बन्धित कोषों का प्रबंधन।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.1.3 पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संचालन की सहमति के बिना खनन

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी 1994 के अनुसार, प्रधान खनिजों से सम्बन्धित नवीन खनन परियोजनायें या विद्यमान खनन परियोजनाओं के विस्तार या आधुनिकीकरण के लिये, यदि पट्टा क्षेत्र पांच हैक्टर से अधिक था तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जानी थी। इस अधिसूचना को दिनांक 14 सितम्बर 2006 की अधिसूचना से अतिरिक्त किया गया जिसके अनुसार पांच हैक्टर से लेकर 50 हैक्टर से कम क्षेत्र की प्रधान अथवा अप्रधान खनिज की सभी खनन परियोजनाओं के लिये राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक था तथा 50 हैक्टर एवं अधिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक था। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 27 फरवरी 2012 के द्वारा उनके लिये इसे अनिवार्य करने के बाद पांच हैक्टर से कम क्षेत्र के अप्रधान खनिजों के खनन पट्टे भी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के दायरे में आ गये। इसके अलावा, पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना 2006 में दिनांक 7 अक्टूबर 2014 के संशोधन से प्रधान खनिजों के खनन पट्टे जिनका क्षेत्र पांच हैक्टर से कम है, के लिए भी पर्यावरण सहमति प्राप्त करनी आवश्यक है। अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान निम्न दृष्टांत पाये गए यथा पर्यावरणीय

स्वीकृति के बिना खनिज उत्पादन में वृद्धि, व्यपगत संचालन की सहमति का नवीनीकरण कराए बिना खनन संक्रियाए करना और संचालन की सहमति की शर्तों के उल्लंघन में खनिजों का खनन करना जैसा कि नीचे वर्णित है:

3.1.3.1 पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना खनिज उत्पादन में वृद्धि

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 18 मई 2012 से निर्देशित किया कि 14 सितम्बर 2006 को जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना खनन पट्टे के आकार पर विचार किये बिना अप्रधान खनिजों की सभी खनन परियोजनाओं पर लागू होगी। पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना की शर्तों के अनुसार उत्पादन में वृद्धि हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक होगी। आगे, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अनुसार, जो कोई भी, इस अधिनियम की अनुपालना अथवा किसी भी प्रावधान का उल्लंघन, अथवा बनाए गए नियमों अथवा आदेशों अथवा इसके अधीन जारी दिशा-निर्देशों की पालना करने में असफल रहता है वह कारावास का भागीदार होगा जिसकी अवधि पांच वर्ष या इससे अधिक तक विस्तारित मय शास्ति हो सकती है जो कि एक लाख रुपये तक विस्तारित अथवा दोनों से दंडनीय हो सकती है।

चयनित कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में चार सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों में पाया गया कि चार पट्टेधारियों ने पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना खनिज के उत्पादन में वृद्धि की थी। विवरण निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	पट्टेधारी का नाम	खनिज एवं क्षेत्रफल (हेक्टर में)	पूर्व संचालन की सहमति की अवधि एवं अनुमत्य खनन क्षमता	उत्पादन में वृद्धि हेतु संचालन की सहमति के लिये आवेदन की दिनांक	उत्पादन में वृद्धि हेतु संचालन की सहमति जारी करने की दिनांक	संचालन की सहमति की अवधि एवं अनुमत्य खनन क्षमता
1	गणनायक माईनिंग प्राइवेट लिमिटेड (ख.प. सं. 46/2011)	मार्बल (4)	21.12.2011 से 30.11.2014 (40,575 मै.टन/वर्ष)	22.1.2013	30.1.2013	22.1.2013 से 31.12.2015 (5,01,288 मै. टन/वर्ष)
2	विनीत उद्योग, (ख.प.सं. 41/93 पुपनी संख्या 202/82)	सर्पेन्टाईन (1)	1.11.2011 से 31.10.2014 (11,847 मै.टन/वर्ष)	10.10.2012	18.10.2012	10.10.2012 से 30.9.2015 (1,00,000 मै.टन/वर्ष)
3	मैसर्स अरोडाज जे.के. नेचुरल मार्बल्स लिमिटेड (ख.प.सं. 11/03)	मार्बल (4)	1.11.2011 से 31.10.2014 (50,000 मै. टन/वर्ष)	12.6.2014	9.7.2014	1.5.2014 से 30.4.2017 (1,07,165 मै.टन/वर्ष)
4	मैसर्स सिंघल स्टोन्स (ख.प.सं. 260/95)	मैसन्री स्टोन (1)	1.11.2011 से 31.12.2013 (100 मै. टन/दिन)	1.11.2012	26.11.2012	1.11.2012 से 31.10.2015 (500 मै. टन/दिन)

सम्बन्धित सहायक खनि अभियंताओं/खनि अभियंताओं द्वारा पट्टेधारियों के विरुद्ध खनन संक्रियायें रोकने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई और पट्टेधारियों को अपनी संक्रियायें चालू रखने हेतु अनुमत्य किया गया। इसके अलावा, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारियों (भीलवाड़ा, जयपुर एवं उदयपुर) ने पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए संचालन की सहमतियां जारी की एवं इन पट्टेधारियों के विरुद्ध शास्ति आरोपण के लिये कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की। खान विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के मध्य सामंजस्य का अभाव पाया गया।

प्रकरण राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (मई 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना उत्पादन में वृद्धि हेतु सम्बन्धित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों को नोटिस जारी करने के लिये निर्देश (8 जून 2016 एवं 15 जुलाई 2016) जारी किये जा चुके थे।

3.1.3.2 व्यपगत संचालन की सहमति का नवीनीकरण कराए बिना खनन संक्रियायें

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल खनन इकाई को विनिर्दिष्ट अवधि में खोदे जाने वाली खनिज की मात्रा हेतु खनन संक्रियाएं प्रारम्भ करने से पूर्व संचालन की सहमति प्रदान करता है। वायु (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21(4) एवं जल (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं 26 के अनुसार पट्टे की स्वीकृति एवं आकार पर विचार किये बिना पट्टेधारी को खनन संक्रियाओं को करने के लिये राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से संचालन की सहमति लेनी आवश्यक है। इसके अलावा, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 का नियम 37 टी (1) भी प्राविधित करता है कि प्रत्येक पट्टेधारी/खदान अनुज्ञप्तिधारी को खनन संक्रियायें प्रारम्भ करने से पूर्व राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से संचालन की सहमति प्राप्त करनी होगी और संचालन की सहमति की शर्तों को कठोरता से लागू करना होगा। आगे, खनन इकाई को संचालन की सहमति की अवधि की समाप्ति से कम से कम 120 दिवस पूर्व इसके नवीनीकरण हेतु नवीन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

चयनित पांच सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों⁷ के अवधि अप्रैल 2010 से मार्च 2017 के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 563.11 हैक्टर पट्टा क्षेत्र के नौ पट्टेधारियों ने 1.72 लाख मै.टन खनिज मैसनरी स्टोन, मार्बल, सोपस्टोन एवं क्वार्ट्ज का खनन बिना संचालन की सहमति अथवा व्यपगत संचालन की सहमति का नवीनीकरण कराये किया। यह पाया गया कि सम्बन्धित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता ने पट्टेधारियों के विरुद्ध खनन संक्रियाओं को रोकने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की।

⁷ जयपुर, राजसमंद-I, राजसमंद-II, सीकर एवं उदयपुर।

प्रकरण सरकार के ध्यान में लाया गया (मई 2016)। सरकार ने अवगत कराया (जुलाई 2016) कि सम्बन्धित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों को, यदि खाने संचालन की सहमति के बिना कार्यशील थी तो खनन संक्रियायें तुरन्त बंद करने और तथ्यों के सत्यापन के पश्चात सम्बन्धित पट्टेधारियों को नोटिस जारी करने हेतु निर्देश जारी (8 जून 2016 एवं 15 जुलाई 2016) किये गये थे। आगे, निदेशक खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने समापन सभा (नवम्बर 2016) में कहा कि विभाग में अब ऑनलाईन प्रणाली कार्यशील है तथा रवन्नाओं⁸ की व्युत्पत्ति केवल संचालन की सहमति का विवरण दर्ज करने के पश्चात होती है।

3.1.3.3 संचालन की सहमति की शर्तों के उल्लंघन में खनिज का खनन

प्रत्येक पट्टे की पर्यावरणीय स्वीकृति पट्टा अवधि के दौरान प्रतिवर्ष खनिज उत्पादन मात्रा विनिर्दिष्ट करती है। संचालन की सहमति भी एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उत्खनित की जा सकने वाली खनिज की मात्रा निर्धारित करती है। यदि कोई पट्टेधारी खनिज के उत्पादन में वृद्धि चाहता है तो उसे पुनरीक्षित संचालन की सहमति के लिये आवेदन करना होगा।

चयनित पट्टों के अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि:

➤ सात सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों⁹ में 32 पट्टेधारियों ने जिनके पास 96.75 हैक्टर क्षेत्र था, संचालन की सहमति में अधिकृत मात्रा से 7.29 लाख मै.टन मात्रा खनिज मार्बल, डोलोमाईट, मैसनरी स्टोन, क्वार्ट्ज, फ़ैल्ड्सपार, सरपेन्टाईन और सोपस्टोन का अधिक उत्खनन किया।

यह पाया गया कि सम्बन्धित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता ने इस नियम विरुद्ध उत्खनन के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की यद्यपि संचालन की सहमति की शर्तों का उल्लंघन संचालन की सहमति को प्रत्याहरित करने का प्रभाव रखता है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारियों ने भी इन उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की और संचालन की सहमतियों को आगामी अवधि के लिये नवीनीकृत किया। प्रकरण सरकार तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के ध्यान में लाया गया। सरकार ने अवगत कराया कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा की जानी वांछित थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पट्टेधारियों को खनन क्षेत्र से खनिज के निर्गमन हेतु रवन्ना विभाग द्वारा जारी किये थे। संचालन की सहमति में अनुमत्य मात्रा के अनुसार रवन्ना जारी किये जाने चाहिये थे।

⁸ रवन्ना का आशय खानों से खनिजों को हटाने या प्रेषण के लिए वितरण चालान।

⁹ जयपुर, कोटपूतली, राजसमंद-I, राजसमंद-II, ऋषभदेव, सीकर एवं उदयपुर।

सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने समापन सभा (नवम्बर 2016) में कहा कि जहां कहीं खनिज का अधिक उत्खनन पाया गया, पट्टेधारी पर अभियोग चलाया जायेगा तथा उन सभी खानों के संबंध में अभियोजन के आदेश पहले ही जारी किये जा चुके थे जहां संचालन की सहमति में अधिकृत मात्रा से 20 प्रतिशत से अधिक उत्पादन किया गया था।

➤ पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संचालन की सहमति में वर्णित शर्तों के उल्लंघन में नियम विरुद्ध उत्खनन करने वाले उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।

3.1.4 अवैध खनन

अनुज्ञापत्र के बिना खनन, पट्टा क्षेत्र के बाहर खनन, बिना अधिशुल्क भुगतान खनिज का उठाव आदि अवैध खनन की श्रेणी में आता है। अवैध खनन गतिविधियां पर्यावरण पर गहन प्रतिकूल प्रभाव डालती है, क्योंकि इनमें किसी विनियमन अथवा पर्यावरणीय शर्तों की पालना नहीं होती है। अवैध खनन संक्रियाओं का प्राकृतिक संसाधनों जैसे वनों, नदियों, वनस्पति-जीवों और जन स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। यह ध्यान में आया कि अवैध खनन के प्रकरणों पर अपर्याप्त अनुवर्ती कार्यवाही, देरी से नोटिस को जारी करने से उचित प्रतिरोध में कमी, एवं नीतिगत उपायों को कार्यान्वित नहीं करने के प्रकरण थे जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है:

3.1.4.1 चयनित खनि अभियंता कार्यालयों में दर्ज अवैध खनन के प्रकरणों पर अपर्याप्त अनुवर्ती कार्यवाही

खनिजों के अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का पता चलने पर पंचनाम¹⁰ तैयार किये जाने थे और लागत वसूली पर निगरानी के लिये रजिस्टर में इन्द्राज किये जाने थे। खनिजों के अवैध खनन, निर्गमन तथा भण्डारण के प्रकरणों का या तो खनिज की कीमत वसूली कर प्रशमन किया जाता है या पुलिस के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत किये जाते हैं। इन प्रकरणों की निगरानी वृत्त के अधीक्षण खनि अभियंताओं के माध्यम से निदेशालय को भेजी गई प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से की जाती है।

नौ सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता के कार्यालयों के अभिलेखों की जांच ने वर्ष 2011-12 से 2016-17 के दौरान खनिजों के अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण की निम्न स्थिति को प्रकट किया:

¹⁰ अवैध उत्खनन के सम्बन्ध में जांच के दौरान निरीक्षण स्थल पर बनाया गया सत्यापन नोट

कार्यालय का नाम	दर्ज प्रकरणों की संख्या			खनिज की कुल मात्रा (लाख मै. टन में)	वसूली गई राशि (₹ करोड़ में)	बकाया राशि (₹ करोड़ में)
	अवैध खनन	अवैध परिवहन	अवैध भंडारण			
खनि अभियंता, अलवर	115	786	78	3.03	4.71	2.30
खनि अभियंता, जयपुर	166	457	1	4.01	5.33	2.16
सहायक खनि अभियंता, कोटपूतली	108	648	0	20.94	6.46	26.89
सहायक खनि अभियंता, नीम का थाना	5	82	1	0.02	0.63	0
खनि अभियंता, राजसमंद-I	8	37	0	0.005	0.18	0
खनि अभियंता, राजसमंद- II	76	344	5	0.20	1.32	0.02
खनि अभियंता, सीकर	206	379	1	67.22	4.94	147.15
खनि अभियंता, उदयपुर	106	433	14	3.45	1.93	0.41
सहायक खनि अभियंता, ऋषभदेव	1	14	1	0.002	0.07	0
योग	791	3,180	101	98.87	25.57	178.93

जैसा कि उपरोक्त तालिका से दृष्टिगोचर होता है, चयनित नौ सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों ने 2011-12 से 2016-17 के दौरान खनिज के अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण के 4,072 प्रकरणों को दर्ज किया था। लगभग 98.87 लाख मै.टन खनिजों का अवैध खनन किया जाना पाया गया। तथापि, वसूली योग्य राशि ₹ 204.50 करोड़ के विरुद्ध विभाग केवल ₹ 25.57 करोड़ वसूल कर सका था।

अवैध खनन और परिवहन से सम्बन्धित अभिलेखों के परीक्षण ने प्रकट किया कि पंचनामों में गांवों के नाम, जहां से वाहन स्वामियों द्वारा अवैध रूप से उत्खनित खनिज का लदान किया गया था वर्णित किये गये थे। तथापि, पंचनामों में विशिष्ट स्थल या मौका का उल्लेख नहीं किया गया था। खनि अभियंता ने अवैध उत्खनन के स्रोत तथा मौका स्थल के बारे में आगे जांच नहीं की तथा जहां वसूलियां कर ली गई थी, प्रकरणों को बंद कर दिया गया। तथापि, वाहन स्वामियों से

वसूलियां कर ली गई थी, जबकि अवैध खननकर्ता गुप्त रूप से अवैध खनन करते रहे।

प्रकरण सरकार के ध्यान में लाया गया (मई 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि अधीनस्थ कार्यालयों को पंचनामों में पूर्ण विवरण भरने के लिये और अवैध खनन के प्रकरणों में बकाया राशि वसूली के लिये निर्देश जारी किये जायेंगे।

3.1.4.2 नोटिस जारी करने तथा अवैध खननकर्ताओं से शास्ति राशि की वसूली में विलम्ब के कारण प्रतिरोध में कमी

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 48(5) के अनुसार, यदि अवैध खननकर्ता द्वारा खनिज निर्गमित या खपत किया जाना पाया जाता है तो प्राधिकारी खनिज की लागत मय किराया, रॉयल्टी अथवा काबिज भूमि या उत्खनित खनिज पर प्रभारित कर की वसूली कर सकेंगे। खनिज की कीमत प्रचलित दरों पर रॉयल्टी के 10 गुणा के बराबर संगणित होगी।

यह पाया गया कि नोटिस जारी करने, मांग प्रस्तुत करने और अवैध खननकर्ताओं से खनिज की लागत एवं रॉयल्टी वसूली के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, अवैध खननकर्ताओं को नोटिस जारी करने एवं उनसे राशि की वसूली करने में विलम्ब हुआ था। कुछ प्रकरणों की चर्चा नीचे की गई है:

➤ खनि अभियंता, सीकर के संयुक्त दल ने निरीक्षण (11 अगस्त 2014) पर पाया कि छः पट्टाधारकों ने अपने पट्टा क्षेत्र के बाहर से 1.09 लाख मै.टन मैसनरी स्टोन, ग्रेनाइट तथा मुरम का उत्खनन किया था। खनि अभियंता, सीकर ने खनिजों के अवैध खनन के लिये इन पट्टाधारकों को कारण बताओ नोटिस (सितम्बर/अक्टूबर 2014) जारी किये। छः में से पांच पट्टाधारकों ने वसूली के विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था (8 जनवरी 2016) और वसूली के विरुद्ध स्थगन को जून 2017 तक मुक्त नहीं कराया जा सका था। शेष प्रकरण में, अधीक्षण खनि अभियंता, जयपुर ने क्षेत्र में अवैध खनन के सत्यापन हेतु एक समिति का गठन (12 अगस्त 2016) किया एवं सत्यापन प्रतिवेदन प्रतीक्षित था (जून 2017)।

➤ खनि अभियंता, सीकर द्वारा खान के अरावली पर्वत श्रृंखला में अवस्थित होने के कारण एक पट्टा (65/2000) में खनन संक्रियायें रोक दी थी (5 मार्च 2010)। खनि कार्यदेशक ने पट्टा क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान (16 अक्टूबर 2014) यह पाया कि पट्टेधारी ने खनि अभियंता के निर्देशों पर खान बंद किये जाने के पश्चात पट्टा क्षेत्र से 1,295 मै.टन मैसनरी स्टोन का उत्खनन किया था। दातारामगढ़ पुलिस थाना में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (17 अक्टूबर 2014) दर्ज करवायी गयी। तथापि, पट्टेधारी के विरुद्ध आगे ना तो खनि अभियंता और ना पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही की गई।

➤ खनि अभियंता, अलवर के चयनित पट्टों के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि दो प्रकरणों (450/09 और 554/09) में एक समिति¹¹ ने प्रतिवेदित (18 जुलाई 2015) किया कि 4 मार्च 2015 को ली गई गड्ढे की माप के अनुसार 6,091 मै. टन मैसनरी स्टोन के उत्खनन के विरुद्ध पट्टाधारकों ने अपने पट्टा क्षेत्र से 89,795 मै. टन मैसनरी स्टोन निर्गमित (फरवरी 2015 तक) किया था। जिसके परिणामस्वरूप, अन्यत्र स्थान से उत्खनित 83,704 मै. टन मैसनरी स्टोन का रवन्नाओं के दुरुपयोग के द्वारा अधिक निर्गमन हुआ था। खनि अभियंता ने इन पट्टेधारियों के विरुद्ध मांग प्रस्तुत (सितम्बर 2015) की। मांग की वसूली से सम्बन्धित स्थिति सूचित नहीं की गई थी (जून 2017)।

प्रकरण सरकार के ध्यान में लाया गया (मई 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि सम्बन्धित खनि अभियंताओं से स्पष्टीकरण मांगा जायेगा और राशि वसूल करने की कार्यवाही के लिये निर्देश जारी किये जा चुके थे।

3.1.4.3 अवैध खनन को रोकने के लिये नीतिगत उपायों को कार्यान्वित नहीं करना

राजस्थान खनिज नीति 2011 (28 जनवरी 2011 से प्रभावी) ने राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिये कतिपय कुछ उपायों को निर्धारित किया। निदेशक खान एवं भू-विज्ञान विभाग एवं चयनित कार्यालयों के अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि ठोस उपाय जैसे विनियामक पर्यवेक्षण, पर्याप्त सतर्कता, प्रोत्साहन योजना का आरंभ नहीं करना, चेक पोस्ट का आधुनिकीकरण और खनित गड्ढों की बहाली एवं सुधार, नहीं किये गये थे जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

विनियामक पर्यवेक्षण

नीति के अनुसार, अवैध खनन की जांच के लिए नियामक पर्यवेक्षण को सुधारने और अवैध खनन पर सतर्कता रखने के लिये ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार को कदम उठाने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने अधीनस्थ कार्यालयों, खनन पट्टों एवं जांच चौकी नाकों के प्रतिवर्ष निरीक्षण के मानदण्डों में बढ़ोतरी की थी। परिणामस्वरूप, सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता को प्रतिवर्ष खनन पट्टों के 120 निरीक्षण करने थे। खनि कार्यदेशक के लिये कोई विशिष्ट मानदण्ड निर्धारित नहीं किये गये थे किंतु उसे केवल क्षेत्रीय कर्तव्य सौंपे गये थे। चयनित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि खनि अभियंता और खनि कार्यदेशक द्वारा किये गये निरीक्षणों का ब्यौरा अंकित करने के लिये कोई पंजिका निर्धारित नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप निरीक्षण के

¹¹ डीएमजी ने अलवर जिले में खनन पट्टों के संयुक्त निरीक्षण के लिए अतिरिक्त निदेशक खान (सतर्कता) की अध्यक्षता में एक कमेटी (22 फरवरी 2015) का गठन किया।

लिए निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। आगे, ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देने के लिये राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 में कोई प्रावधान नहीं किये गये थे (फरवरी 2017)। परिणामस्वरूप, नीति के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका था।

प्रकरण सरकार के ध्यान में लाया गया (मई 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि नियामक पर्यवेक्षण को सुधारने के संबंध में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 में प्रावधान शामिल करना प्रक्रियाधीन था, परंतु इसे अभी तक भी सम्मिलित नहीं किया जा सका था।

सतर्कता

नीति के अनुसार, खनन गतिविधियों की नजदीक से निगरानी करने के लिये विभाग की सतर्कता शाखा को सुदृढ़ किया जाना था। तदनुसार, उनके कार्यालय राज्य में उपयुक्त स्थानों पर अवस्थित होने थे।

यह देखा गया कि राज्य सरकार ने अतिरिक्त पदों का सृजन कर सतर्कता शाखा को पुनर्गठित एवं सुदृढ़ किया। अतिरिक्त निदेशक खान (सतर्कता), अधीक्षण खनि अभियंता (सतर्कता) और खनि अभियंता (सतर्कता) के लिये अधीनस्थ कार्यालयों, चेक पोस्टों एवं खनन पट्टों का निरीक्षण करने के लिये विशिष्ट निरीक्षण लक्ष्य निर्धारित किये गये थे।

तथापि, सतर्कता कार्यालयों में आवश्यक संसाधनों का अभाव था तथा महत्वपूर्ण पद जैसे खनि अभियंता (सतर्कता), सहायक खनि अभियंता (सतर्कता) आदि अधिकांशतः रिक्त रहे। उदाहरणार्थ, सरकार ने खनि अभियंता (सतर्कता) कार्यालय अलवर एवं सीकर तथा सहायक खनि अभियंता (सतर्कता) कार्यालय कोटपूतली तथा राजसमंद सृजित (अगस्त 2013) किये थे। नवीन सृजित कार्यालयों में स्वतंत्र खनि अभियंता (सतर्कता), अलवर (अगस्त 2013 से मार्च 2017) खनि अभियंता (सतर्कता) सीकर (अक्टूबर 2014 से मार्च 2017), सहायक खनि अभियंता (सतर्कता) कोटपूतली (अगस्त 2013 से मार्च 2017) एवं सहायक खनि अभियंता (सतर्कता) राजसमंद (अगस्त 2013 से नवम्बर 2014) नियुक्त नहीं किये गये थे।

प्रकरण सरकार के ध्यान में लाया गया (मई 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि सतर्कता शाखा को और सुदृढ़ किया जायेगा।

प्रोत्साहन योजना

नीति के अनुसार, अनाधिकृत खनिज संचलन एवं अवैध खनन के निरीक्षण के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रहे विभाग के अधिकारियों को पुरस्कृत करने के लिये एक प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की जावेगी। सूचना की गुणवत्ता के आधार सूचना देने वालों को पुरस्कृत करने की एक योजना को भी परिकल्पित किया गया था।

यह पाया गया कि एक अवैध खनन एवं खनिज के अनाधिकृत संचलन को रोकने के लिये असाधारण प्रयास करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत करने के लिये राज्य सरकार/विभाग द्वारा कोई प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ नहीं की गयी। इसके अलावा, अवैध खनन की सूचना देने वाले मुखबिरो को पुरस्कृत करने की कोई योजना प्रारम्भ नहीं की गयी।

प्रकरण सरकार के ध्यान में लाया गया (मई 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि प्रोत्साहन योजना के प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किये जायेंगे।

चेक पोस्ट का आधुनिकीकरण

नीति के अनुसार, खनिज के अवैध परिवहन का पता लगाने के लिये परिष्कृत उपकरण द्वारा खनिज चेक पोस्टों का आधुनिकीकरण किया जायेगा। तथापि, चेक पोस्टों का आधुनिकीकरण नहीं किया गया।

प्रकरण सरकार के ध्यान में लाया गया (मई 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि चेक पोस्ट के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव राज्य सरकार स्तर पर अनुमोदन के लिये लम्बित थे।

अवैध खनन से खनित गड्ढे की बहाली एवं पुनरूद्धार

नीति के अनुसार, अवैध खननकर्ताओं द्वारा सृजित किये गये खनित गड्ढों को पुनःस्थापित करने एवं अवैध खननकर्ताओं से व्यय की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में करने हेतु खान विभाग को सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त प्रावधान किये जायेंगे।

यह पाया गया कि यद्यपि नीति की घोषणा के सात से अधिक वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अवैध खनन कर्ताओं से खनित गड्ढों की बहाली के लिये क्षतिपूर्ति राशि की वसूली के प्रावधान नहीं किये गये थे।

प्रकरण सरकार के ध्यान में लाया गया (मई 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि खनित गड्ढों की बहाली एवं पुनरूद्धार के नियम प्रक्रियाधीन है।

समापन सभा (नवम्बर 2016) में विभाग सहमत था कि अवैध खनन को रोकने के लिए नीति में निहित प्रावधानों की पूरी तरह क्रियान्विति नहीं हुई थी।

➤ विभाग को अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में अपने पर्यवेक्षण, सतर्कता एवं निवारक तंत्र का उन्नयन करना चाहिये। अवैध खनन गतिविधियों के खतरे एवं पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिये यह अन्य विभागों के साथ प्रभावपूर्ण समन्वय कर सकता है।

➤ विभाग राज्य में अवैध खनन गतिविधियों का पता लगाने के लिये उपग्रह मानचित्रण एवं सुदूर संवेदी तकनीकों के उपयोग पर विचार करना चाहिए।

➤ अवैध खनन को रोकने के लिये 2011 में अभिव्यक्त नीतिगत उपायों को पूर्ण रूप से लागू करके विभाग को पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी वचनबद्धता को दर्शाना चाहिये। यह अवैध खननकर्ताओं पर भूमि के पुनरुद्धार एवं पुनर्वास के लिये क्षतिपूर्ति राशि के आरोपण के प्रावधानों को तुरन्त शामिल कर सकता है।

3.1.5 भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन

चयनित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जाँच के दौरान यह पाया गया कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अरावली पहाड़ियों के सम्बन्ध में जारी किये गये निर्देशों की अनुपालना विभाग द्वारा नहीं की गई थी, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

3.1.5.1 भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरावली पहाड़ियों में खनन गतिविधियों पर जारी आदेश

अरावली पहाड़ियों में अनेक वर्षों से पर्यावरणीय मुद्दों की उपेक्षा करते हुये बड़े पैमाने पर संचालित खनन गतिविधियां गंभीर पर्यावरणीय गिरावट का कारण रही है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों में खनन के मामलों में **परिशिष्ट-3.1** में दिये गये विवरणानुसार समय समय पर निर्देश¹² जारी किए। इसके अलावा, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन की निगरानी एवं गैर अनुपालन के प्रकरणों की जांच हेतु केन्द्रीय प्राधिकार समिति के गठन के लिये आदेशित (9 मई 2002) किया।

विभाग ने अरावली पहाड़ियों के सीमांकन के लिये रिचर्ड मर्फी के भू-आकृति वर्गीकरण को अंगीकृत किया (16 जनवरी 2003)। इस वर्गीकरण के अनुसार, यदि चोटी/पहाड़ी का भाग भू-तल से 100 मीटर ऊपर है तो ये अरावली पहाड़ियों के अंतर्गत आयेंगे और ढाल/चोटियां जो उस बिन्दु (भू-तल से 100 मीटर) से नीचे हैं उसको अरावली पहाड़ियां नहीं माना गया था।

अनुपालना में निम्नलिखित कमियां पाई गई:

3.1.5.2 अरावली पहाड़ियों में नवीन खनन पट्टों का अनुदान

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल 2005 को कहा कि “आगामी निर्देशों तक लम्बित रखते हुए, हम वनक्षेत्रों में किसी भी प्रकार के खनन को प्रतिबंधित करते हैं। इसके अलावा, हम राजस्थान राज्य में अवस्थित अरावली पहाड़ियों में किसी भी क्षेत्र में खनन को प्रतिबंधित करते हैं जहां 16 दिसम्बर 2002 के पश्चात अनुमति प्रदान की गई थी”। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में, निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने

¹² टीएन गोडावर्मन थीरूमलपाद बनाम भारत के संघ (रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995) के मामले में

अरावली पहाड़ियों में नवीन खनन पट्टों के आवंटन रोकने के निर्देश विलम्ब से जारी किये (जनवरी 2006)।

चयनित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि:

➤ खनि अभियंता राजसमन्द-I तथा राजसमन्द-II कार्यालय द्वारा अरावली पहाड़ी श्रृंखला में 2005 में क्वार्ट्ज एवं फ़ैल्ड्सपार खनिजों के उत्खनन के लिये दो पट्टे (खनन पट्टा 20/05 तथा खनन पट्टा 8/03) स्वीकृत किये गये। निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने खनि अभियंता को तत्काल खनन गतिविधियाँ रोकने तथा इन खानों को अमान्य घोषित करने के लिये निर्देशित किया (अगस्त 2006)। तथापि, खनि अभियंता द्वारा पट्टों को निरस्त करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके विपरीत खनि अभियंता राजसमन्द-II द्वारा खनन पट्टा 20/05 की पट्टा अवधि 1 मार्च 2056 (मूल पट्टा अवधि 2 मार्च 2006 से 1 मार्च 2036) तक बढ़ाई गई (28 फरवरी 2015)।

➤ तीन सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों¹³ के क्षेत्राधिकार में 15.52 हैक्टर में फैले हुये चार नवीन खनन पट्टे (खनन पट्टा 61/2009, खनन पट्टा 3/02, खनन पट्टा 05/97 एवं खनन पट्टा 47/11) मार्च 2005 और जनवरी 2012 के मध्य स्वीकृत किये गये यद्यपि ये पट्टे अरावली पहाड़ियों में थे। पट्टेधारियों ने 2010 एवं 2017 के मध्य 65,147.64 मै.टन खनिजों (फ़ैल्ड्सपार, सर्पेन्टाईन तथा मार्बल) का उत्खनन किया।

➤ खनि अभियंता राजसमन्द-II (मार्च 2007) तथा सहायक खनि अभियंता ऋषभदेव (मार्च 2009) द्वारा 0.6762 हैक्टर में फैले हुये दो रिक्त क्षेत्रों को अनुदानित किया गया यद्यपि ये अरावली पहाड़ी में अवस्थित थे।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने समापन सभा (नवम्बर 2016) में कहा कि मामले की जांच पड़ताल की जायेगी तथा दो सप्ताह में उत्तर प्रस्तुत कर दिया जायेगा। यद्यपि, उत्तर अपेक्षित था (अक्टूबर 2017)।

3.1.5.3 अरावली पहाड़ियों में अवस्थित खनन पट्टों के नवीनीकरण एवं अभिवृद्धि

➤ भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 में कहा कि "राजस्थान राज्य की अरावली श्रृंखला में लगभग 261 खनन पट्टे थे। कुछ खनन पट्टे 16 दिसम्बर 2002 के पश्चात नवीनीकृत किये गये थे, यद्यपि उस दिनांक को पारित आदेश के अनुसार यह किसी भी रूप में अनुमत्य नहीं था। प्राधिकारियों के पास एक बड़ी संख्या में नवीनीकरण आवेदन भी लम्बित हैं। खान एवं खनिज नियम (विकास एवं विनियमन) नियम, 1960 के खनन पट्टे के नवीनीकरण के नियम 24ए के स्वयं स्पष्ट प्रावधानों का लाभ लेते हुए लगभग

¹³ राजसमन्द-I, ऋषभदेव तथा उदयपुर

सभी पट्टेधारक बिना व्यवधान के खनन संक्रियाये जारी रखे हुए हैं। नवीनीकरण आवेदन लम्बे समय से और अनेक प्रकरणों में कई वर्षों से लम्बित है। 24ए स्पष्ट रूप से इस तरह की स्थिति परिकल्पित नहीं करता है। हम तदनुसार, उन सभी पट्टेधारकों को जिनके सम्बन्धित पट्टों के नवीनीकरण के आवेदन लम्बित हैं, आगामी आदेशों तक किसी प्रकार की खनन संक्रियाये करने से प्रतिबंधित करते हैं।”

यह पाया गया कि राज्य सरकार ने अरावली पहाड़ियों में 261 खनन पट्टों¹⁴, जिनके विवरण भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत किये गये थे, के अलावा खनन पट्टों के नवीनीकरण के लिये लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु विभाग को निर्देशित किया (20 अक्टूबर 2010)।

खनि अभियंता राजसमन्द-I, राजसमन्द-II तथा सहायक खनि अभियंता ऋषभदेव के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विभाग ने 19 फरवरी 2010 के पश्चात 18 खनन पट्टे नवीनीकृत किये थे यद्यपि विभाग द्वारा अंगीकृत परिभाषा के अनुसार वे ‘अरावली पहाड़ियों’ में अवस्थित थे। पट्टेधारियों ने अप्रैल 2010 एवं मार्च 2017 के मध्य पट्टा क्षेत्रों से 16.22 लाख मै.टन खनिजों का उत्खनन किया था।

प्रकरण सरकार के ध्यान में लाया गया (मई 2016)। सरकार सहमत थी (जुलाई 2016) कि उन्होंने अरावली पहाड़ियों में खनन पट्टों के नवीनीकरण के लिये लम्बित आवेदनों के निस्तारण के लिये विभाग को निर्देशित किया था क्योंकि उनके अनुसार भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केवल 261 पट्टों के नवीनीकरण पर ही प्रतिबंध लागू किया गया था।

इसे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 19 फरवरी 2010 के संदर्भ में देखा जा सकता है जिसमें कहा गया था कि कुछ खनन पट्टों को राज्य में नवीनीकृत किया गया था, यद्यपि इस दिनांक को पारित आदेश के अनुसार यह किसी भी रूप में अनुमत्य नहीं था।

➤ राज्य सरकार ने 28 जनवरी 2011 से पूर्व अनुदानित विद्यमान अप्रधान खनिज पट्टों की मूल पट्टा अवधि 20 वर्ष से 30 वर्ष बढ़ा दी थी (28 जनवरी 2011)।

सात सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों¹⁵ के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह भी पाया गया कि अरावली पर्वत श्रृंखला में 5,028.52 हैक्टर

¹⁴ भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (सितम्बर 2008) में सम्मिलित स्थिति के अनुसार, 261 खनन पट्टों में 157 खनन पट्टे जहां 16 दिसम्बर 2002 के पश्चात नवीनीकरण देय हुए लेकिन नवीनीकरण अनुदानित नहीं किए गए, 53 खनन पट्टे जहां 16 दिसम्बर 2002 के पश्चात नवीनीकरण अनुदानित किए गए तथा 51 खनन पट्टे जो कि 16 दिसम्बर 2002 के पश्चात अनुदानित किए गए, सम्मिलित हैं।

¹⁵ अलवर, जयपुर, कोटपूतली, नीम का थाना, राजसमन्द-I, राजसमन्द-II तथा उदयपुर।

क्षेत्र में फैले हुये 50 पट्टे अक्टूबर 1996¹⁶ तथा मार्च 2036¹⁷ के मध्य समाप्त होने थे। तथापि, इन पट्टों की मूल पट्टा अवधि बढ़ायी गयी और पट्टा अवधि अब मार्च 2019 तथा मार्च 2056 के मध्य समाप्त होगी। राज्य सरकार ने समस्त खनन पट्टों की पट्टा अवधियों में वृद्धि की इस पर विचार किये बिना कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों में अवस्थित पट्टों में खनन संक्रियाओं पर प्रतिबंध लगाया था।

खनन पट्टों की नमूना-जॉच के दौरान देखा गया कि तीन खनि अभियंता कार्यालयों¹⁸ के क्षेत्राधिकार में संचालित आठ पट्टों में पट्टा धारकों ने अप्रैल 2010 से मार्च 2017 के दौरान 38.23 लाख मै.टन खनिजों का उत्खनन किया जिससे अरावली पर्वत श्रृंखला में पर्यावरण की अवनति हुई।

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा पट्टा अवधि को बढ़ाना भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध गया।

प्रकरण सरकार के ध्यान में लाया गया (मई 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेशों दिनांक 16 दिसम्बर 2002 तथा 19 फरवरी 2010 में मूल पट्टा अवधि की वृद्धि पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया था।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखना पड़ेगा कि अरावली पहाड़ियों में 16 दिसम्बर 2002 के पश्चात खनन प्रतिबंधित थे। राज्य सरकार द्वारा अनुदत्त अवधि विस्तार की वजह से अरावली पहाड़ियों में मूल पट्टा अवधि के परे भी खनन संक्रियाओं की निरंतरता रहेगी।

3.1.5.4 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनियमित पर्यावरणीय स्वीकृति

हरियाणा से राजस्थान तक अरावली पहाड़ियों में खनन गतिविधियों को निषिद्ध एवं प्रतिबंधित करने के भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अक्टूबर 2002 के आदेश को, जहां तक कि राजस्थान राज्य से सम्बन्धित था, निम्न प्रभावानुसार संशोधित किया गया था (16 दिसम्बर 2002):

‘कथित राज्य में जहां कहीं भी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत आवश्यक अनुमोदन/स्वीकृतियां प्राप्त की जा चुकी हैं तथा लागू अधिनियमों या अधिसूचनाओं या न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत खनन को निषिद्ध नहीं किया गया है, खनन जारी रह सकेगा तथा ऐसे खनन के लिये पूर्वोक्त आदेश लागू नहीं होंगे।’

¹⁶ एक प्रकरण (खनन पट्टा 4/95) में पट्टा 5 अक्टूबर 1976 से 4 अक्टूबर 1996 तक बीस वर्ष के लिए प्रभावी था। पट्टेधारी ने नवीनीकरण के लिए आवेदन (22 सितम्बर 1995) किया। तथापि, नवीनीकरण अनुदानित नहीं किया गया क्योंकि खनन पट्टे का क्षेत्र अरावली पहाड़ियों में अवस्थित था। सहायक खनि अभियंता, कोटपूतली द्वारा तत्पश्चात खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के अनुसार पट्टा अवधि 4 अक्टूबर 2026 तक 50 वर्ष के लिए बढ़ाई गई।

¹⁷ इसमें 30 वर्ष की मूल पट्टा अवधि के साथ दो पट्टों को शामिल किया गया था जिसे आगे 50 वर्षों तक के लिए बढ़ाया गया।

¹⁸ राजसमन्द-I, राजसमन्द-II तथा उदयपुर।

सहायक खनि अभियंता, कोटपूतली के अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि 37.64 हैक्टर में परिव्याप्त एक खनन पट्टा (7/1992) निकट ग्राम बुचारा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर में मैसर्स श्री मोदी लेविगोटेड कॉओलिन प्राईवेट लिमिटेड, नीम का थाना के पक्ष में 25 जून 1996 से 24 जून 2016 तक की अवधि के लिये प्रभावशील था। यह पाया गया कि पट्टेधारी ने पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी 1994 के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 16 दिसम्बर 2002 से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने यह पुष्टि करने के लिये कि क्या पट्टा क्षेत्र भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 8 अप्रैल 2005 के आदेश की परिधि में आता था, पट्टाधारक से सीधे पूछताछ (नवम्बर 2005) की थी। पट्टाधारक ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को सूचित (2 दिसम्बर 2005) किया कि उसकी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार पट्टा क्षेत्र अरावली पहाड़ियों में अवस्थित नहीं था। पट्टेधारी के आवेदन (14 अक्टूबर 2005) की अनुक्रिया में, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने तत्पश्चात 31 जुलाई 2006 को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की।

पत्रावलियों के परीक्षण में प्रकट हुआ कि सहायक खनि अभियंता ने 'सूचना के अधिकार' के एक आवेदन की अनुक्रिया में पुष्टि की थी (8 अक्टूबर 2009) कि पट्टा क्षेत्र अरावली पहाड़ियों में था। इसके अलावा, भू-वैज्ञानिक स्थलाकृतिक शीट के परीक्षण पर पाया गया कि पट्टा क्षेत्र के कंटूर में 100 मीटर से अधिक अन्तर था। पट्टेधारी ने 16 दिसम्बर 2002 से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की थी तथा पट्टा क्षेत्र अरावली पहाड़ियों में अवस्थित था। इस प्रकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति का जारी किया जाना अनियमित था तथा पट्टेधारी द्वारा की जाने वाली खनन संक्रियायें रोकना विभाग के लिये अपेक्षित था।

पट्टाधारक ने 25 जून 2010 से 31 मार्च 2017 के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तथ्यों के गलत निरूपण के द्वारा 4.67 लाख मै.टन चायना क्ले तथा 0.05 लाख मै.टन सिलिका सैण्ड उत्खनित किया जिसके लिये पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना (27 जनवरी 1994) के अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करना अपेक्षित था, जो विहित करता है कि वास्तविक आंकड़ों को छिपाना या गलत आंकड़ों या भ्रामक सूचना का प्रस्तुतीकरण परियोजना अस्वीकृति की ओर ले जायेगा अथवा यदि गलत आंकड़ों के आधार पर पूर्व में अनुदत्त अनुमोदन हो, उसको भी रद्द किया जायेगा।

प्रकरण सरकार के ध्यान में लाया गया (मई 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेशों दिनांक 16 दिसम्बर 2002, 8 अप्रैल 2005 एवं 19 फरवरी 2010 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति अनुदत्त करने पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पट्टेधारी ने तथ्यों के गलत निरूपण के द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की थी कि पट्टा क्षेत्र अरावली पहाड़ियों

में अवस्थित नहीं था। आगे, पर्यावरणीय स्वीकृति 16 दिसम्बर 2002 के पश्चात अनुदत्त की गई थी।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने समापन सभा (नवम्बर 2016) में कहा कि प्रकरण का परीक्षण किया जायेगा।

➤ विभाग को, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खनन गतिविधियों के लिये प्रतिबंधित क्षेत्रों एवं उनके आस-पास में खनन गतिविधियों पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण को मजबूत करना चाहिये। अरावली की पहाड़ियों में न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन पर खनन की अनुमति देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये।

➤ प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनुदानित एवं नवीनीकृत पट्टों को तुरन्त निरस्त किया जाना चाहिये।

3.1.6 खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संचालन की सहमति में वर्णित पर्यावरणीय शर्तों का अनुपालन

खनन के पर्यावरणीय प्रभाव में मृदा क्षरण, गड्ढों का निर्माण, जैव विविधता की हानि एवं मृदा, भूजल और सतही जल का संदूषण शामिल है। वन क्षेत्रों में, खनन पारिस्थिकी तंत्र का विनाश एवं अव्यवस्था का कारण बन सकता है एवं कृषि के क्षेत्रों में यह उपजाऊ, चराई एवं फसल भूमि को परेशान या नष्ट कर सकता है। नगरीय वातावरण में, खनन ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण उत्पन्न कर सकता है। केन्द्रीय एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कि प्रत्येक पट्टा धारक द्वारा खनित क्षेत्र को उसकी मूल अवस्था के पास लौटाया है खनन योजना अनुमोदन तथा पर्यावरणीय स्वीकृति और संचालन की सहमति प्रदान करते समय कठोर पर्यावरणीय एवं पुनर्वासन शर्तें निर्धारित करती है।

खनन पट्टों की खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संचालन की सहमति की जांच ने प्रकट किया कि विभिन्न विनियमों में कतिपय प्रावधानों को प्राविधित किया गया था जिनको परिशिष्ट 3.2 में वर्णित किया गया है। जो निम्नलिखित पर्यावरणीय मुद्दों के संदर्भ में पूरा किया जाना था; ऊपरी मृदा, अधिभार ढेर, वृक्षारोपण, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय, पट्टाक्षेत्र में गारलैण्ड नाली, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपाय, उत्खनित गड्ढों का पुनःस्थापन एवं पुनरूद्धार तथा बेन्चों में खनन।

लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित मुद्दे ध्यान में आए:

3.1.6.1 खनन गतिविधियों से सम्बन्धित पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान का अभाव

खान विभाग के साथ-साथ राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को सुनिश्चित किया जाना था कि पट्टेधारी ने खनन योजना और पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संचालन की सहमति में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार खनन कार्य किया था। चयनित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में प्रकट

हुआ कि विभाग ने खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संचालन की सहमति में निर्धारित अनुसार पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित शर्तों के अनुपालन के बारे में सूचना प्रस्तुत करने हेतु पट्टाधारक के लिये अपेक्षित कोई आवधिक विवरणी निर्धारित नहीं की थी, सिवाय मासिक प्रतिवेदन के प्रपत्र जिसमें केवल खनन क्षेत्र में किए गए वृक्षारोपण की संख्या को सम्मिलित किया गया था। चयनित 136 पट्टाधारकों की रियायत एवं निर्धारण पत्रावलियों में मुख्यतः उत्खनित खनिज की मासिक विवरणियों और उनके निर्धारण इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख थे। परिणामस्वरूप, खान विभाग के पास पर्यावरणीय प्रावधानों के अनुपालन या इसके अभाव के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भी पट्टाधारकों के लिए निरीक्षणों के माध्यम से संचालन की सहमति में वर्णित सभी शर्तों की अनुपालना की निगरानी करता है। चयनित 136 पट्टों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2011-15 के दौरान मानकों¹⁹ के अनुसार 228 निरीक्षण किए जाने वांछित थे, यह पाया गया कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने 2010-15 के दौरान केवल 38 पट्टों के 50 निरीक्षण किये थे। यह भी देखा गया कि 2015-17 के मध्य केवल तीन निरीक्षण किए गए थे। आगे, केवल तीन पट्टाधारकों ने निर्धारित प्रतिवेदनों तथा वार्षिक पर्यावरणीय विवरण²⁰ को समय पर प्रस्तुत किया था। यह पाया गया कि 106 पट्टाधारकों ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये और 118 पट्टाधारकों ने संचालन की सहमति की कार्यकारी अवधि के दौरान विवरण प्रस्तुत नहीं किये थे।

पट्टाधारकों द्वारा पर्यावरण रक्षण से सम्बन्धित प्रावधानों के अनुपालन का आंकलन करने के लिये, चयनित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों में 136 खनन पट्टों का, इसलिए हमने संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया। संयुक्त भौतिक निरीक्षण में ऊपर बताये हुये पर्यावरणीय मुद्दे शामिल थे। संयुक्त भौतिक निरीक्षण

¹⁹ राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा निर्धारित खनन इकाईयों के निरीक्षण के मानदण्डों के अनुसार (जुलाई 2011), हस्तचालित खनन इकाईयों का पांच साल में एक बार, अर्द्धयांत्रिक खनन इकाईयों का दो साल में एक बार और यांत्रिक खनन इकाईयों का साल में एक बार निरीक्षण करना अनिवार्य था। आगे, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की संचालन नियमावली में निरीक्षणों की आवृत्ति को पुनः निर्धारित किया गया (2015-16)। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के कार्मिकों को पचास हैक्टर्स क्षेत्रफल से बड़ी खानों का साल में एक बार, पांच से पचास हैक्टर्स के मध्य क्षेत्रफल वाली खानों का दो साल में एक बार और पांच हैक्टर्स से कम क्षेत्रफल वाली खानों में आवश्यकतानुसार निरीक्षण करने थे।

²⁰ पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के नियम 14 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति, जो एक उद्योग, संचालन या प्रक्रिया कर रहा है जल (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 या वायु (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 या दोनों के अंतर्गत सहमति अपेक्षित है, प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर को या पहले 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रपत्र-V में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को पर्यावरणीय विवरण प्रस्तुत करेगा।

के जांच-परिणामों को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की निरीक्षण प्रतिवेदनों के साथ भी सह-संबद्ध किया गया।

3.1.6.2 खनन पट्टों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के जांच परिणाम

ऊपरी मृदा

ऊपरी मृदा बाह्यतम परत है और खनन क्षेत्रों में भूमि के पुनरूद्धार के लिये यह एक अनिवार्य घटक है। योजना चरण के दौरान, पट्टेधारी को ऊपरी मृदा की अनुमानित मात्रा, इसका भण्डारण क्षेत्र, स्थान और पश्चातवर्ती उपयोग का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

136 पट्टों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि, 44 पट्टों (32 प्रतिशत) में ऊपरी मृदा का पृथक से भण्डारण नहीं था। इसके अलावा, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या ऊपरी मृदा का उपयोग जैसा आवश्यक था किया गया अथवा इसे अधिभार के साथ मिश्रित कर दिया गया। इस प्रकार, इन पट्टों में इनकी बहाली भविष्य में उपयोग हेतु संभव नहीं थी।

अधिभार ढेर

अधिभार प्राकृतिक चट्टान एवं मृदा है जो अयस्क पदार्थ के ऊपर और चारों ओर विद्यमान होता है। यह खान पर किसी भी रासायनिक प्रक्रियाओं का हिस्सा नहीं होती है परन्तु अयस्क तक पहुंच के लिये इसे हटाया जाना आवश्यक है। अधिभार को प्रायः खान बन्द करने के दौरान खनन स्थल पर परिदृश्य आकृति तथा पुनः वनस्पति के लिये उपयोग किया जाता है।

136 खनन पट्टों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण में यह पाया गया कि,

- 53 पट्टों में (39 प्रतिशत) अधिभार चिन्हित स्थल पर ढेर करने के बजाय पट्टा क्षेत्र के अन्दर एवं बाहर एक बिखरे हुए रूप में ढेर किया जाना पाया गया।
- 81 पट्टों (60 प्रतिशत) में ढेर बिना किसी धरण दीवार के जमा किया जाना पाया गया।

वृक्षारोपण

प्रत्येक पट्टेदार को खनन के प्रत्येक प्रगतिशील वर्ष के साथ अपने पट्टे के क्षेत्र के आधार पर वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि भूमि की चरणवार बहाली, पुनरूद्धार और पुनर्वास हो सके।

संयुक्त भौतिक निरीक्षण पर यह पाया गया कि:

- 80 पट्टेधारियों को परिपत्र के अनुसार वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान 13,800 पौधे लगाने थे, उनके द्वारा पट्टा क्षेत्र में कोई वृक्षारोपण नहीं करवाया गया।

- 32 पट्टेधारियों ने वांछित 1,83,850 पौधों के विरुद्ध करीब 1,38,100 पौधे लगाए थे।
- शेष रहे 24 पट्टेधारियों ने दावा किया कि वृक्षारोपण इनके पट्टा क्षेत्र से अलग क्षेत्र में किया गया था जैसे स्कूल की चारदीवारी के पास, मंदिर के पास उपलब्ध क्षेत्र में, सड़क के किनारे, क्रशर क्षेत्र आदि में। तथापि, किसी दस्तावेजों के प्रमाण के अभाव में वृक्षारोपण को सुनिश्चित नहीं किया जा सका था।

गारलैन्ड नाली का निर्माण

गारलैन्ड नाली का निर्माण मृदा, अधिभार और खनिज के ढेर से गाद एवं तलछट के प्रवाह को रोकने के लिये खनन गड्ढे एवं अधिभार ढेर के चारों तरफ किया जाता है।

चयनित 136 खनन पट्टों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि:

- 123 पट्टाधारकों (90 प्रतिशत) ने पर्यावरण सहमति/संचालन की सहमति में वर्णित शर्तों के विपरीत उनके खनन क्षेत्र में खनन पट्टों के चारों तरफ किसी गारलैन्ड नाली का निर्माण नहीं किया था।

वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय

136 खनन पट्टों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि:

- 105 खनन पट्टेधारियों (77 प्रतिशत) द्वारा खनन स्थल पर परिवेशी वायु की गुणवत्ता की आवधिक निगरानी से सम्बन्धित अभिलेख संधारित नहीं किये गये थे।
- निरीक्षण के दिन 74 खनन पट्टों (54 प्रतिशत) में हॉल रोड के साथ-साथ लदान वाले बिन्दु पर पानी का छिड़काव नहीं किया गया था।
- पानी छिड़काव प्रणाली की स्थापना किसी भी पट्टा क्षेत्र में नहीं की गई सिवाय एक खनन पट्टे के जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द्वारा धारित खनन कम्पनी थी। शेष रहे पट्टों में, पानी का छिड़काव पानी के टैंकों द्वारा किये जाने का दावा किया गया था। तथापि, पट्टेधारियों के पास पट्टा क्षेत्र में पानी के छिड़काव की आवधिकता को दर्शाने हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।
- 21 निरस्त एवं दो अभ्यर्पित पट्टा स्थल पर निरीक्षण के दौरान वायु प्रदूषण उपायों से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।
- निरीक्षण के दिन 112 पट्टेधारियों के पास सिवाय कार्यालय खनि अभियंता, उदयपुर के खनन पट्टा संख्या 03/89 के, परिवेशी वायु की गुणवत्ता को जांचने के लिये खनन पट्टा स्थल पर कोई उपकरण नहीं था।

इस प्रकार, खनन पट्टा स्थल पर परिवेशी वायु की गुणवत्ता की जांच के अभाव में एवं वायु गुणवत्ता से सम्बन्धित प्रतिवेदनों की उपलब्धता नहीं होने से, खनन क्षेत्रों में वायु प्रदूषकों की मात्रा को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपाय

चयनित 113 परिचालित पट्टों²¹ में ध्वनि स्तर को जांचने में लेखापरीक्षा असमर्थ रहा क्योंकि सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों में ध्वनि स्तर को जांचने हेतु कोई उपकरण नहीं थे। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि केवल सात पट्टेधारियों के पास ध्वनि निगरानी प्रतिवेदन थे। आवधिक ध्वनि निगरानी प्रतिवेदनों के अभाव में, पट्टा क्षेत्रों में अनुमत्य ध्वनि स्तर के उल्लंघन को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

खनित गड्ढों का पुनर्वास एवं पुनरूद्धार

पट्टेदार द्वारा खनित गड्ढों के पुनरूद्धार का उद्देश्य खनित क्षेत्रों के चरणबद्ध रूप से बहाली, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास प्रारम्भ किया जाना है ताकि जमीन को उत्पादन उपयोग के स्वीकार्य स्तर तक वापस लाया जा सके।

136 खनन पट्टों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि:

➤ जांचे गए 24 संचालित पट्टों में से 23 पट्टों के पट्टाधारकों जिनके पास पांच अथवा अधिक हैक्टर से ज्यादा के क्षेत्र थे, के द्वारा खनित गड्ढों का चरणबद्ध रीति से पुनरूद्धार एवं पुनर्वास का कार्य पट्टा क्षेत्रों में नहीं किया गया था तथा बताया गया कि यह कार्य खान बन्द होने के बाद किये जायेंगे। शेष एक पट्टा (3/89) भूमिगत खान थी। इस प्रकार, इन पट्टेधारियों ने नियमों के साथ-साथ पर्यावरणीय स्वीकृति/संचालन की सहमति में वर्णित शर्तों का उल्लंघन किया था।

➤ 89 पट्टाधारकों जिनके पास पांच हैक्टर से कम पट्टा क्षेत्र थे, के द्वारा पुनरूद्धार कार्य नहीं किया गया एवं बताया गया कि पुनर्वास एवं पुनरूद्धार कार्य खान बंद होने के पश्चात किया जायेगा।

बेन्चों में खनन


श्रमिकों की सुरक्षा के साथ-साथ वाहनों तथा गड्ढे से खोदे जाने वाले खनिज के मुक्त संचालन के लिये बेन्चों को बनाना अपेक्षित है। बेन्चों में खनन दुर्घटना तथा सामग्री गिरावट के खतरे को कम करता है।

136 खनन पट्टों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि:

➤ 90 पट्टों (66 प्रतिशत) में खनन संक्रियायें बेन्चों के निर्माण के बिना की गई थी। यह खान नियमों का स्पष्ट उल्लंघन था और सम्बन्धित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंताओं द्वारा इन पट्टाधारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई थी।

²¹ 23 निरस्त/अभ्यर्पित पट्टों को शामिल नहीं किया गया था क्योंकि खनन संचालन बन्द होने के कारण खनन स्थल पर कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं था।

अध्ययन प्रकरण: बेन्चों में खनन



खनन पट्टा संख्या: 304/92
खनिज: मैसनरी स्टोन
क्षेत्र: 1 हैक्टर
पट्टा अवधि: 14 अक्टूबर 1993
से 13 अक्टूबर 2023 तक
स्थान: जयपुर

खनन योजना

➤ खान को, औसत उंचाई (तीन से छह मीटर) एवं चौड़ाई (सात से 65 मीटर) की बनी हुई बेन्चों के माध्यम से प्रस्तावित किया गया था।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986

- खनन पट्टों में काम करने की व्यवस्था बेन्चों के निर्माण के द्वारा की जायेगी।
- खनिज एवं अधिभार मय वैदर्ड खनिज में अलग-अलग बेन्चों का निर्माण किया जायेगा।
- धातु खान नियम 1961 के अनुसार पट्टाधारक द्वारा बेन्चों की उंचाई तथा ढलान का संधारण किया जायेगा तथा सम्पूर्ण ढलान 45 डिग्री से कम कायम रखा जायेगा।

लेखापरीक्षा द्वारा किया गया संयुक्त भौतिक निरीक्षण

संयुक्त भौतिक निरीक्षण 5 जनवरी 2016 को किया गया एवं यह पाया गया कि:

- खनन कार्य बेन्चों के निर्माण के बिना किया गया था।
- खान में समस्त ढलान निर्धारित ढलान से ज्यादा थी।

उचित ढंग से तैयार की गई बेन्चों का अच्छा उदाहरण



खनन पट्टा संख्या: 06/89
मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड मटुन
माईन्स, उदयपुर
खनिज: रॉक फॉस्फेट

3.1.6.3 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की 38 निरीक्षण प्रतिवेदनों के जांच परिणामों से क्रॉस सत्यापन

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की 38 पृष्ठों से सम्बन्धित निरीक्षण प्रतिवेदनों की जांच से प्रकट हुआ कि आठों पर्यावरणीय मुद्दों के घटकों में अंतर था जैसे ऊपरी मृदा, अधिभार ढेर, वृक्षारोपण, पट्टा क्षेत्र में गारलैंड नाली, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपाय, उत्खनित गड्ढों का पुनर्वास एवं पुनरूद्धार और बेन्चों में खनन।

निम्नलिखित पर्यावरणीय मुद्दों के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की रिपोर्टिंग में भिन्नता थी:

- पट्टा क्षेत्र में ऊपरी मृदा की उपलब्धता एवं इसका भण्डारण।
- पट्टा क्षेत्र में अधिभार ढेरों का चिन्हित स्थलों पर ढेर लगाना और अधिभार ढेरों को पेड़-पौधों के माध्यम से स्थिर करना।
- पट्टाधारकों द्वारा उनके पट्टा क्षेत्र में निर्धारित मानकों के अनुरूप वृक्षारोपण नहीं किया जाना एवं गलत विवरण देना।
- पट्टा क्षेत्र में बेन्चों के विकास के बिना खनिज उत्खनन किया जाना आदि।

इनकी परिचर्चा परिशिष्ट 3.3 में की गई है।

3.1.6.4 एक्शन टैक

मामला सरकार एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के ध्यान में लाया गया (मई 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि सम्बन्धित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों को पट्टेधारियों को नोटिस जारी करने के लिए निर्देशित किया गया था जिन्होंने ऊपरीमृदा का पृथक से ढेर और अधिभार को चिन्हित स्थल पर जमा नहीं किया, जहां वृक्षारोपण मानकों के अनुरूप नहीं किया गया था, गारलैंड नाली का निर्माण नहीं किया था, खनित गड्ढों का पुनरूद्धार एवं पुनर्वास नहीं किया और जहां संयुक्त भौतिक निरीक्षण के पश्चात भी बेन्चों का निर्माण नहीं किया था। सरकार ने उत्तर दिया कि वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपायों से सम्बन्धित रिपोर्ट राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2016) कि सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा गैर-अनुपालनकर्ता खनन पट्टेधारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये जा चुके थे।

सचिव, खान एवं पेट्रोलियम और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के अध्यक्ष ने समापन सभा में कहा (नवम्बर 2016) कि नियमों का उल्लंघन हुआ था और कहा कि मण्डल के लिए मानवशक्ति की कमी के कारण प्रत्येक एवं सभी खानों की निगरानी करना संभव नहीं है। मण्डल के सदस्य सचिव ने कहा कि मण्डल खानों की निगरानी सार्वभौमिक स्थिति प्रणाली से करने जा रहा है। सचिव

ने यह भी कहा कि पट्टेधारियों द्वारा पर्याप्त वृक्षारोपण नहीं किया जा रहा था। आगे, निदेशक खान एवं भू-विज्ञान ने कहा कि चट्टानी इलाकों के कारण पट्टेदारों द्वारा पट्टा क्षेत्र में और आस-पास पेड़ लगाना संभव नहीं था और इसलिए पास की सड़क, विद्यालय आदि स्थानों पर समूह में पौधे लगाये गये थे। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वृक्षारोपण पर्यावरणीय स्वीकृति/संचालन की सहमति/खनन योजना में उल्लिखित शर्तों के अनुसार किया जाना चाहिए था और यह स्पष्ट रूप से सत्यापित होना चाहिए।

विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को पट्टाधारकों के लिए विहित शर्तों के अनुपालन की स्थिति जानने के लिए खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संचालन की सहमति में निर्धारित पर्यावरणीय शर्तों की पूर्ति हेतु आवधिक प्रतिवेदनों/बहुधा निरीक्षणों के माध्यम से निगरानी तंत्र को मजबूत करना चाहिए।

3.1.7 पर्यावरण रक्षण से सम्बन्धित कोषों का प्रबंधन

राज्य सरकार ने वित्तीय आश्वासन राशि स्थल पुनर्वास, बंद उपरांत निगरानी एवं परियोजना के रख-रखाव के लिए अमानत के रूप में प्राप्त की थी; पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकरण का आरोपण खनन क्षेत्रों में पर्यावरण एवं स्वास्थ्य रक्षण के उपयोग हेतु किया जाना था और पर्यावरण प्रबंधन कोष के लिए संग्रहित अंशदान पर्यावरण रक्षण कार्यों को क्रियान्वित करने हेतु था। निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:

3.1.7.1 वित्तीय आश्वासन

जमा कराये जाने वाली अमानत राशि की संगणना खनन और संबद्ध गतिविधियों के लिये प्रयोग में लाये गये क्षेत्र के आधार पर की जाती है। खानों के लिये वित्तीय आश्वासन की राशि निम्न प्रकार है:

प्रधान खनिज खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 के नियम 23(एफ) के अनुसार		अप्रधान खनिज राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 37(जे) के अनुसार (अंतर्निविष्ट 19 जून 2012)
'क ²² ' श्रेणी खानों प्रति हैक्टर	'ख' श्रेणी खानों प्रति हैक्टर	प्रति हैक्टर एवं उसके भाग पर
₹ 25,000	₹ 15,000	₹ 15,000
किसी अनुसूचित बैंक के प्रत्यय-पत्र के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली वित्तीय आश्वासन की न्यूनतम राशि 'क' श्रेणी के खानों के लिए ₹ दो लाख तथा 'ख' श्रेणी के खानों के लिए ₹ एक लाख होगी। अप्रधान खनिजों के लिए अधिकतम वित्तीय आश्वासन राशि ₹ 30 लाख है।		

22 'क' श्रेणी खानों से अभिप्राय पूर्णतः यांत्रिक खानों से है जहां गहरे छिद्र वेधन, उत्खनन, लदान और परिवहन के कार्य भारी खनन मशीनरी लगाकर किए जाते हैं या ऐसी खाने जहां औसत नियोजन 150 से अधिक है। 'ख' श्रेणी खानों से अभिप्राय 'क' श्रेणी खानों से भिन्न खानों से है।

सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों के 288 चयनित खनन पट्टों के अभिलेखों की जांच पर पाया गया कि चार पट्टाधारकों ने, जिनके पास 17.82 हैक्टर क्षेत्र था, वित्तीय आश्वासन के ₹ 0.60 लाख जमा नहीं करवाये थे।

इसके अतिरिक्त, चयनित 35 निरस्त/अभ्यर्पित पट्टों की जांच में यह पाया गया कि:

➤ 20 पट्टेधारियों ने जिनके पास 29.69 हैक्टर क्षेत्र था जिनके खनन पट्टे निरस्त/अभ्यर्पित किये जा चुके थे, वित्तीय आश्वासन के ₹ 3.00 लाख जमा नहीं करवाये थे। अतः इन पट्टों के पुनःस्थापन का भार राज्य के खजाने से वहन करना पड़ेगा।

➤ छः निरस्त खनन पट्टों जिनमें सम्बन्धित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंताओं द्वारा पुनःस्थापन के कार्य नहीं करवाये गये जिसमें पट्टेधारियों द्वारा वित्तीय आश्वासन राशि ₹ 3.45 लाख जमा करवायी गई थी। इनको कोषों के उपयोग के लिये स्पष्ट निर्देशों के अभाव में उपयोग नहीं किया गया।

निदेशक खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने समापन सभा में कहा (नवम्बर 2016) कि इस राशि का उपयोग पट्टा क्षेत्र में खनित गड्ढों के पुनःस्थापन के लिये किया जायेगा।

3.1.7.2 पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर

राज्य सरकार ने चयनित प्रधान खनिजों पर 2008 में 'पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर' का आरोपण किया। उपकर के आगमों को विशेष रूप से राज्य के खनन क्षेत्रों में पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के रक्षण और पारिस्थितिकी सन्तुलन के रख-रखाव के लिये उपयोग किया जाना था। पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर के आगमों को संग्रहित करने के लिए दरे निर्धारित की गई थी और 1 अप्रैल 2008 से प्रभावी थी तथा समय-समय पर दरों को पुनरीक्षित किया गया था।

राज्य सरकार ने 2008-09 से 2016-17 के दौरान चयनित प्रधान खनिजों के पट्टाधारियों से ₹ 544.48 करोड़ उपकर संग्रहित किया था। तत्पश्चात्, राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 6 जनवरी 2017 से उपकर के संग्रहण को रद्द कर दिया था।

राज्य सरकार ने कोषों के प्रभावी प्रबंधन हेतु राजस्थान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य प्रशासनिक मण्डल का गठन (24 दिसम्बर 2010) किया था। यह पाया गया कि उपकर 1 अप्रैल 2008 से प्रभावी हुआ परन्तु राजस्थान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य प्रशासनिक मण्डल का गठन 23 दिसम्बर 2010 तक नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, 2008-09 से 2010-11 के दौरान कोष का उपयोग नहीं किया गया। आगे, 2011-12 से 2016-17 के दौरान कोष में से केवल ₹ 140.53 करोड़ (25.81 प्रतिशत) का उपयोग किया गया।

जनवरी 2011 और जनवरी 2017 के मध्य राजस्थान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य प्रशासनिक मण्डल की बारह आयोजित बैठकों के मिनट्स की जांच करने पर पाया गया कि:

➤ बोर्ड ने जिन गतिविधियों के लिये कोष स्वीकृत किया था वह पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों से सम्बन्धित नहीं थी जैसा राजस्थान वित्त अधिनियम 2008 एवं इसके तहत बनाये गये नियमों में निर्धारित है। बोर्ड ने अपनी सातवीं व नवीं बैठक जो क्रमशः 7 अप्रैल 2014 और 23 दिसम्बर 2014 को हुई थी, में भी स्वीकार किया कि उपकर राशि से व्यय करने के लिये जारी की गई कुछ स्वीकृतियां अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं थी। अधिनियम के उद्देश्यों जैसा कि मकराना-परबतसर रेल्वे लाईन का स्थानान्तरण और इसके लिये भूमि की लागत का भुगतान और निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग के कार्यालय में कम्प्यूटरीकरण।

मामला सरकार के ध्यान में लाया गया (मई 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि सभी खर्च, मण्डल की बैठकों और मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्तावों की जांच के बाद लिए गए निर्णयों के अनुसार किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद में आक्षेपित वस्तुओं पर किया गया खर्च, पर्यावरण व स्वास्थ्य उपकर के उद्देश्यों के विपरीत था। मण्डल ने भी अपनी बैठकों में स्वीकार किया था कि कुछ जारी की गई स्वीकृतियां अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं थी। संयुक्त सचिव, खान ने समापन सभा में कहा (नवम्बर 2016) कि अव्ययित कोष का उपयोग उन उद्देश्यों के लिये किया जायेगा जिन उद्देश्यों के लिये संग्रहित किया गया था।

3.1.7.3 पर्यावरण प्रबंधन कोष

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 37 टी(5) के अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 19 जून 2012 अंतर्निविष्ट की गई जिसमें पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुसार पर्यावरण रक्षण कार्यों को करवाने के लिये वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक पृथक कोष का सृजन किया गया।

➤ पर्यावरण प्रबंधन कोष, पर्यावरण विकास कार्य हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समिति द्वारा सम्बन्धित कलस्टर के संघ या अभिकरण जिसे ऐसा कार्य सौंपा गया था, आवंटित किया जाना था। डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11584/2013 में राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय तक पर्यावरण प्रबंधन कोष का संग्रहण अवैध घोषित किया (9 अप्रैल 2015)। राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने 5 मई 2015 को पर्यावरण प्रबंधन कोष संग्रहण तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। यह पाया गया कि विभाग द्वारा पर्यावरण प्रबंधन कोष के रूप में राशि ₹ 295.03 करोड़ संग्रहित की गई। तथापि, पर्यावरण रक्षण कार्यों को कराये जाने हेतु राशि का उपभोग नहीं किया गया

क्योंकि निदेशक खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने राशि व्यय करने के लिये दिशा-निर्देश तैयार नहीं किये थे।

प्रकरण सरकार के ध्यान में लाया गया (मई 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने राज्य सरकार से अधीनस्थ कार्यालयों को वृक्षारोपण के लिये पर्यावरण प्रबंधक कोष के अन्तर्गत ₹ 14 करोड़ के कोष आवंटित करने का अनुरोध किया था।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने समापन सभा में कहा (नवम्बर 2016) कि दिशा-निर्देश तैयार करने के बाद राशि का उपयोग कर लिया जायेगा।

➤ विभाग पट्टेधारकों से वित्तीय आश्वासन राशि का संग्रहण सुनिश्चित कर सकता है और जहां कहीं भी पट्टेधारक पुनरूद्धार एवं पुनर्वास उपायों को कार्यान्वित करने में असफल रहता है तो एकत्रित वित्तीय आश्वासन राशि को खनन क्षेत्र में बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग किया जाना चाहिये।

➤ उपकर राशि का केवल उन्हीं प्रयोजनों पर व्यय किया जाना चाहिये जो उन उद्देश्यों से मिलते हैं जिनके लिये सरकार द्वारा उपकर आरोपित किया गया था।

3.1.8 निष्कर्ष

हमने पाया कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना खनिज उत्पादन को बढ़ाया गया और संचालन की सहमति बिना नवीनीकृत किये खानों को संचालित किया गया। पट्टेधारकों द्वारा संचालन की सहमति के साथ संलग्न शर्तों के उल्लंघन में खनिजों का अधिक उत्खनन किया गया।

हमने पाया कि राज्य में अवैध खनन गतिविधियां अनियंत्रित रूप से हो रही थी। अवैध खनन के पता चले प्रकरणों में फॉलोअप के साथ-साथ निवारण उपायों की अपर्याप्तता थी। अवैध खननकर्ताओं को नोटिस जारी करने, मांग प्रस्तुत करने एवं दण्डात्मक राशि की वसूली में विलम्ब के कारण प्रतिरोध की भी कमी थी। अवैध खनन को रोकने के लिये 2011 में अभिव्यक्त नीतिगत उपायों को लागू करने में भी शिथिलता थी।

हमने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के गंभीर उल्लंघन पाये जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला में अवस्थित खनन पट्टों को अनुदानित, नवीनीकृत एवं अभिवृद्धित किया गया। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अरावली पहाड़ियों के क्षेत्र में अवस्थित होने के बावजूद खनन पट्टे के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

हमने पाया कि खनन गतिविधियों से सम्बन्धित पर्यावरणीय मुद्दों पर विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के द्वारा उचित ध्यान नहीं दिया गया था। विभाग ने खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संचालन की सहमति में निर्धारित पर्यावरणीय सुरक्षा से सम्बन्धित शर्तों की अनुपालना के बारे में सूचना प्रस्तुत करने

के लिये पट्टेधारियों के लिये वांछित किसी प्रकार की आवधिक विवरणी निर्धारित नहीं की थी। विभाग के निरीक्षण प्रतिवेदनों में भी किसी पर्यावरणीय मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया। हमने पाया कि चयनित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों के 136 पट्टों में से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने 2010-17 के दौरान केवल 38 पट्टों के निरीक्षण किये थे। इसके अलावा, संचालन की सहमति की कार्यकारी अवधि के दौरान 106 पट्टेधारको ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये थे और 118 पट्टेधारको ने वार्षिक पर्यावरण विवरण प्रस्तुत नहीं किये थे। आगे, निरीक्षण प्रतिवेदन अपूर्ण, गलत एवं अविश्वसनीय थे जैसा कि संयुक्त भौतिक निरीक्षण के जांच-परिणामों तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के निरीक्षण प्रतिवेदनों की तुलना के माध्यम से सुनिश्चित हुआ। भौतिक निरीक्षण ने ऊपरी मृदा, अधिभार ढेर, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन्स के निर्माण, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपाय, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास के उपाय और बेन्चेज में खनन से सम्बन्धित पर्यावरणीय शर्तों को पूरा करने में गंभीर कमियों एवं उदासीनता की ओर ध्यान दिलाया।

हमने पाया कि चार पट्टेधारकों और 20 पट्टेधारको जिनके पट्टे निरस्त/अभ्यर्पित किये गये थे, से अनिवार्य वित्तीय आश्वासन राशि की वसूली नहीं की गई थी। स्पष्ट निर्देशों के अभाव में छः पट्टेधारकों से जमा वित्तीय आश्वासन राशि व्यय नहीं की जा सकी। आगे, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर का केवल 25.81 प्रतिशत 2011-17 के दौरान व्यय किया गया। कोष ऐसे कार्यों के लिये स्वीकृत किये गये जो उन उद्देश्यों से मेल नहीं खाते थे जिनके लिये उपकर एकत्रित किया गया था। विभाग ने पर्यावरण प्रबन्धन कोष ₹ 295.03 करोड़ भी एकत्रित किया था परन्तु व्यय करने के लिये किसी मार्गदर्शिका के अभाव में उसे उपयोग नहीं किया जा सका।

वन विभाग

3.2 राजस्थान के हरितीकरण के माध्यम से जल संग्रहण का विकास

3.2.1 परिचय

राज्य सरकार द्वारा डिग्रेडेड (परिभ्रांषित) वनों के पुनर्वास के लिए एक परियोजना "राजस्थान के हरितीकरण के माध्यम से जल संग्रहण का विकास" बनाई थी। कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने परियोजना के लिए ऋण स्वीकृत किया था। ₹ 988.56 करोड़ की लागत से 1,59,000 हैक्टर परिभ्रांषित वनों का उपचार करने की योजना बनाई गई थी। 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान परियोजना के प्रथम चरण में राशि ₹ 336.66 करोड़ रुपये की कुल लागत से 52,750 हैक्टर परिभ्रांषित भूमि का उपचार परिकल्पित था। परियोजना की मार्गदर्शिका के अनुसार परियोजना का क्रियान्वयन वन विभाग और ग्राम वन संरक्षण/प्रबंधन समिति के मध्य एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से किया जाना था। इस परियोजना को कुल 33 जिलों में से चयनित 17 जिलों²³ में क्रियान्वित किया गया था।

परियोजना के प्रथम चरण के क्रियान्वयन और निष्पादन के दौरान 2012-13 से 2016-17 में ₹ 311.38 करोड़ का बजट आवंटन किया गया था और परियोजना की विभिन्न गतिविधियों पर ₹ 289.61 करोड़ का व्यय किया गया था। 2012-13 से 2016-17 के दौरान गतिविधि-वार भौतिक लक्ष्यों और उपलब्धियों को **परिशिष्ट 3.4** में दिया गया है।

3.2.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

अभिलेखों की लेखापरीक्षा प्रधान मुख्य वन संरक्षक; प्रधान वन फोर्स; उप वन संरक्षक, नाबार्ड; राज्य सरकार के वित्त विभाग (व्यय प्रभाग); अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक (विकास/प्रबंधन/परियोजना निर्माण/नाबार्ड) और उप वन संरक्षकों की अध्यक्षता वाले सात खण्डों²⁴ जिन्हे स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना पद्धति को अपनाकर 29 प्रभागों में से चुना गया था, के कार्यालयों में 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि को आवृत्त करते हुए संचालित की गयी। इसके अलावा, चुने गए कार्यस्थलों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण विभागीय अधिकारियों के साथ निष्पादित कार्यों के सत्यापन हेतु किया गया था। लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए संचालित की गई थी कि विभिन्न गतिविधियों का प्रभावी ढंग से निष्पादन और आवश्यक प्रबंधन और मूल्यांकन किया गया था।

²³ अजमेर, अलवर, बारां, बूंदी, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सिरौही, टोंक एवं उदयपुर

²⁴ अजमेर, भरतपुर, बूंदी, कोटा, (वन्य जीव) मु.रा.उ.कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.2.3 सूक्ष्म योजनाओं की तैयारी

परियोजना के दिशा-निर्देशों में बताया गया था कि प्रारम्भ से ही आवश्यकता पर आधारित और विकास की एक इकाई के रूप में एक गांव को ले कर क्षेत्र विशिष्ट योजनाओं को सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन के माध्यम से तैयार किया जाएगा। तैयार की गई सूक्ष्म योजनाओं की ग्राम वन संरक्षण/प्रबंधन समिति²⁵ की बैठकों में चर्चा की जाएगी और सम्बन्धित उप वन संरक्षक के द्वारा अनुमोदित की जायेगी। एक बार तैयार की गई सूक्ष्म योजना पांच साल की अवधि के लिए वैध होगी। तथापि, सूक्ष्म योजना की समीक्षा दो वर्षों के बाद की जाएगी। चयनित खण्डों के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित बिन्दु देखे गये:

➤ 172 सूक्ष्म योजनाओं को चयनित खण्डों में तैयार किया गया था, जिसमें से 12 सूक्ष्म योजनाओं²⁶ के अनुमोदन की तारीख सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी। सम्बन्धित परियोजनाओं पर ₹ 3.37 करोड़²⁷ का व्यय किया गया था।

➤ 145 प्रकरणों में सूक्ष्म योजनाओं की समीक्षा दो साल बाद नहीं की गई थी।
➤ उप वन संरक्षक (वन्य जीव) मुकुन्दरा राष्ट्रीय उद्यान (मु.रा.उ.), कोटा में पांच मामलों में सूक्ष्म योजनाओं के अनुमोदन (मार्च 2016) से पहले कार्य निष्पादित किया गया था।

➤ उप वन संरक्षक, अजमेर और बूंदी के मामले में यह पाया गया कि 19 प्रकरणों²⁸ में सूक्ष्म योजनाओं के अनुमोदन की तारीखें सम्बन्धित ग्राम वन संरक्षण/प्रबंधन समितियों के पंजीकरण की तारीखों से पहले की थी।

विभिन्न प्रकार की मृदा और जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तथापि, स्थल उपयुक्तता और संरचनाओं की प्रकृति के चयन के समर्थन में सर्वेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थे।

3.2.4 वनीकरण

3.2.4.1 वनीकरण के लिए भूमि के वर्गीकरण का अभाव

परियोजना के प्रथम चरण में 52,750 हैक्टर परिभाषित भूमि को उपचार के लिए लिया गया। परियोजना की मार्गदर्शिका के अनुसार, परिभाषित भूमि को विशिष्ट

²⁵ फोरेस्ट मेनुअल (राजस्थान सरकार) के प्रावधानों के अनुसार, उप वन संरक्षक अथवा समकक्ष अधिकारी इन समितियों का पंजीयन करेगा।

²⁶ उप वन संरक्षक भरतपुर: 4 एवं राजसमंद: 8

²⁷ उप वन संरक्षक राजसमंद ₹ 2.88 करोड़ एवं उपवन संरक्षक भरतपुर ₹ 0.49 करोड़

²⁸ उप वन संरक्षक अजमेर: 2, बूंदी: 17

क्षेत्रों में सघनता के आधार पर परिभ्रांषित वन-प्रथम का पुनर्वास (आरडीएफ-I), परिभ्रांषित वन-द्वितीय का पुनर्वास (आरडीएफ-II), सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण एवं पंचायत भूमि वृक्षारोपण के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना था।

चयनित खण्डों के अभिलेखों की समीक्षा में देखा गया कि योजना बनाते समय उपरोक्त श्रेणियों (परिभ्रांषित वन-I का पुनर्वास, परिभ्रांषित वन-II पुनर्वास एवं सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण) में वनीकरण के लिए वन भूमि का वर्गीकरण नहीं किया गया था। वर्गीकरण का विस्तृत विवरण न तो परियोजना प्रतिवेदन में उपलब्ध था न ही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया, जिसके अभाव में परिभ्रांषित वन भूमि के वर्गीकरण की सत्यता एवं प्रामाणिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

3.2.4.2 तकनीकी मानदंडों के अवलंबन का अभाव

➤ पांच खण्डों²⁹ के 19 कार्य-स्थलों पर ₹ 2.47 करोड़³⁰ का व्यय किया जाकर सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण कार्य निष्पादित किए गए। मॉडल अनुमानों के मद संख्या 4 पर सम्मिलित कार्य "सिंगलिंग एवं टेंडिंग³¹" जो कि वृक्षारोपण की उचित वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक था, का न तो निष्पादन किया गया एवं न ही निष्पादित नहीं किये जाने के कोई तकनीकी कारण ज्ञापित किए गए थे। यह भी पाया गया कि मॉडल अनुमानों से विचलन के लिए अगले उच्चतम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण स्थलों पर आवश्यक रूट स्टॉक को सुनिश्चित नहीं किया जा सका एवं सिंगलिंग एवं टेंडिंग का उद्देश्य विफल रहा।

➤ रोगों एवं कीटों के खतरों से वानिकी उपज संरक्षण एवं उसकी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बीज परीक्षण आवश्यक है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक के आदेशानुसार, बीज क्रय से पहले आवश्यक परीक्षण के लिए बीजों के नमूनों को भेजा जाना चाहिए। एकत्रित बीजों का बीज अंकुरण परीक्षण आवश्यक था एवं बीज खरीद के सम्बन्ध में भुगतान एकत्रित/बीज क्रय में गुणवत्ता परीक्षण के पश्चात किया जाना था। सात खण्डों में अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि रेंज कार्यालयों को खंडीय कार्यालय द्वारा ₹ 6.74 लाख के अवमानक बीज एवं ₹ 17.08 लाख के बीज प्रयोगशाला परीक्षण के बिना वितरित किये गये (परिशिष्ट 3.5)। लेखापरीक्षा आक्षेप के जवाब में, उप वन संरक्षक अजमेर ने कहा (मार्च 2017) कि वन वर्धन अधिकारी के पूर्वोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ ने

²⁹ उप वन संरक्षक भरतपुर, बूंदी, (वन्य जीव) मु.रा.उ.कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद

³⁰ उप वन संरक्षक भरतपुर: ₹ 25.93 लाख; बूंदी: ₹ 78.35 लाख; (वन्य जीव) मु.रा.उ.कोटा: ₹ 12.52 लाख प्रतापगढ़: ₹ 101.19 लाख; राजसमंद: ₹ 29.42 लाख

³¹ सिंगलिंग अर्थात् बहु-तनों को हटाना एवं टेंडिंग अर्थात् अनावश्यक छोटे पौधों को हटाना। ये क्रिया-कलाप जड़ों की प्रतिस्पर्धा एवं जलीय प्रस्वेदन हानि कम करने और प्रकाशीय स्थितियों में सुधार हेतु अपेक्षित है।

अवगत कराया कि वृक्षारोपण कार्य को पूरा करने के लिए सीमित समयसीमा को देखते हुए बीज अंकुरण परीक्षण नहीं किये जा सके। उप वन संरक्षक कोटा, राजसमंद, बूंदी, भरतपुर एवं (वन्य जीव) मुकुन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा के उत्तर प्रतीक्षित रहे।

➤ प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने तकनीकी अनुमानों के बिना कोई भी कार्य शुरू नहीं किये जाने हेतु निर्दिष्ट करते हुए आदेश जारी किए (अक्टूबर 2002)। वृक्षारोपण से सम्बन्धित विकास कार्य के प्रस्तावों में अनिवार्य रूप से विस्तृत तकनीकी नोट, मानचित्र और अनुमान शामिल होने चाहिए। अभिलेखों की जांच से पता चला कि तीन खण्डों³² में आरडीएफ-I, आरडीएफ-II एवं सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण के 29 स्थलों³³ के मामलों में तकनीकी स्वीकृति जारी करने से पूर्व ही वृक्षारोपण कार्य प्रारम्भ एवं भुगतान कर दिया गया था (परिशिष्ट 3.6)। पूर्वोक्त प्रकरणों में तकनीकी स्वीकृति जारी करने से पूर्व वृक्षारोपण कार्य का प्रारम्भ किया जाना अनियमित एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा जारी किए निर्देशों के विपरीत था।

➤ वन विभाग, राजस्थान सरकार के अनुसार डेढ़ वर्ष की आयु एवं एक से डेढ़ मीटर आकार के पौधे वृक्षारोपण हेतु परिपक्व माने जाएंगे। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों एवं सूचनाओं की समीक्षा में पाया कि उप वन संरक्षक, बूंदी में कार्य-स्थल सौरण ए पर आरडीएफ-I के अंतर्गत केवल पांच माह के अपरिपक्व पौधे लगाए गए। इसी प्रकार उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ में आरडीएफ-II के अंतर्गत पानीघाटा, आरडीएफ-I के अंतर्गत नयन वडली खेडा-III व खानकुडी एवं सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण के अंतर्गत चितरीमाता में चार से सात माह की आयु के पौधे लगाए गए। उप वन संरक्षक, भरतपुर के प्रकरण में आठ कार्य-स्थलों³⁴ पर पांच से सात माह की आयु के पौधे लगाए गए। विभाग ने ₹ 2.26 करोड़ (उप वन संरक्षक बूंदी: ₹ 26.94 लाख; प्रतापगढ़: ₹ 75.65 लाख; भरतपुर: ₹ 123.53 लाख) का व्यय अपरिपक्व पौधों के वृक्षारोपण पर किया। अपरिपक्व पौधे चराई के लिए कमजोर होते हैं और इनकी मृत्यु की अधिक आशंका रहती है। लेखापरीक्षा आक्षेप के उत्तर में विभाग ने सूचित किया कि पौधों की मृत्युदर उप वन संरक्षक, बूंदी: (1 स्थल) 15 प्रतिशत; प्रतापगढ़: (4 स्थल) 30 से 48 प्रतिशत एवं भरतपुर: (8 स्थल) 40 से 50 प्रतिशत थी। ऐसी उच्च मृत्युदर के कारणों के निर्धारण हेतु कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था।

³² उप वन संरक्षक (वन्य जीव) मु.रा.उ., कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद

³³ उप वन संरक्षक (वन्य जीव) मु.रा.उ., कोटा: 2, उप वन संरक्षक राजसमंद: 19, प्रतापगढ़: 8

³⁴ आरडीएफ-I: बिलोद, आरडीएफ-II: कानकांचल, गोगेरा-I, बोलखेड़ा, कानकांचल-II, सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण: मनसापुरा, माटीया पहाड़, पंचायत भूमि वृक्षारोपण: राजपुरा-II

3.2.5 मृदा और जल संरक्षण संरचनाएं

3.2.5.1 मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण में सूक्ष्म योजना से विचलन

चयनित खण्डों³⁵ के अभिलेखों की समीक्षा में हमें सूक्ष्म नियोजन से विचलन के प्रकरण मिले। यह देखा गया कि प्रारंभिक रूप से विशिष्ट स्थानों पर प्रस्तावित राशि ₹ 2.14 करोड़ के 33 कार्यों के स्थान पर खण्डों द्वारा राशि ₹ 1.21 करोड़ के 28 कार्य मूल रूप से प्रस्तावित कार्य स्थलों से भिन्न क्षेत्रों में निष्पादित किए गए थे। इसलिए, परियोजना कार्यों का क्रियान्वयन प्रासंगिक सूक्ष्म योजना के अनुसार नहीं किया गया था। इस प्रकार के कार्यों का विवरण **परिशिष्ट 3.7** में दर्शाया गया है।

3.2.5.2 गठित समिति से स्वीकृति प्राप्त किए बिना मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण

प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार ने सूक्ष्म जल संग्रहण आधारित योजनाओं के भली भांति नियोजन हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समिति (अगस्त 2011) का गठन किया था। समिति में वन विभाग सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। समिति की स्वीकृति के बिना किसी भी परियोजना पर विचार नहीं किया जाना था। जल संसाधन विभाग ने भी यह स्पष्ट किया (जून 2012) कि एनिकट्स/जल संचयन संरचनाओं, चैक डेम के निर्माण से पूर्व संरचनाओं की ऊंचाई एवं भराव क्षमता निर्धारण हेतु समिति की सहमति आवश्यक होगी।

चयनित खण्डों के अभिलेखों की समीक्षा में प्रकट हुआ कि सात खण्डों में 419 चेकडेम, टाईप II के 56 एनिकट, टाईप III के 29 एनिकट एवं 76 वाटर जल संचयन संरचनाओं का निर्माण जिसमें ₹ 8.87 करोड़ का व्यय निहित था (**परिशिष्ट 3.8**) समिति की सहमति लिए बिना किया गया था।

लेखापरीक्षा आक्षेप के जवाब में उप वन संरक्षक, कोटा ने अवगत कराया (फरवरी 2017) कि निर्मित संरचनाओं की ऊंचाई दो मीटर ऊंचाई से कम थी एवं उनका निर्माण जल संरक्षण के स्थान पर मृदा संरक्षण हेतु किया गया था; उप वन संरक्षक (वन्य जीव), मु.रा.उ., कोटा ने अवगत कराया (मई 2017) कि निर्मित संरचनाएं दो मीटर ऊंचाई से कम की थी एवं किसी जलाशय के जल संग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं थी। अतएव समिति की स्वीकृति आवश्यक नहीं थी।

दो मीटर की ऊंचाई वाली संरचनाओं के बारे में विभाग का तर्क प्रासंगिक नहीं था क्योंकि वन विभाग अपने स्वयं के आदेशों में पहले ही स्पष्ट कर चुका था कि संरचनाओं की ऊंचाई पर ध्यान दिए बिना पूर्वोक्त समिति की स्वीकृति प्राप्त

³⁵ उपवन संरक्षक भरतपुर, बूंदी, कोटा, उपवन संरक्षक (वन्य जीव) मु.रा.उ.कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद

की जानी थी। इसके आगे विभाग ने यह भी उत्तर दिया कि जल संरक्षण के स्थान पर मिट्टी के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए निर्माण किया गया था। यह भी मान्य नहीं है क्योंकि चेक डेम, एनिकट II, एनिकट III और जल संचयन संरचनाओं का निर्माण पैकेज संख्या तीन का हिस्सा था और मिट्टी और नमी संरक्षण से सम्बन्धित था।

3.2.6 संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियां

संयुक्त वन प्रबंधन के लिए ग्राम-वार ग्राम वन संरक्षण/प्रबंधन समिति का गठन किया जाना था। उप वन संरक्षक या समकक्ष अधिकारी इस समिति को पंजीकृत करेंगे और ग्राम वन संरक्षण/प्रबंधन समिति एक अद्यतन सदस्य पंजिका का संधारण करेगी। ग्राम वन संरक्षण/प्रबंधन समिति की कम से कम 33 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी। इसके अतिरिक्त महिला उपसमिति गठित की जाएगी और कार्यकारी समिति में कम से कम एक मुख्य पद पर महिला होगी। कार्यकारी समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा और इस अवधि की समाप्ति के बाद नए चुनाव होंगे। ग्राम वन संरक्षण/प्रबंधन समिति प्रत्येक वर्ष कम से कम दो सामान्य बैठकों का आयोजन करेगी और क्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकारी और वन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी ग्राम वन संरक्षण/प्रबंधन समिति के राजस्व से सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण करेंगे।

चयनित खण्डों में गठित 183 ग्राम वन संरक्षण/प्रबंधन समिति में यह देखा गया कि:

- 2012-13 से 2016-17 के दौरान, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आय सृजन की गतिविधियों का संचालन करने के लिए संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियों के अंतर्गत 41 ग्राम वन संरक्षण/प्रबंधन समिति को ₹ 30.99 लाख आवंटित किये गये थे। यह देखा गया कि ग्राम वन संरक्षण/प्रबंधन समिति को आवंटित राशि स्वयं सहायता समूहों को वितरित नहीं की गई थी, जिसके कारण आय सृजन गतिविधियां संचालित नहीं की गई थी। यह भी पाया गया कि विभाग में अवरूद्ध राशि की वसूली करने के लिए उचित कार्यवाही नहीं की गई थी।
- 53 मामलों में से 28 मामलों³⁶ में (उप वन संरक्षक, बूंदी: 37 और कोटा: 16) ग्राम वन संरक्षण/प्रबंधन समिति में शामिल होने वाली महिलाओं की संख्या, महिलाओं की निर्धारित कुल संख्या से कम थी। 16 मामलों³⁷ में महिला उप समितियां या तो गठित नहीं की गई थी अथवा समितियों में कोई महिला प्रतिनिधि नहीं थी। जिसके फलस्वरूप संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकी।
- सभी 183 मामलों में, कार्यकारी समितियों के कार्यकाल के पूरा होने के बाद हुए चुनावों की तिथियां उपलब्ध नहीं करवाई गईं।

³⁶ उप वन संरक्षक बूंदी: 15 कोटा: 10 मु.रा.उ. कोटा: 03

³⁷ उप वन संरक्षक अजमेर: 4, भरतपुर: 6, प्रतापगढ़: 2, राजसमंद: 4

- इसके आगे, मार्गदर्शिका के अनुसार प्रत्येक वर्ष में आयोजित होने वाली वांछित दो आम सभाओं का आयोजन नहीं किया गया था
- सभी 183 ग्राम वन संरक्षण/प्रबंधन समिति के अभिलेखों का निरीक्षण विभागीय अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया था एवं अभिलेखों की लेखापरीक्षा भी संचालित नहीं की गई थी जिसके कारण अनियमितताओं और कमियों का पता नहीं लगाया जा सका।

3.2.7 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से अभिसरण

पैकेज संख्या आठ अर्थात् 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना के माध्यम से अभिसरण' में संवेदनशील असुरक्षित वन एवं वन्यजीव क्षेत्र को पक्की पत्थर की दीवार की बाड़ से निर्मित करने हेतु 1000 हैक्टर में ₹ 37.36 करोड़ के आवंटन का प्रावधान था। चयनित खण्डों³⁸ के अभिलेखों की जांच से पता चला कि अतिक्रमण के लिए अति संवेदनशील क्षेत्र को न तो चिन्हित किया गया था न ही पक्की पत्थर की दीवार की बाड़ लगाए जाने के लक्ष्य प्राप्त किए गए थे। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से प्रकट हुआ कि पक्की दीवार की बाड़ लगाने के लक्ष्य को 4900 हैक्टर (390 प्रतिशत) तक बढ़ाया गया था, जबकि वित्तीय लक्ष्यों को राशि ₹ 19.63 करोड़ (52.54 प्रतिशत) तक घटाया गया था। तथापि पैकेज पर कोई व्यय नहीं किया गया था।

विभाग ने उत्तर दिया (जून 2017) कि पक्की दीवार की बाड़ लगाया जाना मनरेगा में अनुमत्य नहीं था। इस प्रकार, योजना में पक्की दीवार के निर्माण की स्वीकृति नहीं होने के बावजूद इस घटक को परियोजना में एक अलग पैकेज के रूप में शामिल किया गया था।

3.2.8 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

परियोजना की मार्गदर्शिका के अनुसार, उप वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं आयोजना प्रतिवर्ष यादृच्छिक रूप से चयनित खण्डों में यादृच्छिक रूप से चयनित कार्यों का मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार करेंगे। एक कार्य का पूर्णतः मूल्यांकन किया जाएगा और शेष कार्यों का आंशिक रूप से (क्षेत्र के 10 प्रतिशत के समतुल्य) मूल्यांकन किया जाएगा। महत्वपूर्ण विचलन पाए जाने के प्रकरण में उन कार्यों का भी मूल्यांकन किया जाना था।

उप वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं आयोजना के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रतिवेदनों की समीक्षा से प्रकट हुआ कि पांच खण्डों³⁹ में केवल वनीकरण पैकेज का ही मूल्यांकन किया गया था। मूल्यांकन प्रतिवेदनों ने परियोजना कार्यों का कार्यान्वयन

³⁸ उप वन संरक्षक अजमेर, भरतपुर, बूंदी, कोटा, (वन्य जीव) मु.रा.उ. कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद

³⁹ अजमेर, बूंदी, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद

यथा प्राकृतिक पौधों की कट बैक कार्य, अप्रभावी बाड़ लगाने, कम आकार के गड्ढों की खुदाई, पालतू जानवरों के साथ-साथ जंगली जानवरो द्वारा चराई, क्षेत्र में प्राकृतिक घास की असंतोषजनक स्थिति और वी-डिचेज पर औषधीय बीजों की बुवाई की कमी को इंगित किया।

कमियों पर की गई कार्यवाही प्रतिवेदनों को न तो अभिलेखों में पाया गया न ही तीन खण्डों⁴⁰ के द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा, उप वन संरक्षक (वन्य जीव) मु.रा.उ., कोटा का अनुश्रवण और मूल्यांकन कार्य नहीं किया गया था, जिसके कारण परियोजना कार्यों का कार्यान्वयन, बिना अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किए रहा। उप वन संरक्षक, भरतपुर के प्रकरण में अनुश्रवण और मूल्यांकन प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए इस प्रकार लेखापरीक्षा द्वारा उक्त कार्य बिना समीक्षा के रहा।

मार्गदर्शिका के अनुसार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा नियुक्त बाह्य अभिकरण तीन वर्ष बाद 10 प्रतिशत परियोजना खण्डों का मूल्यांकन करेंगे।

यह देखा गया कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा बाह्य अभिकरणों की नियुक्ति के अभाव में 10 प्रतिशत परियोजना खण्डों में तीन साल के बाद किए जाने वाले मूल्यांकन कार्य संचालित नहीं किए जा सके थे।

प्रकरण राज्य सरकार को भेजा गया (जुलाई 2017), उत्तर अपेक्षित था।

3.2.9 निष्कर्ष

परियोजना के आयोजना स्तर पर परिभ्रांषित भूमि के वर्गीकरण, स्थल चिन्हीकरण और मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं के प्रकार के आधार को रिकार्ड एवं सर्वेक्षण प्रतिवेदनों के अभाव में सत्यापित नहीं किया जा सका। मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण के विचलन के अलावा सूक्ष्म योजनाओं को तैयार किए जाने में कमियां थी।

इसी प्रकार, कृषि वानिकी एवं संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियों के पैकेजों के संदर्भ में अप्रमाणित बीजों के क्रय/संग्रहण एवं उपयोग तथा परियोजना की मार्गदर्शिका के पालन न करने के दृष्टांत भी थे।

आंतरिक एजेन्सियों द्वारा अनुश्रवण और मूल्यांकन के लिए निर्धारित मानदंड का पालन नहीं किया गया और परियोजना मूल्यांकन के लिए बाहरी एजेन्सियों को नियुक्त नहीं किया गया था।

⁴⁰ बूंदी, कोटा, राजसमंद

सार्वजनिक निर्माण विभाग

3.3 राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना का कार्यान्वयन

3.3.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा सम्मिलित नहीं किए गए राज्य के गांवों को चरणबद्ध तरीके से सभी मौसम में उपयोग लिए जाने योग्य डामरीकृत सड़कों हेतु 250 से 499 (जनगणना-2001) के बीच आबादी वाले सभी गांवों को जोड़ने का निर्णय लिया (2012-13)। इसे प्राप्त करने के लिए, राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना (परियोजना) को राजस्थान सरकार द्वारा 2013-14 में शुरू किया गया। परियोजना के तीन मुख्य घटक थे-ग्रामीण सम्पर्क में सुधार, सड़क क्षेत्र के प्रबंधन को मजबूत बनाना और सड़क सुरक्षा में वृद्धि।

यह परियोजना विश्व बैंक और राज्य सरकार द्वारा 70:30 के अनुपात में वित्त पोषित है। कुल परियोजना लागत ₹ 1362 करोड़ है। पहला घटक "ग्रामीण सम्पर्क सुधार" का उद्देश्य 250-499 की आबादी वाले लगभग 1300 रेवेन्यू गांवों को सम्पर्क प्रदान करने के लिए 2500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कार्य करना था। दूसरे घटक में ग्रामीण सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण योजना हेतु सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण एवं प्रदर्शन वृद्धि सम्मिलित है। तीसरा घटक "सड़क सुरक्षा प्रबंधन" का उद्देश्य यातायात दुर्घटनाओं से मृत्यु की संख्याओं और गंभीर चोटों को कम करना था।

3.3.2 परियोजना की स्थिति

परियोजना की शुरुआत और समापन तिथी क्रमशः 10 मार्च 2014 और 31 दिसम्बर 2018 थी। परियोजना पर ₹ 1156.86 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध वर्ष 2013 और 2017 के बीच ₹ 951.76 करोड़ का व्यय किया गया था। घटक-ए ग्रामीण संपर्क सुधार के तहत 2521 किलोमीटर की सड़कों के निर्माण के माध्यम से 1056 गांवों को सड़क संपर्क प्रदान किया जाना था। यह देखा गया कि मार्च 2017 तक 2225 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया गया एवं 990 गांव जोड़े गये थे।

दूसरे घटक में तीन प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् वहनीय परिसंपत्ति प्रबंधन; उन्नत नीति ढांचा; इंजीनियरिंग प्रथाओं और व्यावसायिक प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण को सम्मिलित किया गया था। यह देखा गया कि वहनीय सड़क सम्पत्ति प्रबंधन प्रणाली को दो चरणों में 30 जनवरी 2017 तक लागू किया जाना था। तथापि, सड़क सम्पत्ति प्रबंधन प्रणाली के तंत्र को डिजाइन करने के पहले चरण का कार्य अधूरा था (मार्च 2017) परिणामस्वरूप, दूसरे चरण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। इसी तरह, तीसरे घटक 'सड़क सुरक्षा प्रबंधन' के सुरक्षित कॉरिडोर प्रदर्शन कार्यक्रम

से सम्बन्धित कार्य में केवल प्रस्तावित डेमो कॉरिडोर पर अंतिम प्रतिवेदन और सुरक्षित सड़क निवेश योजनाएं पूरी हो चुकी थी और अन्य कार्य प्रगति पर है।

3.3.3 कार्यक्षेत्र तथा कार्य प्रणाली

राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना की लेखापरीक्षा 2013-14 से 2016-17 तक की अवधि के लिए मुख्य अभियंता (प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना), सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर के कार्यालयों में उपलब्ध अभिलेखों के अध्ययन और स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना पद्धति⁴¹ के द्वारा 74 खण्डों में से 18 खण्डों⁴² के चयन के माध्यम से की गई। नमूना-जाँच किये गये खण्डों में 137 पैकेजों में शामिल 417 सड़क कार्य किये गये।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

घटक ए - ग्रामीण संपर्क सुधार

3.3.4 योजना

3.3.4.1 नियोजन के लिए डेटा का अभाव

➤ कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सम्मिलित नहीं किये गये सभी गांवों को जो कि 250 से 499 के बीच की आबादी के है, को सभी मौसम की सड़क संपर्क प्रदान करना था। परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज⁴³ के अनुसार 7357 ऐसे गांव थे जो अक्टूबर 2013 में 500 से नीचे आबादी⁴⁴ वाले थे। राज्य सरकार द्वारा पुनर्मिलान किये जाने (नवम्बर 2015) के परिणामस्वरूप ऑनप्रले⁴⁵ पर दिखाए गये 250 से 499 के बीच कि जनसंख्या वाले असंबद्ध आबादियों की संख्या में 1571 की वृद्धि हुई। तथापि, विभाग ने मार्च 2017 तक कनेक्टिविटी प्रदान किये जाने वाले एवं अन्य योजना के अंतर्गत कवर किये गये अथवा कवर किये जाने वाले गांवों का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं

⁴¹ स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना पद्धति एक ऐसी तकनीक है जो संभावित नमूनों को प्रतिबंधित करने का प्रयास करती है जो कम चरम पर है यह सुनिश्चित करके कि आबादी के सभी हिस्सों को नमूना में प्रतिनिधित्व किया जाता है ताकि कार्यप्रणाली की दक्षता में वृद्धि हो सके।

⁴² अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड, आबू रोड़, अलवर II, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी (विश्व बैंक), चौमहला, छबड़ा, चित्तौड़गढ़ (विश्व-बैंक), दौसा, नगर खंड जयपुर, जिला खण्ड जयपुर, मालपुरा, निम्बाहेड़ा, राजसमंद (विश्व-बैंक), सवाईमाधोपुर (विश्व-बैंक), सिकंदरा, श्रीगंगानगर, सूरतगढ़

⁴³ विश्व बैंक द्वारा तैयार किया गया परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज जिसके आधार पर ऋण संस्वीकृत हुआ।

⁴⁴ आबादी जनसंख्या का एक समूह है जो किसी स्थान पर रहती है, जिसकी स्थिति परिवर्तित नहीं होती है, कुछ आबादियां एक गांव का निर्माण करती है।

⁴⁵ ऑनलाईन निगरानी, प्रबंधन और लेखाप्रणाली

कराया। यह देखा गया कि परियोजना के तहत संपर्क के लिए 1056 गांवों का चयन किया गया और 1500 गांवों को कृषि और ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक के तहत सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित किया गया। शेष 4801 गांवों⁴⁶ के बारे में जानकारी नहीं दी गई। इसके अलावा विभाग द्वारा 1571 आबादियों में वृद्धि के कारण बड़े गांवों के सड़क संपर्क के सम्बन्ध में सूचना नहीं दी गई।

विश्वसनीय आंकड़ों की अनुपस्थिति में यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या सभी मौसम डामरीकृत सड़कों के सम्पर्क प्रदान करने की योजना के दौरान, 250 से 499 के बीच आबादी वाले सभी गांवों को ध्यान में रखा गया था।

➤ परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज के अनुसार परियोजना प्रबंधन सलाहकार को परिचालन नियमावली तैयार करने में सार्वजनिक निर्माण विभाग को मदद करनी आवश्यक थी जिसमें विभिन्न परियोजना घटकों के लिए कार्यान्वयन व्यवस्था मय परियोजना की निगरानी, कोष प्रवाह और सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं के प्रबंधन सहित पहलू सम्मिलित होंगे।

मुख्य अभियंता (प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना) के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के लिए परिचालन नियमावली को तैयार नहीं किया गया था।

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ने कहा कि परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज एक कानूनी दस्तावेज नहीं था और यह परिचालन नियमावली तैयार करने के लिए ऋणग्राही बाध्यकारी नहीं था। तथापि, राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2017) कि परियोजना प्रबंधन सलाहकार को एक महीने में परिचालन नियमावली तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं।

3.3.4.2 स्पष्ट स्थल की अनुपलब्धता

लोक निर्माण वितीय एवं लेखा नियमों के नियम 351 के अनुसार, ऐसी भूमि पर कोई भी काम शुरू नहीं किया जाना चाहिए, जिसे उत्तरदायी सिविल अधिकारियों द्वारा सम्यक् रूप से सौंपा नहीं गया हो।

चयन किए गए खण्डों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि:

➤ आबू रोड खण्ड में वासा से केदार पादर⁴⁷ (किमी 0/0 से 3/400) के लिए सड़क की स्वीकृति जारी की गई थी लेकिन सड़क के चैनेज 0/383 से 0/833 और 3/010 से 3/400 में भूमि विवाद के कारण कार्य नहीं किया गया। जिसके अभाव में सभी मौसम संपर्क सड़क का उद्देश्य ₹ 1.54 करोड़ के व्यय के उपरान्त भी पूरा नहीं हुआ।

⁴⁶ 7357-(1056+1500)

⁴⁷ पैकेज संख्या-आरजे 29-डब्ल्यूबी/आरआरएसएमपी-01

➤ सवाईमाधोपुर (विश्व बैंक) खण्ड में खांडर-बालेर से परसीपुरा⁴⁸ (4.13 किमी) की एक सड़क की ₹ 1.86 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई। लेकिन वन विभाग से भूमि (690 मीटर) की मंजूरी के अभाव में सड़क अधूरी रही और सड़क सम्पर्क का उद्देश्य ₹ 60.44 लाख का व्यय करने के उपरान्त भी पूरा नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाए जाने पर (मई 2017) राज्य सरकार ने बताया (सितम्बर 2017) कि कार्य समय को बचाने के लिए प्रारम्भ किया गया था और साथ ही वन विभाग से मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाते समय ट्रान्जेक्ट वॉक के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिकारियों, सरपंच और अन्य लोगों के साथ भूमि, वन आदि की स्थिति पर विचार किया गया। उत्तर दर्शाता है कि ट्रान्जेक्ट वॉक उचित रूप से आयोजित नहीं किया गया था।

अपर्याप्त सर्वेक्षण का मुद्दा आठ जिलों के 11 सड़क कार्यों में कुल लम्बाई 20.08 किलोमीटर (*परिशिष्ट 3.9*) में देखा गया था। बांध के डूब क्षेत्र में होने, दोहरी सम्पर्कता, भूमि विवाद या अन्य योजना में सड़क बन जाने के कारण बाद में इनकी संस्वीकृति रद्द किए जाने हेतु प्रस्तावित किया गया था।

राज्य सरकार ने (सितम्बर 2017) तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि भविष्य में ऐसी गलतियों से बचने और लापरवाही के कारणों को समझाने के लिए सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

3.3.5 कार्यान्वयन

3.3.5.1 संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति के बिना व्यय करना और तकनीकी स्वीकृति जारी करने से पूर्व निविदाएँ आमंत्रित किया जाना

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार जब किसी निर्माण कार्य पर व्यय उसके लिए प्रशासनिक रूप से अनुमोदित राशि से 10 प्रतिशत से अधिक हो जाता है या अधिक होने की संभावना है, या जहां मूल प्रस्तावों से सामग्री विचलन होता है, तो इस प्रकार बढ़ी हुई लागत के अनुमोदन के लिए सक्षम अधिकारी से पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

ब्यावर और निम्बाहेड़ा खण्डों के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि तीन पैकेज (सात निर्माण कार्य) में ₹ 5.66 करोड़ का व्यय किया गया। यह प्रशासनिक स्वीकृति से 23.30 प्रतिशत अधिक है। तथापि, ऐसी कोई संशोधित स्वीकृति नहीं मिली थी।

⁴⁸ पैकेज संख्या-आरजे 27-डब्ल्यूबी/आरआरएसएमपी-09

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2017) कि सभी परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों को संशोधित प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजने एवं अनुमति के बिना और कार्य नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।

चार खण्डों⁴⁹ के छः पैकेज (13 सड़क निर्माण) में तकनीकी स्वीकृति जारी करने से पहले निविदाएं आमंत्रित की गईं (परिशिष्ट 3.10) यह लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों में उल्लिखित नियमों के विपरीत था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2017) कि निविदाएं एनआईटी व्यय को कम करने के साथ ही कार्य के जरूरी होने के कारण समय की बचत के लिए मुख्य अभियंता के स्तर पर जारी की गईं। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध था।

3.3.5.2 संवेदकों को अनुचित लाभ

अनुबंध कि सामान्य शर्त यह निर्दिष्ट करती है कि:

➤ अनुबंध डेटा में दिये गये सूत्र के अनुसार श्रम, सामग्री, ईंधन एवं ल्यूब्रीकेन्ट और अन्य उत्पादक सामग्री की दरों में वृद्धि या घटने के लिए अनुबंध मूल्य समायोजित किया जाएगा। सीमेंट के उपयोग के मामले में, ग्रे सीमेंट की दर और स्टील के उपयोग के मामले में, स्टील रीबार की दर लागू होगी। बिटुमिन के मामले में, रिफाइनरी से बेची गई बिटुमिन की दर मूल्य समायोजन की गणना हेतु ली जाएगी। चयनित खण्डों के अभिलेखों की जांच पर हमें अनुबंध कि सामान्य शर्तों से कई विचलन मिले हैं, जो नीचे दिये गये हैं:

➤ निम्बाहेड़ा खण्ड में, एक पैकेज (तीन सड़क निर्माण) में, अगस्त 2013, जिस महीने में निविदाएं खोली गईं, के बजाए मार्च 2013 के आधार सूचकांक को अपनाने की वजह से संवेदक को अतिरिक्त मूल्य समायोजन का भुगतान किया गया था। इसके अलावा स्टील रीबार के बजाए स्टील रॉड पर मूल्य समायोजन का दावा किया गया था।

➤ दौसा खण्ड में, एक पैकेज (पांच सड़क निर्माण) ग्रे सीमेंट के स्थान पर, सीमेंट, स्लेट और ग्रेफाइट उत्पादों की दरें ली गईं।

➤ छबड़ा खण्ड के चार पैकेज (16 सड़क निर्माण) में, मूल्य समायोजन बिलों को प्रवेश कर सहित बिटुमिन की बिक्री मूल्य का भुगतान किया गया था।

➤ सूरतगढ़ खण्ड के पांच पैकेज (19 सड़क निर्माण) में, समायोजन डेटा की तालिका में वर्णित लागत के प्रत्येक कारक के लिए अधिशाषी अभियंता द्वारा जारी किये गये शुद्धिपत्र के अनुसार भार बदल दिया गया था, जो धारा 47.1(जी) के प्रावधानों के विरुद्ध था।

➤ सिकंदरा खण्ड के एक पैकेज (पांच सड़क निर्माण) में, बिटुमिन की दर महीने के पहले दिन के बजाए महीने के 16वें दिन पर ली गई थी, बिटुमिन की

⁴⁹ आबू रोड, अलवर-II, चौमहला और सवाईमाधोपुर (विश्व बैंक)

आधार तिथी अगस्त 2013 के बजाए जून 2013 ली गई थी और स्टील रिबार्स के स्थान पर स्टील रॉड की दर ली गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 67.45 लाख (परिशिष्ट 3.11) के मूल्य समायोजन का अधिक भुगतान हुआ।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2017) कि खण्डों के प्रभारी अधिशाषी अभियंता को निर्देश दिया गया है कि वे मूल्य समायोजन के कारण संवेदकों को किए गये अधिक भुगतान की वसूली करें।

➤ सम्पूर्ण कार्य या कार्य के भाग के पूरा होने के लिये जारी किये गये प्रमाणपत्र के 28 दिनों के भीतर संवेदक को परिचालन एवं रखरखाव नियमावली की आपूर्ति करनी होगी। अन्यथा अनुबंध मूल्य का एक प्रतिशत अधिकतम राशि ₹ तीन लाख की राशि रोकी जाएगी। चयनित खण्डों के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि नौ खण्डों⁵⁰ में कार्य पूरा होने के बाद भी परिचालन एवं रखरखाव नियमावली संवेदकों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी और सड़कों के रखरखाव से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। रखरखाव से सम्बन्धित नियमावली और अभिलेख प्रस्तुत करने की अनुपस्थिति में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वर्षा के कारण सड़क कटाव की मरम्मत, पुलिया एवं नदी पथ का अनुरक्षण, किनारों की मरम्मत आदि के लिए क्या कोई कार्रवाई निष्पादित की गई थी। इसके अतिरिक्त राशि ₹ 2.02 करोड़ रोके जाने के अभाव में संवेदकों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया (परिशिष्ट 3.12)।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2017) कि सभी परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों को संवेदकों द्वारा परिचालन एवं रखरखाव नियमावली प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

➤ स्वीकृति पत्र के 14 दिन के भीतर, संवेदक, परियोजना प्रबंधक को पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना सहित एक संशोधित निर्माण कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। वह 30 दिनों के अंतराल पर निर्माण कार्यक्रम को अद्यतन करेगा अन्यथा ₹ पांच लाख की राशि को रोका जाएगा। चयनित खण्डों के 136 पैकेज⁵¹ (416 सड़कों) में, संवेदकों ने स्वीकृति पत्र की तिथी के 14 दिनों के भीतर संशोधित निर्माण कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया और न ही निर्माण पूरा करने से पहले अद्यतन किया गया। विभाग ने बिलों से राशि ₹ 6.80 करोड़ की राशि को नहीं रोका जिसके परिणामस्वरूप संवेदकों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया (परिशिष्ट 3.13)।

⁵⁰ अलवर-II, चौमहला, चित्तौड़गढ़ (विश्व बैंक), छबड़ा, बूंदी (विश्व बैंक), दौसा, निम्बाहेड़ा, सवाईमाधोपुर (विश्व बैंक) और सूरतगढ़

⁵¹ आबू रोड़-I, अलवर-II-4, ब्यावर-I, भीलवाड़ा-9 बूंदी (विश्व बैंक)-7, चौमहला-2, चित्तौड़गढ़ (विश्व बैंक)-18, छबड़ा-19, दौसा-10, मालपुरा-10, निम्बाहेड़ा-18, राजसमंद (विश्व बैंक)-11, सवाईमाधोपुर (विश्व बैंक)-13, सिकंदरा-2 श्रीगंगानगर-5 और सूरतगढ़-6

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2017) कि सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों को निर्देश दिया गया है कि जहां भी अद्यतन निर्माण कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया गया था वहां ₹ पांच लाख की राशि रोके।

➤ संवेदक को कार्य शुरू करने की तारीख से पांच साल की दोष देयता अवधि के अंत तक सड़क का बीमा कवर प्रदान करना होगा। यदि संवेदक आवश्यक पॉलिसी और प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो नियोक्ता बीमा करवाएगा और नियोक्ता द्वारा किये गये प्रीमियम के भुगतान की वसूली संवेदक को देय भुगतान से की जाएगी। यह देखा गया कि 8 खण्डों⁵² में, 58 पैकेजों (176 सड़कों) में से 27 पैकेजों (76 सड़कों) में बीमा निर्माण अवधि के लिए बीमा कवर प्रस्तुत किया गया था जबकि इसे पांच वर्ष की दोष देयता अवधि तक प्रदान किया जाना था। 31 पैकेजों (100 सड़कों) में, संवेदकों द्वारा कोई बीमा कवर प्रस्तुत नहीं किया गया था (**परिशिष्ट 3.14**) इस प्रकार प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण संवेदकों को ₹ 1.43 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और उत्तर दिया (सितम्बर 2017) कि अनुबंध में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कर ली जाएगी।

➤ बोलीदाता को अनुदेश के अनुसार, स्वीकृति पत्र जारी करने के 21 दिनों के भीतर, सफल बोलीदाता अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा और नियोक्ता को एक निष्पादन प्रतिभूति प्रदान करेगा जो कि दोष देयता अवधि की समाप्ति अर्थात् पांच वर्षों के नियमित रख-रखाव की अवधि के 45 दिनों तक वैध होनी चाहिए। सफल बोलीदाता द्वारा बोलीदाता के अनुदेश की शर्तों का पालना न करना अनुबंध के निरस्तीकरण व निविदा प्रतिभूति को जब्त करने हेतु पर्याप्त आधार होगा।

चयनित खण्डों के अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि पांच खण्डों⁵³ के 27 पैकेजों में निष्पादन प्रतिभूति निर्धारित अवधि अर्थात् दोष देयता अवधि की समाप्ति के 45 दिनों के बाद की अवधि तक प्रस्तुत नहीं की गई। विभाग द्वारा सफल बोलीदाताओं (**परिशिष्ट 3.15**) के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2017) कि सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन इकाई से दोषी संवेदकों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में स्पष्ट करने तथा बैंक गारंटी को निर्धारित अवधि तक प्राप्त करने हेतु कहा गया है।

3.3.5.3 अपर्याप्त वृक्षारोपण

पर्यावरण सम्बन्धी और ग्रामीण सड़कों की हरियाली को सुगम बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि परियोजना के तहत सड़कों पर वृक्षारोपण किया जाए ताकि

⁵² ब्यावर, भीलवाड़ा, चौमहला, छबड़ा, चित्तौड़गढ़ (विश्व बैंक), दौसा, निम्बाहेड़ा और सवाईमाधोपुर (विश्व बैंक)

⁵³ ब्यावर, चित्तौड़गढ़ (विश्व बैंक), राजसमंद (विश्व बैंक), मालपुरा और निम्बाहेड़ा

पर्यावरण का संरक्षण हो व प्रदूषण को कम किया जा सके। वृक्षारोपण और इसका पांच वर्षों के लिए रखरखाव का कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना निधि के अंतर्गत किया जाना था और इसकी कार्यान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायत/वन विभाग थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग को परियोजना सड़कों पर सड़क किनारे वृक्षारोपण और सड़कों के नाम के बारे में विस्तृत जानकारी, वृक्षारोपण के लिए मंजूर लंबाई, पेड़ों की प्रजातियाँ और लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या के लिए एक कार्ययोजना उपलब्ध कराई जानी थी।

मार्च 2017 की तिमाही रिपोर्ट में 10 जिलों में लगाए जाने वाले 92,476 पेड़ों का लक्ष्य दिखाया गया। शेष जिलों के लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। तथापि, किसी भी जिले में कोई पेड़ नहीं लगाया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2017) कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

3.3.6 गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी

➤ बिडिंग डाटा शीट में कहा गया है कि संवेदक द्वारा कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक बिटुमिन/ईमल्सन का क्रय अधिकृत रिफाइनरी से ही किया जाना चाहिए एवं प्रयोग करने से पूर्व शासकीय संस्था/क्षेत्रीय प्रयोगशाला/अभियांत्रिक महाविद्यालय से प्राप्त जांच प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। चित्तौड़गढ़ (विश्व बैंक) खण्ड के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि सात पैकेजों में 22 सड़क कार्यों के लिए संवेदक द्वारा बिटुमिन/ईमल्सन जांच प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए गए। (परिशिष्ट 3.16) इसके अभाव में बिटुमिन और इमल्सन की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इसकी सम्बन्धित अधिशाषी अभियंता द्वारा भी जांच नहीं की गई। चार पैकेज (12 सड़क निर्माण कार्य) में सड़कों के लिए कायदेशि जारी किये जाने से पांच से 34 महीने पूर्व जारी प्रेषित रसीद प्रमाणपत्र⁵⁴ के आधार पर बिटुमिन/ईमल्सन का उपयोग किया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2017) कि परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों के कार्यालय से बिटुमिन/ईमल्सन के परीक्षण प्रमाणपत्र के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

➤ गुणवत्ता नियंत्रण रजिस्टर को दो भागों में संधारित किया जाना था: पहला भाग गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षणों की रिकार्डिंग के लिए और दूसरा भाग परीक्षणों के सार को दर्ज करने और कमियों को दूर करने की कार्यवाही के लिए। चयनित खण्डों के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया की गुणवत्ता नियंत्रण

⁵⁴ यह एक बिटुमिन/ईमल्सन से सम्बन्धित प्रमाणपत्र है और आपूर्तिकर्ता द्वारा संवेदक को निर्गमित किया जाता है।

रजिस्टर का पहला भाग सात खण्डों⁵⁵ द्वारा बनाया गया था जबकि दूसरे भाग को नहीं बनाया गया। यह पता नहीं लगाया जा सकता कि पहले भाग में दर्ज की गई कमियों का समाधान किया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2017) कि गुणवत्ता नियंत्रण रजिस्टर के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए सभी खण्डों को निर्देश जारी किये गये हैं।

➤ राज्य गुणवत्ता मॉनीटर⁵⁶ को प्रत्येक कार्य की गुणवत्ता का कम से कम तीन बार निरीक्षण करना था। प्रत्येक कार्य के पहले दो निरीक्षण तीन महीने के अंतराल पर कार्य के निष्पादन के दौरान किया जाएगा और अंतिम निरीक्षण कार्य पूरा होने के एक महीने के भीतर किया जाएगा। नमूना जांच से पता चला कि 977 पूर्ण (मार्च 2017) सड़क के कार्य के लिए राज्य गुणवत्ता मॉनीटर द्वारा 2931 निरीक्षण किये जाने की आवश्यकता थी। तथापि, यह देखा गया कि पहले चरण में मात्र 15 (1.54 प्रतिशत) निरीक्षण, दूसरे चरण में 61 (6.24 प्रतिशत) निरीक्षण और तीसरे चरण में 722 (73.90 प्रतिशत) निरीक्षण किये गये थे। आवश्यक निरीक्षण के अभाव में यह स्पष्ट नहीं है कि विभाग सड़कों की गुणवत्ता के बारे में कैसे आश्वस्त हो सका।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाए जाने पर (मई 2017) राज्य सरकार ने स्वीकार किया (सितम्बर 2017) कि जनवरी 2017 तक राज्य गुणवत्ता मॉनीटर द्वारा किए गए निरीक्षण अपेक्षानुसार नहीं थे तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के तकनीकी फील्ड कर्मचारियों द्वारा भुगतान जारी करने से पूर्व निर्धारित मानदण्डों के अनुसार गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण जांच की गई है और इन जांच परिणामों को भुगतान से जोड़ा गया था। स्थल जांच के दौरान परियोजना निगरानी सलाहकार द्वारा भी परीक्षण किया गया है। इसलिए, गुणवत्ता सुनिश्चित की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभागीय स्तर पर किए गए प्रयास केवल अन्तर मिटाने का प्रबंध ही है तथा राज्य गुणवत्ता नियंत्रक द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण का वैध विकल्प नहीं कहा जा सकता।

3.3.7 निष्कर्ष

मार्च 2017 तक 1056 गांवों में से 990 गांवों (93 प्रतिशत) को ग्रामीण सड़क संपर्क प्रदान किया गया था। द्वितीय घटक के मुख्य क्षेत्रों में कार्य विलम्बित थे। इसी प्रकार, तीसरे घटक में सुरक्षित कॉरीडोर प्रदर्शन कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्य भी विलम्बित थे।

⁵⁵ भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ (विश्व बैंक), छबड़ा, मालपुरा, निम्बाहेडा, राजसमंद (विश्व बैंक) और सवाईमाधोपुर (विश्व बैंक)

⁵⁶ गुण नियंत्रण इकाईयां, राज्य सरकार द्वारा संस्थापित/नियुक्त की गई, अधिशाषी अभियंता/परियोजना कार्यान्वयन इकाई से स्वतन्त्र

- विभाग ने 250-499 के बीच की आबादी वाले सभी गांवों को सभी मौसम डामरीकृत सड़कों के साथ संपर्क प्रदान करने के लिए योजना में ध्यान रखा गया या नहीं, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं करायी।
- अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन कर संवेदकों को अनुचित लाभ दिया गया था।
- कुछ चयनित खंडों द्वारा गुण नियंत्रण से सम्बन्धित, गुण नियंत्रण पंजिका के भाग-II के रखरखाव के मानदंडों को पूरा नहीं किया गया। राज्य गुणवत्ता मॉनीटर द्वारा सिविल कार्य के विभिन्न चरणों में निरीक्षण वांछित संख्या में नहीं किये गये।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

3.4 सड़क कार्य अपूर्ण रहने से आबादी को सम्पर्क सुविधा का अभाव

समुचित कोष प्रबंधन के अभाव में ₹2.61 करोड़ का व्यय करने के उपरान्त भी कार्य का अपूर्ण रहना एवं आबादी को सड़क सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्यों की प्राप्ति का अभाव

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 500 या इससे अधिक जनसंख्या वाली पात्र असम्बद्ध आबादी को बारहमासी सड़कें जो सालभर काम करने के लायक हो, के जरिये सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। पीएमजीएसवाई दिशा-निर्देश के अनुच्छेद 4.1 के अनुसार, व्यवस्थित और लागत प्रभावी तरीके से कार्यक्रम के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए समुचित योजना आवश्यक है। इसके अलावा, दिशा-निर्देश के अनुच्छेद 11.5 में यह प्रावधान है कि यदि प्राप्त की गई निविदाओं का मूल्य मुख्य ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किये गये प्राक्कलन से अधिक होता है तो फ़ैज/बैच में स्वीकृत किये गये कार्यों के लिए पूरे राज्य के लिए एकीकृत किया गया वह अंतर (टेण्डर प्रीमियम) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

बीकानेर जिले में पीएमजीएसवाई (पैकेज संख्या आरजे 08-डब्ल्यू बी-17) के अंतर्गत तीन⁵⁷ सड़कों के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने ₹ 3.17 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी जारी की (सितम्बर 2013)। मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा राशि ₹ 4.11 करोड़ में निविदा को स्वीकृत किया गया (फरवरी 2014) एवं अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड, नोखा द्वारा 3 जनवरी 2015 को कार्यपूर्ण करने की निर्धारित तिथी के साथ कार्यदिश जारी किया गया (मार्च 2014)। कार्यदिश के नीचे दिये गये नोट के अनुसार भौतिक लक्ष्य में परिवर्तन किये बिना कार्य को प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹ 3.17 करोड़ तक सीमित किया गया था। मार्च 2016 तक पूर्ण किये गये कार्य हेतु संवेदक को राशि ₹ 3.27 करोड़ का भुगतान किया गया था।

अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बीकानेर के अभिलेखों की नमूना जांच (मई 2016) से ज्ञात हुआ कि पैकेज में शामिल तीन सड़कों में से एक सड़क पूरी तरह से पूर्ण हो चुकी थी तथा दो सड़कें⁵⁸ बजट के अभाव में अपूर्ण थी। इन दोनों सड़कों पर ₹ 2.61 करोड़ का व्यय किया गया था। चूंकि कार्यदिश

⁵⁷ (i) सिलवा से नायकों/भातियों की ढाणी ₹ 60.10 लाख (किमी 0/0 से 3.0 किमी)
(ii) हंसासर से गोदारों की ढाणी ₹ 1.02 करोड़ (किमी 0/0 से 5/0 किमी) (iii) कक्कों से जोगाजी की ढाणी ₹ 1.54 करोड़ (6/0 से 8/0)

⁵⁸ हंसासर से गोदारों की ढाणी किमी 4.275 में पूर्ण (₹ 1.05 करोड़) कक्कों से जोगाजी की ढाणी किमी 6.500 में पूर्ण (₹ 1.56 करोड़)

की राशि प्रशासनिक स्वीकृति से अधिक थी, इसलिए कार्य को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त निधि ₹ 94.66 लाख की आवश्यकता थी। क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा कार्यादेश जारी करने से पूर्व और इसके पश्चात, अतिरिक्त कोष प्राप्त करने हेतु कोई अनुरोध नहीं किया गया था तथा अधिशाषी अभियंता द्वारा कार्य को अपूर्ण स्थिति में पूर्ण मान लिया गया था।

इस प्रकार उपरोक्त प्रावधानों की पूर्ण अनुपालना के अभाव में एवं कोषों का समुचित प्रबंधन किये बिना कार्यादेश जारी करने के फलस्वरूप ₹ 2.61 करोड़ का व्यय करने के उपरांत भी सड़कों का कार्य पूर्ण नहीं हो सका एवं पात्र आबादियों को बारहमासी सड़कों की संपर्क सुविधा प्रदान करने का पीएमजीएसवाई का उद्देश्य विफल रहा।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2017) कि गोदारों की ढाणी एवं जोगाजी की ढाणी की अधिकतम जनसंख्या छितरायी हुई ढाणियों में निवास करती है तथा उनके केन्द्रीय स्थान जैसे गोदारों की ढाणी के मामले में जल जलाशयों तक तथा जोगाजी की ढाणी के मामले में विद्यालय तक, निर्मित सड़क का लोगों द्वारा उपयोग किया जा रहा था। इसके अलावा यह बताया (मार्च 2017) गया कि चूंकि ढाणियां छितराये हुए स्थानों पर स्थित थी अतः उनको डीपीआर में संलग्न स्ट्रिप प्लान में नहीं दर्शाया गया था।

निम्न आधारों पर उत्तर मान्य नहीं है:

➤ गोदारों की ढाणी के मामले में, परियोजना प्रतिवेदन में संलग्न स्ट्रिप में ना तो केन्द्रीय स्थान (जल भंडार) की स्थिति ना ही 4.275 किमी पर आबादी (निर्मित सड़क के अंतिम बिन्दु) को दर्शाया गया था। सम्पूर्ण सड़क के साथ, कृषि भूमि को दर्शाया गया था। जोगाजी की ढाणी के मामले में केन्द्रीय स्थान (विद्यालय) 8.000 किमी पर दर्शाया गया था जबकि सड़क का निर्माण 6.500 किमी तक ही किया गया था और सड़क के अंतिम बिन्दु तक कोई आबादी नहीं थी। पूर्ण लम्बाई की सड़क निर्माण नहीं करने से सालभर चलने योग्य बारहमासी सड़क प्रदान करने का पीएमजीएसवाई का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

➤ पीएमजीएसवाई दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 3.4 के अनुसार, कलस्टर की जनसंख्या को निर्धारित करने हेतु 500 मीटर के घेरे में आ रही सभी आबादियों की जनसंख्या को एक साथ शामिल किया जाता है। तत्काल मामलों में, गोदारों की ढाणी के मामले में 0.725 किमी लम्बाई एवं जोगाजी की ढाणी के मामले में 1.500 किमी लम्बाई में सड़क निर्माण नहीं किया गया था। निर्मित सड़कों के अंतिम बिन्दु से दोनो ढाणियों की दूरी 500 मीटर से अधिक थी। यह उपरोक्त वर्णित नियमों की अवहेलना थी। इसके अलावा, ये आबादियां सड़क निर्माण के उपरांत भी बारहमासी सड़कों से 500 मीटर से भी अधिक दूरी पर रह गयी थी, इन्हें पीएमजीएसवाई दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 3.3 के अनुसार असम्बद्ध आबादी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

3.5 क्योरिंग कम्पाउण्ड के लिए संवेदकों को अनियमित भुगतान

ग्रामीण गौरव पथ योजना में संवेदकों को क्योरिंग कम्पाउण्ड का अनियमित भुगतान ₹ 83.55 लाख

कंक्रीट सड़कों के निर्माण के लिए मानक निर्दिष्टीकरण एवं अभ्यास के नियम के सम्बन्ध में इण्डियन रोड कांग्रेस 15.2011 की धारा 10.8 के अनुसार, कंक्रीट की तराई⁵⁹ निम्नलिखित दो तरीकों में से एक द्वारा की जा सकती है:

➤ क्योरिंग कंपाउण्ड⁶⁰ का उपयोग कर गीला बोरा बिछाना एवं इसको नियमित रूप से गीला करना। शुष्क क्षेत्रों के मामले में जहाँ पानी बहुत कम है, अभियंता के विवेक पर क्योरिंग कंपाउण्ड को दो बार उपयोग करने के बाद गीले बोरे द्वारा नमी कर तराई की अनुमति दी जा सकती है।

➤ छोटे कार्यों के लिए, गीले बोरे का प्रयोग कर मानवीय तरीके से तराई की जा सकती है। जिसे तराई अवधि के दौरान गीला रखा जाता है। तराई 14 दिनों की न्यूनतम अवधि के लिए की जायेगी। मिश्रित सीमेंट की स्थिति में तराई 16 दिनों तक की जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण गौरव पथ योजना के अंतर्गत 2119.16 किमी लम्बाई में सीमेंट कंक्रीट सड़कों के निर्माण हेतु राशि ₹ 1112.95 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी (दिसम्बर 2014)। निम्नलिखित तीन खण्डों में सीमेंट कंक्रीट सड़कों के निर्माण हेतु कार्यादेश जारी किये गये :

1. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड वल्लभनगर ने 28 अगस्त 2015 को कार्यपूर्ण करने की निर्धारित तिथी के साथ 27 सड़कों⁶¹ के निर्माण हेतु ₹ 8.96 करोड़ का कार्यादेश जारी किया (दिसम्बर 2014)। संवेदक को मार्च 2016 तक ₹ 7.89 करोड़ का भुगतान किया गया।
2. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड धरियावाद ने 24 जुलाई 2015 को कार्यपूर्ण करने की निर्धारित तिथी के साथ 07 सड़कों⁶² के निर्माण हेतु ₹ 2.53 करोड़ का कार्यादेश जारी किया (फरवरी 2015)। संवेदक को अप्रैल 2016 तक ₹ 2.38 करोड़ का भुगतान किया गया।
3. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड झालावाड़ ने 28 अगस्त 2015 को कार्यपूर्ण करने की निर्धारित तिथी के साथ 30 सड़कों⁶³ के

⁵⁹ तराई, कंक्रीट से नमी को रोकने की एक प्रक्रिया है। यह सुविधा के अलावा कंक्रीट की ताकत और स्थायित्व को बढ़ाता है।

⁶⁰ यह एक रासायनिक अवयव है जो सीमेंट जलयोजन के शुरूआती चरणों में नमी के नुकसान को रोकने के लिए ठोस सतह पर लागू होता है।

⁶¹ पैकेज नम्बर आरजे-33-05/5054/जीजीपी रोड/प्लान/2014-15

⁶² पैकेज नम्बर आरजे-26-04/5054/जीजीपी रोड/प्लान/2014-15

⁶³ पैकेज नम्बर आरजे-19-01/5054/जीजीपी रोड/प्लान/2014-15

निर्माण हेतु ₹ 16.76 करोड़ का कार्यदेश जारी किया (दिसम्बर 2014)। संवेदक को जनवरी 2016 तक ₹ 15.43 करोड़ का भुगतान किया गया।

खण्डों के अभिलेखों की समीक्षा (सितम्बर 2016) के दौरान यह पाया गया कि बेसिक शिड्यूल ऑफ रेट में सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट कार्य में क्योरिंग कंपाउंड की मद को शामिल किया गया था जबकि संवेदकों द्वारा सीमेंट कंक्रीट सड़कों की तराई पानी द्वारा की जा रही थी, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट का कार्य 37986.68 घनमीटर क्षेत्र में निष्पादित किया गया था जिसके लिए निम्न तालिका के अनुसार क्योरिंग कंपाउंड पर ₹ 83.55 लाख का व्यय किया गया था:

खण्ड का नाम	सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट कार्य निष्पादित किया गया (घन मीटर में)	व्यय किया गया (₹ लाख में)
वल्लभनगर	14598.13	42.11
धरियाबाद	3956.92	15.17
झालावाड़	19431.63	26.27
योग	37986.68	83.55

चूंकि संवेदकों द्वारा क्योरिंग कम्पाउण्ड का प्रयोग नहीं किया गया था तथा तराई हेतु पानी का प्रयोग किया गया। अतः क्योरिंग कम्पाउण्ड के सम्बन्ध में ₹ 83.55 लाख का भुगतान अनियमित था और परिणामस्वरूप संवेदकों को अनुचित लाभ हुआ।

वल्लभनगर के सम्बन्ध में, राज्य सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी एवं मई 2017) कि इण्डियन रोड कांग्रेस 15.2011 के प्रावधानानुसार, ग्रामीण गौरव पथ सड़कों की तराई क्योरिंग कम्पाउण्ड के साथ-साथ पानी का उपयोग करके की गई थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि क्योरिंग कम्पाउण्ड के उपयोग करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिये गये थे।

झालावाड़ के सम्बन्ध में, राज्य सरकार ने उत्तर दिया (मई 2017) कि आवश्यक मजबूती प्राप्त करने हेतु पानी द्वारा तराई की गयी थी। क्योरिंग कम्पाउण्ड मद को 'जी' शिड्यूल से हटा दिया गया था अतः संवेदक क्योरिंग कम्पाउण्ड का उपयोग करने के लिए बाध्यकारी नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संवेदक को दर विश्लेषण के अनुसार भुगतान किया गया था।

धरियाबाद के सम्बन्ध में, राज्य सरकार ने उत्तर दिया (मई 2017) कि क्योरिंग कम्पाउण्ड का उपयोग क्योरिंग विशिष्ट स्थानों के लिए किया जाता है जिनमें निरन्तर यातायात का आवागमन रहता है और सीमेंट कंक्रीट की कड़ाई तक यातायात को हटाना संभव नहीं है। चूंकि निर्मित सड़कें ग्रामीण सड़कें थी, यातायात को हटा दिया गया था और यातायात खोलने एवं तराई के 14 दिवस की समाप्ति तक पानी से तराई की गई थी। इन सड़कों पर क्योरिंग कम्पाउण्ड का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं थी। बेसिक रेट आफ शिड्यूल की दर से कटौती का कोई प्रावधान नहीं था अगर तराई के लिए

क्योरिंग कम्पाउण्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया था और बजाय दर विश्लेषण के बेसिक रेट आफ शिड्यूल की दरों के आधार पर कार्य का भुगतान किया गया था। उत्तर स्वयं ही पुष्टि करता है कि क्योरिंग कम्पाउण्ड का उपयोग नहीं किया गया था और पानी का उपयोग करके तराई की गई थी।

इसलिए दर विश्लेषण में क्योरिंग कम्पाउण्ड को एक अतिरिक्त मद के रूप में शामिल करने की विभाग की कार्रवाई अनियमित थी और फलस्वरूप संवेदक को अनुचित लाभ दिया गया।

3.6 भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना कार्य आवंटन

भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना कार्य आवंटित किये जाने से सड़क के अपूर्ण रहने के परिणामस्वरूप ₹ 9.50 करोड़ का व्यय एवं आबादी का सड़क सम्पर्क सुविधा से वंचित रहना

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों का नियम 351 निर्धारित करता है कि ऐसी भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करना चाहिए जिसे किसी उत्तरदायी सिविल अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से सौंपा नहीं गया हो।

सड़क, यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 112 (बर-बिलाड़ा- जोधपुर अनुभाग) पर 6.750 किलोमीटर लम्बाई (रीच किमी 40/000 से 51/000 के मध्य) में बाई-पास सड़क के निर्माण हेतु ₹ 27.38 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की (मार्च 2010)। मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजस्थान द्वारा ₹ 17.61 करोड़ में निविदा स्वीकृत की (जुलाई 2010) एवं अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड पाली द्वारा 31 जनवरी 2012 को कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि के साथ कार्यादेश जारी किया गया (अक्टूबर 2010)। कार्य अपूर्ण स्थिति में ₹ 9.50 करोड़ व्यय किये जाने के बाद पूर्ण माना गया (जनवरी 2015)।

अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, पाली के अभिलेखों की समीक्षा (अगस्त 2016) में पाया गया कि किमी 0/0 से 2/000 एवं किमी 5/200 से 5/700 के टुकड़ों को छोड़कर सड़क कार्य 4.250 किमी लम्बाई (किमी 2/000 से 6.750) में निष्पादित कराया गया। किमी 0/0 से 2/000 के टुकड़े में भूमि अधिग्रहण नहीं किये जाने के कारण सड़क निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका। जमीन पर एक विवाद था एवं एक मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन था (अगस्त 2016)। शेष किमी 5/200 से 5/700 के टुकड़े में, सड़क मार्ग में आ रही विद्युत उच्च वोल्टता लाइनों के स्थानान्तरण नहीं होने से सड़क निर्माण कार्य नहीं किया जा सका। विद्युत उच्च वोल्टता लाइनों को मार्च 2013 में स्थानान्तरित किया गया। विद्युत उच्च वोल्टता लाइनों के स्थानान्तरण में विलम्ब के कारण, कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं किया जा

सका एवं संवेदक ने अनुबंध लागत में संशोधन की मांग की। संवेदक द्वारा इस तर्क पर कार्य रोक दिया गया (मई 2012) कि चाहे गये संशोधन को विभाग द्वारा मंजूर नहीं किया गया था। मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान कि अनुशांसा (मई 2014) के आधार पर सड़क, यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वर्तमान अनुबंध को समाप्त करने को मंजूरी दे दी (अगस्त 2014)। मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान द्वारा अनुबंध को समाप्त कर दिया गया (नवम्बर 2014)। समीक्षा में आगे पाया गया कि तकनीकी प्रतिवेदन में, अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त जोधपुर द्वारा यह प्रमाणित किया गया था कि इस रीच में कोई भूमि विवाद नहीं था तथा सार्वजनिक सुविधाओं को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी। भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना एवं उच्च वोल्टता लाईनों को स्थानांतरित किये बिना कार्य आवंटित किये जाने के फलस्वरूप राशि ₹ 9.50 करोड़ का व्यय करने के उपरान्त भी सड़क कार्य पूर्ण नहीं हो सका।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (मार्च 2017) कि कार्य निष्पादन के दौरान, यह देखा गया कि किमी 0/0 से 2/0 रीच के मध्य आ रहे कुछ खसरों की निजी भूमि को पूर्व में अधिग्रहित नहीं किया गया था। भूमि अधिग्रहण हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ की गई परन्तु कुछ किसानों ने भूमि मुआवजे की राशि को स्वीकार नहीं किया। यह भी बताया गया कि निकटवर्ती निवासियों ने भूमि पर कब्जा कर लिया था एवं एक मुकदमा राजस्थान उच्च न्यायालय में दर्ज किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सड़क का कार्य आवंटित करने से पूर्व भूमि का कानूनी अधिकार एवं उच्च वोल्टता लाईनों का समय पर स्थानान्तरण सुनिश्चित नहीं किया गया था। इसके अलावा, अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी प्रतिवेदन में दिया गया प्रमाणपत्र कि, भूमि पर कोई विवाद नहीं था, गलत था।

3.7 मूल्यवृद्धि का अधिक भुगतान

मूल्यवृद्धि का अधिक भुगतान राशि ₹ 1.02 करोड़

संवेदक के साथ निष्पादित किये गये संविदा अनुबंध की धारा 47 बताती है कि संविदा आंकड़ों में दिये गये सिद्धांतों एवं सूत्रों के अनुसार श्रमिक, सामग्री, ईंधन एवं ल्युब्रिकेन्ट्स की दरों में कमी या वृद्धि के लिए संविदा मूल्य को समायोजित किया जायेगा। मूल्य समायोजन, संविदा में दी गई कार्य प्रारम्भ करने तिथि से प्रारम्भिक चाही गई पूर्णता तिथि या अभियन्ता प्रभारी द्वारा की गई समयवृद्धि तक किये गये कार्य पर लागू होगा एवं मूल्य समायोजन प्रति माह निर्धारित किया जावेगा। इसके अलावा, संविदा डेटा बताता है कि निविदा खुलने की तिथि से 28 दिन पूर्व की तिथि का आधार सूचकांक लिया जावेगा।

सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने पक्के ढलान के साथ सड़क उन्नयन (किमी 259/000 से 286/600, किमी 290/600 से 297/100 के

मध्य किमी 34.100) एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-15 (जैसलमेर-बाडमेर-सांचोर सड़क) को मौजूदा दो लेन सड़क से चार लेन तक चौड़ाईकरण (किमी 286/600 से 290/600 के मध्य 4.00 किमी) हेतु प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ₹ 70.85 करोड़ की जारी की (मार्च 2013)। मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर द्वारा कार्य की निविदा ₹ 59.16 करोड़ में स्वीकृत की गई थी (अगस्त 2013) तथा अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बाडमेर द्वारा 28 फरवरी 2015 को कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथी के साथ कार्यदिश जारी किया गया (अगस्त 2013)। संवेदक को मार्च 2015 तक मूल्यवृद्धि के रूप में ₹ 3.85 करोड़ का भुगतान किया गया।

एक अन्य मामले में, सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने पुराने राज्य राजमार्ग 28 'ब' के पचपदरा-बंगुडी अनुभाग के पुनः संरक्षित भाग में भौगोलिक सुधार के साथ चौड़ाईकरण (किमी 223/500 से 254/800 के मध्य 31.300 किमी) जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 112 (बर-बिलाड़ा-जोधपुर-बाडमेर) पर छोटे पुल का निर्माण भी शामिल था, की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ₹ 57.70 करोड़ की जारी की (दिसम्बर 2012)। मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर द्वारा कार्य की निविदा ₹ 43.00 करोड़ में स्वीकृत की गयी (अगस्त 2013) तथा अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग, बाडमेर द्वारा 8 मार्च 2015 को कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथी के साथ कार्यदिश जारी किया गया (अगस्त 2013)। संवेदक को अगस्त 2014 तक मूल्यवृद्धि के रूप में ₹ 2.28 करोड़ का भुगतान किया गया।

अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बाडमेर के अभिलेखों की जांच में पाया गया (अगस्त 2016) कि संवेदक को श्रमिक, स्टील, सीमेंट, बिटुमिन, पीओएल, कारखाना एवं संयंत्र तथा अन्य सामग्री घटकों की मूल्यवृद्धि का भुगतान करते समय, वित्तीय बोली खुलने की दिनांक के बजाय तकनीकी बोली की दिनांक को मूल्यवृद्धि के भुगतान की गणना हेतु माना गया था। मूल्यवृद्धि की गणना के लिए आधार सूचकांक भी वित्तीय बोली खोलने की तिथी से 28 दिन पहले की तिथी से लिया जाना था। जैसलमेर-बाडमेर-सांचोर सड़क मामले में, वित्तीय निविदा 14 जून 2013 को खोली गई थी और इसलिए, आधार सूचकांक दर 17 मई 2013 की ली जानी थी परन्तु खंड ने आधार सूचकांक 4 अप्रैल 2013 का लिया। पचपदरा-बंगुडी अनुभाग के मामले में, पुरानी राज्य राजमार्ग 28-बी जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग-112 पर छोटे पुल का निर्माण शामिल था, की वित्तीय निविदा 3 मई 2013 को खोली गई और इसलिए, आधार सूचकांक 6 अप्रैल 2013 का लिया जाना था परन्तु खण्ड ने आधार सूचकांक 8 जनवरी 2013 का लिया। इसके फलस्वरूप संवेदकों को मूल्यवृद्धि के रूप में राशि ₹ 1.02 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया (परिशिष्ट-3.17)।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (मई 2017) कि निविदा जमा करने की अंतिम तिथी को संवेदक द्वारा संयुक्त निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय निविदा सहित) प्रस्तुत की

गई थी एवं तकनीकी निविदा खुलने की तिथि न कि वित्तीय निविदा के आधार सूचकांक को माना जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संविदा अनुबंध के भाग-ई की धारा 26.1 बताती है कि तकनीकी निविदा केवल पात्रता मानदंड निर्धारित करती है जबकि मात्राओं के मूल्य बिल, तकनीकी विशिष्टियों एवं ड्राईंग के सम्बन्ध में शेष शर्तों को वित्तीय निविदा निर्धारित करती है। इसके अलावा, मूल्यवृद्धि की गणना के लिए आधार मूल्य वित्तीय निविदा खुलने की तिथि से 28 दिन पूर्व का लिया जाना था। आगे, मूल्यवृद्धि के भुगतान हेतु निविदा खुलने की तिथि को स्पष्ट करने के सम्बन्ध में वित्त विभाग को जारी किया गया पत्र (अप्रैल एवं जून 2017) अनुत्तरित रहा (अगस्त 2017)।

3.8 सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण पर परिहार्य व्यय

ग्रामीण गौरव पथ योजना के अंतर्गत मृदा खुदाई, ग्रेन्यूलर सब बेस का निर्माण और कंपेक्टेड ग्रेडेड स्टोन एग्रीगेट को बिछाने वाले आइटमों का गलत समावेश करने के कारण ₹ 4.19 करोड़ का परिहार्य व्यय

प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र (दिसम्बर 2014) के अनुसार, ग्रामीण गौरव पथ योजना के अंतर्गत सीमेंट कंक्रीट का निर्माण पूर्व में निर्मित सीमेंट कंक्रीट/बिटुमिन सड़क पर किया जायेगा और इसलिए, नई सीमेंट कंक्रीट सड़क के लिए नये सब बेस या ग्राउंड तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी। परिपत्र में यह भी प्रावधान था कि ग्रामीण गौरव पथ योजना के अंतर्गत कार्यदिश देते समय विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि मृदा खुदाई, ग्रेन्यूलर सब बेस का निर्माण और कंपेक्टेड ग्रेडेड स्टोन एग्रीगेट को बिछाने जैसे आइटमों को जहां तक संभव हो शामिल नहीं किया जावे क्योंकि यह योजना के प्रथम चरण के बजट को जो कि इस उद्देश्य के लिए दिया गया था बिना क्वालिटी निर्माण को समाप्त कर देगा। परिपत्र के अनुसार, लागत को कम करने के लिये और अधिक क्षेत्रों को सीमेंट कंक्रीट सड़कों से जोड़ने में धनराशि के उपयोग हेतु उपरोक्त आइटमों पर होने वाले परिहार्य व्यय पर प्रत्येक स्तर पर सावधानी रखी जानी थी।

राज्य सरकार ने ग्रामीण गौरव पथ योजना में सीमेंट कंक्रीट सड़कों के निर्माण के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की (दिसम्बर 2014)। सम्बन्धित अधिशाषी अभियंताओं द्वारा 95 सड़कों⁶⁴ हेतु ₹ 43.86 करोड़⁶⁵ के कार्यदिश जारी किये गये थे (दिसम्बर 2014) तथा कार्य समाप्ति की तिथि मई एवं सितम्बर

⁶⁴ बालोतरा (15 सड़कें), चित्तौड़गढ़ (26 सड़कें), बाड़मेर-1 (14 सड़कें), शाहपुरा (23 सड़कें) एवं नवलगढ़ (17 सड़कें)

⁶⁵ बालोतरा (9.73 करोड़), चित्तौड़गढ़ (12.52 करोड़), बाड़मेर-1 (7.02 करोड़), शाहपुरा (8.41 करोड़) एवं नवलगढ़ (6.18 करोड़)

2015 के मध्य निर्धारित की गई थी। विभिन्न संवेदकों को ₹ 34.55 करोड़⁶⁶ का भुगतान (अगस्त 2015 से अगस्त 2016) किया गया था।

खण्डों के अभिलेखों की जांच (जनवरी-अक्टूबर 2016) में ज्ञात हुआ कि विभाग ने मृदा खुदाई, ग्रेन्यूलर सब बेस व कंपैक्टेड ग्रेडेड स्टोन एप्रीगेट आईटमों को कार्यों के तकमीना में शामिल किया था। यहां यह भी उल्लेख करना है कि ग्रामीण गौरव पथ दिशा-निर्देशों के अनुसार इन कार्यों को सम्मिलित नहीं किया जाना था। तथापि, ग्रामीण गौरव पथ योजना के दिशा-निर्देशों के विपरीत कार्य आंवटित/निष्पादित किये गये थे। यदि विभाग ने इन आईटमों को तकमीना में शामिल नहीं किया होता और निर्देशों के अनुसार पूर्व निर्मित सीमेंट कंक्रीट/डामर सड़कों पर सीमेंट कंक्रीट सड़कों का निर्माण कराया जाता तो इन सड़कों पर किये गये व्यय राशि ₹ 4.19 करोड़ (परिशिष्ट 3.18) को बचाया जा सकता था। इससे विभाग को अधिक क्षेत्रों को सीमेंट कंक्रीट सड़कों से जोड़ने में बचत राशि के उपयोग में मदद मिलती।

बालोतरा, शाहपुरा एवं बाडमेर-1 खण्ड के सम्बन्ध में, राज्य सरकार ने बताया (जनवरी, जून एवं जुलाई 2017) कि सड़क पर पानी एकत्रित होने एवं कीचड़ की समस्या को दूर करने हेतु तकमीना में मृदा खुदाई, ग्रेन्यूलर सब बेस एवं डब्ल्यू. बी.एम. कार्यों को शामिल किया गया एवं कार्य निष्पादित कराये गये। चित्तौड़गढ़ खण्ड के सम्बन्ध में, यह बताया गया (अगस्त 2017) कि सड़कों पर पानी इकट्ठा होने के कारण अधिकांशतः सड़के बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी। इस समस्या को दूर करने के लिए इन आईटमों को अनुमानों में शामिल किया गया और कार्य निष्पादित किये गये थे। नवलगढ़ खण्ड के सम्बन्ध में यह बताया गया (जून 2017) कि क्षेत्र में खनन गतिविधियों के कारण इस सड़कों पर अत्यधिक यातायात था इसलिए राज्य तकनीकी एजेंसी द्वारा अनुमोदित क्रस्ट के डिजाईन के आधार पर ग्रेन्यूलर सब बेस एवं वाटर बाउण्ड मैकेडम के कार्यों को निष्पादित कराया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन मदों को शामिल किया जाना राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध था। इसके अलावा सड़कों के बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के समर्थन में खण्डों द्वारा कोई सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई एवं नवलगढ़ खण्ड के सम्बन्ध में 17 सड़कों में से एक सड़क की ही राज्य तकनीकी एजेंसी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बाडमेर-1 खण्ड के सम्बन्ध में विभाग द्वारा सहायक अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित सरफेस हिस्ट्री ऑफ रोड्स (सर्वे रिपोर्ट नहीं) प्रस्तुत की गई, परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि किसे एवं कब यह दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे तथा उच्च अधिकारियों द्वारा क्या कारवाई कि गई।

⁶⁶ बालोतरा (6.54 करोड़), चित्तौड़गढ़ (9.58 करोड़), बाडमेर-1 (5.84 करोड़), शाहपुरा (6.63 करोड़) एवं नवलगढ़ (5.96 करोड़)

3.9 सड़कों के निर्माण में अनियमित व्यय

वित्तीय औचित्यता के नियम के विरुद्ध ₹ 80.28 लाख का अनियमित व्यय

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 10 में प्रावधान है कि लोक निधियों से व्यय करने वाले या व्यय को प्राधिकृत करने वाले प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को वित्तीय औचित्य के उच्च स्तर द्वारा मार्गदर्शित होना चाहिए। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को हर कदम पर वित्तीय आदेश एवं कठोर मितव्ययता लागू करनी चाहिए। उससे यह आशा की जाती है कि लोक निधि से व्यय के सम्बन्ध में वह वैसी ही सतर्कता बरतेगा जो एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति अपनी स्वयं की धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में बरतता है।

राज्य सरकार ने ग्रामीण गौरव पथ योजना के अंतर्गत सीमेंट कंक्रीट सड़कों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की (दिसम्बर 2014)। अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, चित्तौड़गढ़ द्वारा 31 सड़कों⁶⁷ के लिए ₹ 15.50 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति जारी की। निविदा प्रक्रिया के पश्चात, अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, चित्तौड़गढ़ द्वारा 6 सितम्बर 2015 को कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि के साथ ₹ 12.52 करोड़ का कार्यदेश जारी किया गया। कार्य अपूर्ण रहा तथा मार्च 2016 तक संवेदक को राशि ₹ 9.50 करोड़ का भुगतान किया गया।

अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड चित्तौड़गढ़ के अभिलेखों की समीक्षा (मई 2016) में ज्ञात हुआ कि 31 सड़कों में से, 2 सड़कें 1 से 12 माह पहले⁶⁸ अन्य योजनाओं के अंतर्गत बनाई जा चुकी थी एवं गारंटी अवधि में थी। इस तरह की जानकारी होने के बावजूद ये सड़कें ग्रामीण गौरव पथ योजना में पुनः स्वीकृत की गयी तथा राशि ₹ 80.28 लाख का व्यय करने के बाद भी कार्य प्रगतिरत था। सड़क वार व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सड़क का नाम	रीच	ग्रामीण गौरव पथ के अंतर्गत व्यय (राशि ₹ लाख में)	माह जिसमें अन्य योजना में पहले कार्य संपन्न किया गया था।
1	पाल संपर्क सड़क	2/500 से 3/500 किमी	40.67	नवम्बर 2013 (12 महीने पहले) आरआईडीएफ ⁶⁹ योजना के अंतर्गत
2	चित्तौड़गढ़-सोनियाना सुरपूर सड़क	13/500 से 14/500 किमी	39.61	नवम्बर 2014 (1 महीना पहले) किमी 13/000 से 14/000 किमी की रीच का कार्य अन्य योजना अर्थात् नोन पैकेजल कार्य के अंतर्गत निष्पादित किया गया
योग			80.28	

⁶⁷ पैकेज संख्या आरजे-10-01/जीजीपी सड़क/योजना/2014-15

⁶⁸ ग्रामीण गौरव पथ योजना में स्वीकृति की तिथि से

⁶⁹ ग्रामीण द्वांचागत विकास निधि।

चूंकि इन सड़कों की रीचों को अन्य योजना में 1 से 12 माह पूर्व निर्मित किया गया था तथा ये गारंटी अवधि में थी, अतः इन्हे ग्रामीण गौरव पथ योजना में पुनः स्वीकृत किया जाना एवं राशि ₹ 80.20 लाख का परिहार्य व्यय किया जाना वित्तीय औचित्यता के नियमों के विपरीत था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (मई 2017) कि ग्राम पंचायत मुख्यालयों के घनी आबादी क्षेत्र में स्थित ये सड़कें पुरानी और अत्यधिक क्षतिग्रस्त थी। स्थानीय विधानसभा के सदस्य की अनुशंसा पर इन क्षेत्रों से सीमेंट कंक्रीट सड़कों का निर्माण किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पुरानी एवं अत्यधिक क्षतिग्रस्त सड़कें उपरोक्त स्वीकृत सड़कों का भाग नहीं थीं तथा इन सड़कों की ग्रामीण गौरव पथ योजना में निर्माण की कोई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं थी। ग्रामीण गौरव पथ योजना में स्वीकृत सड़कों के लिए निर्धारित राशि से इन सड़कों पर व्यय किया जाना अनियमित था क्योंकि यह दर्शाया गया कि ये ग्रामीण गौरव पथ योजना में स्वीकृत थी, सीमेंट कंक्रीट सड़कें कहीं और निर्मित की गई थी जिनके लिए कोई स्वीकृति उपलब्ध नहीं थी।

जल संसाधन विभाग

3.10 कोषों का अवरुद्ध रहना एवं क्षतिपूर्ति की वसूली का अभाव

बाँध एवं नहर का कार्य साथ-साथ सम्पादित नहीं करने से कोषों का अवरुद्ध रहना ₹ 9.21 करोड़ एवं संवेदक से ₹ 93.24 लाख की क्षतिपूर्ति की वसूली का अभाव

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, बाँध निर्माण और नहर कार्यों को साथ-साथ शुरू किया जाना चाहिए था, ताकि बाँध में संग्रहित जल का सिंचाई हेतु तुरंत उपयोग किया जा सके। इसके अलावा, योजना आयोग ने इस बात पर बल दिया कि सिंचाई सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एवं पूंजी के अनावश्यक अवरोधन को रोकने के लिए परियोजना की स्वीकृति के साथ ही, बाँध, नहर और क्षेत्रीय चैनलों के निर्माण को उचित रूप से समन्वित किया जाना चाहिये।

राज्य सरकार ने घोड़ा खोज लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु ₹ 15.44 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मंजूर की (मई 2007), जिसे जुलाई 2011 में ₹ 19.24 करोड़ तक संशोधित किया गया। स्वीकृति में बाँध और नहर के निर्माण कार्य सम्मिलित थे। बाँध का निर्माण राशि ₹ 9.21 करोड़ के व्यय से मई 2010 में पूर्ण हो चुका था। अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, उदयपुर द्वारा दायीं मुख्य नहर⁷⁰ जिसका कृषि योग्य क्षेत्र 425.21 हैक्टर था, के निर्माण की तकनीकी स्वीकृति ₹ 3.81 करोड़ की जारी की गई थी (दिसम्बर 2009) जिसे सितम्बर 2014 में ₹ 4.18 करोड़ से संशोधित किया गया। मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा नहर निर्माण की निविदा को ₹ 3.50 करोड़ में स्वीकृत किया गया (मई 2010) एवं अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड सलूम्वर द्वारा 4 दिसम्बर 2011 तक कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि के साथ मई 2010 में कार्यादेश जारी किया गया। कार्य को अपूर्ण स्थिति में अंतिम रूप दिया गया (5 सितम्बर 2013) एवं कार्य के पूर्ण किये गये भाग के लिए संवेदक को ₹ 2.42 करोड़ का भुगतान किया गया (मार्च 2015)।

अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड, सलूम्वर के अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2016) में पाया गया कि 28 फरवरी 2013 तक समय-वृद्धि दिये जाने के बावजूद संवेदक द्वारा नहर का कार्य पूर्ण नहीं किया गया। मुख्य अभियंता, जल संसाधन ने अनुबंध की धारा 2 एवं 3(सी) के तहत कार्यवाही करने की मंजूरी प्रदान की (सितम्बर 2013)। इसकी अनुपालना में, अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन, खण्ड सलूम्वर ने संवेदक द्वारा सौंपी गई बैंक गारंटी ₹ 35.03 लाख में से अनुबंध की धारा 2 के तहत संवेदक से ₹ 14.10 लाख की वसूली की (सितम्बर 2013) एवं

⁷⁰ कोई बाईं मुख्य नहर नहीं है।

शेष राशि ₹ 20.93 लाख खण्ड के निक्षेप-पंचम⁷¹ में जमा थी। विभाग द्वारा अनुबंध की धारा 3(सी) के अंतर्गत मूल संवेदक के जोखिम एवं लागत पर अन्य संवेदक से शेष कार्य को पूर्ण कराने के लिए कार्रवाई आरम्भ की। ₹ 1.31 करोड़ के शेष कार्य पूर्ण करने के लिए छः बार निविदाये आमंत्रित की गई (फरवरी 2014 से जून 2015) परन्तु किसी संवेदक ने निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। अन्य संवेदक के पक्ष में निविदा स्वीकृत कर जून 2016 में ₹ 3.07 करोड़ (अतिरिक्त मदों की लागत सहित) का कार्यदेश जारी किया गया। इसलिए, अनुबंध की धारा 3 के तहत मूल संवेदक ₹ 93.24 लाख की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी था, जो वसूल नहीं की गई।

बाँध एवं नहर का कार्य साथ-साथ जारी नहीं करने से बाँध के निर्माण पर किया गया ₹ 9.21 करोड़ का व्यय अवरुद्ध रहा एवं किसानों को सिंचाई सुविधाओं से छहः वर्ष से अधिक समय के लिए वंचित रहना पड़ा।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (मई 2017) कि बाँध का निर्माण मई 2010 में पूर्ण हो चुका था तथा नहर का कार्य जून 2017 तक पूर्ण होने की संभावना थी। इसके अतिरिक्त यह बताया कि 425 हैक्टर के कुल परिकल्पित कृषि योग्य क्षेत्र में से, वर्ष 2011-12 तक 150 हैक्टर में सिंचाई सुविधा प्रदान की गई थी तथा परियोजना पूर्ण होने के पश्चात शेष 275 हैक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बाँध एवं नहर का कार्य साथ-साथ आवंटित नहीं करने से, नहर का परिकल्पित कृषि योग्य क्षेत्र समय पर तैयार नहीं किया जा सका तथा किसानों को छहः वर्ष से अधिक समय के लिए सिंचाई सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा अनुबंध की धारा तीन के तहत क्षतिपूर्ति की राशि की वसूली नहीं की गई थी।

3.11 नहर के निर्माण पर कोषों का अवरुद्ध रहना

भीखा भाई सागवाड़ा नहर के निर्माण में वन भूमि की अनुमति के अभाव में कोषों का अवरुद्ध रहना ₹ 39.87 करोड़

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों का नियम 351 निर्धारित करता है कि ऐसी भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करना चाहिए जिसे किसी उत्तरदायी सिविल अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सौंपा नहीं गया हो।

भीखा भाई सागवाड़ा नहर राज्य सरकार द्वारा डूंगरपुर के प्रमुख जनजातीय आबादी क्षेत्र में चलाई जा रही एक योजना है। यह नहर 27500 हैक्टर कृषि योग्य क्षेत्र में सिंचाई का उद्देश्य पूरा करने हेतु माही बजाज सागर बांध से पानी प्राप्त करती है। नहर का आरडी⁷² 78.88 किमी तक का कार्य पूर्ण किया जा चुका है (मई

⁷¹ निक्षेप जमा खाता

⁷² चल दूरी।

2012) एवं उपयोग किया जा रहा है। राज्य सरकार ने आरडी 78.88 किमी के बाद की शेष रीच के निर्माण हेतु अर्थात् आरडी 78.88 किमी से 92.01 किमी (एमआईएस⁷³-VII) हेतु ₹ 41.80 करोड़, आरडी 92.01 किमी से 105.00 किमी (एमआईएस- VIII) हेतु ₹ 44.27 करोड़ एवं आरडी 105.00 किमी से 115.00 किमी (एमआईएस-IX) हेतु ₹ 42.50 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की (अप्रैल 2013)। स्वीकृतियां, कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग से भूमि की अनुमति की शर्त के साथ जारी की गई थी। अधिशाषी अभियंता, भीखा भाई सागवाड़ा नहर खण्ड, माही परियोजना, सागवाड़ा द्वारा नहर निर्माण के कायदेश⁷⁴ सितम्बर 2015 एवं अक्टूबर 2016 के मध्य कार्यपूर्णता की निर्धारित तिथि के साथ जारी किये गये (सितम्बर 2013 एवं अक्टूबर 2014 के मध्य)। आरडी 81.09 किमी से 87.51 किमी का नहर का निर्माण ₹ 12.73 करोड़ के व्यय के साथ पूर्ण किया गया (सितम्बर 2015) एवं आरडी 97.08 किमी से 110.37 किमी का कार्य ₹ 27.14 करोड़⁷⁵ के व्यय के साथ प्रगतिरत था (अगस्त 2016)। आरडी 87.51 किमी से 92.01 किमी का कार्य निविदाओं को अंतिम रूप नहीं देने के कारण लंबित था। नहर का रेखीय मानचित्र नीचे दर्शाया गया है:

पूर्ण भाग	वन भूमि (3.58 हैक्टर)	पूर्ण भाग	निविदा को अंतिम रूप नहीं दिया गया	वन भूमि (0.29 हैक्टर)	कार्य प्रगति पर
किमी 0.0 से 78.88	किमी 78.88 से 81.09	किमी 81.09 से 87.51	किमी 87.51 से 92.01	किमी 92.01 से 97.08	किमी 97.08 से 110.37

भीखा भाई सागवाड़ा नहर खण्ड, माही परियोजना, सागवाड़ा के अभिलेखों की जांच में पाया गया (सितम्बर 2016) कि आरडी 78.88 किमी से 81.09 किमी एवं आरडी 92.01 किमी से 97.08 किमी का कार्य 3.87 हैक्टर वन भूमि की भागीदारी के कारण निष्पादित नहीं किया जा सका। वन भूमि की अनुमति हेतु मामला अप्रैल 2013 में वन विभाग को भेजा गया था तथा इसकी अनुमति प्रतीक्षित है (अप्रैल 2017)। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की अनुमति प्राप्त नहीं करने के फलस्वरूप मध्य भागों के निर्माण के बिना, टुकड़ों में नहर का निर्माण करने से ₹ 39.87 करोड़ के कोष अवरुद्ध रहें। इसके परिणामस्वरूप आरडी 78.88 किमी से 110.37 किमी में नहर का काम पूर्ण किये जाने से सृजित हाने वाले कृषि योग्य क्षेत्र में से किसानों को प्राप्त होने वाली सिंचाई सुविधाओं के लाभ का आस्थगन हुआ।

⁷³ लघु सिंचाई योजना।

⁷⁴ आरडी 81.09 से 87.51 के लिए ₹ 12.91 करोड़, आरडी 97.08 से 102.00 के लिए ₹ 13.05 करोड़, आरडी 102.00 से 105.00 के लिए ₹ 9.06 करोड़ एवं आरडी 105.00 से 110.37 के लिए ₹ 11.58 करोड़।

⁷⁵ आरडी 97.08 से 102.00 के लिए ₹ 9.95 करोड़, आरडी 102.00 से 105.00 के लिए ₹ 7.69 करोड़ एवं आरडी 105.00 से 110.37 के लिए ₹ 9.50 करोड़।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (मई 2017) कि जिला कलक्टर, डूंगरपुर ने गैर वन प्रायोजनों हेतु वन भूमि जारी करने के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति एवं पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत प्रमाणपत्र जारी किये थे (मई 2015 एवं नवम्बर 2016)। इसके अलावा यह बताया कि आरडी 78.88 किमी से 81.09 किमी एवं आरडी 92.01 किमी से 97.08 किमी के अंतर्गत आ रही वन भूमि के समकक्ष गैर वन-भूमि प्रत्यावर्तित की जा रही थी और वन विभाग से अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रगतिरत थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि-अधिग्रहण पूर्व अपेक्षित था तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि की मंजूरी की शर्त के साथ जारी की गई थी। अतः वन भूमि की अनुमति के बिना भूमि की अनुपलब्धता के कारण आरडी 78.88 किमी से 81.09 किमी तथा आरडी 87.51 किमी से 97.08 किमी तक बिना नहर का निर्माण किये आरडी 81.09 किमी से 87.51 किमी एवं आरडी 97.08 किमी से 110.37 किमी तक नहर का निर्माण किये जाने से ₹ 39.87 करोड़ के कोष अवरुद्ध रहे परिणामस्वरूप किसानों को परियोजना पूर्ण होने के पश्चात मिलने वाली सिंचाई सुविधाओं के लाभों का आस्थगन हुआ।

अनादि मिश्र
(अनादि मिश्र)


महालेखाकार

जयपुर

(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

दिनांक: 2 फरवरी 2018

प्रतिहस्ताक्षरित


(राजीव महर्षि)

नई दिल्ली

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक: 6 फरवरी 2018

परिशिष्ट

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.5; पृष्ठ 21)

आय और व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आय					व्यय				शुद्ध अधिशेष (प्रतिशत)
	सहमति शुल्क	जल उपकर	ब्याज आय	अन्य आय ¹	कुल आय	परियोजना खर्चे	स्थापना और अन्य खर्चे	आयकर	कुल व्यय	
2012-13	43.03	20.52	19.33	0.90	83.78	10.79	17.62	1.22	29.63	54.15 (65)
2013-14	45.75	0.00	25.65	1.39	72.79	1.22	18.43	1.46	21.11	51.68 (71)
2014-15	38.05	0.00	29.81	1.26	69.12	0.80	22.25	3.38	26.43	42.69 (62)
2015-16	75.76	8.14	31.65	4.78	120.33	0.71	24.13	6.40	31.24	89.09 (74)
2016-17	उपलब्ध नहीं									
कुल	202.59	28.66	106.44	8.33	346.02	13.52	82.43²	12.46	108.41	

स्रोत: आरएसपीसीबी, जयपुर

¹ प्रयोगशाला नमूना जांच शुल्क, बीएमडब्लू, निगरानी शुल्क इत्यादि

² प्रयोगशाला व्यय पर ₹ 1.00 करोड़ सम्मिलित

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.6.3; पृष्ठ 24)

एनसीआर में वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और कमी के लिए उपायों के रूप में किए जाने वाले कार्य

क्र.सं.	कार्य बिन्दु	क्रियान्वयन के लिए समय सीमा	सम्बन्धित प्राधिकारी
ए	वाहन के उत्सर्जनों पर नियंत्रण		
1	प्रदूषणकारी वाहनों के विरुद्ध व्यापक जागरूकता अभियान शुरू करें;	तुरंत	परिवहन विभाग
2	स्पष्ट प्रदूषणकारी वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करें;	तुरंत	परिवहन विभाग
3	अधिभार को रोकने के लिए देहली की सीमाओं पर गति पुलों में तौलना स्थापित करें;	तुरंत	परिवहन विभाग
4	गैर निर्धारित क्षेत्रों में वाहनों की पार्किंग को रोकने के लिए कदम उठाए ;	तुरंत	परिवहन विभाग
5	मार्ग परिवर्तन के लिए प्रमुख मार्गों पर यात्रियों के लाभ के लिए यातायात की भीड़ से सम्बन्धित प्रारम्भिक अलार्म प्रणाली का सूत्रपात करें;	तुरंत	परिवहन विभाग
6	सड़क पर वाहनों के शिखर संचलन को कम करने के लिए फ्लेक्सि/चौकाने वाले समय की योजना शुरू करने पर विचार करें;	तुरंत	परिवहन विभाग
7	कण फिल्टर के साथ डीजल वाहनों के पुनःसंयोजन के लिए कदम उठाए;	तुरंत	परिवहन विभाग
8	डी-कान्जैस्ट मार्ग	तुरंत	परिवहन विभाग
9	यातायात संचलन को सिंक्रनाइज करे। लेन ड्राईविंग के लिए बुद्धिमतापूर्ण यातायात प्रणाली का सूत्रपात करें;	30 दिन	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, परिवहन
10	ईंधन भरने वाले स्टेशनों में वेपोर रिकवरी प्रणाली स्थापित करें;	30 दिन	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, परिवहन
11	रिमोट सेंसर आधारित पीयूसी प्रणाली इत्यादि की स्थापना के लिए कदम उठाए;	90 दिन	परिवहन विभाग
12	डिस्पेंसिंग मशीनों की बढ़ती संख्या सहित ईंधन स्टेशनों के विसंकुलन को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार करना;	90 दिन	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, परिवहन
13	ईंधन गुणवत्ता वाले आंकड़ों की यादृच्छिक निगरानी और ईंधन में मिलावट की जांच के लिए कार्य योजना तैयार करना;	90 दिन	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, परिवहन
14	सीएनजी साधन पर सार्वजनिक परिवहन के लिए कार्य योजना तैयार करना;	90 दिन	परिवहन विभाग

15	सड़क के विसंकुलन के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार और सड़क चौड़ी करना आरंभ करना;	90 दिन	परिवहन विभाग
16	बैटरी संचालित वाहनों को बढ़ावा देना;	90 दिन	परिवहन विभाग
17	पश्चिमी और पूर्वी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के वक्त से पहले शीघ्र पूर्ण करने में तेजी लाने के लिए कदम उठाएं और पूर्णता अनुसूची प्रस्तुत करें।	60 दिन	परिवहन विभाग
बी	सड़क धूल नियंत्रण/धूल के पुनः निलंबन और अन्य फ्यूजिटिव उत्सर्जन		
18	यातायात गलियारों के साथ हरी बफर सृजन के लिए कार्य योजना तैयार करना;	तुरंत	परिवहन विभाग
19	सड़कों को मेकेनाइज्ड वेक्यूम/गीली सफाई का सूत्रपात करना;	30 दिन	परिवहन विभाग
20	उत्सर्जन और धूल को कम करने के लिए पोट होल्स मुक्त सड़कों के संभारण से यातायात का मुक्त प्रवाह बनाए रखें;	60 दिन	परिवहन विभाग
21	जहां भी संभव हो प्रमुख यातायात चौराहों पर जल फव्वारों का सूत्रपात करना;	90 दिन	परिवहन विभाग
22	खुले क्षेत्रों, उद्यानों, सामुदायिक स्थानों, विद्यालयों और आवास समितियों को हरियाली का कार्य करना;	90 दिन	परिवहन विभाग
23	सड़क धूल टालने के लिए सड़क सोल्डर्स के पेवमेंट/ब्लेकटोपिंग के लिए कदम उठाएं;	180 दिन	एलएसजी/यूडीएच
सी	बायोमास जलाने से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण		
24	खुल में बायोमास/पत्ते/टायर इत्यादि जलाने जैसी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए इनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें और आवधिक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें;	तुरंत	कृषि विभाग
25	बागवानी कचरा (बायोमास) का उचित संग्रह और खाद-सह-बागवानी दृष्टिकोण सुनिश्चित करना;	तुरंत	कृषि विभाग
26	कृषि कचरे और फसल के अवशेष को जलाने पर रोक की सख्त पालना सुनिश्चित करना;	तुरंत	कृषि विभाग
27	होटलों और रेस्टोरेन्ट्स में कोयले के उपयोग पर रोक लगाना और दिल्ली में खाना पकाने के लिए केरोसीन का उपयोग हटाना;	60 दिन	एलएसजी/यूडीएच
डी	औद्योगिक वायु प्रदूषण पर नियंत्रण		
28	अनाधिकृत ईट भट्टों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करें;	30 दिन	आरएसपीसीबी
29	मानकों के साथ अनुपालन नहीं करने वाली औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करें;	60 दिन	आरएसपीसीबी
30	प्राकृतिक ड्राफ्ट ईट भट्टों के प्रेरित ड्राफ्ट में रूपांतरण की सख्त अनुपालना लागू करना;	90 दिन	आरएसपीसीबी

31	जहां भी संभव हो, उद्योगों द्वारा प्राकृतिक गैस पर स्विचिंग ओवर करने की कार्ययोजना प्रारंभ करना;	120 दिन	आरएसपीसीबी
ई	निर्माण और विध्वंस क्रियाओं से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण		
32	उचित आवरण के माध्यम से निर्माण स्थलों पर धूल प्रदूषण नियंत्रण;	तुरंत	एलएसजी/यूडीएच
33	बाधाओं और धूल दमन इकाईयों, पर्दे, पानी छिड़काव के माध्यम से सामग्री संचालन, कनवेयिंग और स्क्रीनिंग संचालन से फ्यूजिटिव उत्सर्जन के लिए नियंत्रण उपायों को करना;	30 दिन	एलएसजी/यूडीएच
34	बंद/ढके हुए पतियों में निर्माण सामग्री की ढुलाई सुनिश्चित करना;	30 दिन	एलएसजी/यूडीएच
एफ	वायु प्रदूषण नियंत्रण के अन्य कदम		
35	रिपोर्ट की गई गैर-अनुपालन के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए राज्य/संघीय क्षेत्र में हेल्पलाइन स्थापित करना;	तुरंत	एलएसजी/यूडीएच
36	केंद्रीय और राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से जुड़े मोबाईल आधारित एप्लीकेशन और अन्य सामाजिक मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से कचरा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट जलाने की सूचना की एक प्रणाली विकसित करना;	30 दिन	एलएसजी/यूडीएच
37	शिकायतों के त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया स्थापित करना;	30 दिन	एलएसजी/यूडीएच
38	घरेलू खाना पकाने के प्रयोजनों के लिए एलपीजी/पीएनजी के कवरेज को अधिकतम करने के लिए 100 प्रतिशत को प्राप्त करने की इच्छा के साथ कदम उठाना;	90 दिन	एलएसजी/यूडीएच
39	केवल मानदंडों को पूरा करने वाले डीजी सेट के परिचालन की अनुमति दी जाना सुनिश्चित किया जाए;	30 दिन	एलएसजी/यूडीएच
40	रेस्टोरेंट/ढाबों/सड़क के किनारे भोजनालयों पर कोयले की जगह एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देना;	90 दिन	एलएसजी/यूडीएच
41	कृषि अवशेष जलाने के प्रवर्तन और ट्रेकिंग की सेटलाइट आधारित निगरानी लागू करना;	90 दिन	एलएसजी/यूडीएच
42	बायोमास जलाने से बचने के लिए बायोमास आधारित बिजली उत्पादन इकाईयों की स्थापना के लिए कदम उठाना;	एक साल	एलएसजी/यूडीएच

स्रोत: आरएसपीसीबी, जयपुर

परिशिष्ट 2.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.7.3, पृष्ठ 30)

वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की सूची

क्र.सं.	शहर का नाम	स्थापना वर्ष	एएक्यूएमएस/सीएएक्यूएमएस का स्थान	टिप्पणियाँ
(अनुमोदित स्थान का नाम)				
1	भिवाड़ी	2015	आरओ, आरएसपीसीबी भवन	-
2	भिवाड़ी	2015	यूआईटी गेस्ट हाउस	ईएसआई अस्पताल
3	भिवाड़ी	2016	मैसर्स उत्तम स्ट्रीप्स	-
4	अलवर	1994	आरओ आरएसपीसीबी भवन	-
5	अलवर	1994	मैसर्स जैन इरिगेशन लिमिटेड	गौरव सोलवेक्स
6	अलवर	1991	मैसर्स विन्टेज डिस्टीलर्स लिमिटेड	आरआईआईसीओ पम्प हाउस
7	जोधपुर	1994	शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन	-
8	जोधपुर	2003	चौपासनी हाउसिंग बोर्ड	-
9	जोधपुर	1994	महामंदिर पुलिस स्टेशन	-
10	जोधपुर	1994	सोजति गेट पुलिस स्टेशन	-
11	जोधपुर	2003	डी आई सी कार्यालय	-
12	जोधपुर	2003	आरओ आरएसपीसीबी भवन	आरआईआईसीओ कार्यालय बानसी II
13	कोटा	1985	कृषि विज्ञान केन्द्र बोरखेड़ा	समकौर ग्लास लिमिटेड
14	कोटा	2000	नगर निगम रामपुरा	-
15	कोटा	2016	फायर स्टेशन	-
16	कोटा	2016	मैसर्स गिरीराज आईटीआई	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट बालिता
17	कोटा	2016	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय	-
18	कोटा	1998	आरओ आरएसपीसीबी भवन	-
19	उदयपुर	1994	आरओ आरएसपीसीबी भवन	-
20	उदयपुर	1994	टाउन हाल	-
21	उदयपुर	1994	अम्बा माता	-
22	जयपुर	1996	आरएसपीसीबी प्रधान कार्यालय भवन झलाना डूंगरी	-
23	जयपुर	1996	आरओ आरएसपीसीबी भवन, सीकर रोड	-
24	जयपुर	1996	आरएसईबी भवन, चांदपोल	-

25	जयपुर	1996	वीकेआई, मनोरंजन क्लब	-
26	जयपुर	1996	रीको कार्यालय एमआईए	-
27	जयपुर	1996	पीएचईडी भवन अजमेरी गेट	-
28	जयपुर	2017	रीको कार्यालय, बाईस गोदाम औद्योगिक क्षेत्र	-
29	जयपुर	2017	रीको कार्यालय, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र	-
30	भरतपुर	2015	आरओ भवन भरतपुर	-
31	भरतपुर	2016	रीको कार्यालय	-
32	भरतपुर	2016	खादी ग्रामोद्योग	-

सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सीएएक्यूएमएस)

1	जयपुर	2012	पुलिस आयुक्त, एमआई रोड	-
2	जोधपुर	2012	जिला कलेक्ट्रेट, जोधपुर	-
3	जयपुर	2017	मनोरोग केन्द्र, सेठी कालोनी	-
4	जयपुर	2017	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, शास्त्री नगर	-
5	अजमेर	2017	सैनिक विश्राम गृह, सिविल लाइन	-
6	पाली	2017	बांगड़ राजकीय पीजी महाविद्यालय, पाली	-
7	भिवाड़ी	2017	जल आपूर्ति योजना फ़ैज-4 रीको औद्योगिक क्षेत्र	-
8	कोटा	2017	श्रीनाथ पुरम स्टेडियम	-
9	अलवर	2017	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय, डीजीएम स्कूल के सामने, अलवर	-
10	उदयपुर	2017	डीएमजी कार्यालय, कोर्ट सर्किल	-

स्रोत: आरएसपीसीबी, जयपुर, संयुक्त रूप से दौरा किए गए इकाइयों को बोल्ड में हाइलाइट किया गया है।

परिशिष्ट 2.4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.7.3, पृष्ठ 30)

अनुपयुक्त स्थानों पर स्थापित वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरणों का विवरण

क्र. सं.	शहर का नाम	निरीक्षण जगहों के नाम और स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
1	अलवर	सीएक्यूएमएस, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद	इमारत के पीछे की ओर के कोने पर स्थित है और इमारतों से घिरा हुआ है।
2	अलवर	एक्यूएमएस, मैसर्स विन्टेज डिस्टीलर्स लिमिटेड, 117 एमआईए, अलवर	छोटे आकार की इमारत की छत के कोने पर स्थित और इमारतों और पेड़ों से घिरा हुआ है।
3	अलवर	एक्यूएमएस, मैसर्स जैन इरिगेशन लिमिटेड	छोटी आकार की इमारत की छत के कोने पर स्थित और पेड़ों से घिरा हुआ है।
4	भिवाड़ी	सीएक्यूएमएस, वाटर सप्लाई कोम्लैक्स, आरआईआईसीओ औद्योगिक क्षेत्र	दीवार के पास, इमारतों, पेड़ों और पानी के ऊंचे टैंक से घिरा हुआ है।
5	जोधपुर	एक्यूएमएस, रीजनल कार्यालय, जोधपुर	इमारत की छत के कोने पर स्थित और पेड़ों से घिरा हुआ है।
6	जोधपुर	एक्यूएमएस, महामंदिर, पुलिस स्टेशन	पेड़ों से घिरा हुआ है।
7	जोधपुर	एक्यूएमएस, सोजतिगेट, पुलिस स्टेशन	पेड़ों से घिरा हुआ है।
8	जोधपुर	एक्यूएमएस, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड	सैम्पलर दीवारों और पेड़ों के पास स्थापित किया गया था।
9	कोटा	एक्यूएमएस, फायर स्टेशन	सैम्पलर दीवारों और पेड़ों के पास स्थापित किया गया था।
10	कोटा	एक्यूएमएस, केवीके, बोरखेड़ा	स्टेशन खेती की जमीन से घिरा हुआ था और पास में कोई प्रदूषण संकेद्रण व चढ़ाव या उतार के स्रोत इत्यादि नहीं थे
11	उदयपुर	एक्यूएमएस, टाउन हाल	दीवार के पास इमारतों और पेड़ों से घिरा हुआ है
12	उदयपुर	एक्यूएमएस, आरओ बिल्डिंग	छत के भूतल पर रखा गया और चार दीवारी के पास

स्रोत: क्षेत्रीय कार्यालय, आरएसपीसीबी और परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन।

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.7.3, पृष्ठ 31)

अनुमोदित स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर स्थापित सैम्पलरों का विवरण

क्र. सं.	शहर का नाम	निगरानी स्टेशन का प्रकार	निगरानी स्टेशनों के अनुमोदित स्थान	स्थान जहां सैम्पलर स्थापित किया गया था
1	अलवर	एएक्यूएमएस,	मैसर्स गौरव सोलवेक्स लिमिटेड	मैसर्स जैन इरिगेशन लिमिटेड
2	अलवर	एएक्यूएमएस,	रीको पम्प हाउस	प्रहरी कक्ष की छत औद्योगिक क्षेत्र मैसर्स वीन्टेज डिस्टिलरीज के साथ जुड़ा हुआ।
3	भिवाड़ी	सीएएक्यूएमएस,	यूआईटी गेस्ट हाउस	वाटर सम्लाई कोम्पलैक्स, रीको औद्योगिक क्षेत्र
4	भिवाड़ी	एएक्यूएमएस,	ईएसआई अस्पताल	यूआईटी गेस्ट हाउस
5	जयपुर	सीएएक्यूएमएस,	आरओ बिल्डिंग, सीकर रोड	पुलिस आयुक्तालय
6	कोटा	एएक्यूएमएस,	समकोर ग्लास लिमिटेड	कृषि विज्ञान केन्द्र, बोरखेड़ा
7	कोटा	एएक्यूएमएस,	मलजल उपचार संयंत्र, बालिता	गीरीराज आईटीआई

स्रोत: क्षेत्रीय कार्यालय, आरएसपीसीबी और परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन।

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ अनुच्छेद 3.1.5.1; पृष्ठ 74)

अरावली पर्वत पहाड़ियों में खनन के संदर्भ में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का विवरण (रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995)

दिनांक	विवरण
29 अक्टूबर 2002	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संपूर्ण अरावली पहाड़ियों में समस्त खनन गतिविधियों को निषिद्ध एवं प्रतिबंधित किया था। यह प्रतिबंध केवल कोट एवं आलमपुर ग्रामों को घेरने वाली पहाड़ियों तक सीमित नहीं था बल्कि धौलपुर से राजस्थान तक की संपूर्ण अरावली की पहाड़ियों तक बढ़ाया गया था। मुख्य सचिव, हरियाणा राज्य एवं राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया कि अरावली पहाड़ियों, विशेष रूप से उन भागों में जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत वन क्षेत्र या रक्षित क्षेत्र माने गये थे, में खनन गतिविधियां नहीं की जावे।
16 दिसंबर 2002	हरियाणा से राजस्थान तक अरावली पहाड़ियों में खनन गतिविधियों को निषिद्ध एवं प्रतिबंधित करने के भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 29/30 अक्टूबर 2002 के आदेश को, जहां तक राजस्थान राज्य से सम्बन्धित था, निम्न प्रभावानुसार संशोधित किया गया था: कथित राज्य में जहां कहीं भी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत आवश्यक अनुमोदन/स्वीकृतियां प्राप्त की जा चुकी हैं तथा लागू अधिनियमों या अधिसूचनाओं या न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत खनन को निषिद्ध नहीं किया गया है, खनन जारी रह सकेगा तथा ऐसे खनन के लिए पूर्व कथित आदेश लागू नहीं होगा।
8 अप्रैल 2005	आगामी निर्देशों तक लंबित रखते हुए, हम वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार के खनन को प्रतिबंधित करते हैं। आगे, हम राजस्थान राज्य में अवस्थित अरावली पहाड़ियों में किसी भी क्षेत्र में जहां 16 दिसंबर 2002 के पश्चात अनुमति प्रदान की गई थी, खनन को प्रतिबंधित किया गया था।
19 फरवरी 2010	राजस्थान राज्य की अरावली श्रृंखला में तकरीबन 261 खनन पट्टे थे। कुछ खनन पट्टे 16 दिसंबर 2002 के पश्चात नवीनीकृत किये गए थे, यद्यपि उस दिनांक को पारित आदेश के अनुसार यह कठोर रूप से अनुमत्य नहीं था। प्राधिकारियों के पास एक बड़ी संख्या में नवीनीकरण आवेदन भी लंबित हैं। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) नियम, 1960 के नियम 24ए खनन पट्टे का नवीनीकरण के समझे जाने के प्रावधान का लाभ लेते हुए लगभग सभी पट्टेधारक बिना व्यवधान के खनन संक्रियाये जारी रख रहे हैं। नवीनीकरण आवेदन बहुत लंबे समय से एवं कुछ प्रकरणों में अनेक वर्षों से लंबित हैं। नियम 24ए स्पष्ट रूप से इस तरह की स्थिति परिकल्पित नहीं करता है। हम तदनुसार, उन सभी पट्टेधारकों जिनके सम्बन्धित पट्टों के नवीनीकरण के आवेदन लंबित हैं, को आगामी आदेशों तक किसी प्रकार की खनन संक्रियाएं करने से प्रतिबन्धित करते हैं।

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ अनुच्छेद 3.1.6; पृष्ठ 79)

पट्टेधारियों द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों की पालना के सम्बन्ध में विभिन्न विनियमों के अधीन प्राविधित प्रावधान

1. ऊपरी मृदा

खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988	खनन योजना	पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तें	संचालन की सहमति की शर्तें
<p>नियम 32- प्रधान खनिज खनन पट्टे का प्रत्येक धारक, जहां कहीं भी ऊपरी मृदा विद्यमान है तथा खनन संक्रियाओं के लिये उत्खनित की जानी है, इसको पृथक रूप से हटायेगा और भूमि की बहाली या पुनर्वास के लिये उपयोग करेगा।</p> <p>अप्रधान खनिज पट्टों के लिये राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 37 यू(1) में समान प्रावधान विद्यमान है।</p>	<p>ऊपरी मृदा का भण्डारण बगैर खनिज की उपलब्धता वाले क्षेत्र पर किया जावेगा। ऊपरी मृदा को ढेरों के ऊपर वृक्षारोपण के उद्देश्य के लिये फैलाया जायेगा।</p>	<p>ऊपरी मृदा, यदि कोई, को केवल चिन्हित स्थलों पर भण्डारण किया जावेगा और इसे लंबी अवधि के लिये अनुपयोगी नहीं रखा जावेगा।</p> <p>ऊपरी मृदा का उपयोग पुनः स्थापन एवं वृक्षारोपण के लिये किया जावेगा।</p>	<p>परियोजना प्रस्तावक ऊपरी मृदा का भण्डारण पृथक से करेगा और इसका उपयोग वृक्षारोपण एवं मलबे के ढेरों के पुनः स्थापन के लिये करेगा।</p>

2. अधिभार ढेर

खनन योजना	पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तें	संचालन की सहमति की शर्तें
<p>उत्खनित खनिज के प्रकार के आधार पर प्रत्येक पट्टाधारी खनन योजना में अधिभार के विशिष्ट प्रशोधन/पुनर्प्राप्ति का प्रस्ताव करता है।</p> <p>अधिभार का धरण दीवार के द्वारा स्थिरीकरण। (प्रत्येक पट्टाधारी अधिभार स्थिति के अनुसार स्थिरीकरण का प्रस्ताव करता है।)</p>	<p>अधिभार सामग्री का ढेर लगाने के लिए एक अलग स्थान चिन्हित होना चाहिए और इसे लम्बी अवधि के लिए सक्रिय नहीं रखा जावे।</p> <p>क्षरण और सतही बहाव को रोकने के लिए अधिभार ढेरों को वैज्ञानिक रूप से उपयुक्त देशी प्रजातियों के साथ वनस्पति युक्त किया जाना चाहिए। वनस्पति के आत्मनिर्भर होने तक पुनर्वासित क्षेत्रों का प्रबंधन एवं प्रबंधन, जारी रखा जाना चाहिए।</p>	<p>उत्पन्न अधिभार केवल चिन्हित ढेर स्थल पर जमा किया जावेगा और ढेर लगाने के पश्चात् इसे उपयुक्त वृक्षारोपण द्वारा स्थिर किया जाना चाहिए। वनस्पति के आत्मनिर्भर होने तक पुनर्वासित क्षेत्रों का प्रबंधन एवं प्रबंधन जारी रखा जाना चाहिए। अधिभार ढेरों के पैदे पर एक धरण दीवार होनी चाहिये।</p>

3. वृक्षारोपण

राजस्थान सरकार के परियोजना के दिनांक	खनन योजना	पर्यावरणीय सहमति की शर्तें	संचालन सहमति की शर्तें	
29 सितंबर 2003	प्रत्येक पट्टाधारक/खदान अनुज्ञापिका के लिए वृक्षारोपण के लिए मानदंड निम्नानुसार होंगे:	खनन योजना में प्रजातियों का नाम जाना रोपा जाना है, पौधों की संख्या, वर्षवार वृक्षारोपण के लिए स्थान/जगह सम्मिलित है। बाद पट्टेदार को वृक्षारोपण देखभाल के दौरान पानी देना, खाद, कीटनाशक उपचार और पौधों के मरने पर पुनः स्थापना को सुनिश्चित करना है, ताकि जीवित रहने की दर 80 प्रतिशत से कम न हो।	खनन पट्टे के क्षेत्र में चारों तरफ चरणबद्ध तरीके से वृक्षारोपण को विकसित किया जाना चाहिए। वृक्षारोपण पट्टा क्षेत्र के आधार पर भिन्न होता है।	पट्टेदार, खान के चारों ओर परिवेश में वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कुल पट्टाक्षेत्र का कम से कम 33 प्रतिशत में वृक्षारोपण का विकास करेगा और वृक्षारोपण के लिए कार्ययोजना का पालन करना होगा।
श्रेणी	मानदंड			
प्रधान खनिज पट्टेदार	5 पौधे/हैक्टर अंश/वर्ष	या		
मार्बल, सरपेटाईन एवं ग्रेनाईट पट्टों और खदान अनुज्ञापिका	20 पौधे/हैक्टर अंश/वर्ष	या		
अन्य अप्रधान खनिज पट्टों और खदान अनुज्ञापिका	40 पौधे/हैक्टर अंश/वर्ष	या		
मार्बल और ग्रेनाईट के अलावा खनिजों का खदान अनुज्ञापिका क्षेत्रफल एक हैक्टर से कम हो।	5 पौधे/खदान अनुज्ञापिका/वर्ष			

4. गारलैन्ड नाली का निर्माण

पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तें	संचालन सहमति की शर्तें
गारलैन्ड नाली का निर्माण वर्षा के दौरान निचले क्षेत्रों में पानी के बहाव से गाद एवं तलछट को रोकने के लिए खनन गड्ढे एवं अधिभार ढेर के चारों ओर किया जाना चाहिये।	पानी एवं तलछट के बहाव को रोकने के लिये खनिज एवं अधिभार ढेर के चारों ओर गारलैन्ड नाली का निर्माण किया जाना चाहिए।

5. वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय

खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988	खनन योजना	पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तें	संचालन की सहमति की शर्तें
नियम 37 में वर्णित है कि खनन उपकृति एवं संबंधित गतिविधियों के दौरान परिष्कृत ³ , धूल, धुआं या गैसों के उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण को नियंत्रित	वायु प्रदूषण के सम्भावित कारणों का विवरण एवं उनके निवारण उपायों का विवरण पर चर्चा।	हाल रोड, चढ़ाने एवं उत्पादन वाले बिन्दुओं पर वायु जनित धूल के कणों को रोकने हेतु पानी से छिड़काव किया जावेगा। वायु की गुणवत्ता के	पानी के छिड़काव एवं स्थापित की गई छिड़काव प्रणाली में सहित धूल को दबाने के लिये उपयोग हेतु संधारित रखना था। संचालन की सहमति की

3 परिष्कृत से आशय खनिजों या अयस्क की संक्रिया से है (i) चाही गई उत्पाद के आकार को विनियमित करना (ii) अनुपयोगी घटकों को अलग हटाना, और (iii) चाहे गए उत्पाद की विशेषता, उसकी शुद्धता और परख या विश्लेषण श्रेणी को प्रोन्नत करना।

<p>किया जावेगा और देश के विभिन्न पर्यावरण सम्बन्धी विधियों जिनमें वायु (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 शामिल है, के अधीन विनिर्दिष्ट प्रधान खनिज के पट्टाधारी द्वारा 'अनुक्षेप सीमा' के भीतर रखा जावेगा।</p> <p>अप्रधान खनिज पट्टों के लिये राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 37 यू(4) में समान प्रावधान विद्यमान है।</p>		<p>प्रबोधन हेतु सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मेटर्स (एसपीएम), रेस्परेवल पार्टिकुलेट मेटर्स (आरपीएम), सल्फर डाईऑक्साइड (एसओ₂), नाईट्रोजन डाईऑक्साइड (एनओ₂) और कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ) के स्तर की जांच की जावेगी और इसके परिणामों को छः माह में एक बार राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को प्रस्तुत की जावेगी।</p>	<p>शर्त के अनुसार पट्टेधारी को एसपीएम के लिये खनन क्षेत्र में परिवेशी वायु की गुणवत्ता के लिये छः माह में एक बार प्रबोधन करना आवश्यक है और परिणामों का राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को प्रस्तुत करने है।</p> <p>पट्टेधारी को परिवेशी वायु की गुणवत्ता के प्रबोधन के लिये आवश्यक मूलभूत सुविधाये मय उपकरण उपलब्ध करायेगे।</p>
--	--	--	--

6. ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपाय

खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988	खनन योजना	पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तें	संचालन की सहमति की शर्तें
<p>नियम 39 प्राविधित करता है कि प्रधान खनिज के पट्टेधारी द्वारा खानों, कार्यशाला इत्यादि से उत्पन्न ध्वनि के स्रोत पर नियंत्रित किया जावेगा जिससे कि उसे अनुज्ञेय सीमा तक रखा जा सके।</p> <p>अप्रधान खनिज पट्टों के लिये राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 37 यू (6) में समान प्रावधान विद्यमान है। आगे, ध्वनि परीक्षण के पीरियोडिकल परिणामों को संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता के साथ-साथ राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारियों को सूचित किया जावेगा।</p>	<p>खनन स्थान पर लगाई गई मशीन का उचित संधारण प्रस्तावित है। जिससे ध्वनि को कम किया जा सके।</p>	<p>ध्वनि के स्तर को निर्धारित मानकों के अन्दर नियंत्रित करने हेतु उपाय किये जाने चाहिये।</p>	<p>ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा से किन्हीं परिस्थितियों में अधिक नहीं होना चाहिये (दिन के समय 75 डीबीए और रात्रि के समय 65 डीबीए)</p> <p>ध्वनि स्तर के परिणामों का प्रबोधन छः माह में एक बार किया जाना चाहिये और इसके परिणामों को नियमित रूप से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को प्रस्तुत किये जावेगे।</p>

7. उत्खनित गड्डों का पुनःस्थापन एवं सुधार

खनिज संरक्षण तथा विकास नियम, 1988	पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तें	संचालन की सहमति की शर्तें
<p>नियम 34 कहता है कि प्रधान खनिज खनन पट्टे के हर धारक खनन संक्रियाओं द्वारा प्रमाणित भूमियों को पूर्व अवस्था के अनुकूल बहाल करने, उद्धार करने और पुनर्वास करने का कार्य करेगा तथा यह कार्य ऐसी संक्रिया के निष्कर्ष के पूर्व और खनन के परित्याग के पूर्व किया जावेगा।</p> <p>अप्रधान खनिज पट्टे के लिये राजस्थान अप्रधान खनिज नियम, 1986 के नियम 37 यू(3) में समान प्रावधान विद्यमान है।</p>	<p>अंतिम खान समापन योजना, कोष निधि के ब्यौरे के साथ अंतिम खान बंद करने के पांच वर्ष पूर्व मंजूरी के लिये एम.ओ.ई.एफ. को प्रस्तुत किया जाना चाहिये।</p>	<p>खनन इकाई खनन कार्यों से प्रभावित स्थापित प्रथाओं और प्रक्रियाओं के अनुसार चरणबद्ध पुनर्स्थापना और पुनर्वास का कार्य करेगा तथा खनन कृत्यों के निष्कर्ष से पहले एवं स्वामित्व या संभावनाओं का त्याग करने से पहले यह कार्य पूरा करेगा।</p>

8. बेंचों में खनन

मेटलीफेरस खान का विनियमन, 1961	खनन योजना	पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तें
<p>विनियमन 106(2)(अ) प्राविधित करती है कि जहां ढलान वाली सतह पर जमा का उत्खनन मानव साधनों से किया जाता है, सतह को बैच निर्मित किया जावेगा तथा भागों को क्षैतिज से 60 डिग्री से अधिक कोण पर ढलवा बनाया जावेगा। किसी भी बैच की ऊंचाई छः मीटर से अधिक नहीं होगी तथा चौड़ाई ऊंचाई से कम नहीं होगी। तथापि, जहां अयस्क स्रोत तुलनात्मक रूप से कठोर एवं ठोस चट्टान से बनाये क्षेत्रीय निरीक्षण एक लिखित आदेश द्वारा तथा ऐसी शर्तों के अधीन जैसी की वह उसमें विनिर्दिष्ट करें बैच की ऊंचाई 7.5 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति दे सकेगा।</p>	<p>खान का वर्षवार विकास जिसमें प्रत्येक वर्ष जाने वाली चौड़ाई एवं लंबाई प्रदान की जाती है।</p>	<p>बेंचों की ऊंचाई, चौड़ाई तथा ढाल मेटलीफेरस खान विनियमन, 1961 अथवा महानिदेशक, खान सुरक्षा के अनुमोदन के अनुसार रखा जावेगा।</p>

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ अनुच्छेद 3.1.6.3; पृष्ठ 85)

संयुक्त भौतिक निरीक्षण जांच-परिणामों का राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की 38 निरीक्षण प्रतिवेदनों के साथ क्रॉस-सत्यपान

क्र.सं.	पर्यावरणीय मुद्दों के घटक	संयुक्त भौतिक निरीक्षण और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के प्रतिवेदनों के मध्य तुलना	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	ऊपरी मृदा: राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रोफार्मा के अनुसार, ऊपरी मृदा की उपलब्धता पर टिप्पणी की जानी थी और इसके उपलब्ध होने की दशा में उसके भंडारण, स्थान और मात्रा को विनिर्दिष्ट करना था।	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार, 15 खनन पट्टों में ऊपरी मृदा उपलब्ध नहीं थी, 14 खनन पट्टों में ऊपरी मृदा के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था अथवा 6 खनन पट्टों में ऊपरी मृदा की कम मात्रा की उपलब्धता का उल्लेख किया गया था और तीन प्रकरणों में ऊपरी मृदा उपलब्ध थी, जबकि संयुक्त भौतिक निरीक्षण जांच परिणामों में यह पाया गया कि 16 खनन पट्टों में ऊपरी मृदा मौजूद नहीं थी एवं 22 खनन पट्टों में ऊपरी मृदा मौजूद थी।	इससे प्रकट हुआ कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने केवल तीन प्रकरणों में ऊपरी मृदा की उपलब्धता प्रतिवेदित की थी जबकि संयुक्त भौतिक निरीक्षण जांच परिणामों के अनुसार यह 22 खनन पट्टों में उपलब्ध थी। इस प्रकार, 19 खनन पट्टों में ऊपरी मृदा से संबंधित राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की निरीक्षण प्रतिवेदन अपूर्ण, गलत एवं अविश्वसनीय थी।
2	अधिभार ढेर: राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रारूप में, निरीक्षणकर्ता अधिकारी को अधिभार ढेरों की संख्या मय माप एवं इन ढेरों की स्थिति, अधिभार ढेरों के चारों ओर धरण दीवार का निर्माण, ढेर के चारों वृक्षारोपणों की संख्या तथा वृक्षारोपण का प्रकार प्रतिवेदित किया जाना अपेक्षित है।	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार, सात खनन पट्टों में अधिभार नहीं था, 29 खनन पट्टों में अधिभार ढेर नहीं पाया गया या नगण्य ढेर पाया गया और दो पट्टों में अधिभार ढेरों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई थी जबकि संयुक्त भौतिक निरीक्षण जांच परिणामों में यह पाया गया कि 36 खनन पट्टों में अधिभार ढेर पाये गये एवं 2 खनन पट्टों में अधिभार ढेर नहीं अथवा नगण्य पाये गये।	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की किसी भी प्रतिवेदन में ढेरों की संख्या के साथ माप एवं स्थिति के बारे में सभी विवरण उल्लेखित नहीं थे। सात ⁴ पट्टों में ढेरों की संख्या तथा माप उल्लेखित थी परन्तु उनकी स्थिति विनिर्दिष्ट नहीं थी सिवाय एक पट्टे (07/01 ऋषभदेव) के। दो पट्टों में अधिभार ढेरों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। शेष रहे 29 खनन पट्टों में यह कथन किया गया कि पट्टा क्षेत्र में अधिभार ढेर नहीं पाया गया या नगण्य ढेर पाया गया और इसलिए पुर्नप्राप्ति की आवश्यकता नहीं थी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने उनकी निरीक्षण प्रतिवेदनों में नौ खनन पट्टों की

⁴ सात पट्टे (11/05 एवं 54/93-राजसमंद-I, 02/92, 15/03-राजसमंद-II, 06/89-उदयपुर, 7/01 एवं 08/92-ऋषभदेव)

			धरण दीवार निर्मित होना बताया गया था परन्तु यह देखा गया कि एक खनन पट्टे में धरण दीवार निर्मित होना पायी गयी थी एवं दो खनन पट्टों में धरण दीवार निर्माण प्रगति पर होना प्रतिवेदित किया गया था।
3	<p>वृक्षारोपण: निरीक्षण अधिकारी को निरीक्षण के प्रारूप में पौधों की संख्या, वृक्षारोपण के प्रकार और उसके स्थान पर टिप्पणी करना आवश्यक था।</p>	<p>राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार, 25 खनन पट्टों में 12 से 1,500 पौधे लगाया जाना प्रतिवेदित था, दो खनन पट्टों में 1,000 और 40,000 पौधारोपण प्रतिवेदित किए गए थे, तीन खनन पट्टों में पट्टाक्षेत्र के अन्दर और बाहर 300-3,400 पौधारोपण प्रतिवेदित किए गए थे और खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर किये गये वृक्षारोपण के सम्बन्ध कोई विवरण नहीं दिया गया था एवं एक खनन पट्टे में वृक्षारोपण पर कोई टिप्पणी नहीं की गई, जबकि भौतिक निरीक्षण जांच परिणामों में पाया गया कि 27 खनन पट्टों में कोई वृक्षारोपण नहीं पाया गया, 3 पट्टा क्षेत्र में पट्टाक्षेत्र के अन्दर और बाहर प्रतिवेदित किए गए 300-3,400 पौधारोपण के विरुद्ध 20 से 100 पौधे पाये गये और एक पट्टे में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने वृक्षारोपण पर कोई टिप्पणी नहीं की गई जबकि 1,750 पौधे पाये गये।</p>	<p>राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की वृक्षारोपण से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन यथार्थ से परे थी। 25 खनन पट्टों के प्रकरणों में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की निरीक्षण प्रतिवेदनों में 12 से 1,500 पौधे लगाया जाना प्रतिवेदित था। हालांकि, संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान कोई वृक्षारोपण नहीं पाया गया। आगे, 25 खनन पट्टों में से दो खनन पट्टों (खनन पट्टा संख्या 415/02 और 414/02) में यह पाया गया कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने क्रमशः वर्ष 2011 और 2012 में निरीक्षण किया था। प्रतिवेदन के अनुसार खनन पट्टा संख्या 415/02 में 35 पौधों और खनन पट्टा संख्या 414/02 में लगभग 30 पौधारोपण लगाया जाना प्रतिवेदित किया था। मार्च 2015 में किये गये दूसरे निरीक्षण में, प्रत्येक खनन पट्टे के क्षेत्र में 50 पौधारोपण किया जाना प्रतिवेदित किया था। हालांकि, संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान पट्टा क्षेत्र के अन्दर कोई वृक्षारोपण करना नहीं पाया गया। निरीक्षण अधिकारियों ने जहां पौधारोपण किया था उस विनिर्दिष्ट स्थान के बारे में टिप्पणी नहीं की थी।</p> <p>दो पट्टों (खनन पट्टा संख्या 1/93 और 54/93) में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार क्रमशः लगभग 1,000 और 40,000</p>

			<p>पौधारोपण पट्टाक्षेत्र के अन्दर प्रतिवेदित किए गए थे। हालांकि, संयुक्त भौतिक निरीक्षण करने पर एक भी पौधा मौजूद नहीं था।</p> <p>राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने उनकी तीन पट्टों की निरीक्षण प्रतिवेदन में खनन पट्टे क्षेत्र के अन्दर और बाहर 2,000 (खनन पट्टा संख्या 07/01), 3,400 (खनन पट्टा संख्या 02/92) और 300 (खनन पट्टा संख्या 48/11) पौधारोपण करना प्रतिवेदित किया था। यह देखा गया था कि पट्टा क्षेत्र के बाहर किये गये वृक्षारोपण के स्थान के सम्बन्ध कोई विवरण उनकी प्रतिवेदन में नहीं दिया गया था। संयुक्त भौतिक निरीक्षण में यह पाया गया कि खनन पट्टा के क्षेत्र के अंदर खनन पट्टा संख्या 07/01 में 20 पौधे, खनन पट्टा संख्या 2/92 में 100 पौधे और खनन पट्टा संख्या 48/11 में 100 पौधे पाये गये। एक पट्टे (15/03) में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने वृक्षारोपण के विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं की लेकिन संयुक्त भौतिक निरीक्षण में 1,750 पौधारोपण उपस्थित था।</p>
4	गारलैन्ड नाली का निर्माण	<p>राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार, 20 खनन पट्टों में गारलैन्ड नाली के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गयी, 15 खनन पट्टों में गारलैन्ड नाली प्रदत्त, दो पट्टों में गारलैन्ड नाली अप्रदत्त और एक पट्टे में गारलैन्ड नाली लागू नहीं जबकि संयुक्त भौतिक निरीक्षण जांच परिणामों में पाया गया कि दो पट्टों में गारलैन्ड नाली प्रदत्त, 30 खनन पट्टों में गारलैन्ड नाली अप्रदत्त एवं छः पट्टों में गारलैन्ड नाली लागू नहीं थी।</p>	<p>इससे प्रकट हुआ कि राज्य राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने 20 खनन पट्टों में गारलैन्ड नाली की स्थिति पर टिप्पणी नहीं की गई थी। आगे, संयुक्त भौतिक निरीक्षण में यह पाया गया कि 30 खनन पट्टों में गारलैन्ड नाली नहीं थी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुसार 15 खनन पट्टों में गारलैन्ड नाली निर्मित थी इसके विरुद्ध केवल दो पट्टों में गारलैन्ड नाली बनी हुई पाई गई।</p>

5	<p>वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय:</p> <p>पट्टेधारक को परिवेशी वायु की गुणवत्ता के सम्बन्ध में छः माही प्रतिवेदन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को प्रस्तुत करना वांछित था। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रपत्र के एक स्तंभ में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों के भाग के रूप में निरीक्षण अधिकारी को, पानी के छिड़काव की व्यवस्था और इसके कार्यप्रणाली, पानी के छिड़काव की आवधिकता और स्थान का विवरण जहां छिड़काव किया जाना था, प्रतिवेदित करना था।</p>	<p>वायु की गुणवत्ता से संबंधित संयुक्त भौतिक निरीक्षण प्रतिवेदनों के जांच-परिणामों को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के निरीक्षण प्रतिवेदनों के साथ प्रति-सत्यापन किया जाना संभव नहीं था चूंकि संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान वायु गुणवत्ता की जांच खनन स्थल पर उपकरणों के अभाव में नहीं की जा सकी थी।</p>	<p>राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रपत्र में पानी के छिड़काव की व्यवस्था से संबंधित स्तम्भ निरीक्षण अधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से नहीं भरे गये थे और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों ने परवेशी वायु गुणवत्ता से संबंधित छः माही प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने पर कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की थी।</p>
6	<p>ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपाय</p>	<p>राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की 38 खनन पट्टों की निरीक्षण प्रतिवेदनों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि इनमें ध्वनि के स्तर के बारे में कोई उल्लेख नहीं था।</p>	<p>राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल खनन पट्टा क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण स्तर का प्रबोधन नहीं कर सका चूंकि ध्वनि के स्तर के प्रबोधन के लिये निरीक्षण प्रपत्र में स्तम्भ प्रदान नहीं किया था।</p>
7	<p>उत्खनित गड्डों का पुनःस्थापन एवं सुधार</p>	<p>राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार, जांचे गये 38 खनन पट्टों में से केवल तीन निरीक्षणों में पट्टेदार को खनन संक्रियाओं से प्रभावित चरणबद्ध पुनःस्थापन, सुधार व पुनर्वास के लिये सलाह दी गई थी। जबकि भौतिक निरीक्षण जांच परिणामों में पाया गया कि खनन पट्टों में चरणबद्ध पुनःस्थापन, सुधार व पुनर्वास नहीं किये पाये गये।</p>	<p>राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल पट्टा क्षेत्र में भूमि का चरणबद्ध रीति से पुनःस्थापन, सुधार व पुनर्वास कार्य का प्रबोधन नहीं कर सका चूंकि इस पहलु को निरीक्षण प्रपत्र में शामिल नहीं किया गया था।</p>
8	<p>बेन्चों में खनन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रारूप में बेन्चों के विकास के</p>	<p>राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार, 23 खनन पट्टों में बेन्चों के विकास के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की, 10 खनन पट्टों में बेन्चे विकसित की एक खनन पट्टे में</p>	<p>यह पाया गया कि 23 खनन पट्टों के लिये स्तम्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने 'कोई टिप्पणी' नहीं दी गई थी। 10 खनन पट्टों के लिये यह</p>

<p>साथ गड्ढावार बैन्च ऊंचाई, चौडाई एवं लम्बाई पर स्तंभ शामिल है</p>	<p>बैन्च विकसित नहीं थी, एक पट्टे में बैन्च लागू नहीं थी और तीन खनन पट्टे में निल प्रतिवेदित किया हुआ पाया गया जबकि सयुक्त भौतिक निरीक्षण जांच परिणामों में पाया गया कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा प्रतिवेदित किए गए 10 खनन पट्टों के विरुद्ध तीन पट्टों में ही बैन्चे विकसित पायी गयी, 27 खनन पट्टों में बैन्चे विकसित नहीं पायी गयी, एक खनन पट्टे में बैन्च लागू नहीं और सात खनन पट्टों में अनउपयुक्त बैन्चे पायी गयी।</p>	<p>प्रतिवेदित किया गया कि बैन्चे विकसित की गई थी। तथापि, पांच प्रकरणों में गड्ढावार बैन्च ऊंचाई, चौडाई एवं लम्बाई के बारे में विवरण नहीं दिया गया था। एक खनन पट्टे के लिये प्रतिवेदित किया गया कि बैन्चे लागू नहीं थी। तीन खनन पट्टों के लिये निल प्रतिवेदित किया गया और केवल एक खनन पट्टे के लिये प्रतिवेदित किया गया कि बैन्चे निर्मित नहीं की गई थी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने उपयुक्त बैन्चेज के विकास को सुनिश्चित करने हेतु पट्टेधारियों को कोई चेतना पत्र जारी करना नहीं पाया गया।</p>
---	---	---

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ अनुच्छेद 3.2.1; पृष्ठ 91)

भौतिक लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की गतिविधिवार स्थिति

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	इकाई	परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार लक्ष्य	उपलब्धियां
1	वनीकरण (हेक्टर में)	है.	52,750	52,750
2	कृषि वानिकी गतिविधियां (i) पौधवितरण (संख्या में)	लाख	50,00,000	46,97,000
	(ii) नई पौधशालाओं का निर्माण (संख्या में)	सं.	10	10
	(iii) विद्यमान पौधशालाओं का विकास (संख्या में)	सं.	10	10
3	मृदा एवं नमी संरक्षण संरचनाएं (संख्या में)	सं.	38,060	38,077
4	संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियां	सं.		
	(i) स्वयं सहायता समूह/ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों का सृजन (संख्या में)	सं.	250	249
	(ii) सूक्ष्म नियोजनो की तैयारी (संख्या में)	सं.	250	229
	(iii) ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों की बैठकें (संख्या में)	सं.	250	249
	(iv) गैर सरकारी संगठनों को मानदेय		17	12
	(v) जागरूकता शिविर (संख्या में)	सं.	250	250
5	सक्षमता विकास ग्राम वन सुरक्षा प्रबंध समितियों के सदस्यों/गैर सरकारी संगठनों/रेंज अधिकारियों/सहायक वन संरक्षकों/उपवन संरक्षकों का प्रशिक्षण	एक मुश्त	256	253
6	सम्प्रेषण एवं विस्तार (i) एकसंचेज विजिट/अध्ययन भ्रमण (संख्या में)	सं.	34	34
	(ii) कार्यशाला/सम्मेलन (संख्या में)		7	5
7	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	एक मुश्त	-	-
8	मनरेगा के माध्यम से अभिसरण पक्की दीवार बाड़ निर्माण (हेक्टर में)	है.	1,000	-

स्रोत: पीसीसीएफ द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ अनुच्छेद 3.2.4.2; पृष्ठ 93)

अप्रमाणित/अवमानक बीजों के वितरण की स्थिति प्रदर्शित करने वाला प्रपत्र

(₹ में)

क्र.सं.	खण्ड का नाम	बाजार से बीजों का क्रय जिनकी प्रयोगशाला से जांच नहीं करवाई गई	ग्राम वन सुरक्षा प्रबंध समितियों के माध्यम से संग्रहित करवाए गए बीज जिनकी प्रयोगशाला से जांच नहीं हुई	प्रयोगशाला से बिना जांच करवाये गये कुल बीज	बाजार से बीजों का क्रय जो अवमानक थे	सकल योग (3+4+6)
1	उप वन संरक्षक, कोटा	0	39,835	39,835	3,58,162	3,97,997
2	उप वन संरक्षक, (वन्य जीव) मु. रा.उ., कोटा	2,39,499	32,750	2,72,249	0	2,72,249
3	उप वन संरक्षक, राजसमंद	0	4,680	4,680	91,353	96,033
4	उप वन संरक्षक, अजमेर	1,14,767	0	1,14,767	0	1,14,767
5	उप वन संरक्षक, बूंदी	2,19,481	2,882	2,22,363	2,24,500	4,46,863
6	उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़	6,35,515	1,71,394	8,06,909	0	8,06,909
7	उप वन संरक्षक, भरतपुर	2,47,080	0	2,47,080	0	2,47,080
	योग	14,56,342	2,51,541	17,07,883	6,74,015	23,81,898

स्रोत: सम्बन्धित उपवन संरक्षक द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ अनुच्छेद 3.2.4.2; पृष्ठ 94)

तकनीकी स्वीकृति जारी करने से पूर्व पौधारोपण किए जाने वाले प्रकरणों का विवरण

क्र. सं.	खण्ड का नाम	स्थल/मॉडल एवं रेंज का नाम	तकनीकी स्वीकृति संख्या एवं दिनांक	वाउचर संख्या एवं दिनांक	भुगतान की गई राशि	कार्य निष्पादन की वास्तविक अवधि
1	उप वन संरक्षक, (वन्य जीव) मु.रा.उ., कोटा	काल्यांकुई (आरडीएफ-I) रेंज-दरा	5968/30.10.2014 राशि ₹ 5.88 लाख	22/30.01.2014	3,80,246	01.04.2014 से 31.08.2014
2	-वही-	-वही-	-वही-	44/28.11.2014	1,52,132	01.09.2014 से 31.10.2014
3	उप वन संरक्षक, राजसमंद	अजीतगढ़ (सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण) रेंज-भीम	47-60/27.07.2015 राशि ₹1,53,700/-	53/28.07.2015	17,278	01.04.2015 से 30.06.2015
4	-वही-	-वही-	-वही-	53/17.10.2015	16,572	01.07.2015 से 31.07.2015
5	-वही-	जेताखेड़ा (सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण) रेंज-भीम	-वही-	41/17.10.2015	28,936	01.04.2015 से 30.06.2015
6	-वही-	बानसा (आरडीएफ-II) रेंज-कुंभलगढ़	01-06/22.07.2013 राशि ₹ 4.94 लाख	49/29.08.2013	12,471	23.03.2013 से 30.04.2013
7	-वही-	-वही-	-वही-	50/29.08.2013	9,607	01.05.2013 से 31.05.2013
8	-वही-	-वही-	-वही-	51/29.08.2013	31,321	01.06.2013 से 30.06.2013
9	-वही-	-वही-	-वही-	52/29.08.2013	1,39,816	03.07.2013 से 31.07.2013
10	-वही-	-वही-	-वही-	33/29.08.2013	2,000	08.07.2013
11	-वही-	भागवद रेंज- (आरडीएफ-II) भीम	24-29/19.08.2013 राशि ₹ 4.43 लाख	71/30.08.2013	20,438	01.04.2013 से 31.05.2013
12	-वही-	-वही-	-वही-	70/30.08.2013	2,00,353	01.06.2013 से 31.07.2013
13	-वही-	-वही-	-वही-	75/30.08.2013	6,000	01.04.2013 से 31.07.2013
14	-वही-	-वही-	-वही-	28/29.08.2013	1,501	24.06.2013
15	-वही-	-वही-	-वही-	29/29.08.2013	1,501	21.07.2013
16	-वही-	रत्नावतो की भागल (आरडीएफ-II) रेंज-नाथद्वारा	12-18/08.08.2013 राशि ₹ 4.94 लाख	13/22.08.2013	7,081	25.03.2013 से 30.04.2013
17	-वही-	-वही-	-वही-	14/22.08.2013	10,121	01.05.2013 से 31.05.2013
18	-वही-	-वही-	-वही-	15/22.08.2013	30,497	01.06.2013 से 30.06.2013
19	-वही-	-वही-	-वही-	16/22.08.2013	1,21,981	02.07.2013 से 27.07.2013
20	-वही-	-वही-	-वही-	36/29.08.2013	1,500	10.07.2013

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र)

21	-वही-	-वही-	-वही-	38/29.08.2013	1,000	01.08.2013
22	उप वन संरक्षक प्रतापगढ़	हुडा बावजी-बी रेंज-पीपलखुंट (सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण)	3525-26/30.05.14	147/19.06.14	8,600	01.04.14 से 31.05.14
23	-वही-	सियाखेड़ी महादेव रेंज-छोटी सादड़ी(सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण)	3525-26/30.05.14	178/19.6.14	8,600	01.04.14 से 31.05.14
24	-वही-	रूआमगरा रेंज-छोटी सादड़ी (सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण)	3525-26/30.05.14	186/25.6.14	8,600	01.04.14 से 31.05.14
25	-वही-	धार रेंज-बनासी (सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण)	3525-26/30.05.14	02/25.7.14	8,600	01.04.14 से 31.05.14
26	-वही-	कन्नामाता रेंज-बानसी (सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण)	3525-26/30.05.14	211/15.9.14	8,600	01.04.14 से 31.05.14
27	-वही-	खानपुरी रेंज-धरियाबाद (सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण)	3525-26/30.05.14	138/25.7.14	8,600	01.04.14 से 31.05.14
28	-वही-	अडावेला रेंज-धरियाबाद (सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण)	3525-26/30.05.14	121/25.7.14	8,600	01.04.14 से 31.05.14
29	-वही-	मेवा रेंज-धरियाबाद (सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण)	3525-26/30.05.14	294/16.10.14	8,600	01.04.14 से 31.05.14
योग					12,61,153	

स्रोत: सम्बन्धित उपवन संरक्षक द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भ अनुच्छेद 3.2.5.1; पृष्ठ 95)

सूक्ष्म नियोजन से विचलित कार्यों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	प्रस्तावित कार्य (अनिष्पादित)			निष्पादित कार्य (प्रारंभिक रूप से अप्रस्तावित)		
		कार्यों का प्रकार	संख्या	राशि	कार्यों का प्रकार	संख्या	राशि
1	उप वन संरक्षक, राजसमंद	एनीकट कंटूर गेबियन	4 3 1	82.00	डब्लूएचएस	1	3.04
2	उप वन संरक्षक, कोटा	एनीकट फार्म पोंड	1 1	13.50	कंटूर एनीकट चेकडेम पीसीटी एलबीजी डब्लूएचएस फार्म पोंड	6 2 1 4 1 2 2	73.36
3	उप वन संरक्षक, बूंदी	एनीकट डब्लूएचएस गेबियन चेकडेम पीसीटी कंटूर फार्म पोंड	2 1 2 3 1 2 1	67.00	गेबियन पीसीटी कंटूर	1 1 1	19.18
4	मु.रा.उ. कोटा	चेकडेम फार्म पोंड एनीकट पीसीटी	2 2 1 1	5.00	डब्लूएचएस एनीकट	2 2	18.38
5	उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़	एनीकट	1	6.50	डब्लूएचएस कंटूर	1 1	7.05
6	उप वन संरक्षक, भरतपुर	एनीकट पोंड	2 2	40.00	-	-	-
		योग	33	214.00	योग	28	121.01

स्रोत: सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना

डब्लूएचएस-वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर

पीसीटी-परकोलेशन टैंक

एलबीजी-लूज बोल्टर गेवियन

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भ अनुच्छेद 3.2.5.2; पृष्ठ 95)

राज्य स्तरीय समिति की पूर्ण सहमति प्राप्त किए बिना निर्मित मृदा एवं नमी संरक्षण संरचनाओं की खण्डवार स्थिति प्रदर्शित करने वाला विवरण पत्र

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	वर्ष	मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण							
			चेकडेम संख्या	राशि	एनीकट II	राशि	एनीकट III	राशि	डब्ल्यूएचएस संख्या	राशि
1	राजसमंद	12-13	-	-	03	1949576	02	1585407	-	-
		13-14	51	928444	06	3890210	02	1699822	13	3924909
		14-15	-	-	02	1299476	01	850000	02	604000
		योग	51	928444	11	7139262	5	4135229	15	4528909
2	मु.रा.उ. कोटा	12-13	03	55000	-	-	-	-	-	-
		13-14	-	-	05	3144404	02	1533765	05	1487933
		14-15	-	-	-	-	-	-	-	-
		योग	03	55000	05	3144404	02	1533765	05	1487933
3	कोटा	12-13	10	185000	-	-	02	1691000	-	-
		13-14	45	832000	-	-	01	850000	12	3921000
		14-15	-	-	03	1937000	02	1700000	02	603000
		योग	55	1017000	03	1937000	05	4241000	14	4524000
4	बूंदी	12-13	-	-	05	3028000	02	1700000	-	-
		13-14	121	1101000	-	-	-	-	16	3625000
		14-15	02	42000	-	-	-	-	-	-
		योग	123	1143000	05	3028000	02	1700000	16	3625000
5	अजमेर	12-13	10	184943	-	-	-	-	-	-
		13-14	17	315000	-	-	-	-	-	-
		14-15	-	-	1	649000	03	1949000	3	906000
		योग	27	499943	1	649000	03	1949000	3	906000
6	प्रतापगढ़	12-13	20	369700	05	3245503	02	1699543	05	1537123
		13-14	61	1125033	12	7787480	04	3396543	12	3619481
		14-15	-	-	07	4549374	03	2548700	04	1206233
		15-16	-	-	02	1300000	01	850000	-	-
		योग	81	1494733	26	16882357	10	8494786	21	6362837
7	भरतपुर	12-13	-	-	5	3285499	2	1684068	-	-
		13-14	76	1612574	-	-	-	-	-	-
		14-15	03	62992	-	-	-	-	2	598773
		योग	79	1675566	5	3285499	2	1684068	2	598773
	कुल योग	419	6813686	56	36065522	29	23737848	76	22033452	
	महायोग								88650508	

स्रोत: सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भ अनुच्छेद 3.3.4.2; पृष्ठ 102)

सड़कों के उचित सर्वेक्षण के अभाव में कार्यों की स्वीकृति रद्द करना

सौंपे गए कार्य प्रारंभ नहीं हुए (स्वीकृति रद्द किया जाना प्रस्तावित)

क्र. सं.	जिला	पैकेज	कार्य का नाम	लंबाई (किमी में)	टिप्पणियां
1	अलवर	आरजे-02-डब्लू.बी. आरआरएसएमपी-II-10	अलवर-भिवाड़ी रोड़, एस एच-25 से नौगाँव	1.18	जलमग्नता के कारण स्वीकृति वापसी के लिए प्रस्तावित किया गया।
2			गादपुर से अमलाकी	1.60	
3	बांरा	आरजे-04-डब्लू.बी. आरआरएसएमपी-03	रिचारी जागीर रोड़ से काकरवा	1.75	दोहरी सम्पर्कता के कारण स्वीकृति वापसी
4	भरतपुर	आरजे-06-डब्लू.बी. आरआरएसएमपी-II-10	सुनारी रोड़ से नागला शीखम	0.50	मिसिंग लिंक में स्वीकृति जारी की गई। अन्य योजना में जुड़े होना। स्वीकृति वापसी हेतु प्रस्तावित
5	श्रीगंगानगर	आरजे-30-डब्लू.बी. आरआरएसएमपी-10	20 केएनडी से 18 केएनडी तक बीटी रोड़ निर्माण	3.00	अन्य योजना में जुड़े होना। स्वीकृति वापसी हेतु प्रस्तावित
6	धौलपुर	आरजे-13-डब्लू.बी. आरआरएसएमपी-04-II/2013-14	बसेरी सिरमथुरा रोड़ से कल्लापुरा	0.75	पहले से ही जुड़ा होना।
7	जयपुर	आरजे-16-डब्लू.बी. आरआरएसएमपी-04	थोलाई बिरासना रोड़ से गोपाल्यावास	1.30	राजस्व ट्रेक उपलब्ध नहीं, भूमि विवाद (700 मीटर लंबाई)
8	बूंदी	आरजे-09-डब्लू.बी. आरआरएसएमपी-07	डोरा सुथरा रोड़ से भवानीपुरा	1.50	संशोधित प्रस्ताव एवं संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु डीपीआर प्रस्तुत की गयी, निर्णय शेष है।
योग				11.58	

सौंपे जाने वाले कार्य (रद्द किया जाना प्रस्तावित)

क्र. सं.	जिला	कार्य का नाम	लंबाई(किमी में)	टिप्पणियां
1	कोटा	सिमलिया से कल्याणपुरा	3.30	अन्य योजना में जुड़ा हुआ।
2	कोटा	भौरा से बलभपुरा	4.00	
3	भरतपुर	एसएच-14 चक घरवारी से मधुवाना	1.20	
योग			8.50	
कुल योग			20.08	

स्रोत: आर.आर.एस.एम.पी. की तिमाही प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार।

परिशिष्ट 3.10

(संदर्भ अनुच्छेद 3.3.5.1; पृष्ठ 103)

तकनीकी स्वीकृति जारी करने से पूर्व निविदाएं आमंत्रित करना

आबू रोड खण्ड

क्र.सं.	पैकेज का नाम	सड़कों की संख्या	तकनीकी स्वीकृति की तिथि	निविदा की तिथि
1	आरजे-29-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-01	1	08.02.2013	28.01.2013

अलवर- II खण्ड

क्र.सं.	पैकेज का नाम	सड़कों की संख्या	तकनीकी स्वीकृति की तिथि	निविदा की तिथि
1	आरजे-02-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-02	2	23.07.2013	20.06.2013
		1	23.08.2013	

चौमहला खण्ड

क्र.सं.	पैकेज का नाम	सड़कों की संख्या	तकनीकी स्वीकृति की तिथि	निविदा की तिथि
1	आरजे-19-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-13	1	03.08.2013	02.07.2013

सवाईमाधोपुर-डब्लूबी खण्ड

क्र.सं.	पैकेज का नाम	सड़कों की संख्या	तकनीकी स्वीकृति की तिथि	निविदा की तिथि
1	आरजे-27-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-01	1	18.02.2013	28.01.2013
2	आरजे-27-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-10	3	26.08.2013 तथा 13.09.2013	02.07.2013
3	आरजे-27-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-11	4	24.07.2013 तथा 16.07.2013	02.07.2013
योग		13		

स्रोत: नमूना जांच इकाईयों से प्राप्त सूचना।

परिशिष्ट 3.11

(संदर्भ अनुच्छेद 3.3.5.2; पृष्ठ 104)

मूल्य समायोजन पर संवेदक को अधिक भुगतान

खण्ड का नाम	पैकेज संख्या	सड़क कार्यों की संख्या	अनुबंध संख्या	वाक़्चर संख्या एवं दिनांक	भुगतान राशि ₹	वास्तविक राशि ₹	अधिक राशि ₹
अधिशाषी अभियंता सानिवि, खण्ड, निम्बाहेड़ा	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-35	3	32/2013-14	52/ 26.02.16	1567927	663583	904344
अधिशाषी अभियंता सानिवि, खण्ड, दौसा	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-07	5	12/2013-14	41/ 25.08.14	1120601	680793	439808
अधिशाषी अभियंता सानिवि, खण्ड, छबड़ा	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-01	3	07/2014-15	52/ 27.11.15	997643	318492	679151
	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-02	5	02/2014-15	01/ 13.08.15	1171123	-537780	1708903
	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-03	4	06/2014-15	02/ 13.08.15	560155	26611	533544
	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-04	4	05/2014-15	03/ 13.08.15	434064	-183673	617737
अधिशाषी अभियंता सानिवि, खण्ड, सूरतगढ़	आरजे-30-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-03	4	07/2013-14	135/ 25.08.14	1021289	723712	297577
	आरजे-30-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-05	4	04/2013-14	27/ 21.10.14	2696732	2269526	427206
	आरजे-30-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-06	3	09/2013-14	24/ 21.10.14	1336794	1304785	32009
	आरजे-30-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-08	4	05/2013-14	26/ 21.10.14	1829913	1471648	358265
	आरजे-30-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-09	4	06/2013-14	25/ 21.10.14	2878642	2392448	486194
अधिशाषी अभियंता सानिवि, खण्ड, सिकंदरा	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-14	5	18/2013-14	05/ 18.12.14	887114	626710	260404
योग					16501997	9756855	6745142

स्रोत: नमूना जांच इकाईयों से प्राप्त सूचना।

परिशिष्ट 3.12

(संदर्भ अनुच्छेद 3.3.5.2; पृष्ठ 104)

परिचालन एवं रख-रखाव नियमावली प्रस्तुत करने का अभाव

अलवर- II

क्र.सं.	पैकेज का नाम	सड़को की संख्या	अनुबंध राशि (₹ लाखों में)	अनुबंध राशि का @ 1 प्रतिशत राशि रोकी जाएगी जो ₹ 3.00 लाख से अधिक न हो (₹ लाखों में)
1	आरजे-02-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-02	4	143.48	1.43
2	आरजे-02-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-07	1	102.04	1.02
3	आरजे-02-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-08	2	133.87	1.33
4	आरजे-02-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-09	3	98.98	0.99
5	आरजे-02-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-10	3	162.48	1.62
योग				6.39

बूंदी-डब्लूबी

1	आरजे-09-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-01	3	310.67	3.00
2	आरजे-09-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-02	3	291.35	2.91
3	आरजे-09-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-05	3	442.85	3.00
4	आरजे-09-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-06	2	409.46	3.00
5	आरजे-09-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-07	3	232.15	2.32
6	आरजे-09-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-08	3	438.72	3.00
7	आरजे-09-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-10	1	299.27	2.99
योग				20.22

चौमहला

1	आरजे-19-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-13	2	219.07	2.19
योग				2.19

चित्तौड़गढ़-डब्लूबी

1	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-08	4	272.88	2.72
2	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-09	3	273.17	2.73
3	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-18	5	429.07	3.00
4	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-19	2	312.97	3.00
5	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-24	2	351.07	3.00

6	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-25	2	425.59	3.00
7	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-26	5	321.99	3.00
8	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-27	2	317.05	3.00
9	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-28	3	267.19	2.67
10	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-29	3	252.07	2.52
11	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-30	3	301.88	3.00
12	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-31	3	290.19	2.90
13	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-32	2	139.68	1.39
			योग	35.93

छबड़ा

1	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-02	5	667.90	3.00
2	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-04	4	340.87	3.00
3	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-08	2	229.59	2.29
4	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-09	2	241.44	2.41
5	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-10	2	271.98	2.71
6	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-11	2	194.34	1.94
7	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-12	2	330.99	3.00
8	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-13	2	211.00	2.11
9	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-14	3	288.20	2.88
10	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-15	2	270.02	2.70
11	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-16	2	287.02	2.87
12	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-17	2	235.19	2.35
13	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-18	2	223.04	2.23
14	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-19	2	204.75	2.04
15	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-20	1	208.91	2.08
16	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-21	2	233.95	2.33
			योग	39.94

दौसा

1	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-01	2	106.06	1.06
2	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-04	3	189.22	1.89
3	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-06	2	158.57	1.58

4	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-07	5	450.12	3.00
5	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-08	4	339.28	3.00
6	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-09	3	353.50	3.00
7	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-10	3	408.44	3.00
8	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-11	4	485.27	3.00
9	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-12	4	318.27	3.00
10	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-13	5	493.86	3.00
योग				25.53

निम्बाहेड़ा खण्ड

1	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-21	2	141.13	1.41
2	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-33	3	242.79	2.43
3	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-34	3	274.07	2.74
4	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-35	3	246.38	2.46
5	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-36	3	254.84	2.54
6	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-37	3	309.78	3.00
7	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-38	3	266.70	2.66
8	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-39	3	245.67	2.45
9	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-40	3	305.08	3.00
10	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-41	3	320.80	3.00
11	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-42	2	280.01	2.80
12	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-46	2	208.97	2.08
13	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-48	2	128.48	1.28
14	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-49	3	269.57	2.69
15	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-51	2	331.71	3.00
16	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-52	4	272.52	2.72
योग				40.26

सवाईमाधोपुर-डब्लूबी

1	आरजे-27-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-02	3	241.52	2.42
2	आरजे-27-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-03	2	276.82	2.77
3	आरजे-27-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-04	1	267.79	2.68
4	आरजे-27-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-12	2	403.35	3.00
5	आरजे-27-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-16	2	282.38	2.82
योग				13.69

सूरतगढ़ खण्ड

1	आरजे-30-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-03	4	272.01	2.72
2	आरजे-30-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-05	4	477.76	3.00
3	आरजे-30-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-06	3	677.24	3.00
4	आरजे-30-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-07	4	530.66	3.00
5	आरजे-30-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-08	4	338.24	3.00
6	आरजे-30-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-09	4	484.26	3.00
			योग	17.72
कुल योग		221 सड़कें		201.87

स्रोत: नमूना जांच इकाईयों से प्राप्त सूचना।

परिशिष्ट 3.13

(संदर्भ अनुच्छेद 3.3.5.2; पृष्ठ 104)

संशोधित कार्य कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं करने से सवेदक को अनुचित लाभ देना

क्र.सं.	खण्ड का नाम	पैकेज का नाम	सड़कों की संख्या	रोकने योग्य राशि (₹ लाख में)
1	आबू रोड़	01	01	05.00
2	अलवर- II	04	10	20.00
3	ब्यावर	01	08	05.00
4	भीलवाड़ा	09	39	45.00
5	बूंदी-डब्लूबी	07	18	35.00
6	चौमहला	02	03	10.00
7	छबड़ा	19	47	95.00
8	चित्तोड़गढ़-डब्लूबी	18	60	90.00
9	दौसा	10	35	50.00
10	मालपुरा	10	39	50.00
11	निम्बाहेड़ा	18	49	90.00
12	राजसमंद-डब्लूबी	11	33	55.00
13	सवाईमाधोपुर-डब्लूबी	13	34	65.00
14	श्रीगंगानगर	05	11	25.00
15	सिकन्दरा	02	06	10.00
16	सूरतगढ़	06	23	30.00
योग		136	416	680

स्रोत: नमूना जांच इकाईयों से प्राप्त सूचना।

परिशिष्ट 3.14

(संदर्भ अनुच्छेद 3.3.5.2; पृष्ठ 105)

सड़कों का बीमा कवर उपलब्ध नहीं करने का विवरण

ब्यावर खण्ड

क्र. सं.	पैकेज संख्या	सड़कों की संख्या	बीमा पॉलिसी प्रस्तुत नहीं की गई		निर्माण अवधि के लिए प्रस्तुत की गई बीमा पॉलिसी	
			कायदेशि राशि	प्रिमियम राशि कायदेशि राशि का @ 1.20 प्रतिशत	कायदेशि राशि	प्रिमियम राशि कायदेशि राशि का @ 0.40 प्रतिशत
1	आरजे-01-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-01	8	36824907	441899	-	-

भीलवाड़ा खण्ड

1	आरजे-07-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-08	5	-	-	32294621	129178
2	आरजे-07-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-09	5	43844846	526138	-	-
3	आरजे-07-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-18	4	43274135	519290	-	-
4	आरजे-07-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-19	4	36060576	432727	-	-
5	आरजे-07-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-20	4	35885686	430628	-	-
6	आरजे-07-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-21	4	37417044	449004	-	-
7	आरजे-07-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-22	3	-	-	42698605	170794
8	आरजे-07-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-23	5	-	-	43376011	173504
9	आरजे-07-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-24	5	-	-	43094024	172377

चौमहला खण्ड

1	आरजे-19-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-11	1	35012774	420153	-	-
2	आरजे-19-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-13	2	-	-	21907012	87628

चित्तौड़गढ़ (डब्लूबी) खण्ड

1	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-08	4	27287734	327453	-	-
2	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-09	3	27317321	327808	-	-
3	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-25	2	-	-	42559213	170237
4	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-32	2	-	-	13968104	55872

छबड़ा खण्ड

1	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-02	5	-	-	66790417	267162
2	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-03	3	47498952	569987	-	-
3	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-10	2	27197780	326373	-	-
4	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-11	2	19434385	233213	-	-
5	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-12	2	-	-	33099181	132397
6	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-13	2	-	-	21099909	84400
7	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-14	3	-	-	28819657	115279
8	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-16	2	-	-	28701574	114806
9	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-17	2	-	-	23519441	94078
10	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-19	2	-	-	20474947	81900
11	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-20	1	-	-	20891292	83565
12	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-21	2	-	-	23395133	93581
13	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-22	3	-	-	15519352	62077

दौसा खण्ड

1	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-01	2	-	-	10605661	42423
2	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-04	3	18921953	227063	-	-
3	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-06	2	-	-	15856953	63428
4	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-07	5	45012304	540148	-	-
5	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-08	4	-	-	33928273	135713
6	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-09	3	35349910	424199	-	-
7	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-11	4	-	-	48527373	194109
8	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-13	5	49385565	592627	-	-

निम्बाहेड़ा खण्ड

1	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-21	2	14113224	169359	-	-
2	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-33	3	24278792	291345	-	-
3	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-34	3	27407033	328884	-	-
4	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-35	3	24637607	295651	-	-
5	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-37	3	30977570	371731	-	-
6	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-39	3	24566819	294802	-	-
7	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-40	3	-	-	30508065	122032

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र)

8	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-41	3	-	-	32079902	128320
9	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-42	2	28001484	336018	-	-
10	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-44	3	-	-	24421078	97684
11	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-46	2	20896555	250759	-	-
12	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-48	2	12848407	154181	-	-
13	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-49	3	-	-	26956551	107826
14	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-51	2	-	-	33171166	132685
15	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-52	4	27251866	327022	-	-

सवाईमाधोपुर-डब्लूबी खण्ड

1	आरजे-27-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-01	2	20913746	250965	-	-
2	आरजे-27-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-02	3	24151992	289824	-	-
3	आरजे-27-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-11	4	24742912	296915	-	-
4	आरजे-27-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-12	2	-	-	40335060	161340
5	आरजे-27-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-13	2	20706291	248475	-	-
6	आरजे-27-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-16	2	28237655	338852	-	-
कुल	58 पैकेज	176		1,10,33,493		32,74,395
			31 पैकेज और 100 सड़क		27 पैकेज और 76 सड़कें	
			1,10,33,493+32,74,395=1,43,07,888			

स्रोत: नमूना जांच इकाईयों से प्राप्त सूचना।

परिशिष्ट 3.15

(संदर्भ अनुच्छेद 3.3.5.2; पृष्ठ 105)

निष्पादन सुरक्षा प्रदान किए जाने के अभाव में संवेदक के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का अभाव

ब्यावर खण्ड

क्र.सं.	पैकेज संख्या	निष्पादन प्रतिभूति की वैधता अवधि तक (खण्ड 35.1 के अनुसार)	निष्पादन प्रतिभूति की वैधता अवधि तक
1	आरजे-01-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-01	31.08.2020	26.06.2019

चित्तौड़गढ़ (डब्लूबी) खण्ड

1	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-08	25.07.2019	01.07.2017
2	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-09	19.07.2019	01.07.2017
3	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-29	30.11.2019	22.12.2015
4	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-30	30.11.2019	22.12.2015
5	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-31	30.11.2019	27.12.2018

मालपुरा खण्ड

1	आरजे-31-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-05	31.08.2019	उपलब्ध नहीं
2	आरजे-31-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-12	31.08.2020	उपलब्ध नहीं
3	आरजे-31-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-18	31.12.2019	उपलब्ध नहीं
4	आरजे-31-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-19	31.03.2020	उपलब्ध नहीं
5	आरजे-31-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-23	31.03.2020	उपलब्ध नहीं
6	आरजे-31-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-24	31.03.2020	उपलब्ध नहीं
7	आरजे-31-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-26	14.12.2020	उपलब्ध नहीं
8	आरजे-31-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-27	31.12.2019	उपलब्ध नहीं

निम्बाहेड़ा खण्ड

1	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-33	12.11.2019	19.01.2015
2	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-35	30.11.2019	22.10.2018
3	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-37	30.11.2019	19.01.2015
4	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-39	12.11.2019	26.09.2016
5	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-44	12.11.2019	27.02.2015
6	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-46	22.11.2019	02.01.2018
7	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-48	12.11.2019	26.09.2016

8	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-49	30.11.2019	19.01.2015
9	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-51	16.12.2019	19.01.2015
10	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-52	30.11.2019	21.11.2016

राजसमंद (डब्लूबी) खण्ड

1	आरजे-26-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-08	28.11.2019	23.09.2014
2	आरजे-26-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-09	28.11.2019	23.09.2014
3	आरजे-26-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-22	28.11.2019	23.09.2014
कुल पैकेज	27		

स्रोत: नमूना जांच इकाईयों से प्राप्त सूचना।

परिशिष्ट 3.16

(संदर्भ अनुच्छेद 3.3.6; पृष्ठ 106)

जांच प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किये जाने वाले कार्यों का विवरण

क्र. सं.	पैकेज संख्या	सड़कों की संख्या	कायदिरा राशि	कार्य की अवधि
1	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-08	4	27287737	13.07.2013 से 12.07.2014
2	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-09	3	27317321	13.07.2013 से 12.07.2014
3	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-10	3	40135436	24.12.2013 से 23.12.2014
4	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-18	5	42906660	01.07.2013 से 30.06.2014
5	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-19	2	31296570	04.07.2013 से 03.07.2014
6	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-24	2	35107274	19.07.2013 से 18.07.2014
7	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-28	3	26719035	10.01.2014 से 09.01.2015
	योग	22		

कायदेश से पूर्व जारी परेषिति रसीद प्रमाणपत्र के कार्यों का विवरण

क्र. सं.	पैकेज संख्या	कायदेश संख्या एवं दिनांक	सड़कों की संख्या	कायदेश राशि	कार्य की अवधि	सामग्री का नाम	सीआरसी संख्या एवं दिनांक	सामग्री की मात्रा
1	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-08	1293/04.07.2013	4	27287737	13.07.13 से 12.07.14	ईमल्सन बिटुमिन-आर एस-1	140/15.09.2010	14.240
2	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-09	1294/04.07.2013	3	27317321	13.07.13 से 12.07.14	ईमल्सन बिटुमिन-आर एस-1	94/08.06.2012	6.790
						बिटुमिन वीजी-10	241/02.12.2012	6.520
						बिटुमिन वीजी-10	655029564/12.06.2012	20.050
3	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-10	3181/27.12.2013	3	40135436	24.12.13 से 23.12.14	ईमल्सन बिटुमिन-आर एस-1	2102012178/10.04.2013	15.00
						बिटुमिन वीजी-10	17035/15.07.2013	24.910
4	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-27	3774/03.03.2014	2	31705122	14.03.14 से 13.03.15	ईमल्सन बिटुमिन-आर एस-1	42527/05.06.2013	24.244
						बिटुमिन वीजी-10	42644/07.06.2013	24.310
						बिटुमिन वीजी-10	661129241/15.03.2013	10.64
						बिटुमिन वीजी-10	663105479/11.06.2013	14.586
						बिटुमिन वीजी-10	663213980/15.06.2013	14.494
कुल सड़कें			12					

स्रोत: नमूना जांच इकाईयों से प्राप्त सूचना।

परिशिष्ट 3.17

(संदर्भ अनुच्छेद 3.7; पृष्ठ 115)

संवेदकों को मूल्य वृद्धि के अधिक भुगतान का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	कार्य का नाम	संवेदक का नाम	मूल्य विचलन		अपरिहार्य/अधिक भुगतान	अधिक भुगतान का कारण
				भुगतान किया गया	भुगतान जाना था		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	अधिशाषी अभियन्ता सानिवि, रारा खण्ड, बाडमेर	पक्के ढलान के साथ सड़क उन्नयन (किमी 259/000 से 286/600 किमी 290/600 से 297/100 के मध्य किमी 34.100) एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-15 (जैसलमेर-बाडमेर-सांचोर सड़क से चार लेन तक चौड़ाईकरण (किमी 286/600 से 290/600 के मध्य 4.00 किमी)	मै. भीमजी वेलजी सारेतिया, उदयपुर, गुजरात	3.85	3.24	0.61	मूल्यवृद्धि के भुगतान की गणना हेतु वित्तीय बोलियों की खुलने के दिनांक के स्थान पर तकनीकी बोलियों की खुलने के दिनांक को माना गया।
2	अधिशाषी अभियन्ता, सानिवि, रारा, खण्ड, बाडमेर	पुराने राज्य राजमार्ग 28'ब' के पचपदरा-बंगुडी अनुभाग के पुनः संरेखित भाग में भौगोलिक सुधार के साथ दो लेन की सड़क का चौड़ाईकरण (किमी 229/500 से 254/800) जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग-112 (बर-बिलाडा-जोधपुर-बाडमेर) पर छोटे पुल का निर्माण भी शामिल	मै. तन सिंह चौहान, बाडमेर	2.28	1.87	0.41	-वही-
					कुल	1.02	

परिशिष्ट 3.18

(संदर्भ अनुच्छेद 3.8; पृष्ठ 117)

मृदा खुदाई, ग्रेन्यूलर सब बेस का निर्माण, डब्लू बी एम एवं डब्लू एम एम पर किये गये व्यय का विवरण

क्र. सं.	खण्ड का नाम	मृदा खुदाई	जी एस बी	डब्लू बी एम ग्रेड-2	डब्लू बी एम ग्रेड-3	डब्लू एम एम	योग
1	अधिश्राषी अभियन्ता, सानिवि खण्ड, बालोतरा	184508.24	2519109.65	306504.95	2478226.28	0.00	5488349.12
2	अधिश्राषी अभियन्ता, सानिवि खण्ड, चित्तौडगढ़	0.00	2842198.72	0.00	0.00	13296505.17	16138703.89
3	अधिश्राषी अभियन्ता, सानिवि खण्ड-प्रथम, बाडमेर	521822.65	3297235.43	0.00	3691448.83	0.00	7510806.91
4	अधिश्राषी अभियन्ता, सानिवि खण्ड, शाहपुरा (जयपुर)	0.00	2891013.25	0.00	3607595.84	0.00	6498609.09
5	अधिश्राषी अभियन्ता, सानिवि खण्ड, नवलगढ़	24091.64	3327802.72	2946645.66	0.00	0.00	6298540.02
योग							41935009.03

